सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
# का
# राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
# 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

## हरियाणा सरकार

*प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2023*

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
# का
# राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

**31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**

# हरियाणा सरकार

***प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2023***

# विषय सूची


| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रस्तावना** | | vii |
| **कार्यकारी सार** | | ix-xiv |
| **अध्याय-1** | | |
| **विहंगावलोकन** | | |
| **राज्य का प्रोफाइल** | **1.1** | 1-2 |
| राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 1.1.1 | 1-2 |
| **राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण** | **1.2** | 3 |
| **प्रतिवेदन की संरचना** | **1.3** | 3-4 |
| **सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन** | **1.4** | 4-8 |
| वित्तों के स्नैपशॉट | 1.4.1 | 7-8 |
| सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट | 1.4.2 | 8 |
| **राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति** | **1.5** | 9-12 |
| **लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण** | **1.6** | 12-14 |
| राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव | 1.6.1 | 12 |
| लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण | 1.6.2 | 13-14 |
| **अध्याय-2** | | |
| **राज्य के वित्त** | | |
| **प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन** | **2.1** | 15 |
| **निधियों के स्रोत एवं उपयोग** | **2.2** | 15-16 |
| **राज्य के संसाधन** | **2.3** | 17-29 |
| राज्य की प्राप्तियां | 2.3.1 | 17-18 |
| राजस्व प्राप्तियां | 2.3.2 | 19-27 |
| पूंजीगत प्राप्तियां | 2.3.3 | 27-28 |
| संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन | 2.3.4 | 28-29 |
| **संसाधनों का अनुप्रयोग** | **2.4** | 29-41 |
| व्यय की वृद्धि एवं संरचना | 2.4.1 | 29-31 |
| राजस्व व्यय | 2.4.2 | 31-36 |
| पूंजीगत व्यय | 2.4.3 | 36-40 |
| व्यय प्राथमिकताएं | 2.4.4 | 40-41 |
| प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय | 2.4.5 | 41 |
| **लोक लेखा** | **2.5** | 41-48 |
| निवल लोक लेखा शेष | 2.5.1 | 41-42 |
| आरक्षित निधियां | 2.5.2 | 42-48 |
| **ऋण प्रबंधन** | **2.6** | 48-55 |
| ऋण प्रोफ़ाइल: घटक | 2.6.1 | 49-53 |
| ऋण प्रोफ़ाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान | 2.6.2 | 53-55 |

| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **ऋण स्थिरता विश्लेषण** | **2.7** | 56-61 |
| उधार ली गई निधियों का उपयोग | 2.7.1 | 57-58 |
| गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं | 2.7.2 | 59-60 |
| रोकड़ शेष का प्रबंधन | 2.7.3 | 60-61 |
| **राज्य वित्त आयोग** | **2.8** | 61-62 |
| हस्तांतरण | 2.8.1 | 61-62 |
| **निष्कर्ष** | **2.9** | 62-63 |
| **सिफारिश** | **2.10** | 64 |
| **अध्याय-3** | | |
| **बजटीय प्रबंधन** | | |
| **बजट प्रक्रिया** | **3.1** | 65-66 |
| **विनियोजन लेखे** | **3.2** | 66-67 |
| **बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां** | **3.3** | 67-73 |
| कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय | 3.3.1 | 67 |
| अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान | 3.3.2 | 67-68 |
| निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन | 3.3.3 | 68-69 |
| निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना | 3.3.4 | 69 |
| बचत | 3.3.5 | 69-72 |
| अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण | 3.3.6 | 73 |
| **बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां** | **3.4** | 73-78 |
| बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर | 3.4.1 | 73-75 |
| बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं | 3.4.2 | 75-76 |
| निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय | 3.4.3 | 76 |
| व्यय की अधिकता | 3.4.4 | 76-77 |
| आकस्मिक निधि से अग्रिम | 3.4.5 | 77-78 |
| **चयनित अनुदानों की समीक्षा** | **3.5** | 78-95 |
| अनुदान संख्या 06-वित्त | 3.5.1 | 78-80 |
| अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य | 3.5.2 | 80-87 |
| अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय | 3.5.3 | 88-95 |
| **अध्याय-4** | | |
| **लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार** | | |
| **राज्य की समेकित निधि या सार्वजनिक लेखा से बाहर की निधियां** | **4.1** | 97-100 |
| भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर | 4.1.1 | 97 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास निधि | 4.1.2 | 98 |
| हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड | 4.1.3 | 98-99 |
| हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड | 4.1.4 | 99-100 |
| **ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना** | **4.2** | 100 |
| **बजट से बाहर उधार** | **4.3** | 100-101 |

| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां** | **4.4** | 101 |
| **स्थानीय निधियों की जमा राशि** | **4.5** | 101 |
| **उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब** | **4.6** | 102-104 |
| अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना | 4.6.1 | 103-104 |
| **सार आकस्मिक बिल** | **4.7** | 104 |
| **व्यक्तिगत जमा खाते** | **4.8** | 104-105 |
| **लघु शीर्ष-800 का अंधाधुंध उपयोग** | **4.9** | 105-106 |
| **उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष** | **4.10** | 106-107 |
| **विभागीय आंकड़ों का मिलान** | **4.11** | 107 |
| **नकद शेष का मिलान** | **4.12** | 107-108 |
| जमा कार्यों के लिए अग्रिमों पर ब्याज का लेखांकन न करना | 4.12.1 | 108 |
| **लेखांकन मानकों की अनुपालना** | **4.13** | 108-109 |
| **लेखों के संकलन से संबंधित मुद्दे** | **4.14** | 109 |
| **प्राप्तियां** | 4.14.1 | 109 |
| **ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान** | 4.14.2 | 109 |
| **प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब** | **4.15** | 109-110 |
| **लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब** | **4.16** | 110 |
| **विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम** | **4.17** | 110-111 |
| **लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता** | **4.18** | 111 |
| **दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, इत्यादि** | **4.19** | 111-112 |
| **राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई** | **4.20** | 113 |
| **निष्कर्ष** | **4.21** | 113-114 |
| **सिफारिशें** | **4.22** | 114 |
| **अध्याय-5** | | |
| **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम** | | |
| **सरकारी कंपनी की परिभाषा** | **5.1** | 115 |
| **लेखापरीक्षा अधिदेश** | **5.2** | 115-116 |
| **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान** | **5.3** | 116-117 |
| **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता** | **5.4** | 117-118 |
| राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण | 5.4.1 | 117 |
| बजटीय सहायता | 5.4.2 | 117-118 |
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण | 5.4.3 | 118 |
| विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण | 5.4.4 | 118 |
| **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न** | **5.5** | 118-120 |
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ | 5.5.1 | 118-119 |
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान | 5.5.2 | 119 |
| नियोजित पूंजी पर रिटर्न | 5.5.3 | 119-120 |

| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
|---|---|---|
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न | 5.5.4 | 120 |
| **ऋण सर्विसिंग** | **5.6** | 120-121 |
| ब्याज कवरेज अनुपात | 5.6.1 | 120-121 |
| **हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम** | **5.7** | 121-123 |
| उठाई गई हानियां | 5.7.1 | 121-122 |
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण | 5.7.2 | 122-123 |
| **निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न** | **5.8** | 123-125 |
| **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा** | **5.9** | 125 |
| **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति** | **5.10** | 125 |
| **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण** | **5.11** | 125-127 |
| समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता | 5.11.1 | 125-126 |
| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता | 5.11.2 | 126 |
| सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता | 5.11.3 | 127 |
| **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा** | **5.12** | 127-128 |
| वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क | 5.12.1 | 127 |
| सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा | 5.12.2 | 127 |
| सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा | 5.12.3 | 127-128 |
| **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम** | **5.13** | 128-129 |
| कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा | 5.13.1 | 128 |
| सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां | 5.13.2 | 128-129 |
| **प्रबंधन पत्र** | **5.14** | 129-130 |
| **निष्कर्ष** | **5.15** | 130 |
| **सिफारिशें** | **5.16** | 130-131 |

# परिशिष्ट


| परिशिष्ट | विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| **1.1** | राज्य प्रोफाइल | 1.1 | 133 |
| **1.2** | 31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति | 1.4.2 | 134 |
| **2.1** | वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार | 2.2 | 135-136 |
| **2.2** | राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा | 2.3.2.1 | 137-138 |
| **2.3** | राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2022 तक राजस्व के बकाया | 2.3.2.2 (iii) | 139 |
| **2.4** | वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश | 2.4.3.2 (ii) | 140 |
| **2.5** | कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण | 2.4.3.2 (iii) | 141-143 |
| **3.1** | उन मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए | 3.3.2 | 144-145 |
| **3.2** | प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन का विवरण | 3.3.3 | 146-155 |
| **3.3** | मार्च 2022 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण | 3.3.4 | 156-157 |
| **3.4** | विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी | 3.3.5 (i) | 158 |
| **3.5** | ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत वाली योजनाओं का विवरण | 3.3.5 (i) | 159-163 |
| **3.6** | उन योजनाओं का विवरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रावधान ₹ पांच करोड़ और अधिक तथा बचत कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक थी | 3.3.5 (ii) | 164-168 |
| **3.7** | योजना निष्पादन से जुड़ा परिव्यय का विवरण जिसमें व्यय शून्य था | 3.4.3 | 169-171 |
| **3.8** | वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाले विवरण जहां व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था | 3.4.4 | 172 |
| **3.9** | अनुदान संख्या 6-वित्त-संपूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण | 3.5.1.2 (iii) | 173 |
| **3.10** | पुनर्विनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित निधियों का विवरण | 3.5.1.2 (iv) | 174 |
| **3.11** | अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के अंतर्गत अभ्यर्पित किए गए संपूर्ण प्रावधान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 3.5.2.3 (ii) | 175 |
| **3.12** | बचत के विवरण जो वर्ष 2021-22 के लिए अभ्यर्पित नहीं की गई थी | 3.5.2.3 (ii) | 176 |
| **3.13** | अनावश्यक अनुपूरक अनुदान प्रदान की गई योजनाओं का विवरण | 3.5.2.3 (iii) | 177 |
| **3.14** | 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई राशि के विवरण | 3.5.2.3 (v) | 178-181 |
| **3.15** | 31 मार्च 2022 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की सूची | 3.5.2.3 (vi) | 182 |

| परिशिष्ट | विवरण | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| **3.16** | अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण जो 31 मार्च 2022 को बकाया थे | 3.5.2.3 (vi) | 183 |
| **3.17** | डीडीओ के कारण केंद्र और राज्यवार ब्याज | 3.5.2.3 (vii) | 184 |
| **3.18** | उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी | 3.5.3.2 (ii) | 185-186 |
| **3.19** | पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित बचत का विवरण | 3.5.3.2 (iv) | 187-189 |
| **3.20** | उन प्रकरणों का विवरण जिनमें वर्ष 2021-22 का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था | 3.5.3.2 (v) | 190 |
| **3.21** | केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अर्जित ब्याज, जिसे संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं किया गया, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 3.5.3.2 (vi) | 191 |
| **3.22** | केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अर्जित ब्याज, जिसे आईए द्वारा संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं किया गया था, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 3.5.3.2 (vi) | 192 |
| **3.23** | (i) अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित बैंक बैलेंस का विवरण दर्शाने वाली विवरणी 2022-23<br>(ii) अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित बैंक बैलेंस का विवरण दर्शाने वाली विवरणी 2022-23 | 3.5.3.2 (vii) | 193-194 |
| **3.24** | सरकारी लेखों के बाहर निधि जमा करने और राज्य को परिणामी ब्याज हानि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 3.5.3.2 (vii) | 195 |
| **3.25** | केंद्र प्रायोजित योजनाओं के खातों, जिन्हें बंद नहीं किया गया था अथवा शून्य शेष खाते में परिवर्तित नहीं किया गया था, का विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 3.5.3.2 (ix) | 196 |
| **3.26** | लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 3.5.3.2 (x) | 197 |
| **3.27** | वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण की राशि का विवरण | 3.5.3.2 (xi) | 198-199 |
| **4.1** | राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां | 4.4 | 200 |
| **4.2** | 31 मार्च 2022 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण | 4.6 | 201-203 |
| **4.3** | स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी | 4.15 | 204-206 |
| **4.4** | निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी | 4.16 | 207-212 |
| **4.5** | विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी | 4.17 | 213 |
| **5.1** | हरियाणा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची | 5.3 | 214 |

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 से 3 में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। जहां आवश्यक थी, वहां हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 "लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग" चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

अध्याय 5 में 'राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा की गई है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा (स्टैंडअलोन) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों, सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

# कार्यकारी सार

# कार्यकारी सार

## पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित, यह प्रतिवेदन पांच अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अंतर्निहित डेटा सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो-राजकोषीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण प्रोफ़ाइल और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 राज्य के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार की विनियोजन और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 4 राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मामलों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा करता है।

## लेखापरीक्षा परिणाम

### अध्याय 1: विहंगावलोकन

राजस्व घाटा जो 2020-21 के दौरान ₹ 22,385 करोड़ था घटकर 2021-22 के दौरान ₹ 20,333 करोड़ हो गया, जो कि ₹ 29,194 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम था।

**[अनुच्छेद 1.5]**

राजकोषीय घाटा जो 2020-21 में ₹ 29,486 करोड़ था, 2021-22 के दौरान बढ़कर ₹ 31,778 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति में 3.83 प्रतिशत और बजट प्रक्षेपणों के नियत लक्ष्य के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.55 प्रतिशत था।

**[अनुच्छेद 1.5]**

पेंशन स्कीम में कम योगदान, समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न होना और खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 737.14 करोड़ कम दर्शाया गया।

**[अनुच्छेद 1.6.1]**

राज्य के कुल लंबित ऋणों/देयताओं को उचंत, विविध एवं प्रेषण शेष के लेखों में सम्मिलित न करके ₹ 556 करोड़ कम दर्शाया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता 0.06 प्रतिशत कम दर्शाई गई है।

**[अनुच्छेद 1.6.2]**

**अध्याय 2: राज्य के वित्त**

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2017-18 में 19.43 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 15.59 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 29.87 प्रतिशत बढ़ गया, भारत सरकार से सहायता अनुदान 46.56 प्रतिशत बढ़ गया तथा केन्द्रीय कर अंतरण 33.21 प्रतिशत बढ़ गया।

**[अनुच्छेद 2.3.2.1]**

राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 89,946 करोड़ से नौ प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 98,425 करोड़ हो गया। प्रतिबद्ध व्यय जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल हैं, कुल राजस्व व्यय का 54.07 प्रतिशत है। 2021-22 में सब्सिडी पर व्यय ₹ 9,535 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.21 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.69 प्रतिशत था।

**[अनुच्छेद 2.4.2]**

पूंजीगत व्यय ₹ 11,046 करोड़ था जो मुख्य रूप से जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा खाद्य, भंडार एवं भंडारण पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण 2020-21 में छ: प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 के दौरान कुल व्यय का 10 प्रतिशत हो गया।

**[अनुच्छेद 2.4.3.1]**

31 मार्च 2022 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 37,865.68 करोड़ निवेशित थे। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों

पर औसत प्रतिलाभ 0.71 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2017-22 के दौरान अपने उधारों पर 7.75 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

**[अनुच्छेद 2.4.3.2]**

वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड तथा बिजली कंपनियों को अधिक ऋण देने के कारण 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 5.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के आरंभ में सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध ₹ 3,877.95 करोड़ का ऋण बकाया था। ₹ 4,509.53 करोड़ की बकाया राशि के साथ मूलधन की कोई वसूली नहीं हुई थी।

**[अनुच्छेद 2.4.3.2(iv)]**

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राज्य पूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 5,542.62 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

**[अनुच्छेद 2.5.2.2, 2.5.2.4 एवं 2.5.2.5]**

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2017-18 में ₹ 1,64,076 करोड़ से 60.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,63,950 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण लोक ऋणों (₹ 87,943 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,931 करोड़) में बढ़ोतरी थी। कुल वित्तीय देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2017-18 में 25.68 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 29.47 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.96 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.88 गुणा थीं।

**[अनुच्छेद 2.6.1]**

**अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन**

2021-22 के दौरान, ₹ 1,95,689.44 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 1,50,162.15 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45,527.29 करोड़ की समग्र बचत थीं। इनमें से 38 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए, ₹ 44,115.90 करोड़ की बचत की गई। 2019-20 की अवधि से संबंधित ₹ 153.39 करोड़ और 2020-21 से संबंधित ₹ 21.93 करोड़ के अधिक व्यय के साथ-साथ एक अनुदान और एक विनियोग के अंतर्गत ₹ 63.47 करोड़ के अधिक व्यय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।

**[अनुच्छेद 3.1, 3.3.5(i), 3.3.6 एवं 3.4.1]**

2017-22 के दौरान 31 अनुदानों और दो विनियोजनों में निरंतर बचत दर्ज की गई। 34 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 18 अनुदानों के अंतर्गत 24 प्रमुख शीर्षों में 52 प्रतिशत व्यय मार्च 2022 में किया गया

जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता को दर्शाता है जो कि वित्तीय औचित्य के अननुपालन को प्रदर्शित करता है।

**[अनुच्छेद 3.3.2, 3.3.5(ii) एवं 3.4.4]**

तीन अनुदानों अनुदान संख्या 06-वित्त, अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार की बजटीय एवं वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि 2021-22 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान का क्रमशः 74 प्रतिशत, 80.72 प्रतिशत और 33 प्रतिशत था। अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के संबंध में, इक्कीस योजनाओं के लिए ₹ 965.14 करोड़ की कुल बजट राशि का अभ्यर्पण किया गया जबकि अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के अंतर्गत 34 योजनाओं में बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी।

**[अनुच्छेद 3.5.1, 3.5.2 एवं 3.5.3]**

**अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार**

सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत एकत्रित उपकर को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से लिए बिना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रबंधन बोर्ड/हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड/हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु, अन्य निधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

**[अनुच्छेद 4.1]**

31 अगस्त 2022 को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 18,301.02 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 2,831 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। 95 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 275 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2022 तक बकाया थे।

**[अनुच्छेद 4.6 एवं 4.16]**

राज्य ने भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी और प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

**[अनुच्छेद 4.13]**

राज्य सरकार ने ₹ 68.64 लाख की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुर्विनियोजन, दुरुपयोग, इत्यादि के 51 मामले सूचित किए, जिन पर अक्तूबर 2022 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इनमें से 35 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

**[अनुच्छेद 4.19]**

**अध्याय 5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा.सा.क्षे.उ.) के नवीनतम निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को ₹ 52,314.26 करोड़ के कुल निवेश का 88.95 प्रतिशत (₹ 46,531.51 करोड़) प्राप्त हुआ था।

**[अनुच्छेद 5.4.1]**

2020-21 में अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ दर्ज करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विरूद्ध 2021-22 के दौरान 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 2020-21 में दर्ज किया गया लाभ ₹ 1,698.89 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ हो गया। लाभ अर्जित करने वाले 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) भी 2020-21 में 19 लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के 36.97 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में घटकर 10.32 प्रतिशत हो गया। उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2021-22 में सभी 30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए इक्विटी पर रिटर्न 1.41 प्रतिशत था।

**[अनुच्छेद 5.5.1]**

अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 2021-22 के दौरान नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 459.65 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 395.08 करोड़ की हानि (85.96 प्रतिशत) के लिए हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो ऊर्जा एवं विद्युत विभाग में क्रियाशील है। दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड), जिन्होंने 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया था, को 2021-22 में हानि हुई है। जबकि तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड और हरियाणा वित्त निगम) ने 2020-21 में हानि उठाई थी और 2021-22 के दौरान लाभ दर्ज किया।

**[अनुच्छेद 5.7.1]**

31 मार्च 2022 तक, 13 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 28,237.99 करोड़ थी। इन 13 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने उपलब्ध नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार ₹ 425.02 करोड़ की हानि उठाई। छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अंतिम रूप दिए गए अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 27,277.63 करोड़ की हानि संचित की थी।

**[अनुच्छेद 5.7.2]**

केवल 10 सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2021-22 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। 23 सरकारी कंपनियों के लेखे एक से पांच वर्ष की अवधि से बकाया थे।

**[अनुच्छेद 5.11.2]**

# अध्याय-1

# विहंगावलोकन

# अध्याय 1: विहंगावलोकन

## 1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से यह 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 20.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। राज्य की 11.16 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जोकि अखिल भारतीय औसत 21.92 प्रतिशत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 8,95,672 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 75.60 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,35,707[1] थी जो कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ₹ 1,26,855 से अधिक है।

### 1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.), एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है जैसा कि ***तालिका 1.1*** में दिखाया गया है।

**तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (पी.ई.) | 2020-21 (क्यू.ई.) | 2021-22 (ए.ई.) |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान मूल्य पर स.घ.उ. | 1,70,90,042 | 1,88,99,668 | 2,00,74,856 | 1,98,00,914 | 2,36,64,637 |
| गत वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में) | 11.03 | 10.59 | 6.22 | -1.36 | 19.51 |
| वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. | 6,38,832 | 6,98,189 | 7,62,044 | 7,58,507 | 8,95,672 |
| गत वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ.की वृद्धि दर (प्रतिशत में) | 13.79 | 9.29 | 9.15 | -0.46 | 18.08 |

**स्रोत: भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा**

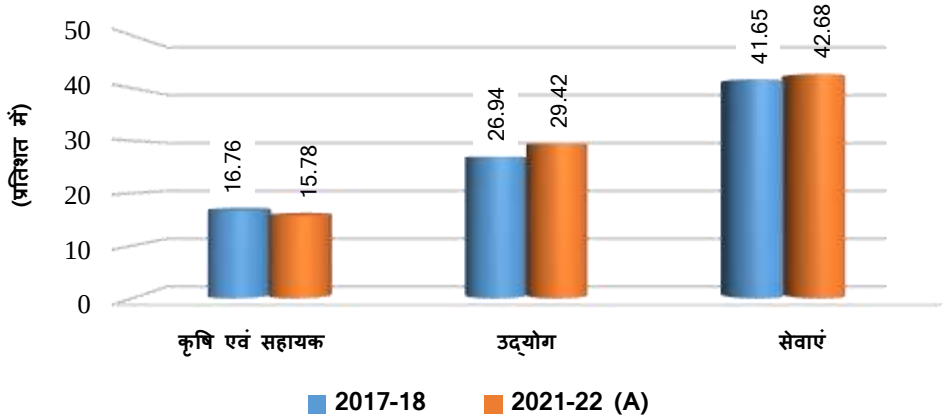
**पी.ई. - अनंतिम अनुमान, क्यू.ई. - त्वरित अनुमान, ए.ई. - अग्रिम अनुमान**

2017-18 में स.घ.उ. की वृद्धि दर 11.03 प्रतिशत थी जो 2020-21 में घटकर (-) 1.36 प्रतिशत रह गई। स.रा.घ.उ. की विकास दर 13.79 प्रतिशत थी जो 2020-21 में घटकर (-) 0.46 प्रतिशत रह गई। हालांकि, यह 2021-22 में बढ़कर 18.08 प्रतिशत हो गई जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (19.51 प्रतिशत) की वृद्धि दर में बदलाव की तुलना में कम थी।

[1] स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22

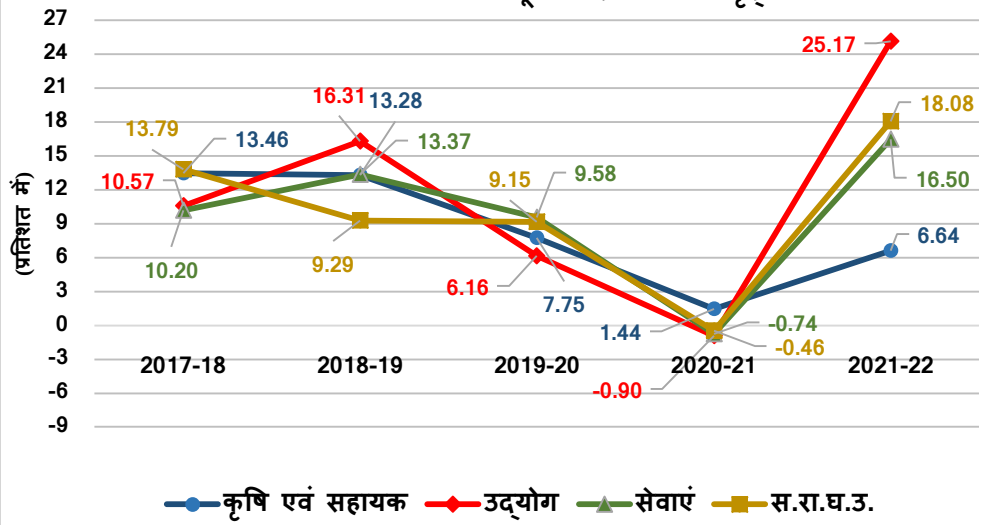
अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि सामान्यत: प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है जिनका संबंध कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास को ***चार्ट 1.1 और 1.2*** में चित्रित किया गया है। स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2021-22।

**चार्ट 1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2017-18 से 2021-22)**




**स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा**

**चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि**




**स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हरियाणा**

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय वृद्धि ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान तीनों क्षेत्रों में घटती प्रवृत्ति दर्शाई, हालांकि, 2021-22 में इन क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई।

## 1.2 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधानसभा के सामने प्रस्तुत करवाएंगे। राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत तैयार तथा प्रस्तुत किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक रूप से राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों को राजकोषों, कार्यालयों और राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले विभागों, जो इन लेखों को रखने के उत्तरदायी हैं, द्वारा प्रदान किए गए वाऊचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं संबंधित लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों से तैयार करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है।

इस प्रतिवेदन के लिए मूल सामग्री राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मानदंडों और आबंटन वरीयताओं अर्थात् परिपेक्ष्यों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभाविकता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और राजकोषों का अन्य डाटा;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का डाटा और राज्य से संबंधित अन्य आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (रा.उ.ब.प्र.), भारत सरकार (भा.स.) के श्रेष्ठतम प्रचलनों और मार्गनिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया जाता है।

## 1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पांच अध्यायों में की गई है:

| | |
|---|---|
| **अध्याय-1** | **विहंगावलोकन**<br>यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अन्तर्निहित डाटा सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों का व्यापक वित्तीय विश्लेषण और घाटा/आधिक्य सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन करवाता है। |
| **अध्याय-2** | **राज्य के वित्त**<br>यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिपेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष से संबंधित प्रमुख राजकोषीय सकल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल प्रवृतियां, राज्य के ऋण की रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेनों की राज्य के वित्त लेखों के आधार पर समीक्षा करता है। |

| | |
|---|---|
| **अध्याय-3** | **बजटीय प्रबंधन**<br>यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन करता है। |
| **अध्याय-4** | **लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रचलनों की गुणवत्ता**<br>यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है। |
| **अध्याय-5** | **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**<br>यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है जैसा कि उनके नवीनतम लेखों से पता चलता है। |

## 1.4 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

### भाग I: राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार से प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण-पत्र, केंद्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारतीय संविधान में निहित कानून के अनुसार और उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी तरह से धन का विनियोग नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगियां, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं और विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन है।

### भाग II: राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जो कि राज्य विधानसभा द्वारा कानूनी रूप से स्थापित की जाती है और राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट करके की जाती है।

### भाग III: राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, प्राप्त सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा को जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में लघु बचतें और भविष्य निधियां, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण और उचंत शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लंबित रहते हस्तांतरण शीर्ष हैं) जैसे वापसी योग्य सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अधीन शामिल है। लोक लेखा विधानसभा के मतदान का विषय नहीं है।

## बजट दस्तावेज

भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के सदन के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की एक विवरणी प्रस्तुत की जाती है। 'वार्षिक वित्तीय विवरणी' में मुख्य बजट दस्तावेज हैं। आगे, बजट में राजस्व लेखा पर व्यय को अन्य व्ययों से अलग होना चाहिए।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा), कर-भिन्न राजस्व और भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

**राजस्व व्यय** में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। इसका संबंध सरकारी और अन्य सेवाओं के सामान्य कार्यचालन हेतु सरकार द्वारा ऋण पर किए गए ब्याज भुगतानों, विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदानों (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन हेतु हो सकते हैं) हेतु किए गए व्यय से है।

**पूंजीगत प्राप्तियों** में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि।
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां।

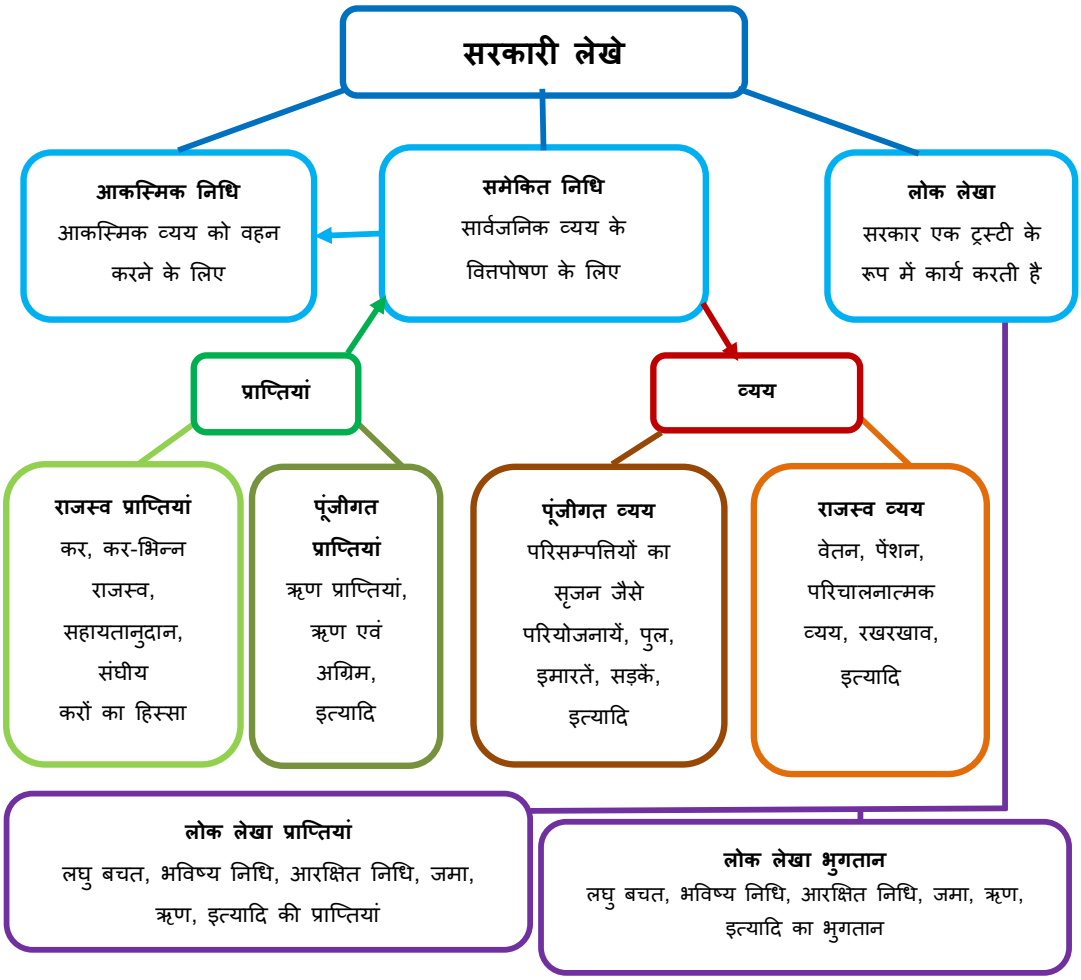
**पूंजीगत व्यय** में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और भारत सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. और अन्य दलों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर किए गए व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

| | **लेन-देन की विशेषता** | **वर्गीकरण** |
|---|---|---|
| लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत | कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग | अनुदानों के अंतर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंक) |
| | उप-कार्य | उप-प्रमुख शीर्ष (2-अंक) |
| | कार्यक्रम | लघु शीर्ष (3-अंक) |
| राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन | योजना | उप-शीर्ष (2-अंक) |
| | उप-योजना | विस्तृत शीर्ष (2-अंक) |
| | आर्थिक प्रकृति/गतिविधि | उद्देश्य शीर्ष - वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक) |

## सरकारी लेखे की संरचना

**चार्ट 1.3: सरकारी लेखे की संरचना**




**स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित**

## बजटीय प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय की विवरणी को **वार्षिक वित्तीय विवरणी** के रूप में राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरणी राज्य विधानसभा को अनुदानों/विनियोगों के लिए मांग के रूप में प्रस्तुत की जाती है और इनके अनुमोदन के बाद समेकित निधि में से अपेक्षित धन के विनियोग प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा विनियोग बिल पारित किया जाता है।

हरियाणा में लागू पंजाब बजट मैनुअल बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को बजटीय अनुमान तैयार करने और इसके व्यय की गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गनिर्देश देता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिया गया है।

### 1.4.1 वित्तों के स्नैपशॉट

***तालिका 1.2*** में वर्ष 2021-22 के वास्तविक वित्तीय परिणामों से बजट अनुमानों की तुलना के साथ 2020-21 के वास्तविक की तुलना का विवरण दिया गया है।

**तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | घटक | 2020-21 (वास्तविक) | 2021-22 (बजट अनुमान) | 2021-22 (वास्तविक) | वास्तविक से बजट अनुमान की प्रतिशतता | वास्तविक से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कर राजस्व | 48,351.39 | 60,162.10 | 63,099.32 | 104.88 | 7.04 |
| | (i) स्वयं का कर राजस्व | 41,913.80 | 52,887.50 | 53,377.16 | 100.93 | 5.96 |
| | (ii) संघीय करों/शुल्कों का अंश | 6,437.59 | 7,274.60 | 9,722.16 | 133.65 | 1.09 |
| 2 | कर-भिन्न राजस्व | 6,961.49 | 10,850.86 | 7,394.13 | 68.14 | 0.83 |
| 3 | सहायता अनुदान एवं अंशदान | 12,248.13 | 16,720.26 | 7,598.24 | 45.44 | 0.85 |
| **4** | **राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)** | **67,561.01** | **87,733.22** | **78,091.69** | **89.01** | **8.72** |
| 5 | ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली | 431.95 | 747.18 | 500.24 | 66.95 | 0.06 |
| 6 | अन्य प्राप्तियां | 62.96 | 5,000.00 | 67.15 | 1.34 | 0.01 |
| 7 | उधार एवं अन्य देयताएं (क) | 29,486.08 | 34,003.86 | 31,777.78 | 93.45 | 3.55 |
| **8** | **पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)** | **29,980.99*** | **39,751.04** | **32,345.17**** | **81.37** | **3.61** |
| **9** | **कुल प्राप्तियां (4+8)** | **97,542.00** | **1,27,484.26** | **1,10,436.86** | **86.63** | **12.33** |
| **10** | **राजस्व व्यय (ख)** | **89,946.60** | **1,16,927.17** | **98,425.03** | **84.18** | **10.99** |
| 11 | ब्याज भुगतान | 17,114.67 | 19,776.42 | 18,361.60 | 92.85 | 2.05 |
| **12** | **पूंजीगत व्यय** | **6,795.40** | **10,557.09** | **12,011.83** | **113.78** | **1.34** |
| | (i) पूंजीगत परिव्यय | 5,869.70 | 9,317.66 | 11,045.56 | 118.54 | 1.23 |
| | (ii) संवितरित ऋण एवं अग्रिम | 925.70 | 1,239.43 | 966.27 | 77.96 | 0.11 |
| **13** | **आकस्मिक निधि का विनियोजन** | **800.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **14** | **कुल व्यय (10+12+13)** | **97,542.00** | **1,27,484.26** | **1,10,436.86** | **86.63** | **12.33** |
| **15** | **राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (4-10)** | **(-) 22,385.59** | **(-) 29,193.95** | **(-) 20,333.34** | **69.65** | **-2.27** |
| **16** | **राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+){(4+5+6)-14}** | **(-) 29,486.08** | **(-) 34,003.86** | **(-) 31,777.78** | **93.45** | **-3.55** |
| **17** | **प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (16-11)** | **(-) 12,371.41** | **(-) 14,227.44** | **(-) 13,416.18** | **94.30** | **-1.50** |

**स्रोत:** **संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बजट एक नजर में।**

***(क)*** ***उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के निवल।***

***(ख)*** ***राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।***

***** **इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

****** **इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं।**

वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में क्रमश: ₹ 5,065.81 करोड़ और ₹ 2,908.67 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा प्राप्त करने के अतिरिक्त हरियाणा राज्य को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ का बैक-टू-बैक ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी।

### 1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2022 तक ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार गत वर्ष की तत्कालीन स्थिति से तुलना को ***परिशिष्ट 1.2*** में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यत: आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं और परिसंपत्तियों में मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं जैसा कि ***तालिका 1.3*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| देयताएं | | | | | परिसंपत्तियां | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2022 को | प्रतिशत वृद्धि | | | 31 मार्च 2021 को | 31 मार्च 2022 को | प्रतिशत वृद्धि |
| **समेकित निधि** | | | | | | | | | |
| क | आंतरिक कर्ज | 2,03,958.21 | 2,26,208.23 | 10.91 | क | सकल पूंजीगत परिव्यय | 1,18,035.14 | 1,29,013.56 | 9.30 |
| ख | भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 5,851.97* | 13,234.58* | 126.16 | ख | ऋण एवं अग्रिम | 7,884.05 | 8,350.07 | 5.91 |
| **आकस्मिक निधि** | | **1,000.00** | **1000.00** | **0.00** | | | | | |
| **लोक लेखा** | | | | | | | | | |
| क | लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि | 17,996.91 | 18,394.45 | 2.21 | क | अग्रिम | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| ख | जमा | 9,471.56 | 11,724.95 | 23.79 | ख | प्रेषण | - | - | - |
| ग | आरक्षित निधियां | 7,823.91 | 8,848.92 | 13.10 | ग | उचंत एवं विविध | 24.24 | 0.00 | (-) 100 |
| घ | उचंत एवं विविध शेष | 0.00 | 241.40 | - | **नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)** | | **3,147.94** | **4,946.11** | **57.12** |
| ङ | प्रेषण | 312.85 | 314.60 | 0.56 | **कुल** | | **1,29,092.11** | **1,42,310.48** | **10.24** |
| | | | | | **राजस्व लेखा में घाटा** | | **1,17,323.30** | **1,37,656.65**[2] | **17.33** |
| **कुल** | | **2,46,415.41** | **2,79,967.13** | **13.62** | **कुल** | | **2,46,415.41** | **2,79,967.13** | **13.62** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

* **इसमें वर्ष 2021-22 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं।**

[2] पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 करोड़ शामिल हैं।

## 1.5 राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब सरकार एकत्र राजस्व से अधिक व्यय करती है तो यह घाटा होता है। ऐसे कई उपाय हैं जो सरकारी घाटे को अधिकृत करते हैं।

घाटे का वित्तपोषण उधार द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए जिससे सरकारी ऋण में वृद्धि होगी। घाटे और ऋण की धारणाओं में निकट का संबंध है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में माना जा सकता है जो ऋण स्टॉक में वृद्धि करता है। यदि सरकार साल-दर-साल उधार लेना जारी रखती है तो इसके परिणामस्वरूप ऋण का संचय होगा और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ये ब्याज भुगतान स्वयं ऋण में योगदान करेंगे।

उधार लेकर सरकार कम हुए उपभोग का भार भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित कर देती है। यह इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बॉण्ड जारी करके उधार लेती है परंतु कुछ बीस वर्ष बाद कर बढ़ाकर या व्यय कम करके बॉण्ड्स चुकाने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार द्वारा लोगों से उधार लेने के कारण निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को भी कम करता है। इस हद तक कि यह पूंजी निर्माण और विकास को कम करता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर 'भार' के रूप में कार्य करता है।

हालांकि, यदि सरकारी घाटे उनके उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य में सफल हों तो और अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। इस मामले में सरकार और उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि सरकार मूलभूत संरचना में निवेश करती है, भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर रिटर्न ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तवित ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को भार नहीं समझा जाएगा। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी द्वारा कम किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों की बिक्री के माध्यम से भी प्राप्तियां बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हालांकि, अधिक बल सरकारी व्यय में कमी की तरफ ही रहा है। सरकारी गतिविधियों को कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने और राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 06 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किसी विशेष वर्ष में प्रचलित राजकोषीय मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा इसकी प्रदानगी अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुमोदित किया गया है, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च 2022 को संशोधन किया गया था।

मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों

तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन ***तालिका 1.4*** तथा ***तालिका 1.5*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.4: प्रक्षेपणों से प्रमुख तथा राजकोषीय संकेतकों में भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)**

| राजकोषीय संकेतक | 2021-22 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15वें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य | बजट में प्रस्तावित लक्ष्य | पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण | वास्तविक | प्रक्षेपणों से वास्तविकों की भिन्नता | | |
| | | | | | 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य | बजट के लक्ष्य | पांच वर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण |
| राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) | (-) 0.81 | (-) 3.29 | (-) 3.29 | (-) 2.27 | (-) 1.46 | 1.02 | 1.02 |
| राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ. | (-) 4.00 | (-) 3.83 | (-) 3.83 | (-) 3.55 | 0.45 | 0.28 | 0.28 |
| कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात* | 31.20 | 25.92 | 25.92 | 29.47 | (-) 1.73 | 3.55 | 3.55 |

* **वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण अनुपात से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 30.78 प्रतिशत है। हालांकि, कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 11,745.79 करोड़ के वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे को छोड़कर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (29.47 प्रतिशत) के लिए ऋण की गणना की गई है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

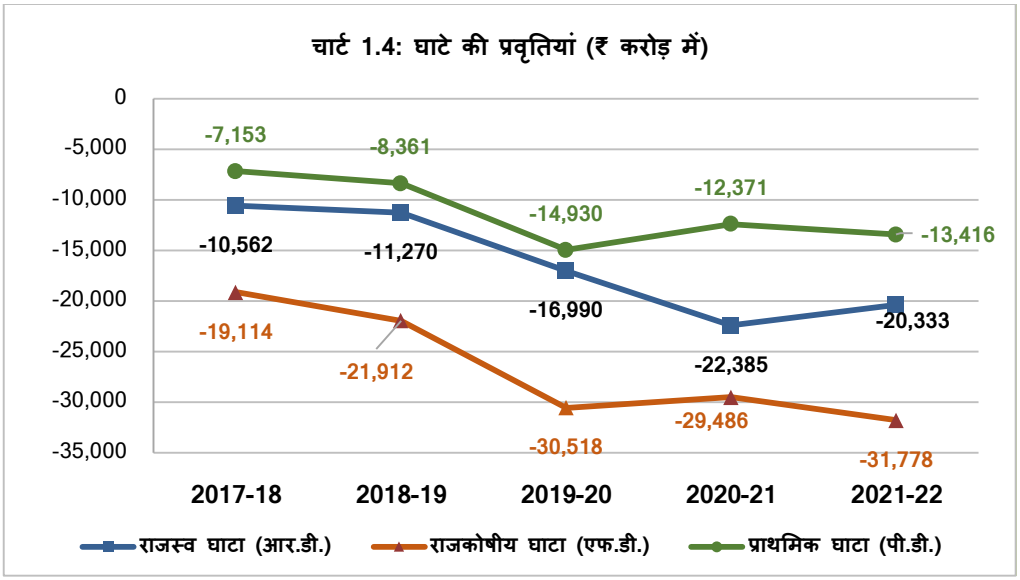
**तालिका 1.5: 2021-22 के लिए वास्तविकों की तुलना में मध्य अवधि राजकोषीय नीति में प्रक्षेपण**

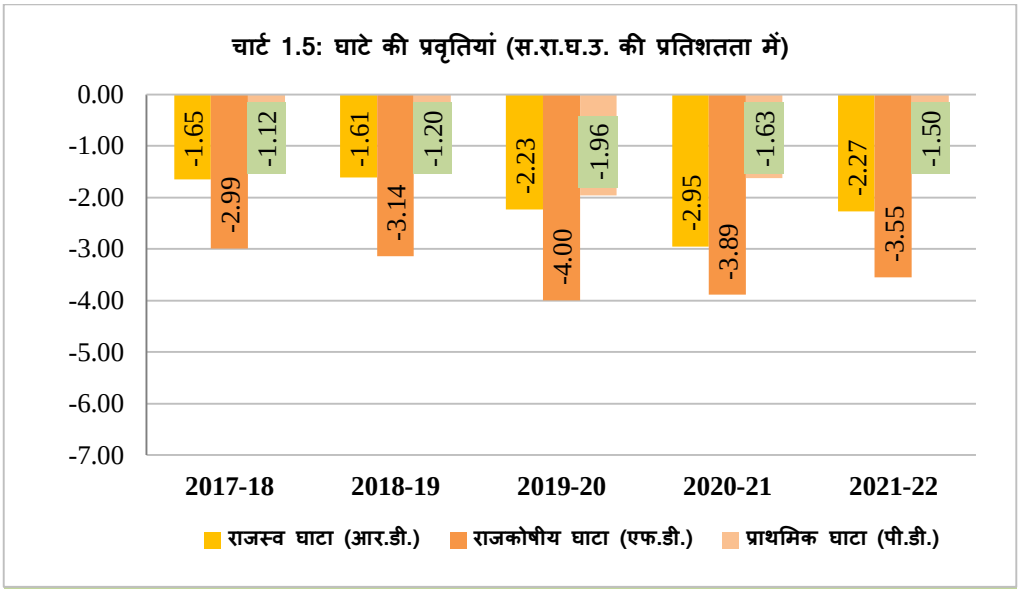
**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | राजकोषीय संकेतक | म.अ.रा.नी. के अनुसार प्रक्षेपण | वास्तविक (2021-22) | भिन्नता (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्व कर राजस्व | 52,887.50 | 53,377.16 | 0.93 |
| 2 | कर-भिन्न राजस्व | 10,850.86 | 7,394.13 | -31.86 |
| 3 | केंद्रीय करों का हिस्सा | 7,274.60 | 9,722.16 | 33.65 |
| 4 | भारत सरकार से सहायता अनुदान | 16,720.26 | 7,598.24 | -54.56 |
| 5 | राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4) | 87,733.22 | 78,091.69 | -10.99 |
| 6 | राजस्व व्यय | 1,16,927.17 | 98,425.03 | -15.82 |
| 7 | राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (5-6) | (-) 29,193.95 | (-) 20,333.34 | 30.35 |
| 8 | राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) | (-) 34,003.86 | (-) 31,777.78 | 6.55 |
| 9 | ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत) | 25.92 | 29.47 | 13.70 |
| 10 | वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत) | 16.00 | 18.08 | 13.00 |

* **वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से ₹ 11,745.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

***चार्ट 1.4 तथा चार्ट 1.5*** 2017-22 की अवधि में घाटे के संकेतकों में रूझान प्रस्तुत करते हैं।




- **राजस्व घाटा,** जो 2020-21 के दौरान ₹ 22,385 करोड़ था, 2021-22 में घटकर ₹ 20,333 करोड़ हो गया और यह ₹ 29,194 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम था।

  ₹ 20,333 करोड़ का राजस्व घाटा इंगित करता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत सृजन की जगह वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

- **राजकोषीय घाटा** जो 2020-21 में ₹ 29,486 करोड़ था, 2021-22 के दौरान से बढ़कर ₹ 31,778 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति और बजट प्रक्षेपणों में 3.83 प्रतिशत के नियत लक्ष्य के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.55 प्रतिशत था।

- **प्राथमिक घाटा** 2020-21 में ₹ 12,371 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 13,416 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे की विद्यमानता इंगित करती है कि राज्य को अपनी उधार ली गई निधियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी।

- **प्राथमिक राजस्व शेष** राज्य की राजस्व प्राप्तियों और ब्याज भुगतानों रहित राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। यह आकलन करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां किस सीमा तक ब्याज का भुगतान करने में सक्षम थी। 2021-22 में, राज्य में ₹ 1,972 करोड़ का प्राथमिक राजस्व घाटा दर्ज किया गया।

## 1.6 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

### 1.6.1 राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करने, नई पेंशन स्कीम में कम योगदान, ऋण शोधन और मोचन निधियों आदि के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पेंशन स्कीम में कम योगदान, समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न होना, खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 737.14 करोड़ कम दर्शाया गया था, जैसा कि ***तालिका 1.6*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.6: राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव**

| विवरण | राजस्व घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में) | राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (अवकथित) (₹ करोड़ में) | निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में) | | निवल प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ. | राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ. | राजस्व घाटा/ स.रा.घ.उ. | राजकोषीय घाटा/ स.रा.घ.उ. |
| परिभाषित अंशदाई पेंशन योजना में राज्य सरकार द्वारा कम अंशदान | 3.06 | 3.06 | (-) 2.27 | (-) 3.55 | (-) 2.35 | (-) 3.63 |
| समेकित ऋण शोधन निधि में कम अंशदान | 686.04 | 686.04 | | | | |
| खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि को कम अंशदान तथा शेषों पर ब्याज समायोजित न करना | 12.20 | 12.20 | | | | |
| राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि शेषों पर ब्याज समायोजित न करना | 35.84 | 35.84 | | | | |
| **कुल** | **737.14** | **737.14** | | | | |

**स्रोत: वित्त लेखे**

उपर्युक्त से राज्य सरकार के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में राजस्व घाटा 0.08[3] प्रतिशत अंक से कम जबकि राजकोषीय घाटा भी 0.08 प्रतिशत अंक कम बताया गया।

[3] 0.01 का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

### 1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के तहत देयताएं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहनों और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरणों जहां मूल और/या ब्याज राज्य बजट में से निकाले जाने हैं। लंबित ऋणों/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि ***तालिका 1.7*** में दिया गया है।

**तालिका 1.7: बकाया ऋण/देयताओं के घटक**

**(₹ करोड़ में)**

| **समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)** | **राशि** |
|---|---|
| **आंतरिक ऋण (क)** | **2,26,208.25** |
| ब्याज वाले बाजार ऋण | 1,85,357.53 |
| बिना ब्याज वाले बाजार ऋण | 0.02 |
| प्रतिकर और अन्य बांड | 22,490.00 |
| बैंकों तथा अन्य संस्थानों इत्यादि से ऋण | 10,391.75 |
| केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 7,360.87 |
| अन्य | 608.08 |
| **केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)** | **13,234.58*** |
| गैर-योजना ऋण | 7.57 |
| राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण | 844.71 |
| अन्य | 12,382.30 |
| **लोक लेखों पर देयताएं (ग)** | **36,809.56** |
| लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि | 18,394.45 |
| जमा | 11,724.95 |
| आरक्षित निधियां | 6,134.16 |
| उचंत एवं विविध शेष | 241.40 |
| प्रेषण शेष | 314.60 |
| **कुल (क+ख+ग)** | **2,76,252.39** |

**स्रोत: वित्त लेखे**

* **इसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को ₹ 11,745.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण शामिल हैं, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/ दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

राज्य के कुल लंबित ऋणों/देयताओं को उचंत, विविध एवं प्रेषण शेष के लेखों में सम्मिलित न करके ₹ 556 करोड़ कम दर्शाया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता 0.06 प्रतिशत कम दर्शाई गई है। बकाया ऋण का अनुपात सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 29.47[4] प्रतिशत है जिसमें उचंत तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा कुल देयताओं का अनुपात मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी और बजट के अंतर्गत 25.92 प्रतिशत के मानक निर्धारण की तुलना में 29.53 प्रतिशत की दर अधिक था।

[4] वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने राज्य सरकार की गारंटी के विरूद्ध हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) की राशि के दो ऋण जुटाए। गृह विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान ऋण अनुबंध के अनुसार किया जाएगा तथा राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज सहित ऋण अनुबंध में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में वार्षिक आवंटन करेगी। इसके अलावा, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में ऋण के मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राशि जारी करना बजट एवं लेखों में सहायता अनुदान के रूप में दिखाया गया है जो कि हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 को हुडको के प्रति हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड की लेखा बहियों में ₹ 342.05 करोड़ के इन बकाया ऋणों के कारण राज्य के लेखों में सरकारी देयताओं को कम बताया गया।

वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष के आरंभ अर्थात् 01 अप्रैल 2021 में ₹ 405.75 करोड़ के बकाया ऋणों के विरूद्ध हुडको को इन ऋणों के लिए ₹ 85 करोड़ (₹ 55 करोड़ + ₹ 30 करोड़) की राशि का पुनर्भुगतान किया। वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च 2022 को ₹ 342.05 करोड़ का बकाया ऋण शेष छोड़ते हुए वर्ष के दौरान ₹ 21.30 करोड़ के ऋण जुटाए गए।

# अध्याय-2

# राज्य के वित्त

# अध्याय 2: राज्य के वित्त

## 2.1 प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन

**2021-22 में प्रमुख राजकोषीय संचय में परिवर्तन**

| | |
|---|---|
| **राजस्व प्राप्तियां** | ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 15.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ राज्य की स्व कर प्राप्तियों में 27.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ स्व कर-भिन्न प्राप्तियों में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 51.01 प्रतिशत बढ़ गया<br>✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 37.97 प्रतिशत की कमी आई |
| **राजस्व व्यय** | ✓ राजस्व व्यय में 9.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 9.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 13.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 2.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान पर कोई व्यय नहीं हुआ |
| **पूंजीगत व्यय** | ✓ पूंजीगत व्यय में 88.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 44.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 83.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 100.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई |
| **ऋण एवं अग्रिम** | ✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 4.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 15.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई |
| **लोक ऋण** | ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 3.54 प्रतिशत* की कमी आई<br>✓ लोक ऋण की अदायगी में 13.64 प्रतिशत की कमी आई |
| **लोक लेखा** | ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई<br>✓ लोक लेखा संवितरण में 2.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई |
| **नकद शेष** | ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,798.17 करोड़ (57.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई |

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्राप्त हुए क्रमशः ₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

## 2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

पिछले वर्ष (2020-21) की तुलना में चालू वर्ष (2021-22) के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का सार ***तालिका 2.1*** में दिया गया है।

**तालिका 2.1: 2020-21 और 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| | विवरण | 2020-21 | 2021-22 | वृद्धि/कमी (प्रतिशतता) |
|---|---|---|---|---|
| **स्रोत** | भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारंभिक नकद शेष | 3,999.47 | 3,147.94 | (-) 851.53 (21) |
| | राजस्व प्राप्तियां | 67,561.01 | 78,091.69 | 10,530.68 (16) |
| | ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां | 431.95 | 500.24 | 68.29 (16) |
| | विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 62.96 | 67.15 | 4.19 (7) |
| | लोक ऋण प्राप्तियां (निवल) | 24,319.13* | 29,632.65@ | 5,313.52 (22) |
| | लोक लेखा प्राप्तियां (निवल) | 3,515.42 | 3,943.31 | 427.89 (12) |
| | **कुल** | **99,889.94** | **1,15,382.98** | **15,493.04 (16)** |
| **उपयोग** | राजस्व व्यय | 89,946.60 | 98,425.03 | 8,478.43 (9) |
| | पूंजीगत व्यय | 5,869.70 | 11,045.56 | 5,175.86 (88) |
| | ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण | 925.70 | 966.27 | 40.57 (4) |
| | भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम नकद शेष | 3,147.94 | 4,946.11 | 1,798.17 (57) |
| | **कुल** | **99,889.94** | **1,15,382.97**[1] | **15,493.03 (16)** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

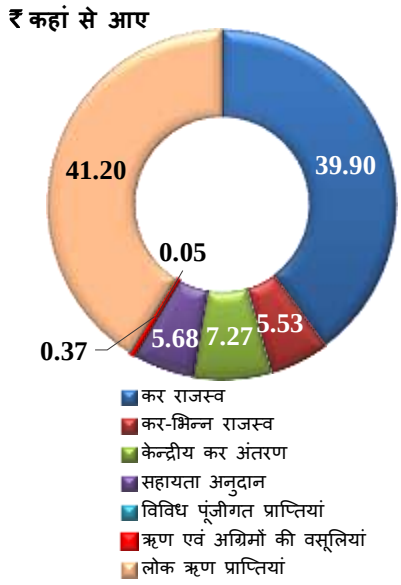
* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं (अगस्त 2020)।**

@ **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं (दिसंबर 2021)।**

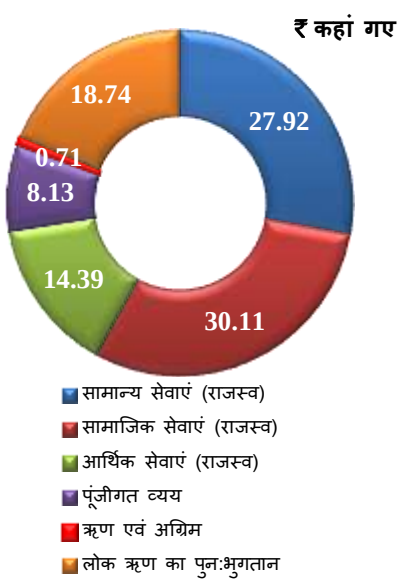
***परिशिष्ट 2.1*** में गत वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

2021-22 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण ***चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2*** में दिया गया है।

**चार्ट 2.1: संसाधनों की संरचना ***




**चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग**




**स्रोत: वित्त लेखे**

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं (दिसंबर 2021)।**

[1] पूर्णांकन के कारण 0.01 का अंतर है।

## 2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का वर्णन नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्वयं का कर राजस्व और संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश), कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल हैं।

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

   राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

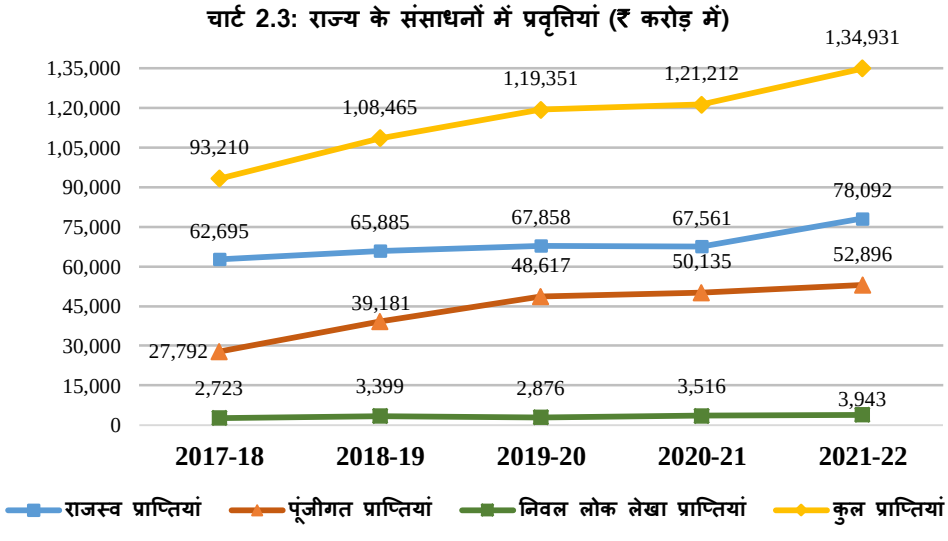
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं।

   इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

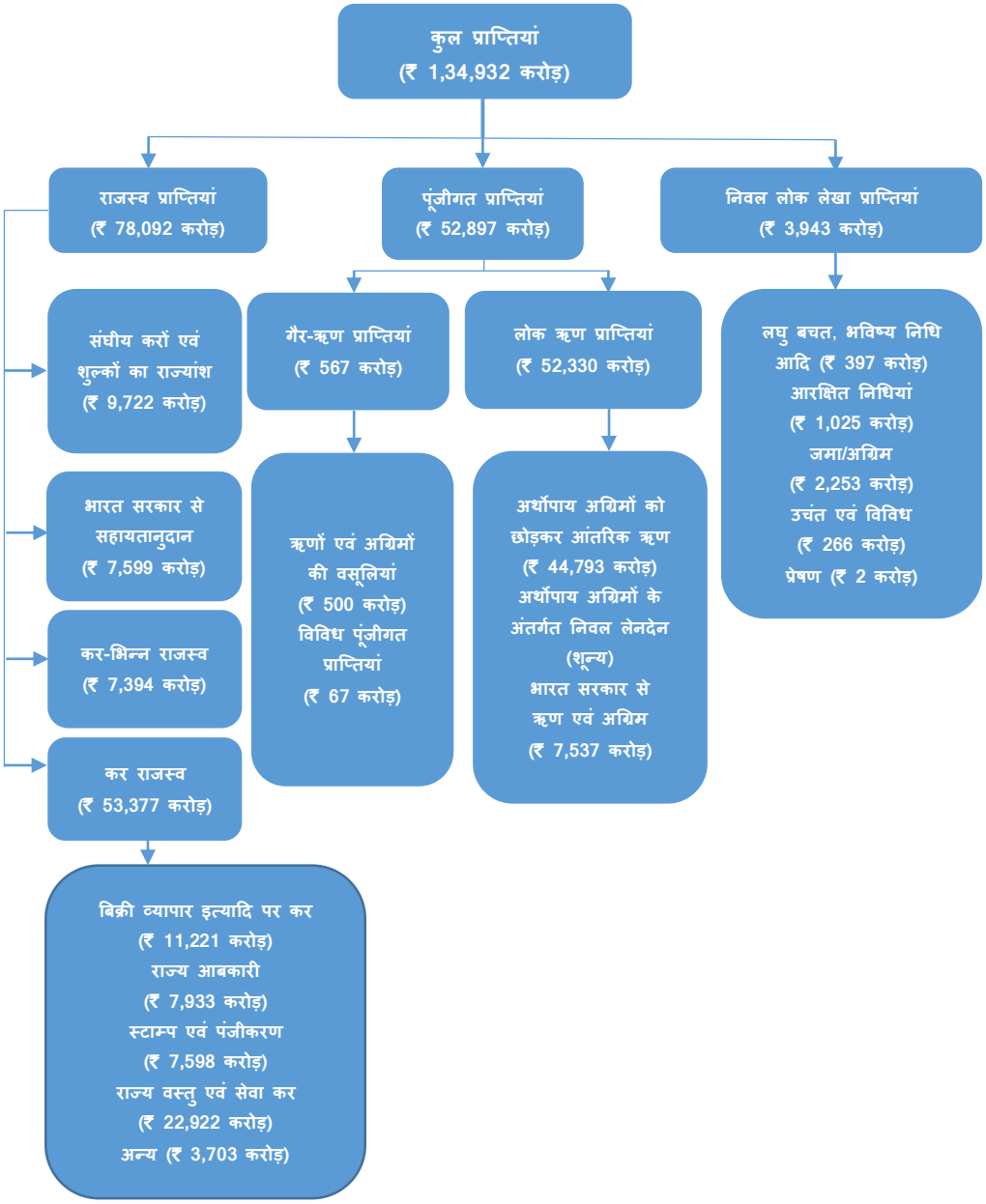
2017-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां ***चार्ट 2.3*** में दी गई हैं जबकि 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना को ***चार्ट 2.4*** में दर्शाया गया है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा, राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए निवल लोक लेखा प्राप्तियों का भी उपयोग किया जाता है।

**चार्ट 2.3: राज्य के संसाधनों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)**




**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

**चार्ट 2.4: 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना**




**स्रोत: वित्त लेखे**

* **इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।**

- **निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 3,943 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियों (₹ 55,671 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 51,728 करोड़) के बाद।**
- **पूर्णांकन के कारण घटक-वार कुल और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।**

सरकार की कुल प्राप्तियां 2017-18 की तुलना में 2021-22 में ₹ 41,722 करोड़ (44.76 प्रतिशत) बढ़ गईं। राजस्व प्राप्तियों ₹ 15,397 करोड़ (24.56 प्रतिशत) बढ़ गईं, पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 25,105 करोड़ (90.33 प्रतिशत) बढ़ गईं, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल हैं, और इसी अवधि के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 1,220 करोड़ (44.80 प्रतिशत) बढ़ गईं।

## 2.3.2 राजस्व प्राप्तियां

### *2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि*

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि ***तालिका 2.2*** में दी गई हैं और ***चार्ट 2.5*** एवं ***चार्ट 2.6*** में भी दर्शाई गई हैं। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संरचना को ***परिशिष्ट 2.2*** में प्रस्तुत किया गया है।

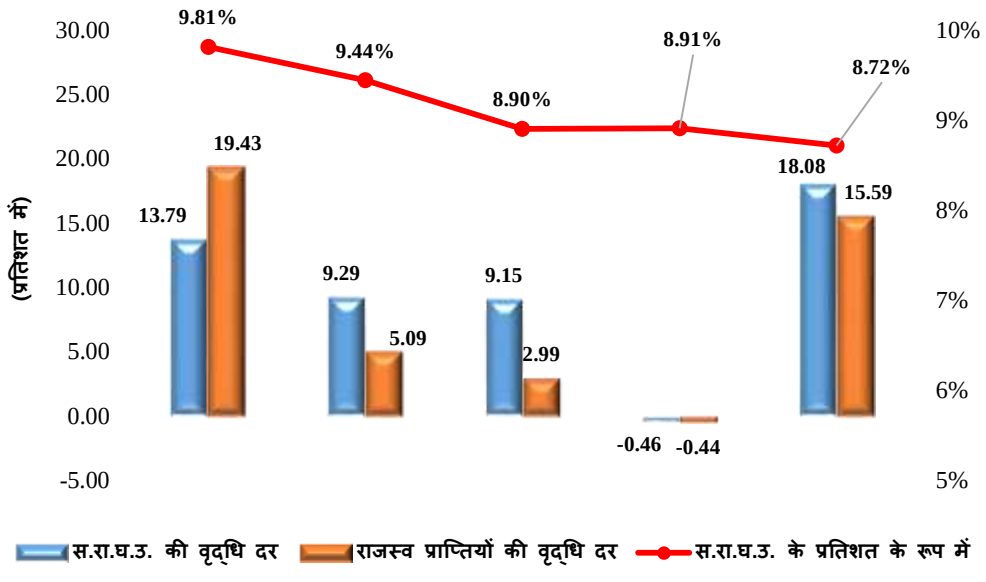
**तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां**

| मानक | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में) | 62,695 | 65,885 | 67,858 | 67,561 | 78,092 |
| राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत) | 19.43 | 5.09 | 2.99 | (-) 0.44 | 15.59 |
| स्व कर राजस्व | 41,099 | 42,581 | 42,825 | 41,914 | 53,377 |
| कर-भिन्न राजस्व | 9,113 | 7,976 | 7,400 | 6,961 | 7394 |
| स्व राजस्व (स्व कर एवं कर-भिन्न राजस्व) की वृद्धि दर (प्रतिशत) | 24.84 | 0.69 | (-) 0.66 | (-) 2.69 | 24.34 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 6,38,832 | 6,98,189 | 7,62,044 | 7,58,507 | 8,95,672 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत) | 13.79 | 9.29 | 9.15 | (-) 0.46 | 18.08 |
| रा.प्रा./सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत) | 9.81 | 9.44 | 8.90 | 8.91 | 8.72 |

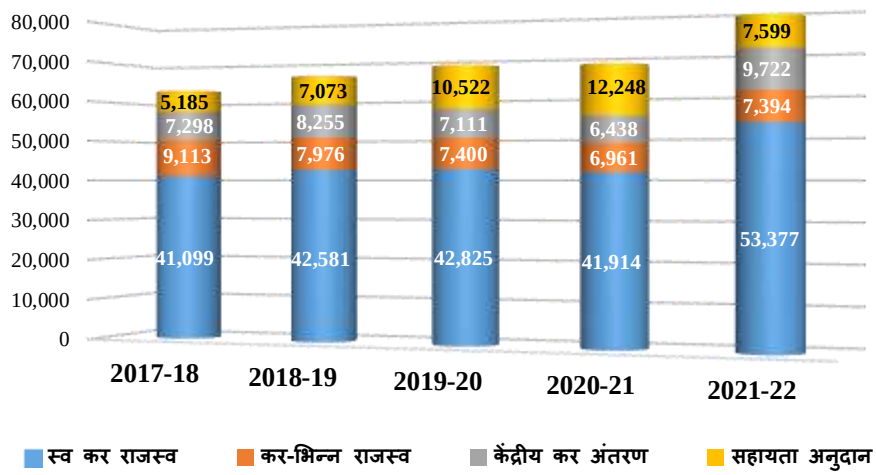
**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय**

यह देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2017-18 में 19.43 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 15.59 प्रतिशत हो गई। राजस्व प्राप्तियों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2017-18 में 9.81 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 8.72 प्रतिशत हो गया।

**चार्ट 2.5: 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां**



**चार्ट 2.6: 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति**




**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

**पूर्णांकन के कारण घटकों के विभाजन और राजस्व प्राप्तियों के कुल आंकड़े में अंतर है।**

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान 24.56 प्रतिशत बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 29.87 प्रतिशत बढ़ गया, भारत सरकार से सहायता अनुदान 46.56 प्रतिशत बढ़ गया तथा केन्द्रीय कर अंतरण 33.21 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व प्राप्ति में राज्य के स्व राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का अंश 2017-18 में 80.09 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 77.82 प्रतिशत रह गया। राजस्व प्राप्ति में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश 2017-18 में 8.27 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 9.73 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति में केन्द्रीय कर अंतरण का अंश 2017-18 से 2021-22 के दौरान 11.64 प्रतिशत से बढ़कर 12.45 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 15.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 11,896 करोड़ (24.34 प्रतिशत) बढ़ गया।

### *2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन*

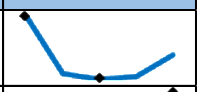
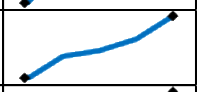
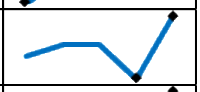
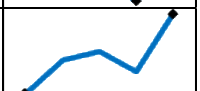
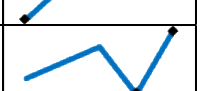
चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर और कर-भिन्न स्रोत शामिल होते हैं।

### *(i) स्व कर राजस्व*

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.), राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण ***तालिका 2.3*** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.3: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक**

**(₹ करोड़ में)**

| राजस्व शीर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | स्पार्कलाइन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर | 15,609 | 8,998 | 8,398 | 8,660 | 11,221 |  |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर | 10,833 | 18,613 | 18,873 | 18,236 | 22,922 |  |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 4,966 | 6,042 | 6,323 | 6,864 | 7,933 |  |
| वाहनों पर कर | 2,778 | 2,908 | 2,916 | 2,495 | 3,265 |  |
| स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस | 4,193 | 5,636 | 6,013 | 5,157 | 7,598 |  |
| भू-राजस्व | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 |  |
| माल एवं यात्रियों पर कर | 2,317 | 21 | 16 | 4 | 6 |  |
| अन्य कर | 385 | 344 | 266 | 481 | 411 |  |
| **कुल** | **41,099** | **42,581** | **42,825** | **41,914** | **53,377** |  |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

*** पूर्णांकन के कारण अंतर। अन्य करों में समायोजन किया गया है ताकि स्व कर राजस्व के कुल आंकड़े का मिलान किया जा सके।**

स्व कर राजस्व में 2017-18 की तुलना में 2021-22 में ₹ 12,278 करोड़ (29.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बिक्री, व्यापार, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.), वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस आदि पर करों में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई जैसा कि तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

राज्य का स्व कर राजस्व ₹ 53,377 करोड़ था जो बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के अंतर्गत ₹ 52,887.50 करोड़ के अनुमानों की तुलना में ₹ 489.50 करोड़ अधिक था और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 53,965 करोड़ के मानक निर्धारण की तुलना में ₹ 588 करोड़ कम था।

### *(ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.से.क.)*

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्यों को पांच वर्ष के लिए आधार वर्ष से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में कमी के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा के मामले में, 2015-16 के आधार वर्ष के दौरान अंतिमकृत राजस्व आंकड़ा ₹ 15,230.59 करोड़ था।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित राजस्व, वास्तव में एकत्रित राजस्व और भारत सरकार से देय क्षतिपूर्ति तथा प्राप्त क्षतिपूर्ति

***तालिका 2.4*** में दी गई है।

**तालिका 2.4: वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण तथा भारत सरकार से क्षतिपूर्ति का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | अनुमानित राजस्व राशि | एकत्रित राजस्व राशि | क्षतिपूर्ति की देय राशि | क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि | कमी |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 = 1-2 | 4 | 5 = 3-4 |
| 2017-18[2] | 14,845.26 | 13,225.69 | 1,619.57 | 1,199.00 | 420.57 |
| 2018-19 | 22,564.79 | 18,597.93 | 3,966.86 | 2,820.00 | 1,146.86 |
| 2019-20 | 25,723.86 | 18,944.61 | 6,779.25 | 5,453.43 | 1,325.82 |
| 2020-21 | 29,325.20 | 18,240.48 | 11,084.72 | 9,417.81* | 1,666.91 |
| 2021-22 | 33,430.73 | 22,922.62[3] | 10,508.11 | 10,302.46** | 205.65 |
| **कुल** | **1,25,889.84** | **91,931.33** | **33,958.51** | **29,192.70** | **4,765.81** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त की गई सूचना**

*** इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।**

**** इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।**

राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में वृद्धि, अनुमानित वृद्धि की तुलना में कम थी और 2017-22 के दौरान ₹ 1,25,889.84 करोड़ की अनुमानित वस्तु एवं सेवा कर की प्राप्ति के विरुद्ध कुल ₹ 33,958.51 करोड़ की कमी थी। भारत सरकार ने मार्च 2022 तक बैक-टु-बैक ऋण के रूप में ₹ 11,746 करोड़ सहित मुआवजे के रूप में ₹ 29,192.70 करोड़ जारी किए हैं।

### *(iii) राजस्व के बकायों का विश्लेषण*

31 मार्च 2022 तक राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में राजस्व के बकाया की राशि ₹ 33,905.57 करोड़ थी जिसमें से ₹ 5,851.98 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसाकि ***तालिका 2.5*** में दर्शाया गया है। विभिन्न चरणों में वसूली की स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

**तालिका 2.5: 31 मार्च 2022 तक राजस्व का बकाया**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | कुल बकाया राशि | पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 33,063.37 | 5,364.18 |
| 2 | राज्य उत्पाद शुल्क | 494.11 | 254.52 |
| 3 | बिजली पर कर एवं शुल्क | 410.85 | 210.85 |
| 4 | स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर) | 208.11 | 181.26 |
| 5 | पुलिस | 128.86 | 40.91 |
| 6 | उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां | 11.12 | 11.11 |
| 7 | अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| **कुल** | | **34,316.42** | **6,062.83** |

**स्रोत: विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना**

[2] वर्ष 2017-18 की राशि जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक नौ माह की अवधि से संबंधित है।

[3] इसमें वस्तु एवं सेवा कर से पहले की ₹ 0.47 करोड़ की राशि शामिल है।

### *(iv) निर्धारणों में बकाया*

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण के लिए लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, ***तालिका 2.6*** में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 2.6: निर्धारणों में बकाया**

| राजस्व शीर्ष | वर्ष | आरंभिक शेष | वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले | कुल देय निर्धारण | वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के अंत में शेष | निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 2019-20 | 2,96,685 | 31,594 | 3,28,279 | 2,92,709 | 35,570 | 89 |
| | 2020-21 | 35,570 | 3,606 | 39,176 | 34,140 | 5,036 | 87 |
| | 2021-22 | 5,036 | 4,240 | 9,276 | 3,096 | 6,180 | 33 |

**स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना**

### *(v) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन का विवरण*

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों, अंतिमकृत मामलों और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, ***तालिका 2.7*** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.7: वर्ष 2021-22 के दौरान पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामलों के विवरण**

| क्र. सं. | राजस्व का शीर्ष | 31 मार्च 2021 तक लंबित मामले | 2021-22 के दौरान पता लगाए गए मामले | कुल | मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हुई तथा पेनल्टी आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई | | 31 मार्च 2021 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मामलों की संख्या | मांग राशि (₹ करोड़ में) | |
| 1 | 0039- राज्य उत्पाद शुल्क | 132 | 61 | 193 | 144 | 9.41 | 49 |
| 2 | 0040- बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.01 | 1 |

**स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना**

### *(vi) रिफंड मामले*

वर्ष 2021-22 के आरंभ में लंबित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, ***तालिका 2.8*** में दी गई है।

**तालिका 2.8: वर्ष 2021-22 के दौरान रिफंड मामलों के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विवरण | बिक्री कर/वैट | | राज्य उत्पाद शुल्क | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 1 | बकाया दावों का आरंभिक शेष | 480 | 119.34 | 39 | 2.23 |
| 2 | प्राप्त दावे | 707 | 173.49 | 82 | 6.18 |
| 3 | किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड | 749 | 152.46 | 88 | 6.20 |
| 4 | बकाया दावों का अंतिम शेष | 438 | 140.37 | 33 | 2.21 |

**स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना**

### *(vii) कर-भिन्न राजस्व*

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां ***तालिका 2.9*** में दी गई हैं।

**तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक**

**(₹ करोड़ में)**

| राजस्व शीर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | स्पार्कलाइन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज प्राप्तियां | 2,228 | 1,954 | 1,975 | 1,562 | 1,378 | |
| लाभांश एवं लाभ | 8 | 57 | 87 | 163 | 1,008 | |
| अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां | 6,877 | 5,965 | 5,338 | 5,236 | 5,008 | |
| क) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई | 132 | 164 | 172 | 210 | 232 | |
| ख) सड़क परिवहन | 1,280 | 1,197 | 1,115 | 585 | 1,077 | |
| ग) शहरी विकास | 2,861 | 2,316 | 1,855 | 1,954 | 1,241 | |
| घ) शिक्षा | 674 | 272 | 458 | 595 | 220 | |
| ङ) अलौह खनन | 713 | 583 | 702 | 1,021 | 838 | |
| च) अन्य | 1,217 | 1,433 | 1,036 | 871 | 1,840 | |
| **कुल** | **9,113** | **7,976** | **7,400** | **6,961** | **7,394** | |

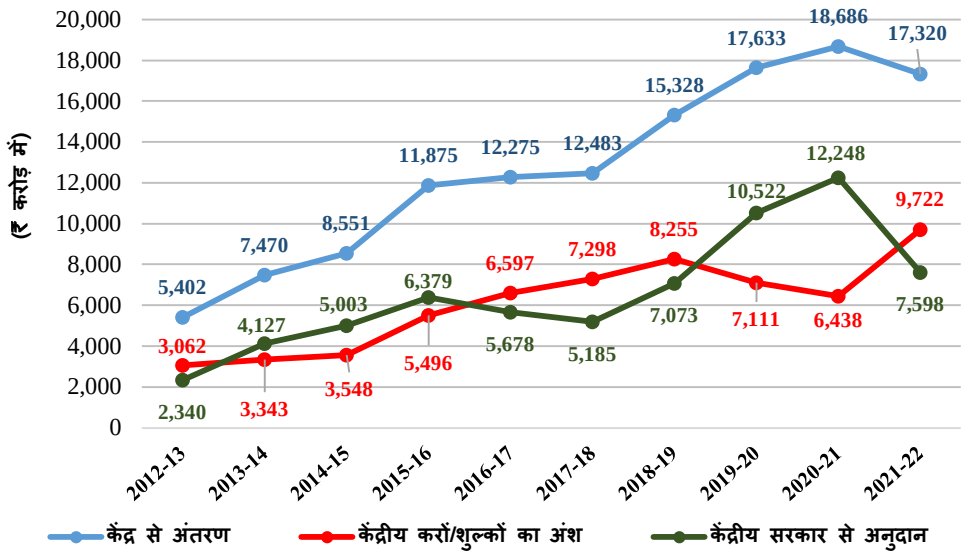
**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

2017-22 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 1,719 करोड़ (18.86 प्रतिशत) कम हो गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,394 करोड़) ने मुख्यत: अन्य विकास योजनाओं के अंतर्गत शहरी विकास में ₹ 713 करोड़ तक कम प्राप्ति के कारण, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा से शिक्षा में ₹ 375 करोड़ तक कम प्राप्ति के कारण और खनिज रियायत फीस, किराए एवं रायल्टी से अलौह खनन में ₹ 183 करोड़ तक कम प्राप्ति के कारण शहरी विकास, शिक्षा तथा अलौह खनन के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी द्वारा ऑफ सेट लाभांश एवं लाभ में ₹ 845 करोड़ तक तथा सड़क परिवहन में ₹ 492 करोड़ तक वृद्धि के कारण गत वर्ष से ₹ 433 करोड़ (6.22 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्ति का 9.47 प्रतिशत संघटित किया। ₹ 1,378 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों में सिंचाई परियोजना, अनाज आपूर्ति योजना तथा सड़क परिवहन पर ₹ 1,211 करोड़ का बही समायोजन शामिल है। बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए अनुमानों की तुलना में ₹ 3,457 करोड़ और 15वें वित्त आयोग द्वारा ₹ 7,927 करोड़ के मानक निर्धारण के प्रति ₹ 533 करोड़ की कमी है।

### *2.3.2.3 केंद्र से अंतरण*

2012-13 से 2021-22 के दौरान केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां ***चार्ट 2.7*** में दर्शाई गई हैं।

**चार्ट 2.7: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्तियां**




**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

### *(i) केंद्रीय कर अंतरण*

तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.048 तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्रीय करों की बांटने योग्य राशि 42 से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की।

केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश 2012-13 में ₹ 3,062 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,255 करोड़ हो गया और उसके बाद 2020-21 में घटकर ₹ 6,438 करोड़ हो गया तथा फिर 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,722 करोड़ हो गया जैसा कि ***तालिका 2.10*** में विवरण दिए गए हैं।

**तालिका 2.10: केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | वित्त आयोग प्रक्षेपण | बजट अनुमान | वास्तविक कर हस्तांतरण | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. (4-3) |
| 2010-11 | 13वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 32 प्रतिशत | 2,194 | 2,302 | 108 |
| 2011-12 | | 2,765 | 2,682 | (-)83 |
| 2012-13 | | 3,180 | 3,062 | (-)118 |
| 2013-14 | | 3,484 | 3,343 | (-)141 |
| 2014-15 | | 4,010 | 3,548 | (-)462 |
| 2015-16 | 14वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत | 5,680 | 5,496 | (-)184 |
| 2016-17 | | 6,189 | 6,597 | 408 |
| 2017-18 | | 8,372 | 7,298 | (-)1,074 |
| 2018-19 | | 9,300 | 8,255 | (-)1,045 |
| 2019-20 | | 11,216 | 7,111 | (-)4,105 |
| 2020-21 | 15वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों की साझा करने योग्य राशि का 41 प्रतिशत | 8,485 | 6,438 | (-)2,047 |
| 2021-22 | | 7,275 | 9,722 | 2,447 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

2017-18 से 2021-22 तक केंद्रीय कर अंतरण का विवरण ***तालिका 2.11*** में दिया गया है।

**तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| शीर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) | 104.36 | 2,037.54 | 2,018.07 | 1,907.46 | 2,763.35 |
| एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) | 737.08 | 162.60 | -- | -- | --[4] |
| निगम कर | 2,235.92 | 2,870.86 | 2,424.73 | 1,946.54 | 2,846.17 |
| निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर | 1,888.08 | 2,114.27 | 1,899.93 | 1,996.13 | 2,874.79 |
| सीमा शुल्क | 736.90 | 585.17 | 450.77 | 338.27 | 709.48 |
| केंद्रीय उत्पाद शुल्क | 770.20 | 388.87 | 313.42 | 215.83 | 390.43 |
| सेवा कर | 825.05 | 75.03 | -- | 28.52 | 127.53 |
| अन्य कर[5] | (-) 0.07 | 20.26 | 4.61 | 4.84 | 10.41 |
| **केंद्रीय कर अंतरण** | **7,297.52** | **8,254.60** | **7,111.53** | **6,437.59** | **9,722.16** |
| पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता | 11 | 13 | (-) 14 | (-) 9 | 51 |
| राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

2021-22 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा (₹ 9,722.16 करोड़) 2020-21 की तुलना में ₹ 3,284.57 करोड़ (51.02 प्रतिशत) अधिक था। यह बजट अनुमान 2021-22 (₹ 7,274.60 करोड़) में किए गए अनुमानों से भी ₹ 2,447.56 करोड़ अधिक है।

### *(ii) भारत सरकार से सहायता अनुदान*

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2021-22 में ₹ 4,649.89 करोड़ की कमी हुई जैसा कि ***तालिका 2.12*** में दर्शाया गया है।

---

[4] 2021-22 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर एकीकृत माल और सेवा कर के मामले में भारत सरकार द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) की निवल प्राप्तियों के हिस्से का बंटवारा न करना।

[5] संपत्ति कर, आय तथा व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क कर सहित।

**तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान**

**(₹ करोड़ में)**

| शीर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| गैर-योजनागत अनुदान | -- | -- | -- | -- | -- |
| राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | -- | -- | -- | -- | -- |
| केंद्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान | -- | -- | -- | -- | -- |
| केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान | 2,326.62 | 2,843.09 | 2,851.99 | 3,135.18 | 3,332.31 |
| वित्त आयोग अनुदान | 1,316.68 | 1,274.26 | 2,005.74 | 2,364.00 | 1,192.05 |
| वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति | 1,199.00 | 2,820.00 | 5,453.43 | 5,065.81* | 2,908.67** |
| राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान | 342.82 | 136.19 | 210.75 | 1,683.14 | 165.21 |
| **कुल** | **5,185.12** | **7,073.54** | **10,521.91** | **12,248.13** | **7,598.24** |
| **पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता** | **(-) 9** | **36** | **49** | **16** | **(-) 38** |
| **राजस्व प्राप्तियों से सहायतानुदान की प्रतिशतता** | **8** | **11** | **16** | **18** | **10** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

* **इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल नहीं हैं।**

** **इसमें वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल नहीं हैं।**

2021-22 के दौरान सहायतानुदान का 38.28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के बदले क्षतिपूर्ति के कारण था।

### *(iii) चौदहवें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के अनुदान*

चौदहवें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के लिए प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के विवरण ***तालिका 2.13*** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.13: सहायतानुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक विमोचन तथा अंतरण**

**(₹ करोड़ में)**

| | 15वें वित्त आयोग (2020-21 एवं 2021-22) की सिफारिश | | | भारत सरकार द्वारा वास्तविक विमोचन | | | राज्य सरकार द्वारा किए गए अंतरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अंतरण** | **2020-21** | **2021-22** | **कुल** | **2020-21** | **2021-22** | **कुल** | **2020-21** | **2021-22** | **कुल** |
| **स्थानीय निकाय** | | | | | | | | | |
| **(i) पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) को अनुदान** | **1,264.00** | **935.00** | **2,199.00** | **1,264.00** | **467.50** | **1,731.50** | **1,264.00** | **467.50** | **1,731.50** |
| (क) सामान्य मूल अनुदान | 632.00 | 374.00 | 1,006.00 | 632.00 | 187.00 | 819.00 | 632.00 | 187.00 | 819.00 |
| (ख) सामान्य निष्पादन अनुदान | 632.00 | 561.00 | 1,193.00 | 632.00 | 280.50 | 912.50 | 632.00 | 280.50 | 912.50 |
| **(ii) शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को अनुदान** | **609.00** | **461.00** | **1,070.00** | **609.00** | **199.75** | **808.75** | **609.00** | **223.75** | **832.75** |
| (क) सामान्य मूल अनुदान | 304.50 | 154.80 | 459.30 | 304.50 | 77.40 | 381.90 | 304.50 | 77.40 | 381.90 |
| (ख) सामान्य निष्पादन अनुदान | 304.50 | 306.20 | 610.70 | 304.50 | 122.35 | 426.85 | 304.50 | 146.35 | 450.85 |
| **स्थानीय निकायों का योग** | **1,873.00** | **1,396.00** | **3,269.00** | **1,873.00** | **667.25** | **2,540.25** | **1,873.00** | **691.25** | **2,564.25** |
| **राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि** | **491.00** | 491.00 | 982.00 | 491.00 | 392.80 | 883.80 | 491.00 | 392.80 | 883.80 |
| **कुल योग** | **2,364.00** | **1,887.00** | **4,251.00** | **2,364.00** | **1,060.05** | **3,424.05** | **2,364.00** | **1,084.05** | **3,448.05** |

**स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना**

## 2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

**पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों

से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण ***तालिका 2.14*** में दिया गया है।

**तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं सरंचना में प्रवृत्तियां**

**(₹ करोड़ में)**

| राज्य की प्राप्तियों के स्रोत | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत प्राप्तियां** | **27,870.56** | **39,685.88** | **49,878.46** | **49,959.64** | **48,279.20** |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 39.87 | 49.01 | 54.01 | 62.96 | 67.15 |
| ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली | 6,340.93 | 5,371.90 | 5,392.63 | 431.95 | 500.24 |
| **लोक ऋण प्राप्तियां** | **21,489.76** | **34,264.97** | **44,431.82** | **49,464.73** | **47,711.81** |
| आंतरिक ऋण[6] | 21,348.75 | 34,140.14 | 44,329.43 | 49,340.05[7] | 47,568.21 |
| *वृद्धि दर* | *(-) 23.88* | *59.92* | *29.85* | *11.30* | *(-) 3.59* |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 141.01 | 124.83 | 102.39 | 124.68* | 143.6** |
| *वृद्धि दर* | *14.40* | *(-) 11.47* | *(-) 17.98* | *21.77* | *15.17* |
| ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर | (-) 23.71 | 59.45 | 29.67 | 11.33 | (-) 3.54 |
| गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर | 538.40 | (-) 15.04 | 0.47 | (-) 90.91 | 14.65 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर | 13.79 | 9.29 | 9.15 | (-)0.46 | 18.08 |
| पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) | (-) 4.45 | 42.39 | 25.68 | 0.16 | (-)3.36 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

*** वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर।**

**** वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 1,771.84 करोड़ की कमी हुई। 2017-18 से 2019-20 के दौरान राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों द्वारा लिए गए सभी ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 2020-21 में ऋण और अग्रिम की वसूली में ₹ 4,960.68 करोड़ की काफी कमी आई। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को राज्य बिजली कंपनियों की कुल देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिगृहीत करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए थे और वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) तथा डिस्कॉम को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में माना गया। 2017-20 के दौरान ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है। आगे, 2021-22 में ऋणों और अग्रिमों की वसूली में ₹ 68.29 करोड़ की भारी वृद्धि हुई।

### 2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन अपने स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है।

पन्द्रहवें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां ***तालिका 2.15*** में दी गई हैं।

---

[6] अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत सकल आंकड़ों सहित।

[7] ₹ 2,775.83 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम सहित।

**तालिका 2.15: 15वें वित्त आयोग तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां**

| | 15वें वि.आ. प्रक्षेपण | बजट अनुमान | म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण | वास्तविक | पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15वें वि.आ. प्रक्षेपण | बजट अनुमान | म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण |
| | (₹ करोड़ में) | | | | | | |
| **कर राजस्व** | 53,965 | 52,888 | 52,888 | 53,377 | (-) 1.09 | 0.92 | 0.92 |
| **कर-भिन्न राजस्व** | 7,927 | 10,851 | 10,851 | 7,394 | (-) 6.72 | (-) 31.86 | (-) 31.86 |

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 1.09 प्रतिशत कम था और बजट अनुमानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों से 0.92 प्रतिशत अधिक था। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 6.72 प्रतिशत और बजट अनुमानों एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों से 31.86 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार राज्य सरकार बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

## 2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के पास राजकोषीय उत्तरदायित्व विधियों के ढांचे के भीतर व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है और उसी समय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चालू राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर निर्देशित व्यय की लागत पर नहीं है। संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षकों जैसे व्यय की वृद्धि एवं सरंचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।

### 2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं सरंचना

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। **राजस्व व्यय** में रखरखाव, मरम्मत, सुव्यवस्था तथा कार्यशील व्ययों पर प्रभारों, जो परिसंपत्तियों को चालू अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, के साथ-साथ स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए अन्य सभी व्यय भी शामिल हैं।

**पूंजीगत व्यय** में परियोजना के पहले निर्माण के सभी प्रभारों के साथ-साथ कार्य के मध्यवर्ती रखरखाव, जबकि सेवा के लिए नहीं खोला गया, के प्रभार और ऐसे अतिरिक्त परिवर्धनों और सुधारों के प्रभार भी शामिल हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं।

गत पांच वर्षों (2017-22) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना ***तालिका 2.16*** में दर्शाई गई है।

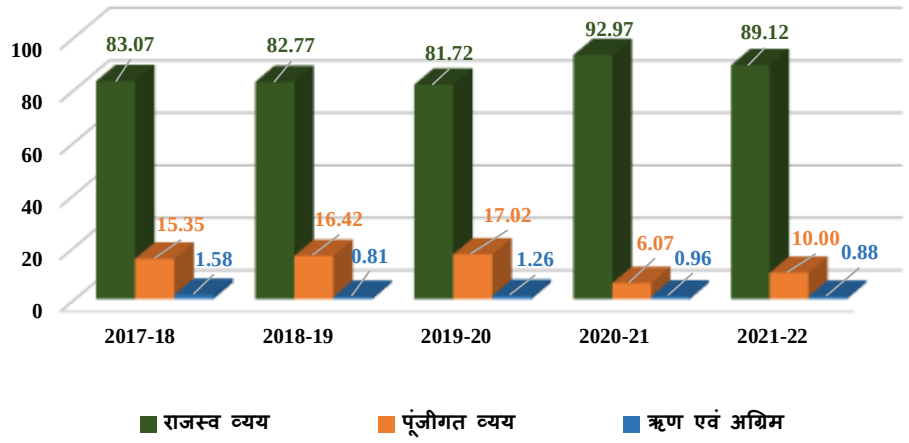
**तालिका 2.16: कुल व्यय और इसकी संरचना**

**(₹ करोड़ में)**

| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कुल व्यय (कु.व्य.)** | **88,190** | **93,218** | **1,03,823** | **96,742**[8] | **1,10,437** |
| राजस्व व्यय (रा.व्य.) | 73,257 | 77,155 | 84,848 | 89,946 | 98,425 |
| पूंजीगत व्यय | 13,538 | 15,307 | 17,666 | 5,870 | 11,046 |
| ऋण एवं अग्रिम | 1,395 | 756 | 1,309 | 926 | 966 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 6,38,832 | 6,98,189 | 7,62,044 | 7,58,507 | 8,95,672 |
| **सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में** | | | | | |
| कु.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 13.80 | 13.35 | 13.62 | 12.75 | 12.33 |
| रा.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 11.47 | 11.05 | 11.13 | 11.86 | 10.99 |
| पूं.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 2.12 | 2.19 | 2.32 | 0.77 | 1.23 |
| ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |

पांच वर्षों (2017-22) की अवधि में कुल व्यय में 25.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में 34.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत व्यय में 18.41 प्रतिशत की कमी आई।

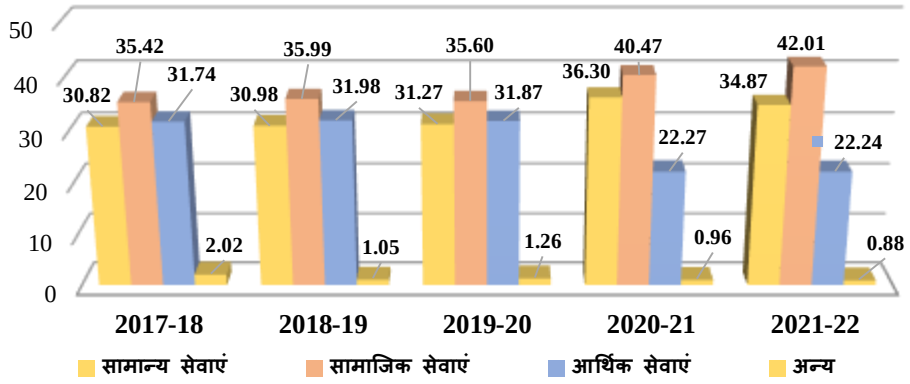
**चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश में प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)**




जैसा कि ***चार्ट 2.8*** में दर्शाया गया है, कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2017-18 में 83.07 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 89.12 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2017-18 में 15.35 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 17.02 प्रतिशत हो गया लेकिन 2021-22 में घटकर 10.00 प्रतिशत रह गया। 2017-18 में ऋण एवं अग्रिम का अंश 1.58 प्रतिशत था जो 2021-22 में घटकर 0.88 प्रतिशत रह गया।

[8] ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोजन को छोड़कर।

**चार्ट 2.9: कुल व्यय: गतिविधियां वार प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)**




जैसा कि ***चार्ट 2.9*** में दर्शाया गया है, सामान्य सेवाओं का अंश, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल हैं, 2017-18 से बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई और 2017-18 में 30.82 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 36.30 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2021-22 में यह घटकर 34.87 प्रतिशत रह गया। सामाजिक सेवाओं का अंश भी 2021-22 में 35.42 प्रतिशत से बढ़कर 42.01 प्रतिशत हो गया और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में 31.74 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 22.24 प्रतिशत रह गया। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर संयुक्त व्यय, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, 2017-18 में 62.74 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 64.25 प्रतिशत हो गया। अन्य, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, में 2017-18 के दौरान कुल व्यय का 2.02 प्रतिशत था जो 2021-22 के दौरान 0.88 प्रतिशत तक कम हो गया।

### 2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करता है। ***तालिका 2.17*** पांच वर्षों (2017-22) में राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

**तालिका 2.17: 2017-22 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कुल व्यय (कु.व्य.)** | **88,190** | **93,218** | **1,03,823** | **96,742[9]** | **1,10,437** |
| राजस्व व्यय (रा.व्य.) | 73,257 | 77,155 | 84,848 | 89,946 | 98,425 |
| रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत) | 7.10 | 5.32 | 9.97 | 6.01 | 9.43 |
| कु.व्य. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय | 83.07 | 82.77 | 81.72 | 92.98 | 89.12 |
| रा.व्य./सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत) | 11.47 | 11.05 | 11.13 | 11.86 | 10.99 |
| रा.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य. | 116.85 | 117.11 | 125.04 | 133.13 | 126.04 |
| राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) | 62,695 | 65,885 | 67,858 | 67,561 | 78,092 |
| रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत) | 19.43 | 5.09 | 2.99 | (-) 0.44 | 15.59 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 6,38,832 | 6,98,189 | 7,62,044 | 7,58,507 | 8,95,672 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत) | 13.79 | 9.29 | 9.15 | (-) 0.46 | 18.08 |

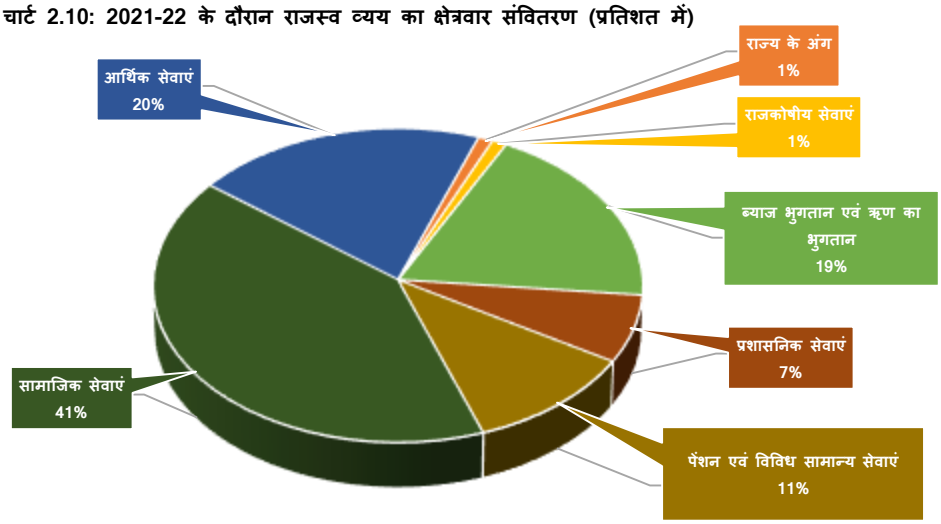
**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

[9] ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि के विनियोजन को छोड़कर।

2017-22 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 25,168 करोड़ (34.36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसकी प्रतिशतता 2017-18 में 11.47 से बढ़कर 2020-21 में 11.86 हो गई और 2021-22 में घटकर 10.99 प्रतिशत रह गई। राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 89,946 करोड़ से नौ प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 98,425 करोड़ हो गया।

2021-22 में ₹ 98,425 करोड़ का राजस्व व्यय बजट और मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 1,16,927 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। तथापि, राजस्व व्यय 15वें वित्त आयोग के निर्धारित मानक (₹ 72,459 करोड़) की तुलना में ₹ 25,966 करोड़ अधिक था। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण ***चार्ट 2.10*** में प्रस्तुत किया गया है।

**चार्ट 2.10: 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार संवितरण (प्रतिशत में)**




### *2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव*

**तालिका 2.18: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव**

**(₹ करोड़ में)**

| प्रमुख लेखा शीर्ष | 2020-21 | 2021-22 | वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|---|---|---|
| **सामान्य सेवाएं** | **34,734.17** | **37,947.91** | **3,213.74** |
| 2049-ब्याज भुगतान | 17,114.67 | 18,361.60 | 1,246.93 |
| 2055-पुलिस | 4,618.91 | 5,065.07 | 446.16 |
| 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 9,712.70 | 10,616.71 | 904.01 |
| 2075-विविध सामान्य सेवाएं | 383.87 | 2.27 | (-) 381.60 |
| **सामाजिक सेवाएं** | **36,163.96** | **40,927.67** | **4,763.71** |
| 2202-सामान्य शिक्षा | 13,323.12 | 14,483.90 | 1,160.78 |
| 2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 4,857.12 | 5,763.24 | 906.12 |
| 2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता | 2,230.01 | 1,856.25 | (-) 373.76 |
| 2217-शहरी विकास | 3,616.71 | 4,679.28 | 1,062.57 |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 8,752.03 | 9,750.56 | 998.53 |
| **आर्थिक सेवाएं** | **19,048.47** | **19,549.45** | **500.98** |
| 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 3,986.62 | 1,586.22 | (-) 2400.40 |
| 2700-प्रमुख सिंचाई | 1,243.78 | 1,506.56 | 262.78 |
| 2801-विद्युत | 5,565.33 | 6,749.31 | 1,183.98 |
| 3055-सड़क परिवहन | 1622.08 | 2062.34 | 440.26 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

जैसा कि ***तालिका 2.18*** में दर्शाया गया है, मुख्य रूप से पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, पुलिस सेवा, ब्याज भुगतानों पर व्यय में वृद्धि तथा विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय द्वारा ऑफसेट के कारण सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 3,213.74 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान में ₹ 1,246.93 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय में वृद्धि तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय द्वारा ऑफसेट के कारण सामाजिक सेवाओं पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 4,763.71 करोड़ की वृद्धि हुई। बिजली, प्रमुख सिंचाई और सड़क परिवहन पर व्यय में वृद्धि और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय द्वारा ऑफसेट के कारण आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 500.98 करोड़ की वृद्धि हुई।

### *2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय*

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशनों पर व्यय शामिल हैं। इसका सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन है। 2017-22 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को ***तालिका 2.19*** एवं ***चार्ट 2.11*** में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक**

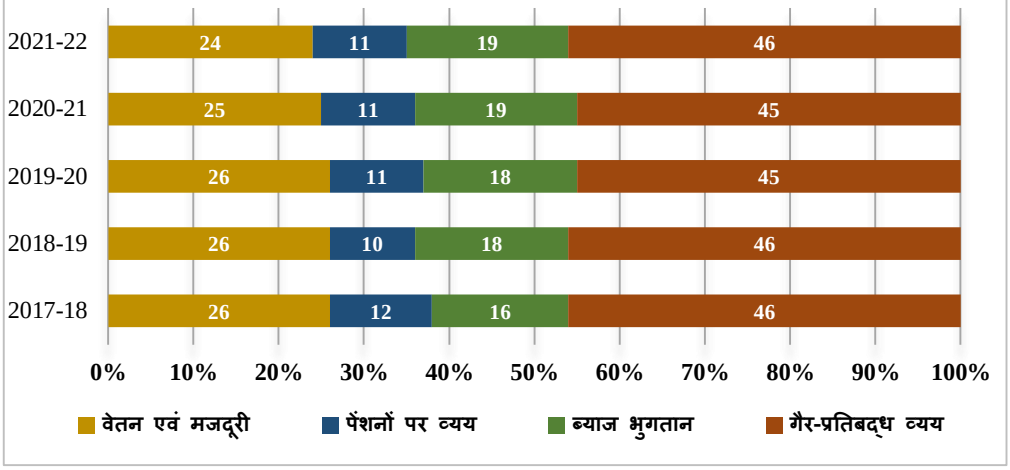
**(₹ करोड़ में)**

| **प्रतिबद्ध व्यय के घटक** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन एवं मजदूरियां | 18,632 | 19,763 | 22,365 | 22,595 | 24,236[10] |
| पेंशन पर व्यय | 8,783 | 8,140 | 8,833 | 9,713 | 10,617 |
| ब्याज भुगतान | 11,961 | 13,551 | 15,588 | 17,115 | 18,362 |
| **कुल** | **39,376** | **41,454** | **46,786** | **49,423** | **53,215** |
| **राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में** | | | | | |
| **वेतन एवं मजदूरियां** | 29.72 | 30.00 | 32.96 | 33.44 | 31.04 |
| **पेंशन पर व्यय** | 14.01 | 12.35 | 13.02 | 14.38 | 13.60 |
| **ब्याज भुगतान** | 19.08 | 20.57 | 22.97 | 25.33 | 23.51 |
| **कुल** | **62.81** | **62.92** | **68.95** | **73.15** | **68.15** |
| **राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में** | | | | | |
| **वेतन एवं मजदूरियां** | 25.43 | 25.62 | 26.36 | 25.12 | 24.62 |
| **पेंशन पर व्यय** | 11.99 | 10.55 | 10.41 | 10.80 | 10.79 |
| **ब्याज भुगतान** | 16.33 | 17.56 | 18.37 | 19.03 | 18.66 |
| **कुल** | **53.75** | **53.73** | **55.14** | **54.95** | **54.07** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

[10] इसमें ₹ 795 करोड़ की मजदूरी शामिल है।

**चार्ट 2.11: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश**




वेतन (मजदूरी को छोड़कर), ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया कुल व्यय (₹ 52,420 करोड़), सरकार द्वारा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 55,455 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 3,035 करोड़ (5.47 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 67.13 प्रतिशत उपभोग हुआ था।

2017-18 से 2021-22 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज तथा पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण राजस्व व्यय 53.75 प्रतिशत से बढ़कर 54.07 प्रतिशत हो गया।

### *2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएं*

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी 'परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना' नामक नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ने.सि.डि.लि.) के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है। वर्षों से कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि और उसके अनुकूल सरकार के अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कोई भी अंशदान खाता शीर्ष '8342-117' अन्य जमा - परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अस्थाई उपाय के रूप में भी नहीं रखा जाना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 18.67 करोड़ की राशि उपर्युक्त प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक रखी गई थी जैसाकि ***तालिका 2.20*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.20: नई पेंशन योजना अंशदान की स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | कर्मचारी अंशदान | राज्य सरकार द्वारा अंशदान | कुल | कम अंशदान | ने.सि.डि.लि. को कुल अंतरण | ने.सि.डि.लि. को कम अंतरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5= (2-3) | 6 | 7= (4-6) |
| 31 मार्च 2017 को राज्य सरकार के पास पड़े पेंशन निधियों के शेष | | | | | | 49.92 |
| 2017-18 | 479.94 | 460.44 | 940.38 | 19.50 | 975.76 | (-) 35.38 |
| 2018-19 | 565.88 | 534.30 | 1,100.18 | 31.58 | 1,086.16 | 14.02 |
| 2019-20 | 717.91 | 694.20 | 1,412.11 | 23.71 | 1,407.78 | 4.33 |
| 2020-21 | 778.53 | 766.83 | 1,545.36 | 11.70 | 1,535.18 | 10.18 |
| 2021-22 | 875.35 | 939.66 | 1,815.01 | (-)64.31 | 1,839.41 | (-) 24.40 |
| **कुल** | **3,417.61** | **3,395.43** | **6,813.04** | **22.18** | **6,844.29** | **18.67** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹ 3,417.61 करोड़ के कर्मचारियों के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने ₹ 3,395.43 करोड़ अर्थात् ₹ 22.18 करोड़ का कम अंशदान दिया। 2017-22 के दौरान ₹ 6,813.04 करोड़ की कुल राशि में से राज्य सरकार ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को ₹ 6,844.29 करोड़ अर्थात् ₹ 31.25 करोड़ अधिक हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के पास ₹ 18.67 करोड़ की शेष राशि पड़ी थी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सरकार के हिस्से के साथ अंशदान का कम हस्तांतरण होने के कारण राज्य सरकार की देयता बढ़ गई।

राज्य सरकार को कारणों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए कि कर्मचारियों का अंशदान और उसके समान सरकारी अंशदान पूरी तरह से समय पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया जाए।

### *2.4.2.4 सब्सिडीज*

सब्सिडीज़ पर व्यय 2017-18 में ₹ 8,446 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ रह गया और 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,535 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.21 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.69 प्रतिशत था जैसा कि ***तालिका 2.21*** में विवरण दिया गया है। विद्युत: ₹ 7,108 करोड़ (74.55 प्रतिशत), कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों: ₹ 2,249 करोड़ (23.59 प्रतिशत), ग्राम और लघु उद्योग: ₹ 106 करोड़ (1.11 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाएं: ₹ 72 करोड़ (0.75 प्रतिशत) पर सब्सिडीज वितरित की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुल सब्सिडीज (₹ 6,260 करोड़) मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 6,060 करोड़) के प्रक्षेपण से अधिक थी।

**तालिका 2.21: 2017-22 के दौरान सब्सिडीज पर व्यय**

| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **सब्सिडीज (₹ करोड़ में)** | 8,446 | 8,549 | 8,105 | 7,650 | 9,535 |
| **राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज** | 13.47 | 12.98 | 11.94 | 11.32 | 12.21 |
| **राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडीज** | 11.53 | 11.08 | 9.55 | 8.51 | 9.69 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

### *2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता*

**तालिका 2.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

**(₹ करोड़ में)**

| संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **(क) स्थानीय निकाय** | | | | | |
| शहरी स्थानीय निकाय | 2,466.82 | 2,092.31 | 2,279.46 | 2,766.64 | 3,472.10 |
| पंचायती राज संस्थाएं | 2,283.43 | 2,547.17 | 3,098.12 | 3,235.92 | 954.97 |
| **कुल (क)** | **4,750.25** | **4,639.48** | **5,377.58** | **6,002.56** | **4,427.07** |
| **(ख) अन्य** | | | | | |
| विश्वविद्यालय | 2,102.96 | 2,093.14 | 2,496.64 | 2,468.29 | 2,632.82 |
| विकास प्राधिकरण | 868.04 | 865.54 | 812.88 | 1,104.22 | 1,072.47 |
| सांविधिक निगम | 1,101.14 | 1,350.08 | 1,745.08 | 2,107.65 | 1,686.01 |
| अन्य (स्वायत निकाय) | 1,021.92 | 1,129.59 | 905.17 | 1,329.75 | 2,627.44 |
| **कुल (ख)** | **5,094.06** | **5,438.35** | **5,959.77** | **7,009.91** | **8,018.74** |
| **कुल (क+ख)** | **9,844.31** | **10,077.83** | **11,337.35** | **13,012.47** | **12,445.81** |
| **राजस्व व्यय** | **73,257** | **77,155** | **84,848** | **89,946** | **98,425** |
| **राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता** | **13.44** | **13.06** | **13.36** | **14.47** | **12.64** |

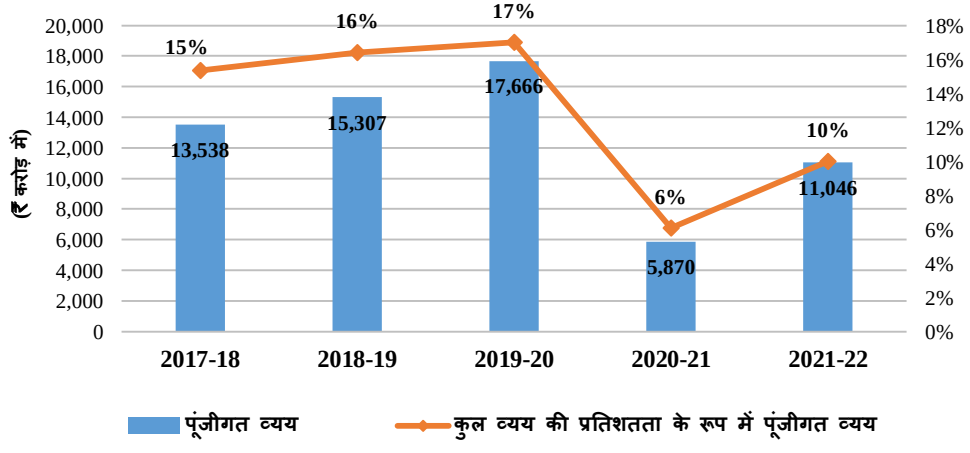
**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

***तालिका 2.22*** इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2017-18 में ₹ 9,844.31 करोड़ से 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का 12.64 प्रतिशत संघटित करते हुए बढ़कर ₹ 12,445.81 करोड़ हो गई। इसमें गत वर्ष की तुलना में ₹ 566.66 करोड़ (4.35 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी करने में कमी के कारण हुई।

## 2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से स्थायी मूलभूत संरचना परिसंपत्तियों जैसे कि सड़कों, भवनों आदि के सृजन पर किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय और कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय का विवरण ***चार्ट 2.12*** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.12: 2017-22 के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां**




**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

### 2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 11,046 करोड़ था जिसमें सामाजिक सेवाओं पर ₹ 5,471.24 करोड़, आर्थिक सेवाओं पर ₹ 5,012.25 करोड़ और सामान्य सेवाओं पर ₹ 562.07 करोड़ शामिल थे। वर्ष 2021-22 में ₹ 5,175.86 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और खाद्य, भंडार एवं भण्डारण पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। 2021-22 के दौरान ऊर्जा पर पूंजीगत व्यय में ₹ 527.03 करोड़ की बड़ी कमी आई थी जैसा कि ***तालिका 2.23*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.23: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय में बदलाव**

**(₹ करोड़ में)**

| प्रमुख लेखा शीर्ष | 2020-21 | 2021-22 | वृद्धि (+)/कमी (-) |
|---|---|---|---|
| **पूंजीगत व्यय** | **5,869.70** | **11,045.56** | **5,175.86** |
| **सामान्य सेवाएं** | **387.61** | **562.07** | **174.46** |
| **सामाजिक सेवाएं** | **2,986.12** | **5,471.24** | **2,485.12** |
| जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास | 1,594.50 | 3,811.77 | 2.217.27 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 766.37 | 895.70 | 129.33 |
| शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 409.32 | 578.60 | 169.28 |
| **आर्थिक सेवाएं** | **2,495.97** | **5,012.25** | **2,516.28** |
| खाद्य, भंडार एवं भंडारण* | (-) 1,243.04 | -148.59 | 1,094.45 |
| ऊर्जा | 527.09 | 0.06 | (-) 527.03 |
| सड़कें एवं पुल | 1,372.03 | 2,618.85 | 1,246.82 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख**

* **इस प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत माइनस आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों और दालों की खरीद की गतिविधियों की खरीद गतिविधियों के कारण प्राप्त अधिक वसूली के कारण है।**

### 2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

#### (i) निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2022 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 37,865.68 करोड़ निवेशित थे ***(तालिका 2.24)***। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.71 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2017-22 के दौरान अपने उधारों पर 7.75 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

**तालिका 2.24: निवेशों पर प्रतिलाभ**

| निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में) | 17,374.35 | 30,747.91 | 36,922.92 | 37,566.55 | 37,865.68 |
| प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)* | 7.53 | 56.60 | 87.01 | 163.14 | 1,007.59 |
| प्रतिलाभ (प्रतिशत)* | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.43 | 2.66 |
| सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत) | 8.10 | 8.81 | 8.31 | 6.50 | 7.05 |
| ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत) | 8.06 | 8.63 | 8.07 | 6.07 | 4.39 |
| सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंत (₹ करोड़ में) | 1,400.37 | 2,653.54 | 2,979.68 | 2,280.29 | 1,662.30 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)**

* **ऐतिहासिक लागत पर**

\# **(वर्ष के अंत में निवेश X ब्याज दर और प्रतिलाभ के मध्य अंतर)/100**

₹ 37,865.68 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 36,027.95 करोड़ (95.15 प्रतिशत) का निवेश चार विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में किया गया था। राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है।

### *(ii) कंपनियों के लेखों के साथ सरकारी निवेशों का मिलान*

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों और वित्त लेखों में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। वित्त खातों के अनुसार, सरकार ने 2021-22 में ₹ 37,865.68 करोड़ की इक्विटी में निवेश किया था। लेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 37,865.68 करोड़ की इक्विटी में निवेश में से 24 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी में सरकारी निवेश ₹ 28,508.29 करोड़ था जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार यह ₹ 36,876.34 करोड़ था। ***परिशिष्ट 2.4*** में वर्णित अनुसार ₹ 8,368.05 करोड़ का अंतर था। अंतरों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाना चाहिए।

### *(iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता*

मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से सामाजिक और भौतिक, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (सा.नि.भा.) माध्यम को अपनाया।

31 मार्च 2021 तक, ₹ 8,363.24 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली कुल 15 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है।

### *(iv) राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम*

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए गए थे। ***तालिका 2.25*** 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

**तालिका 2.25: पांच वर्षों के दौरान ऋणों की संवितरित एवं वसूल की गई मात्रा**

**(₹ करोड़ में)**

| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| बकाया ऋणों का आरंभिक शेष | 21,036 | 16,090 | 11,474 | 7,390 | 7,884 |
| वर्ष के दौरान अग्रिम राशि | 1,395 | 756 | 1,309 | 926 | 966 |
| वर्ष के दौरान वसूली गई राशि | 6,341 | 5,372 | 5,393 | 432 | 500 |
| **बकाया ऋणों का अंतिम शेष** | **16,090** | **11,474** | **7,390** | **7,884** | **8,350** |
| निवल जोड़ | (-) 4,946 | (-) 4,616 | (-) 4,084 | 494 | 466 |
| प्राप्त ब्याज | 1,163 | 720 | 398 | 92 | 106 |
| सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर | 6.27 | 5.22 | 4.22 | 1.20 | 1.31 |
| सरकार की बकाया उधारी पर भुगतान की गई ब्याज दर | 7.71 | 7.78 | 7.80 | 7.46 | 7.08 |
| भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत) | 1.44 | 2.56 | 3.58 | 6.26 | 5.77 |

वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड और बिजली कंपनियों को अधिक ऋण देने के कारण 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में 5.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में ₹ 3,877.95 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। ₹ 4,509.53 करोड़ की बकाया राशि के साथ मूलधन की कोई वसूली नहीं हुई थी। सरकार ने इन चीनी मिलों को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरित किए कि ऋणों को संस्वीकृतियों के 12 माह के बाद समान किश्तों में पांच वर्ष में नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ चुकाया जाएगा और पूर्ववर्ती ऋणों की चुकौती में विफलता के मामले में कोई ऋण संवितरित नहीं किया जाएगा। सहकारी चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों को सुनिश्चित किए बिना ₹ 3,877.95 करोड़ की पुरानी राशि सहित 2021-22 के दौरान ₹ 631.58 करोड़ के ऋण संस्वीकृत/संवितरित किए गए थे। इस प्रकार, सहकारी चीनी मिलों को संस्वीकृत ऋणों की शर्तों का उल्लंघन निरंतर जारी है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) के विरूद्ध वर्ष 2021-22 के आरंभ में ₹ 993.87 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इसके अतिरिक्त, इस बैंक को ₹ 75 करोड़ का ऋण दिया गया था। वर्ष के दौरान कोई वसूली प्राप्त नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2022 के अंत तक बकाया राशि ₹ 1,068.87 करोड़ हो गई। सरकार ने इस बैंक को इन नियमों एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरित किया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा सरकार को उधार की भारित औसत लागत के आधार पर परिकलित ब्याज दर के साथ सरकार को ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं है। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक को संस्वीकृत ऋण की शर्तों के उल्लंघन में ऋण संस्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान बजट में मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, जो इन सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के विरूद्ध बकाया ऋणों की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का संकेत था।

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 785[11] करोड़ के पांच नए ऋण दिए गए थे। 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 106 करोड़ (बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का 1.31 प्रतिशत) का ब्याज प्राप्त हुआ।

### *(v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी*

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृतियों का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभ से वंचित करता है।

[11] बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण - प्रसारण और वितरण: ₹ 10.30 करोड़ तथा हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण बैंक को ऋण: ₹ 75 करोड़ और हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड को ऋण: ₹ 34.79 करोड़, भंडारण निगम को ऋण: ₹ 33.63 करोड़ और सहकारी शुगर मिल्स: ₹ 631.58 करोड़।

आगे, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियां ऋण एवं ब्याज देयताओं की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

31 मार्च 2022 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना ***तालिका 2.26*** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च 2022 तक समाप्त हो चुकी थी।

**तालिका 2.26: 31 मार्च 2022 को अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा**

**(₹ करोड़ में)**

| विभाग | अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या | अनुमानित लागत (₹ करोड़ में) | व्यय (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| सिंचाई एवं जल संसाधन | 1 | 10.69 | 10.85 |
| लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) | 18 | 345.18 | 179.20 |
| **कुल** | **19** | **355.88** | **190.05** |

**स्रोत: वित्त लेखे**

विभागों की 19 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निर्धारित समयावधि जुलाई 2020 और मार्च 2022 के मध्य थीं, परन्तु ये परियोजनाएं 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण थीं, परिणामस्वरूप ₹ 190.05 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई। 19 अधूरे कार्यों में से 5 कार्य 12 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किए जा सके तथा 31 मार्च 2022 तक अधूरे कार्यों पर कुल व्यय का 34.49 प्रतिशत सम्मिलित करते हुए ₹ 65.34 करोड़ का व्यय किया गया। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण न केवल व्यय की गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि राज्य को अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित कर दिया।

### 2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। कुल व्यय में इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता को भी उतना ही बेहतर माना जाएगा। 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण ***तालिका 2.27*** में किया गया है।

**तालिका 2.27: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता**

| राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता | कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय | शिक्षा/ कुल व्यय | स्वास्थ्य/ कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|
| **हरियाणा का औसत (अनुपात) 2017-18** | 13.80 | 15.35 | 13.82 | 3.83 |
| **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (सा.श्रे.रा.) औसत (अनुपात) 2017-18** | 16.13 | 15.56 | 15.17 | 5.09 |
| **हरियाणा का औसत (अनुपात) 2021-22** | 12.33 | 10.00 | 14.46 | 6.25 |
| **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य (अनुपात) 2021-22** | 15.84 | 14.41 | 14.66 | 6.20 |
| **कु.व्य: कुल व्यय: पूं.व्य: पूंजीगत व्यय सा.श्रे.रा.: सामान्य श्रेणी राज्य**<br>**सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा** | | | | |

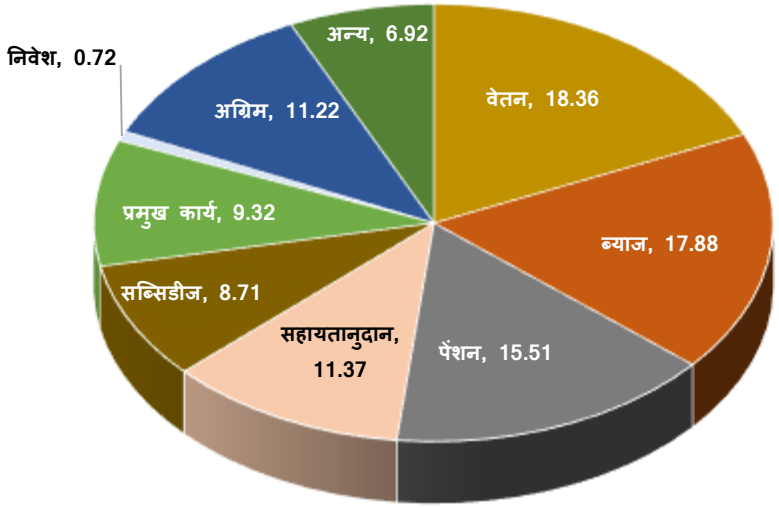
हरियाणा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2017-18 के साथ-साथ

2021-22 में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के औसत के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में कम है। 2017-18 और 2021-22 के दौरान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात कम था।

### 2.4.5 प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय

प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय, व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी ***चार्ट 2.13*** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 2.13: प्रयोजन शीर्षवार व्यय (प्रतिशत में)**




**नोट: वी.एल.सी. डाटा से प्राप्त प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय में सभी प्रमुख शीर्षों में वेतन, ब्याज और पेंशन पर प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय होता है जो इन मदों पर प्रतिबद्ध व्यय से भिन्न होता है (जैसा कि पैरा 2.4.2.2 में दिखाई देता है)।**

## 2.5 लोक लेखा

कुछ प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध रहती है।

### 2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

लोक लेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत घटक-वार निवल शेष ***तालिका*** **2.28** और ***चार्ट 2.14*** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.28: 31 मार्च 2022 को लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष**

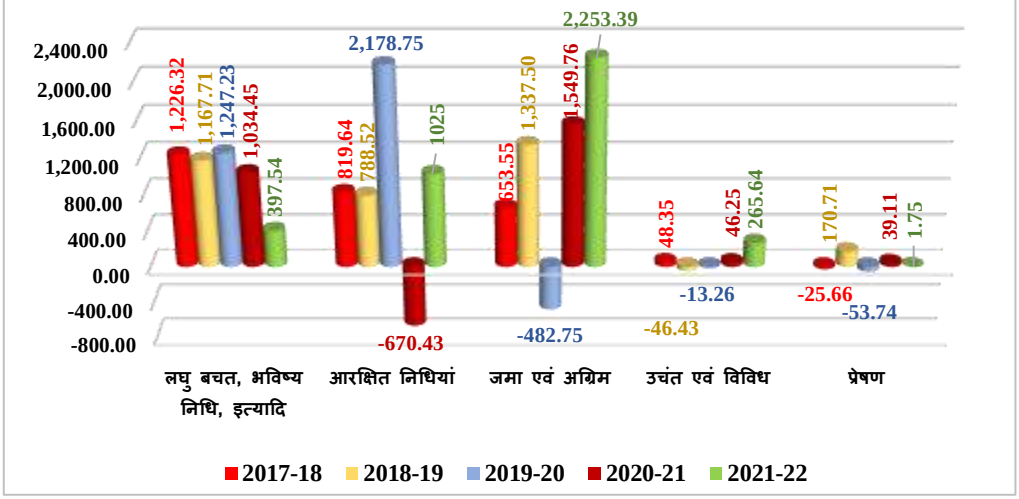
**(₹ करोड़ में)**

| क्षेत्र | उप-क्षेत्र | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आई. लघु बचतें, भविष्य निधि | लघु बचतें, भविष्य निधि आदि | **14,547.52** | **15,715.23** | **16,962.46** | **17,996.91** | **18,394.45** |
| ख. आरक्षित निधियां | (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 2,593.33 | 3,086.92 | 4,962.35 | 5,476.92 | 5,756.67 |
| | (ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 2,933.75 | 3,228.68 | 3,532.00 | 2,347.00 | 3,092.25 |
| | **कुल** | **5,527.08** | **6,315.60** | **8,494.35** | **7,823.92** | **8,848.92** |
| जे. जमा और अग्रिम | (क) ब्याज वाली जमा | 379.13 | 403.41 | 421.76 | 451.94 | 443.53 |
| | (ख) गैर-ब्याज वाली जमा | 6,687.90 | 8,001.14 | 7,500.04 | 9,019.62 | 11,281.42 |
| | (ग) अग्रिम | (-) 0.72 | (-) 0.74 | (-) 0.74 | (-) 0.74 | (-) 0.74 |
| | **कुल** | **7,066.31** | **8,403.81** | **7,921.06** | **9,470.82** | **11,724.21** |
| के. उचंत तथा विविध[12] | उचंत तथा विविध | **(-) 10.80** | **(-) 57.23** | **(-) 70.49** | **(-) 24.24** | **241.40** |
| एल. प्रेषण | (क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण | 180.34 | 343.72 | 306.84 | 330.58 | 333.65 |
| | (ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा | (-) 23.57 | (-) 16.24 | (-) 33.10 | (-) 17.73 | (-) 19.05 |
| | **कुल** | **156.77** | **327.48** | **273.74** | **312.85** | **314.60** |
| **कुल योग** | | **27,286.88** | **30,704.89** | **33,581.12** | **35,580.26** | **39,523.58** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

**चार्ट 2.14: लोक लेखा शेषों के संघटन में वार्षिक परिवर्तन**

**(₹ करोड़ में)**




**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 397 करोड़), जमा (₹ 2,253 करोड़), प्रेषण (₹ 2 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 1,025 करोड़) और उचंत एवं विविध (₹ 266 करोड़) में वृद्धि को के कारण निवल लोक लेखा शेषों में गत वर्ष की तुलना में 2021-22 में 11.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### 2.5.2 आरक्षित निधियां

वित्त लेखों की विवरणी 21 और 22 में आरक्षित निधियों का विवरण उपलब्ध है। विशिष्ट

[12] नकद शेष निवेश खाते के आंकड़ों को छोड़कर।

प्रयोजनों के लिए 11 आरक्षित निधियां (पांच ब्याज वाली आरक्षित निधियां और छः गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां) रखी गई थीं। ब्याज वाली आरक्षित निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, यदि इसे निवेश न किया जाए, सरकार द्वारा किया जाता है जबकि गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों के संबंध में शेष राशि का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में किया जाता है। 31 मार्च 2022 को विभिन्न आरक्षित निधियों (ब्याज वाली और गैर-ब्याज वाली) में पड़े निधि शेष ***तालिका 2.29*** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.29: आरक्षित निधि के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | आरक्षित निधि का नाम | 31 मार्च 2022 को शेष |
|---|---|---|
| **क** | **ब्याज वाली आरक्षित निधियां** | **5,756.66** |
| 1 | मूल्यह्रास आरक्षित निधि - सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम | 566.84 |
| 2 | मूल्यह्रास आरक्षित निधि - सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम | 16.45 |
| 3 | सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां | 4.64 |
| 4 | राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि | 4,234.06 |
| 5 | राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि | 934.67 |
| **ख** | **गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां** | **3,092.26** |
| 1 | ऋणशोधन निधि | 1,286.08 |
| 2 | खदान कल्याण निधि | 373.89 |
| 3 | विकास योजनाओं के लिए निधि | 1.41 |
| 4 | हरिजन उत्थान हेतु ग्राम पुनर्निर्माण के लिए निधि | 2.29 |
| 5 | गारंटी मोचन निधि | 1,428.51 |
| 6 | उपभोक्ता कल्याण निधि | 0.08 |
| | **कुल योग** | **8,848.92** |

उपर्युक्त में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि पांच वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और राज्य की समेकित निधि में उनके शेष को हस्तांतरित करना है।

### *2.5.2.1 समेकित ऋणशोधन निधि*

राज्य सरकार ने आंतरिक ऋण और लोक लेखा की बकाया देयताओं के मोचन के लिए 8 जून 2020 को 2002 की पूर्ववर्ती समेकित ऋणशोधन निधि (स.ऋ.नि.) योजना के साथ एक नई समेकित ऋणशोधन निधि योजना को प्रतिस्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को आंतरिक ऋण और लोक लेखा की पिछली बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत अंशदान देना आवश्यक था।

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,186.04 करोड़ (31 मार्च 2021 तक आंतरिक ऋण और लोक लेखा ₹ 2,37,207.91 करोड़ की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) की तुलना में केवल ₹ 500 करोड़ का अंशदान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 686.04 करोड़ का कम अंशदान हुआ।

1 अप्रैल 2021 तक निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 719.39 करोड़ थी। वर्ष के दौरान निधि निवेशित रही और ₹ 66.69 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था। 31 मार्च 2022 तक निधि का कुल संचयन ₹ 1,286.08 करोड़ था।

### *2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि*

राज्य सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में बदल दिया। निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर 2010 और 30 जुलाई 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति (रा.का.स.) की सिफारिशों के अनुसार निधि शेषों का निवेश करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रकार हैं:

(क) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के गठन और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों, समय-समय पर जारी, में प्रावधान है कि राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) सहायक लेखों (आपदा के अनुसार) को इस तरह और विवरण में बनाए रखेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से आवश्यक समझा जाए। हालांकि, राज्य सरकार ने सहायक लेखों के रखरखाव के लिए दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं, और तदनुसार, विभाग ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के आपदा-वार सहायक लेखे तैयार नहीं किए हैं। आपदा-वार सहायक लेखे के अभाव में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के व्यय की मदों एवं मानकों के अनुसार प्रत्येक आपदा पर किए गए व्यय का विवरण सत्यापित नहीं किया जा सका।

(ख) विभाग द्वारा भारत सरकार (एमएचए) को प्रस्तुत किए गए वार्षिक उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षा से यह देखा गया कि ये उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत राशियों के विरूद्ध किए गए वास्तविक व्यय के बजाय स्वीकृत राशियों के आधार पर जारी किए गए थे। अभिलेखों की आगे समीक्षा से पता चला कि विभाग ने वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी की गई संस्वीकृत राशि के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय की सूचना दी। यदि केवल राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से या राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य बजट दोनों से राहत के वितरण के लिए संस्वीकृतियों के विरूद्ध फील्ड कार्यालयों को निधियां अंतरित नहीं की गई थी, तो असंवितरित राशि को फील्ड कार्यालयों से वापस प्राप्त किया गया था और जमा शीर्ष 8121 में जमा किया गया था। लाभार्थियों को वास्तव में वितरित की गई राशि की परवाह किए बिना, क्षेत्रीय कार्यालयों को संस्वीकृत निधियां जारी करने के आधार पर रिपोर्ट की गई व्यय की राशि, दिशानिर्देशों की आवश्यकता और उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। आगे, चूंकि विभाग ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से वर्षवार वास्तविक व्यय (अर्थात, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से संस्वीकृत राशि घटा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि राशि वापस की गई या वित्तीय वर्ष के अंत में असंवितरित शेष) का रखरखाव नहीं किया है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निधियों के वास्तविक वार्षिक उपयोग को सत्यापित नहीं किया जा सका।

(ग) जुलाई 2015 में भारत सरकार द्वारा जारी राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन के लिए दिशानिर्देश (पैरा संख्या 19 और 20 के अंतर्गत) प्रावधान करते हैं कि भारत सरकार और/या राज्य सरकार से अंशदान की राशि प्राप्त होने पर, राज्य

कार्यकारी समिति (क) केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों; (ख) नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों; और (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज अर्जित जमा और जमा के प्रमाण-पत्रों के एक या अधिक में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ निधियों के निवेश के लिए कार्रवाई करेगी। दिशानिर्देशों में आगे प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त दस्तावेजों में निवेश तब तक किया जाएगा जब तक कि भारत सरकार द्वारा विपरीत निर्देश जारी नहीं किए जाते। तथापि, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश नहीं किया गया है।

(घ) चौदहवें वित्त आयोग 2015-20 की सिफारिशों के आधार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश (जुलाई 2015) प्रावधान करते हैं (पैरा संख्या 7 के अंतर्गत) कि भारत सरकार के हिस्से की प्राप्ति के तुरंत बाद, राज्य अपने हिस्से के साथ राशि प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर लोक लेखा शीर्ष को अंतरित करेंगे। दिशानिर्देशों में आगे प्रावधान किया गया है कि निधियां जारी करने में किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों की संख्या के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि जारी करनी अपेक्षित होगी।

तथापि, यह देखा गया था कि राज्य सरकार के मैचिंग अंशदान सहित उपर्युक्त दिशानिर्देश जारी करने के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किस्तों को अनुमेय 15 दिनों से 12 से 104 दिनों तक की देरी से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में जमा किया गया था। राशि जारी करने में विलंब के बावजूद राज्य सरकार ने उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज उपलब्ध नहीं कराया है। परिणामस्वरूप, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष राशि ₹ 29.17 करोड़ तक कम बताई गई है।

(ङ) चौदहवें वित्त आयोग और पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्रमशः जुलाई 2015 और जनवरी 2022 में जारी "राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन" पर दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों को यह प्रमाण-पत्र जारी करना अपेक्षित है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि स्थापित करने वाली प्रासंगिक अधिसूचनाएं लागू थी। इस संबंध में यह देखा गया था कि विभाग ने गृह मंत्रालय को ऐसे प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराए थे।

विभाग ने बताया (12 सितंबर 2022) कि जून और दिसंबर में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना इस बात का प्रमाण था कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि लागू था। हालांकि, विभाग द्वारा जुलाई 2015 और जनवरी 2022 के दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक विशिष्ट प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रदान नहीं किए गए थे।

(च) "राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के गठन और प्रशासन" पर दिशानिर्देशों, जैसा कि समय-समय पर जारी किए जाते है, में प्रावधान है कि राज्य सरकारें पिछले वर्ष में किन्हीं निर्दिष्ट प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में प्राकृतिक आपदाओं पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष सितंबर तक गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करें। यह वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों

के साथ-साथ, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के व्यय की मदों और मानदंडों के अनुसार अनुमत प्रत्येक प्रकार के व्यय के लिए प्रत्येक आपदा पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगी। तथापि, विभाग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में आपदा-वार कुल संस्वीकृत व्यय (अर्थात राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य बजट दोनों से संस्वीकृत व्यय) की सूचना दी गई थी; और दिशा-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार गृह मंत्रालय के अनुसार आपदा-वार वास्तविक व्यय की सूचना नहीं दी गई थी।

(छ) **2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्ययः ₹ 426.23 करोड़**

**31 मार्च 2022 को निधि में उपलब्ध शेषः ₹ 4,234.06 करोड़**

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 3,859.99 करोड़ का आरंभिक शेष था। 2021 22 के दौरान केंद्र सरकार ने ₹ 392.80 करोड़ जारी किए। भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 392.80 करोड़ की तुलना में राज्य का अंश ₹ 130.93 करोड़ था। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 800.30 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जिसमें ₹ 43 करोड़ के अव्ययित शेष और ₹ 233.57 करोड़ के ब्याज शामिल हैं। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 426.23 करोड़ का व्यय किया गया था। 31 मार्च 2022 को निधि में ₹ 4,234.06 करोड़ का अंतिम शेष था।

31 मार्च 2022 तक व्यय ₹ 7.31 करोड़ कम बताया गया है, क्योंकि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्वीकृत संख्या 2272-ईआर-1-2022/1504 दिनांक 16 मार्च 2022 के अनुसार व्यय को वहन करने वाली राशि को ₹ 30.41 करोड़ के बजाय ₹ 23.10 करोड़ के रूप में लिया गया है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक निधि में उपलब्ध शेष राशि को उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। ***तालिका 2.30*** में दिए गए विवरण के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 426.23 करोड़ का व्यय प्रभारित किया गया था।

**तालिका 2.30: राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण**

| प्रमुख लेखा शीर्ष | लघु लेखा शीर्ष | 2021-22 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| **2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 02-खाद्य पदार्थ, चक्रवात आदि** | 101-नि:शुल्क राहत | 586.23 |
| | 111-पीड़ित परिवारों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान | 60.00 |
| | 113-सदनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता | 0.03 |
| | 117-पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता | 0 |
| | 282-जन स्वास्थ्य | 2.73 |
| | 800-अन्य | 0.07 |
| | **उप-कुल** | **649.06** |
| **2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 80-सामान्य** | 800-अन्य व्यय | 5.9 |
| | **उप-कुल** | **5.9** |
| | **कुल योग** | **654.96** |
| **05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि** | **901- कटौती - राज्य आपदा से मिली राशि** | **426.23** |
| राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय) | | 586.23 |

### 2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए 2003 की पूर्ववर्ती गारंटी मोचन निधि (गा.मो.नि.) के स्थान पर 8 जून 2020 को नई गारंटी मोचन निधि योजना को प्रतिस्थापित किया। पिछले वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के न्यूनतम एक प्रतिशत के प्रारंभिक अंशदान के साथ सरकार द्वारा निधि की स्थापना की गई है। निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को निधि में सरकार द्वारा एकत्रित गारंटी फीस और सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक या यथा आवधिक अंशदान को हस्तांतरित करना अपेक्षित है। इस निधि का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2021 को सरकार की बकाया गारंटियां ₹ 23,053.18 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशानिर्देशों में वर्ष के आरंभ में बकाया गारंटियों का न्यूनतम एक प्रतिशत अंशदान और उसके बाद गत वर्ष की बकाया गारंटियों के अगले पांच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत (पांच प्रतिशत तक बढ़ाने योग्य) के कोष को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 0.5 प्रतिशत को इंगित किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में किसी राशि का अंशदान नहीं किया, यद्यपि वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 119.15 करोड़ की गारंटी फीस एकत्र की गई थी।

31 मार्च 2022 को निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,428.51 करोड़ (जो ₹ 23,053.18 करोड़ की बकाया गारंटियों का 6.20 प्रतिशत है) थी जो निवेशित थी।

### 2.5.2.4 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि

इस निधि की स्थापना (जुलाई 2015) राज्य में खनन क्षेत्र के पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्यों के लिए की गई थी। यद्यपि निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान की गई 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के 10 प्रतिशत के बराबर राशि को पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों के लिए 'अन्य प्रभारों' के तौर पर खनिज रियायत धारकों से प्रभारित किया जाना और निधि में जमा किया जाना है। इसके साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में 'डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा धन' के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि को निधि में सरकारी अंशदान के रूप में जमा/हस्तांतरित किया जाना है।

1 अप्रैल 2021 को निधि में ₹ 300.75 करोड़ का शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने डेड रेंट आदि के रूप में ₹ 703.67 करोड़ की राशि और रियायत धारकों से 'अन्य प्रभारों' के रूप में ₹ 37.14 करोड़ की राशि प्राप्त की। ₹ 105.55 करोड़ की राशि (डेड रेंट का 10 प्रतिशत जमा ₹ 703.67 करोड़ के डेड रेंट का राज्य का अंश पांच प्रतिशत) का अंशदान निधि में किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 89.41 करोड़ (राज्य का अंशदान:

₹ 31.33 करोड़ और रियायत धारकों का अंशदान: ₹ 58.08 करोड़) की राशि का अंशदान दिया। इस प्रकार ₹ 16.14 करोड़ का कम अंशदान था। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि में शेष राशि पर ब्याज के रूप में ₹ 5.85 करोड़ की अनुमति दी है, जिससे ब्याज के कारण ₹ 12.20 करोड़ की सीमा (₹ 300.75 करोड़ का छ: प्रतिशत) तक निधि में कम अंशदान हुआ। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 22.12 करोड़ का व्यय वहन किया गया था, जिससे 31 मार्च 2022 को निधि में ₹ 373.89 करोड़ का शेष रह गया।

### *2.5.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि*

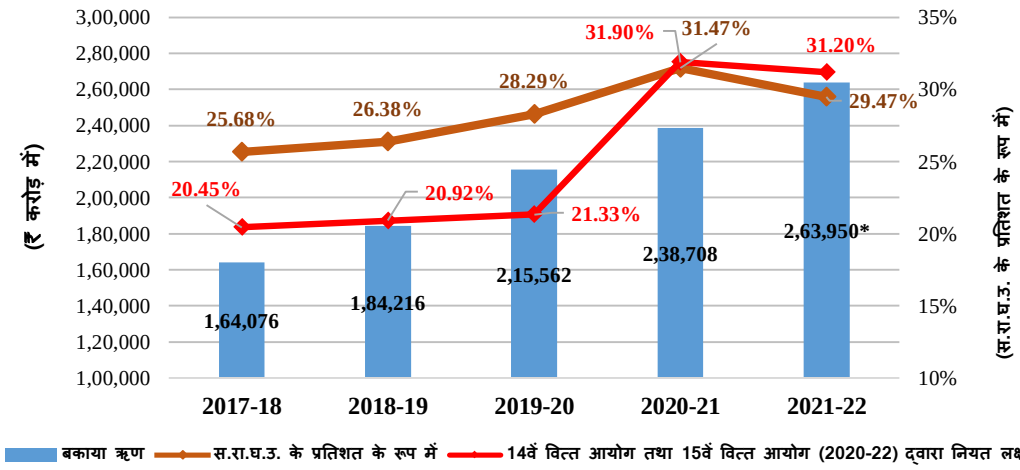
पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5-1/2009-एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 द्वारा जारी अनुदेशों तथा 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण प्राप्त राशि का प्रबंधन करेगा और प्रतिपूरक वनीकरण, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, आधारभूत संरचना का विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा तथा अन्य संबंधित गतिविधियों और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए एकत्र राशि का उपयोग करेगा। प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना करेगा। यह ब्याज वाली आरक्षित निधि है, जिसका निवेश किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष के आरंभ में निधि के अंतर्गत शेष राशि ₹ 1,069.76 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण निधि का राज्य हिस्सा होने के कारण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से निधि में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया। वर्ष के दौरान निधि से ₹ 135.09 करोड़ का व्यय किया गया था। राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है जबकि 31 मार्च 2022 तक निधि में ₹ 934.67 करोड़ की राशि शेष थी।

## 2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, अपेक्षित धनराशि जुटाने, इसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, तथा सरकार द्वारा अधिनियम के माध्यम से नियत या किन्हीं अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है। हरियाणा में 2017-22 के दौरान बकाया ऋण का विवरण ***चार्ट 2.15*** में दिया गया है।

चार्ट 2.15: हरियाणा में 2017-22 के दौरान बकाया ऋण के विवरण




* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिन्हें दिशा-निर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।

### 2.6.1 ऋण प्रोफ़ाइल: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताएं होती हैं। 2021-22 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को ***चार्ट 2.16*** में प्रस्तुत किया गया है। 2017-18 से प्रारंभ होकर पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियों को ***तालिका 2.31*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.31: घटक वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

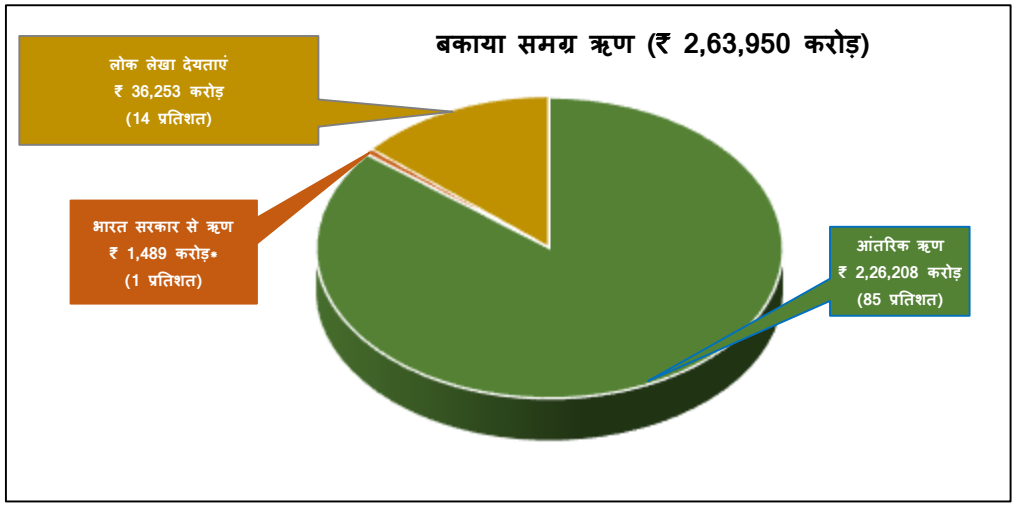
| राजकोषीय देयता के घटक | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **समग्र बकाया ऋण** | | **1,64,076** | **1,84,216** | **2,15,562** | **2,38,708** | **2,63,950** |
| लोक ऋण | आंतरिक ऋण | 1,37,813 | 1,54,968 | 1,83,786 | 2,03,958 | 2,26,208 |
| | भारत सरकार से ऋण | 1,941 | 1,867 | 1,705 | 1,500* | 1,489@ |
| लोक लेखा देयताएं | | 24,322 | 27,381 | 30,071 | 33,250 | 36,253 |
| बजट से बाहर के उधार | | - | - | - | - | -# |
| **बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)** | | 12.10 | 12.27 | 17.02 | 10.74 | 10.57 |
| **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सकल राज्य घरेलू उत्पाद)** | | 6,38,832 | 6,98,189 | 7,62,044 | 7,58,507 | 8,95,672 |
| **ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)** | | 25.68 | 26.38 | 28.29 | 31.47 | 29.47 |
| **लोक ऋण प्राप्तियां** | | 21,490 | 34,265 | 44,432 | 49,465 | 47,712 |
| **लोक ऋण पुनर्भुगतान** | | 6,339 | 17,184 | 15,776 | 29,498 | 25,473 |
| **उपलब्ध लोक ऋण** | | 15,151 | 17,081 | 28,656 | 19,967 | 22,239 |
| **लोक-ऋण पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)** | | 29.50 | 50.15 | 35.51 | 59.63 | 53.39 |
| **निवल लोक लेखा प्राप्तियां** | | 2,554 | 3,059 | 2,690 | 3,179 | 3,003 |
| **उपलब्ध कुल ऋण** | | 17,705 | 20,140 | 31,346 | 23,146 | 25,242 |

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

@ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

\# वित्त लेखा 2021-22 के अनुसार, सूचना शून्य है। हालांकि, लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप "बजट से बाहर के उधार" पर अनुच्छेद को राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2021-22 के अध्याय-4 में शामिल किया गया है।

**चार्ट 2.16: 31 मार्च 2022 के अंत में समग्र बकाया ऋण का विघटन**



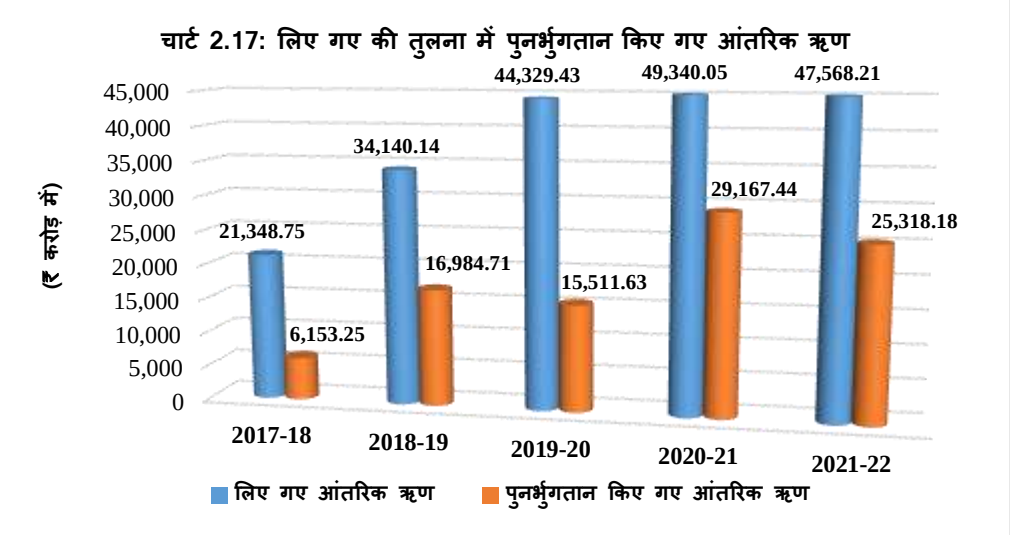

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2017-18 में ₹ 1,64,076 करोड़ से 60.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,63,950 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण लोक ऋणों (₹ 87,943 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,931 करोड़) में बढ़ोतरी थी। गत वर्ष के 10.74 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में समग्र राजकोषीय देयताओं में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2017-18 में 25.68 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 29.47[13] प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.96 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.88 गुणा थीं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 2,63,950 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2021-22 में मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में प्रक्षेपित ₹ 1,99,823 करोड़ की सीमा से अधिक थीं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्राम कुटैल (करनाल) में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परियोजना हेतु 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार को ₹ 91 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजकोषीय देयताएं 29.47 प्रतिशत थी जो 15वें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण 31.20 प्रतिशत की सीमा में थी।

[13] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।




**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2017-18 में ₹ 1,37,813 करोड़ से ₹ 88,395 करोड़ (64.14 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,26,208 करोड़ हो गया। ***चार्ट 2.17*** में लिए गए ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान किए गए आंतरिक ऋणों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। जिसमें 2021-22 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 16,530.97 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार उधारी का है, जिसमें ब्याज दर 4.40 से 9.89 प्रतिशत के बीच है। 2021-22 में ₹ 47,568 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 30,498 करोड़ का बाजार ऋण था। ₹ 25,318 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान में से, बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान ₹ 6,357 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को बकाया बाजार उधारी ₹ 1,85,357.55 करोड़ थी। वर्ष के दौरान बाजार उधार की निवल वृद्धि 14.97 प्रतिशत (₹ 24,141 करोड़) थी।

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संरचनागत बदलाव ***चार्ट 2.18*** और ***तालिका 2.32*** में दर्शाया गया है। 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण ***तालिका 2.33*** में दिए गए हैं।

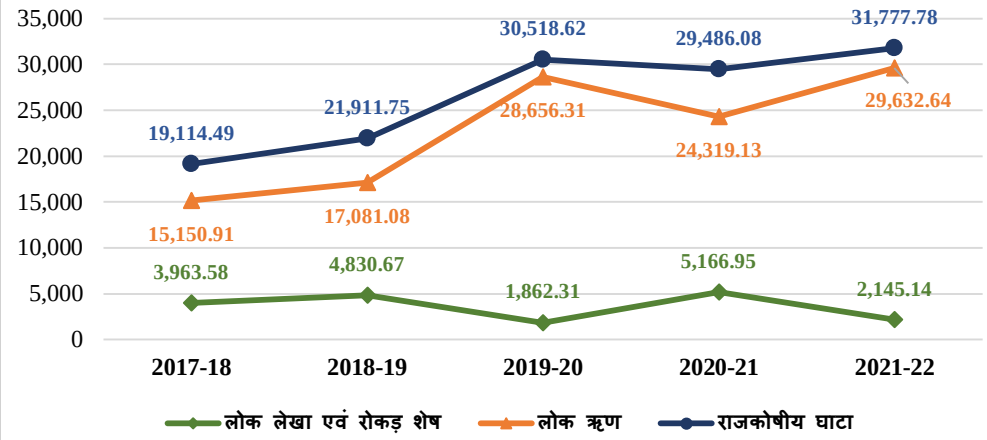
**तालिका 2.32: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजकोषीय घाटे की संरचना | | (-) 19,114 | (-) 21,912 | (-)30,519 | (-)29,486 | (-) 31,778 |
| 1 | राजस्व घाटा | (-) 10,562 | (-)11,270 | (-)16,990 | (-)22,385 | (-) 20,333 |
| 2 | निवल पूंजीगत व्यय | (-) 13,498 | (-)15,258 | (-)17,612 | (-)5,807 | (-) 10,978 |
| 3 | निवल ऋण एवं अग्रिम | 4,946 | 4,616 | 4083 | (-) 494 | (-) 466 |
| 4 | आकस्मिक निधि का विनियोजन | - | - | - | (-) 800 | - |
| **राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति** | | | | | | |
| 1 | बाजार उधार | 15,839.49 | 17970.00 | 20,676.85 | 25,550.00 | 24,141.11 |
| 2 | भारत सरकार से ऋण | (-)44.59 | (-)74.33 | (-)161.49 | 4,146.52 | 7,382.62 |
| 3 | राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां | (-)954.14 | (-) 980.58 | (-)1,004.39 | (-)1,004.39 | (-) 999.86 |
| 4 | बॉण्ड | - | - | - | - | (-) 3,460.00 |
| 5 | वित्तीय संस्थाओं से ऋण | 310.15 | 165.99 | 9,145.34 | (-)4,373.00 | 2,568.77 |
| 6 | लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 1,226.32 | 1,167.71 | 1,247.23 | 1,034.45 | 397.53 |
| 7 | आरक्षित निधि | 673.72 | 553.47 | 1,925.34 | (-)670.44 | 1,025.00 |
| 8 | जमा एवं अग्रिम | 653.55 | 1,337.50 | (-)482.75 | 1,549.76 | 2,253.39 |
| 9 | उचंत एवं विविध | 518.78 | 1,296.28 | (-)1,623.60 | 1,562.54 | 265.64 |
| 10 | प्रेषण | (-)25.09 | 170.72 | (-)53.74 | 39.11 | 1.75 |
| 11 | आकस्मिक निधि का विनियोजन | | - | - | 800.00 | 0.00 |
| **12** | **समग्र घाटा** | **18,198.19** | **21,606.76** | **29,668.79** | **28,634.55** | **33,575.95** |
| 13 | रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी | 916.30 | 304.99 | 849.83 | 851.53 | (-) 1,798.17 |
| **14** | **सकल राजकोषीय घाटा** | **19,114.49** | **21,911.75** | **30,518.62** | **29,486.08** | **31,777.78** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

**चार्ट 2.18: 2017-22 के दौरान राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने की प्रवृतियां**



**तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | | प्राप्ति | संवितरण | निवल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बाजार उधार | 30,497.76 | 6,356.65 | 24,141.11 |
| 2 | भारत सरकार से ऋण | 7,537.39@ | 154.77 | 7,382.62 |
| 3 | राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 0 | 999.86 | (-) 999.86 |
| 4 | बॉण्ड | 0 | 3,460.00 | (-) 3,460.00 |
| 5 | वित्तीय संस्थाओं से ऋण | 14,294.62 | 11,725.85 | 2,568.77 |
| 6 | आकस्मिक प्राप्तियां | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 7 | लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि | 3,569.29 | 3,171.76 | 397.53 |
| 8 | जमा एवं अग्रिम | 38,077.43 | 35,824.04 | 2,253.39 |
| 9 | आरक्षित निधियां | 1,668.69 | 643.69 | 1,025.00 |
| 10 | उचंत और विविध | 1,363.26 | 1,097.62 | 265.64 |
| 11 | प्रेषण | 10,992.28 | 10,990.53 | 1.75 |
| **12** | **समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)** | **1,08,900.72** | **75,324.77** | **33,575.95** |
| 13 | रोकड़ शेष में वृद्धि(-)/कमी(+) | 3,147.94 | 4,946.11 | (-) 1,798.17 |
| **14** | **सकल राजकोषीय घाटा** | **1,12,048.66** | **80,270.88** | **31,777.78** |

@ **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,393.79 करोड़ शामिल हैं।**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2017-18 से 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण, जिसमें बाजार उधार, भारत सरकार से ऋण आदि शामिल हैं, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

### 2.6.2 ऋण प्रोफ़ाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

लोक ऋण की परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल मूल राशि के ऋण पुनर्भुगतान के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता दर्शाती है।

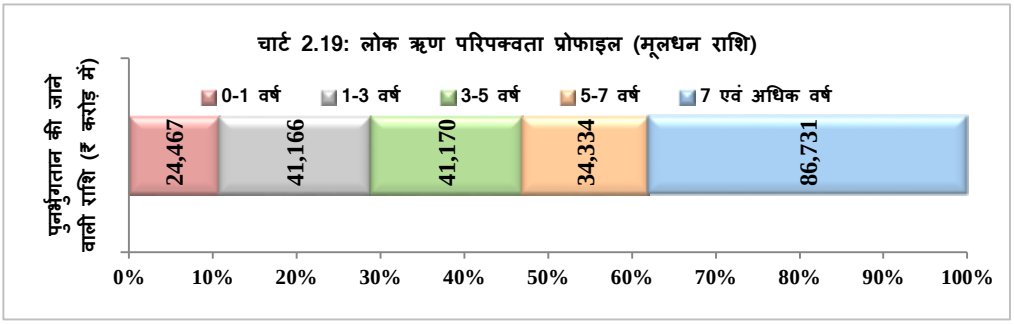
**तालिका 2.34: लोक ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल (मूल राशि)**

| पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष) | राशि (₹ करोड़ में) | प्रतिशतता (लोक ऋण के संबंध में) |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 24,466.70 | 11 |
| 1 - 3 | 41,166.38 | 18 |
| 3 - 5 | 41,170.07 | 18 |
| 5 - 7 | 34,333.61 | 15 |
| 7 एवं अधिक | 86,731.57 | 38 |
| **कुल*** | **2,27,868.33**[14] | **100** |

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

मार्च 2022 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 2,27,868.33 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफ़ाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 62 प्रतिशत (₹ 1,41,136.76 करोड़) सात वर्ष तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और शेष ₹ 86,731.57 करोड़ (38 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि ***तालिका 2.34*** और ***चार्ट 2.19*** में दर्शाया गया है।

[14] लोक ऋण के अंतर्गत परिपक्वता प्रोफ़ाइल और शेष राशि के मध्य ₹ 171.31 करोड़ के अंतर का समाधान किया जा रहा है।



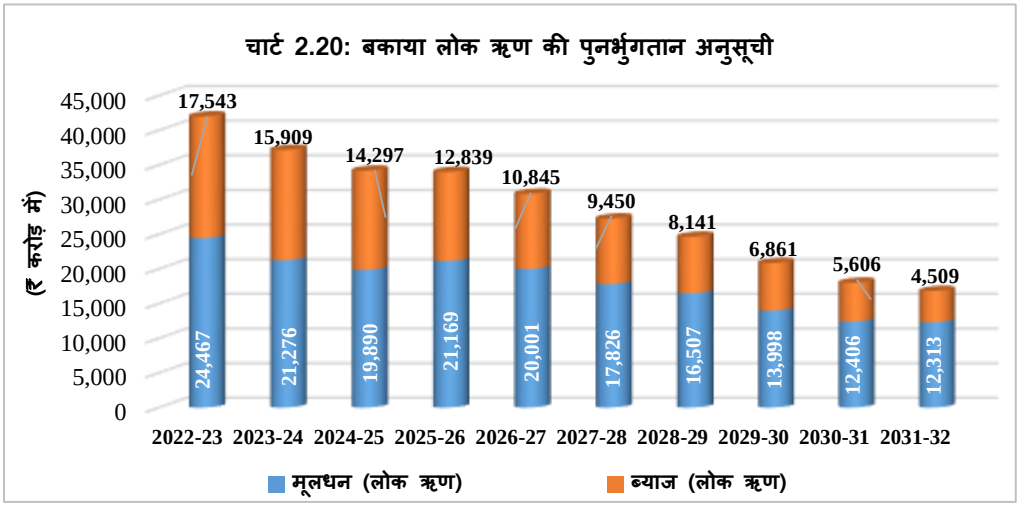

अगले 10 वर्षों में ब्याज[15] सहित बकाया लोक ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची ***तालिका 2.35*** और ***चार्ट 2.20*** में दी गई है।

**तालिका 2.35: बकाया लोक ऋण और ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| | का पुनर्भुगतान | | |
|---|---|---|---|
| **वर्ष** | **लोक ऋण** | **ब्याज** | **कुल** |
| 2022-23 | 24,466.70 | 17,543.41 | 42,010.11 |
| 2023-24 | 21,276.22 | 15,909.19 | 37,185.41 |
| 2024-25 | 19,890.16 | 14,297.10 | 34,187.26 |
| 2025-26 | 21,168.57 | 12,838.67 | 34,007.24 |
| 2026-27 | 20,001.50 | 10,844.65 | 30,846.15 |
| 2027-28 | 17,826.30 | 9,449.55 | 27,275.85 |
| 2028-29 | 16,507.31 | 8,140.76 | 24,648.07 |
| 2029-30 | 13,997.63 | 6,861.21 | 20,858.84 |
| 2030-31 | 12,405.88 | 5,606.04 | 18,011.92 |
| 2031-32 | 12,312.75 | 4,509.63 | 16,822.38 |
| **कुल** | **1,79,853.02[$]** | **1,06,000.21** | **2,85,853.23** |

[$] **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**




**नोट:** **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर लोक ऋण के लिए अगले 10 वर्षों के लिए परिपक्वता प्रोफ़ाइल विकसित की गई है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।**

[15] बाजार ऋण के ब्याज की गणना वित्त लेखे में उपलब्ध परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर की जाती है। शेष लोक ऋण पर ब्याज की गणना पिछले पांच वर्षों की औसत उधार ब्याज दर के आधार पर की जाती है।

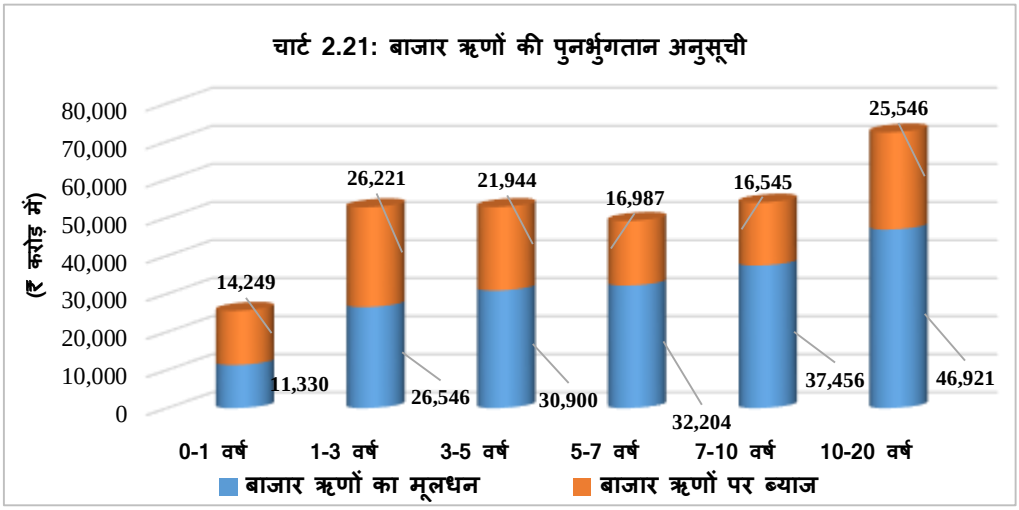
2022-23 से 2031-32 की अवधि के लिए ब्याज सहित ₹ 2,85,853.23 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से ब्याज सहित ₹ 42,010.11 करोड़ (15 प्रतिशत) 2022-23 में देय है, ब्याज सहित ₹ 1,36,226.06 करोड़ (48 प्रतिशत) 2023-24 से 2026-27 की अवधि के दौरान देय है, जबकि शेष 37 प्रतिशत (₹ 1,07,617.06 करोड़) पांच वर्ष से अधिक के बाद भुगतान किया जाना है। 2026-27 तक अगले पांच वर्षों के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में वार्षिक व्यय लगभग ₹ 35,647.24 करोड़ होगा। 2027-28 से 2031-32 की अवधि में, ₹ 1,07,617.06 करोड़ (मूलधन: ₹ 73,049.87 करोड़ और ब्याज: ₹ 34,567.19 करोड़) का लोक ऋण पुनर्भुगतान देय होगा। इस प्रकार राज्य को वर्ष 2027-28 से 2031-32 की अवधि में लगभग ₹ 21,523.41 करोड़ का वार्षिक पुनर्भुगतान करना होगा।

ब्याज सहित बकाया लोक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण व्यय राज्य की उधारी आवश्यकता में वृद्धि के साथ आगे बढ़ सकता है।

***बाजार उधार/ऋण***

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची ***चार्ट 2.21*** में दी गई है।

**चार्ट 2.21: बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची**




**टिप्पणी: 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफ़ाइल विकसित किया गया है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।**

राज्य को बाजार ऋणों के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2024-25 तक ₹ 37,876 करोड़ का पुनर्भुगतान और ₹ 40,470 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों, 2026-27 तक, ₹ 30,900 करोड़ का मूलधन और ₹ 21,944 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों, 2026-27 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 26,238 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

2027-28 से 2031-32 की अवधि में ₹ 69,660 करोड़ के ऋण और ₹ 33,532 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 20,638 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

## 2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य की क्षमता का आकलन करते हैं। यह खंड बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य के लिए निवल ऋण की उपलब्धता की गणना से सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। ***तालिका 2.36*** में 2017-18 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन संकेतकों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण किया गया है।

**तालिका 2.36: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां**

**(₹ करोड़ में)**

| ऋण स्थिरता संकेतक | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| बकाया लोक ऋण* | 1,39,754 | 1,56,835 | 1,85,491 | 2,05,458 | 2,27,697* |
| बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर | 12.16 | 12.22 | 18.27 | 10.76 | 10.82 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 6,38,832 | 6,98,189 | 7,62,044 | 7,58,507 | 8,95,672 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर | 13.79 | 9.29 | 9.15 | (-) 0.46 | 18.08 |
| लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 21.88 | 22.46 | 24.34 | 27.09 | 25.42 |
| राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल - डिफाल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो | 2,561.93 | 5,054.18 | 5,840.63 | 12,132.69 | 16,057.12 |
| बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत) | 8.08 | 8.16 | 8.17 | 7.94 | 7.72 |
| राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता | 17.04 | 18.37 | 20.60 | 22.97 | 21.41 |
| ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता | 29.50 | 50.15 | 35.50 | 59.63 | 53.39 |
| राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण# | 4,469.12 | 4,981.11 | 14,677.34 | 4,449.26 | 5,521.18 |
| ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण | 20.80 | 14.54 | 33.03 | 8.99 | 11.57 |
| ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार$ + प्राथमिक घाटा) | 823.85 | (-) 6,586.43 | (-) 13,119.97 | (-) 29,638.01 | (-) 10,181.49 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

*** बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21 के दौरान, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 11,746 करोड़ (₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,394 करोड़) को वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

**# राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।**

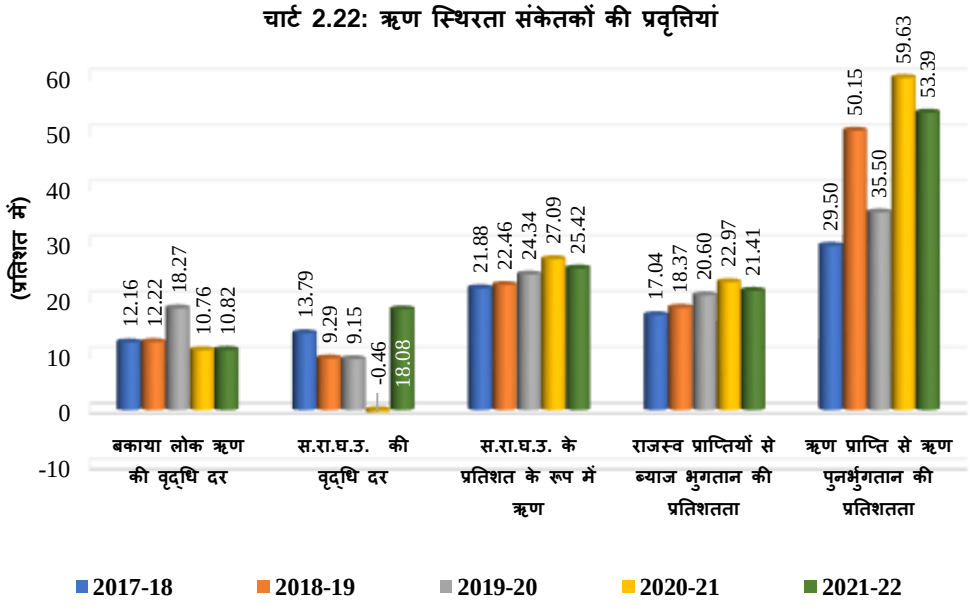
**$ प्रमात्रा प्रसार = (ऋण X प्रसार दर) जहां प्रसार दर = (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर - ब्याज दर)।**

ऋण स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते कि प्रारंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मध्यम ऋणात्मक हो। इस प्रकार, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा।

हरियाणा में, ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2017-18 में 21.88 प्रतिशत से बढ़कर

2020-21 में 27.09 प्रतिशत हो गया और 2021-22 में प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के धनात्मक आंकड़े के कारण घटकर 25.42 प्रतिशत हो गया। 2017-18 से आरंभ होने वाले पांच वर्षों की ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां ***चार्ट 2.22*** में दर्शाई गई हैं।

**चार्ट 2.22: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां**




2017-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 62.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2017-18 में ₹ 1,39,754 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,27,697 करोड़ हो गए। 2017-18 से 2021-22 की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर 10.76 प्रतिशत और 18.27 प्रतिशत के मध्य रही जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2019-20 तक 9.15 और 13.79 प्रतिशत के मध्य रही और 2020-21 के दौरान घटकर (-) 0.46 प्रतिशत रह गई और 2021-22 में बढ़कर 18.08 प्रतिशत हो गई।

### 2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना टिकाऊ नहीं है। 2017-22 की अवधि के दौरान पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के लिए उधार ली गई निधियों के उपयोग का विवरण ***तालिका 2.37*** में दिया गया है।

**तालिका 2.37: उधार ली गई निधियों का उपयोग**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल उधार | 21,489.76 | 34,264.97 | 44,431.82 | 49,464.73[16] | 47,711.81[17] |
| पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता) | 6,338.85 (29) | 17,183.87 (50) | 15,775.51 (36) | 29,497.60 (60) | 25,472.95 (53) |
| निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशतता)* | 8,308.03 (39) | 10,067.59 (29) | 12,421.92 (28) | 5,806.74 (11) | 10,978.41 (23) |
| निवल ऋण एवं अग्रिम* | 243.96 (1) | 573.74 (2) | 1,106.62 (2) | 493.75 (1) | 466.02 (1) |
| उपलब्ध निवल उधार से किए गए राजस्व व्यय का भाग | 6,598.92 (31) | 6,439.77 (19) | 15,127.77 (34) | 13,666.64 (28) | 10,794.43 (23) |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

**कोष्ठक में कुल उधारों की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।**

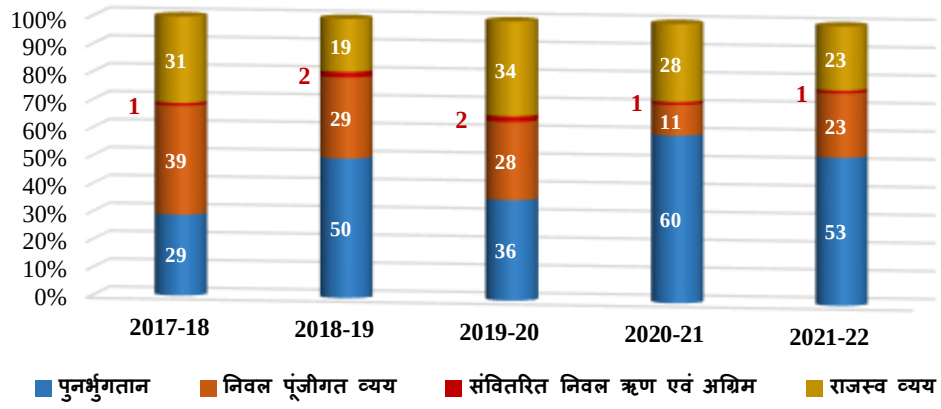
* **निवल पूंजीगत व्यय और निवल ऋणों एवं अग्रिमों की गणना वर्ष 2019-20 के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई है।**

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अत: राजस्व व्यय के लिए भी सरकार उधार पर निर्भर रही। 2021-22 के दौरान, ₹ 10,794 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 11 प्रतिशत) का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 23 प्रतिशत है।

इस प्रकार, 2017-18 से 2021-22 के दौरान 60 प्रतिशत तथा 88 प्रतिशत के मध्य उधार ली गई निधियों का उपयोग पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान तथा राजस्व व्यय के लिए किया गया था। 2021-22 के दौरान, उधार ली गई निधियों का 76 प्रतिशत पूर्व के ऋणों के पुनर्भुगतान (53 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय (23 प्रतिशत) के लिए उपयोग किया गया था। इसलिए, उधार ली गई निधियों का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नहीं किया गया।

2017-22 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को ***चार्ट 2.23*** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.23: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां**




**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

16 वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

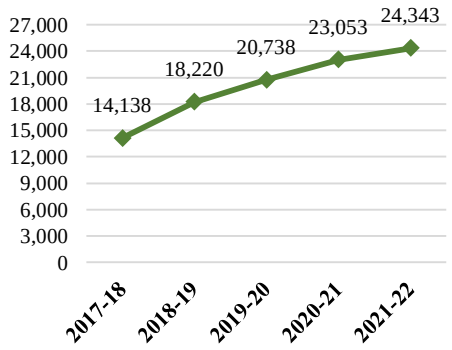
17 वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

### 2.7.2 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

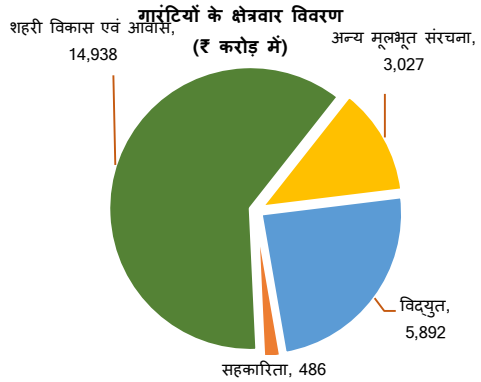
राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की एक सीमा, जहां तक गारंटी दी जा सकती है, निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों और बकाया गारंटियों की कुल प्राप्तियों की स्थिति ***चार्ट 2.24*** और ***2.25*** में दी गई है।

**चार्ट 2.24: फीस सहित बकाया गारंटियों की स्थिति (₹ करोड़ में)**




**चार्ट 2.25: 31 मार्च 2022 की समाप्ति पर गारंटियों के क्षेत्रवार विवरण (₹ करोड़ में)**




**स्रोत: वित्त लेखे**

2021-22 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2022 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के संबंध में गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण ***तालिका 2.38*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.38: संस्थाओं को दी गई गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों का नाम | गारंटी की संख्या | ब्याज सहित बकाया गारंटी |
|---|---|---|---|
| 1 | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) | 11 | 14,334.04 |
| 2 | हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम | 6 | 2,843.83 |
| 3 | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड | 20 | 4,400.65 |
| 4 | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 6 | 295.41 |
| 5 | हरियाणा राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक | 1 | 153.94 |
| 6 | हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड | 2 | 342.05 |
| 7 | हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा | 6 | 261.43 |
| 8 | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड | 10 | 1,168.41 |
| 9 | हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड | 1 | 94.20 |
| 10 | नगर निगम, फरीदाबाद | 1 | 55.00 |
| 11 | हरियाणा राज्य भंडारण निगम | 4 | 20.32 |
| 12 | हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड, पंचकुला | 1 | 27.13 |
| 13 | पानीपत सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, पानीपत | 1 | 92.86 |
| 14 | शाहबाद सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, शाहबाद | 1 | 55.35 |
| 15 | करनाल सहकारी शुगर मिल लिमिटेड, करनाल | 1 | 78.93 |
| 16 | हैफेड-नाबार्ड | 2 | 104.84 |
| 17 | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम | 2 | 14.17 |
| | कुल | 76 | 24,342.56 |

**स्रोत: वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे**

31 मार्च 2022 तक ब्याज सहित कुल बकाया गारंटी में से 94.65 प्रतिशत (₹ 23,042.34 करोड़) मुख्य रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (₹ 14,334.04 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक मूलभूत संरचना विकास निगम (₹ 2,843.83 करोड़), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4,400.65 करोड़), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 295.41 करोड़) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,168.41 करोड़) के संबंध में बकाया थी।

### 2.7.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष सहमत न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेकर कमी को पूरा किया जाता है।

वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश के तुलनात्मक आंकड़े ***तालिका 2.39*** में दिए गए हैं।

**तालिका 2.39: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| | 31 मार्च 2021 को अंतिम शेष | 31 मार्च 2022 को अंतिम शेष |
|---|---|---|
| **क. सामान्य रोकड़ शेष** | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि | (-) 463.47 | (-) 371.24 |
| ट्रांजिट लोकल में प्रेषण | 0.54 | 0.54 |
| **कुल** | **(-) 462.93** | **(-) 370.70** |
| रोकड़ शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश | 1,564.72 | 2,597.52 |
| **कुल (क)** | **1,101.79** | **2,226.82** |
| **ख. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश** | | |
| विभागीय अधिकारियों जैसे कि लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़ | 3.34 | 4.41 |
| विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम | 0.12 | 0.12 |
| चिह्नित निधियों में निवेश | 2,042.69 | 2,714.76 |
| **कुल (ख)** | **2,046.15** | **2,719.29** |
| **कुल (क + ख)** | **3,147.94** | **4,946.11** |
| **वसूल किया गया ब्याज** | **29.49** | **25.45** |

**स्रोत: वित्त लेखे**

**तालिका 2.40: रोकड़ शेष निवेश लेखा (प्रमुख शीर्ष-8673)**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | अंतिम शेष | वृद्धि (+)/कमी (-) | अर्जित ब्याज |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 2,554.85 | 2,084.53 | (-) 470.32 | 94.89 |
| 2018-19 | 2,084.53 | 721.57 | (-) 1,362.96 | 91.54 |
| 2019-20 | 721.57 | 2,332.87 | 1,611.30 | 76.54 |
| 2020-21 | 2,332.87 | 1,564.72 | (-) 768.15 | 29.49 |
| 2021-22 | 1,564.72 | 2,597.52 | 1,032.80 | 25.45 |

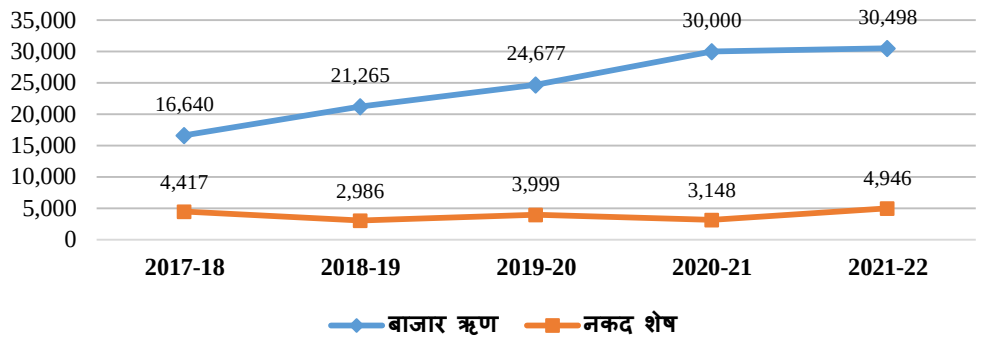
**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे**

रोकड़ शेष में चिह्नित निधियों से ₹ 2,719.29 करोड़ का निवेश था। उक्त निवेश, जिसमें ऋण शोधन निधि निवेश खाता (₹ 1,283.95 करोड़) तथा गारंटी मोचन निधि निवेश खाता (₹ 1,428.51 करोड़) शामिल हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। वर्ष 2021-22 में सरकार 346 दिन के लिए ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने में समर्थ थी।

सरकार द्वारा न्यूनतम रोकड़ को बनाए रखने के लिए 4 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वि.अ.अ.) और 14 दिन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम (सा.अ.अ.) लिया गया था। 2021-22 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 0.29 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

2021-22 के दौरान राज्य के पास ₹ 3,148 करोड़ का प्रारंभिक रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 30,498 करोड़ उधार लिया था। अंतिम रोकड़ शेष ₹ 4,946 करोड़ था (चार्ट 2.26)।

**चार्ट 2.26: नकद शेष की तुलना में बाजार ऋण**
**(₹ करोड़ में)**




## 2.8 राज्य वित्त आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-वाई के साथ पठित अनुच्छेद 243-1 में राज्य सरकार के लिए 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद हर पांच साल की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग का जनादेश स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और निधियों के हस्तांतरण के लिए राज्यपाल को सिफारिशें करना है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (एचएम) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1999 (एचएमसी) में संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया।

पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, छठे राज्य वित्त आयोग को सितंबर 2019 तक स्थापित किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2021-22 से छठे राज्य वित्त आयोग प्रस्तावों को अपनाने की सुविधा के लिए दिसंबर 2020 तक इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार ने एक वर्ष की देरी के बाद सितंबर 2020 में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया। आयोग ने दिसंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में आयोग की वित्तीय सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

### 2.8.1 हस्तांतरण

छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 9 ने विभाज्य पूल को राज्य के निवल स्व कर राजस्व (एसओटीआर) के पहले के सात प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करने की सिफारिश की। इस नौ प्रतिशत में से यह सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को

50 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को 50 प्रतिशत के रूप में सात प्रतिशत हस्तांतरित किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने 55:45 (पीआरआई: यूएलबी) के अनुपात में स्थानीय निकायों को वित्तीय हस्तांतरण स्वीकार कर लिया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय निकायों को बजटीय हस्तांतरण पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है क्योंकि छठे राज्य वित्त आयोग का गठन सितंबर 2020 में किया गया था।

आगे यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,715 करोड़ (₹ 1,375 करोड़ सामान्य घटक और ₹ 340 करोड़ अनुसूचित जाति घटक) के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं को कोई राशि वितरित नहीं की गई है। विभाग से राशि का भुगतान न करने के कारण मांगे गए हैं। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था। शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में, ₹ 1,500.00 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,228.01 करोड़ की राशि वितरित की गई है जो ₹ 1,681 करोड़ (राज्य के स्व कर राजस्व का 3.15 प्रतिशत) की अनुशंसित राशि के विरुद्ध कुल प्रावधान का 81.87 प्रतिशत और राज्य के स्व कर राजस्व का 2.30 प्रतिशत है। बजटीय प्रावधान के विरुद्ध राशि का असंवितरण/कम संवितरण अवास्तविक बजट का संकेत है जो राज्य द्वारा वास्तविक संसाधन जुटाने के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से स्थानीय निकायों की गैर-प्राथमिकता के अनुरूप नहीं है।

## 2.9 निष्कर्ष

राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया था। हालांकि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में संसोधन नहीं किया गया है। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है। 2020-21 में 33.13 प्रतिशत की तुलना में राजस्व घाटा 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 26.03 प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समय अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है। राज्य में पिछले वर्ष के दौरान 0.46 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में 2021-22 की अवधि के दौरान 18.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राजस्व घाटा, जिसे 2011-12 तक शून्य पर लाया जाना था, 2021-22 के दौरान बढ़कर ₹ 20,333 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि राज्य ने वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए निधियां उधार ली थी। 2021-22 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 31,778 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.55 प्रतिशत था और सितंबर 2020 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मानक निर्धारण के भीतर था। राजकोषीय घाटे को मुख्यत: बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 47,712[18] करोड़ के कुल उधार में से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 11,046 करोड़ (23 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय किया। शेष 77 प्रतिशत उधारों का उपयोग पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान, ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था।

राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2017-18 में 19.43 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में (-) 0.44 प्रतिशत रह गई, जो 2021-22 में बढ़कर 15.59 प्रतिशत हो गई। इसके अतिरिक्त, राज्य के स्वयं के राजस्व ने पिछले वर्ष की तुलना में 27.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

राज्य ने केवल 46 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के लिए छोड़ते हुए कुल राजस्व व्यय का 54 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया। हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुल व्यय का प्रतिशत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के औसत से कम था।

राज्य लेखों के अनुसार तथा 24 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के अनुसार इक्विटी निवेश के आंकड़ों में ₹ 8,368 करोड़ का अंतर था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों और सहकारी समितियों में अपने कुल निवेश (₹ 37,866 करोड़) पर केवल 2.66 प्रतिशत रिटर्न अर्जित किया।

सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध वर्ष के प्रारंभ में ₹ 3,877.95 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। इन चीनी मिलों को पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 631.58 करोड़ के और ऋण दिए गए थे।

कुल मिलाकर लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.47 प्रतिशत थीं (वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है)। गत वर्ष की तुलना में ऋण में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई । राज्य सरकार ने ₹ 47,712 करोड़ का लोक ऋण लिया और ₹ 25,473 करोड़ का ऋण चुकाया। वर्ष के दौरान, ब्याज भुगतान के कारण व्यय राजस्व व्यय के 19 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों के 24 प्रतिशत के बराबर था।

राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 106 करोड़ (1.31 प्रतिशत) प्राप्त किए, जबकि बकाया ऋण पर 7.08 प्रतिशत पर ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान 7.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया।

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि और खदान एवं खनिज पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 5,542.62 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

---

[18] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

## 2.10 सिफारिश

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जो भारी नुकसान उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करना और उनके पुनरुद्धार या उन्हें बंद करने, जैसा भी मामला हो, के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करना;

2. सहकारी चीनी मिलों, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और अन्य ऋणी संस्थाओं के विरूद्ध बकाया ऋणों की समय पर वसूली की प्रणाली विकसित करना; तथा

3. आरक्षित निधियों का निवेश करना ताकि इन निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जिसके लिए इन निधियों का सृजन किया गया था।

# अध्याय-3

# बजटीय प्रबंधन

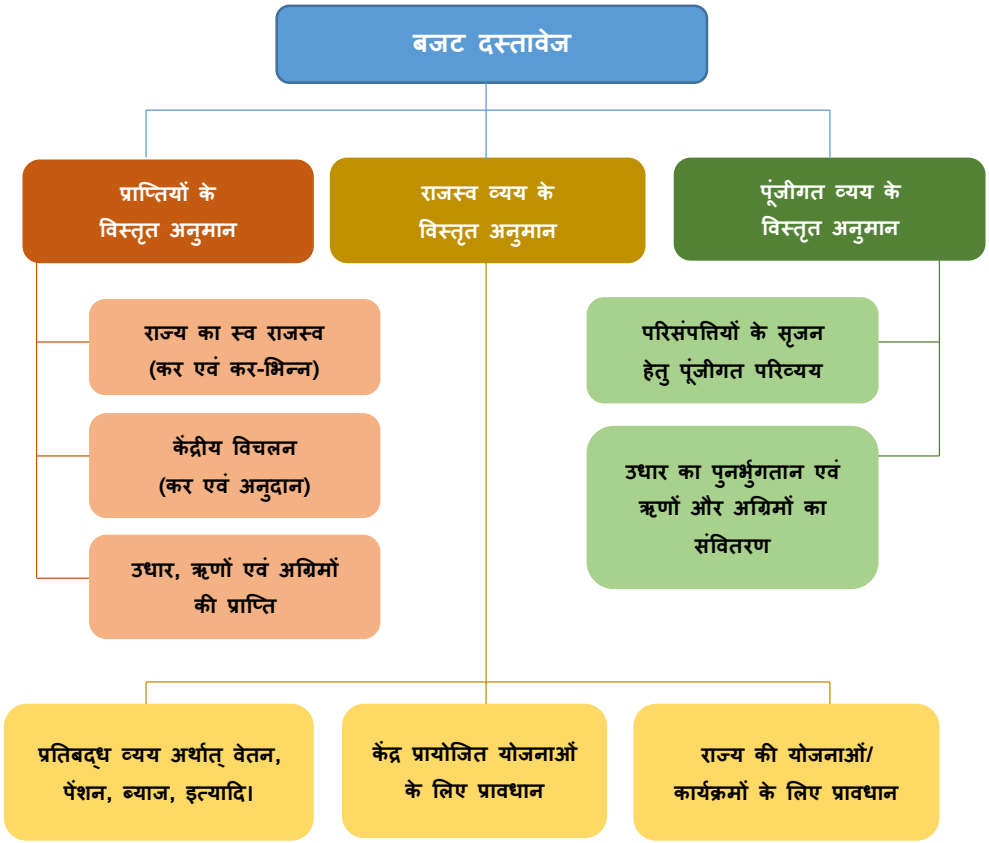
# अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

## 3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमान 'भारित' और 'दत्तमत' मदों[1] के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय के भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। ***चार्ट 3.1*** में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।

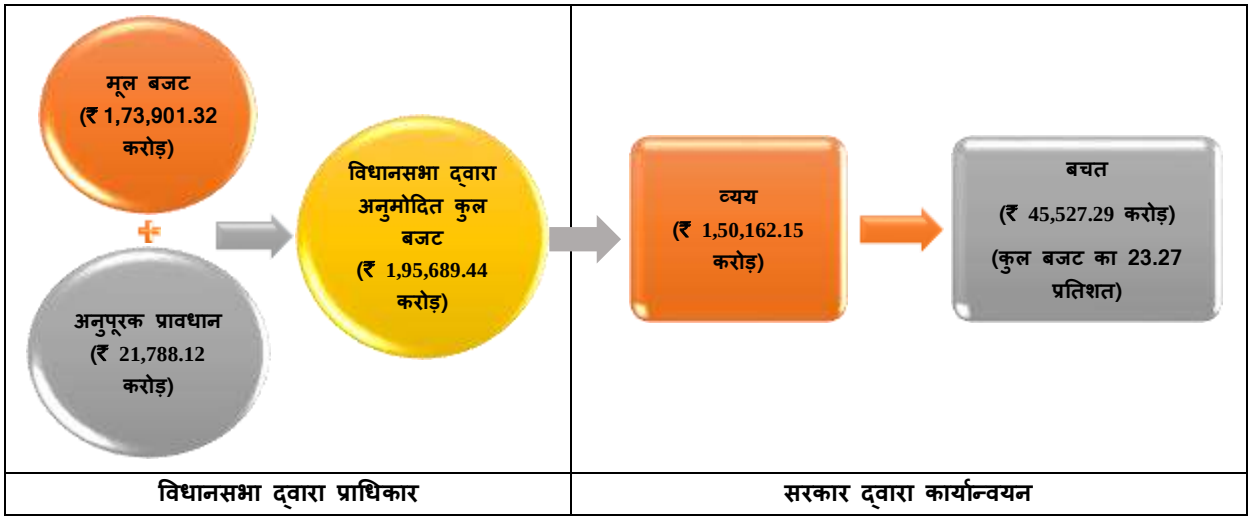
**चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण**




[1] **भारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

बजट के विभिन्न घटकों को ***चार्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.2: 2021-22 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान**




**स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित**

### वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2017-22 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/भारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति ***तालिका 3.1.1*** में दी गई है।

**तालिका 3.1.1: 2017-22 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | कुल बजट प्रावधान | | संवितरण | | बचत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दत्तमत | भारित | दत्तमत | भारित | दत्तमत | भारित |
| 2017-18 | 1,02,879.77 | 22,110.63 | 84,418.03 | 18,544.66 | 18,461.74 | 3,565.97 |
| 2018-19 | 1,07,759.20 | 33,973.70 | 90,304.44 | 31,058.32 | 17,454.76 | 2,915.38 |
| 2019-20 | 1,19,003.62 | 37,446.09 | 98,167.61 | 31,688.66 | 20,836.01 | 5,757.43 |
| 2020-21 | 1,27,589.40 | 52,415.44 | 95,535.91 | 46,873.19 | 32,053.49 | 5,542.25 |
| 2021-22 | 1,47,174.90 | 48,514.54 | 1,06,051.98 | 44,110.17 | 41,122.92 | 4,404.37 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे**

## 3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए भारित और दत्तमत विनियोजन अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोजन लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों भारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को इंगित करते हैं। अत:, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार भारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

## 3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां

### 3.3.1 कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विनियोजन अधिनियम पारित किए बिना राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। पंजाब बजट नियमावली के अनुच्छेद 14.1 में प्रावधान है कि राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम या पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के अतिरिक्त, निधि के प्रावधान के बिना नई योजना पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के और इस आशय का कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना चार अनुदानों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) ***(विवरण तालिका 3.3.1 में दिया गया है)*** में ₹ 170.02 करोड़ का व्यय किया गया।

**तालिका 3.3.1: प्रावधान किए बिना किए गए व्यय का विवरण**

| क्र. सं. | व्यय का प्रमुख शीर्ष/लघु/उप शीर्ष | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| **अनुदान संख्या 8- भवन तथा सड़कें** | | |
| 1. | 3054 - सड़कें और पुल, 80 - सामान्य, 797 - आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अंतरण, 99- आपदा राहत कोष को/से अंतरण - इंटर अकाउंट ट्रांसफर | 163.71 |
| 2. | 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 90-नए आईटीआई का निर्माण (स्वर्ण जयंती) | 0.74 |
| **अनुदान संख्या 21- महिला एवं बाल विकास** | | |
| 3.. | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 02-समाज कल्याण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 98-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान | 0.90 |
| **अनुदान संख्या 24- सिंचाई** | | |
| 4. | 4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 14-दादुपुर नलवी सिंचाई परियोजना, 800-अन्य व्यय, 98-नहर का निर्माण - दादुपुर नलवी नहर नेटवर्क | 4.67 |
| | **कुल** | **170.02** |

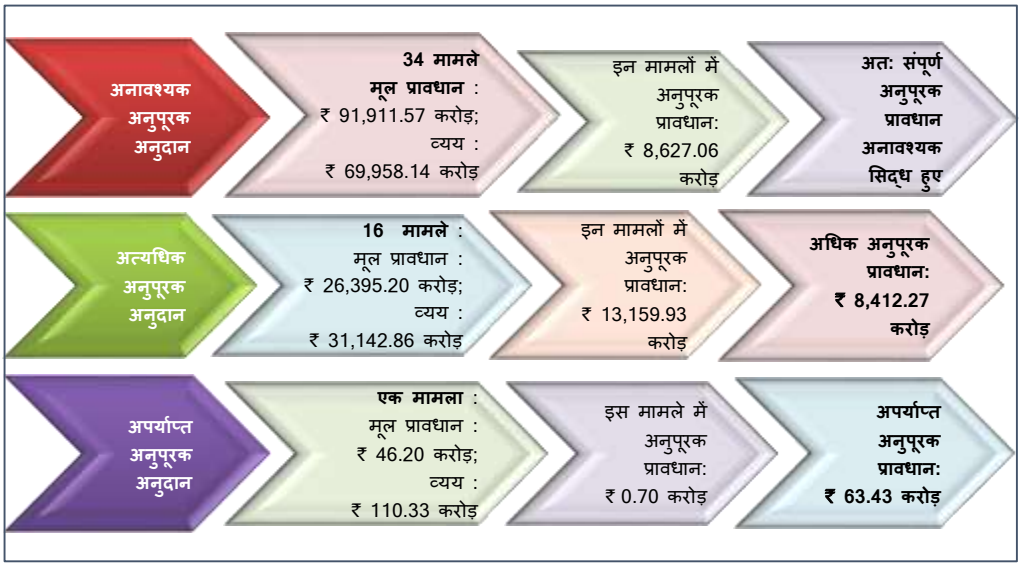
**स्रोत: विनियोजन लेखे**

### 3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 34 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 8,627.06 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय (₹ 69,958.14 करोड़) मूल प्रावधानों (₹ 91,911.57 करोड़) के स्तर तक नहीं पहुंचा। 16 मामलों में, ₹ 13,159.93 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता (₹ 4,747.66[2] करोड़) से ₹ 8,412.27 करोड़ से अधिक था ***(परिशिष्ट 3.1)***। दूसरी ओर, एक मामले में (अनुदान संख्या 7- योजना एवं सांख्यिकी) ₹ 0.70 करोड़ का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि यह ₹ 64.13[3] करोड़ की आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 63.43 करोड़ कम हो गया। अनावश्यक, अत्यधिक एवं अपर्याप्त पूरक प्रावधानों का विवरण ***चार्ट 3.3*** में दिया गया है।

**चार्ट 3.3: अनावश्यक, अत्यधिक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान**




**स्रोत: विनियोजन लेखे**

इस प्रकार से बड़ी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

### 3.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 45,527.29 करोड़ की वास्तविक बचत में से ₹ 61,829.56 करोड़ की राशि 45 अनुदानों के पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,302.27 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ।

पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक 70 उप-शीर्षों में ₹ 21,023.11 करोड़ से

---

[2] ₹ 4,747.66 करोड़ = व्यय: ₹ 31,142.86 करोड़ - मूल प्रावधान: ₹ 26,395.20 करोड़।

[3] ₹ 64.13 करोड़ = व्यय: ₹ 110.33 करोड़ - मूल प्रावधान: ₹ 46.20 करोड़।

अधिक के आधिक्य और 43 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,665.56 करोड़ से अधिक की बचतें हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में वर्णित हैं। 59 उप शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी। एक[4] मामले में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और अनुपूरक प्रावधानों से ज्यादा था और 25[5] मामलों में, जहां मूल प्रावधान की संपूर्ण राशि को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया था, व्यय अनुपलब्ध प्रावधानों के विरुद्ध किया गया था। चार[6] मामलों में, निधियों का पुनर्विनियोजन अत्यधिक साबित हुआ, क्योंकि बचत पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक थी। इसी तरह, 11[7] मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

### 3.3.4 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर, 70 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गई। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,66,913.46 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,24,089.59 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 42,823.87 करोड की बचत हुई। इसमें से ₹ 61,751.01 करोड़ अभ्यर्पित किए गए ***(परिशिष्ट 3.3)***, ₹ 18,927.14 करोड़ अभी भी किए गए व्यय से अधिक थे, जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 10 मामलों में ₹ 4,508.65 करोड़ की बचतों के विरूद्ध ₹ 1,496.12 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा में भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरूद्ध था। 38 मामलों में, ₹ 32,111.45 करोड़ की बचत के विरूद्ध ₹ 52,534.31 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे। 22 मामलों में ₹ 6,203.77 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गई। निधि के कम अभ्यर्पण या अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए।

### 3.3.5 बचत

अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ शीर्षों में अत्यधिक

---

4 ***परिशिष्ट 3.2*** की क्रम संख्या 46

5 ***परिशिष्ट 3.2*** की क्रम संख्या 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 40, 44, 57, 64, 90, 91 तथा 92

6 ***परिशिष्ट 3.2*** की क्रम संख्या 5, 36, 77 तथा 88

7 ***परिशिष्ट 3.2*** की क्रम संख्या 4, 26, 31, 38, 54, 87, 96, 101, 105, 109 तथा 110

बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

### *(i) आबंटनों की तुलना में बचतें*

कुल बचत ₹ 45,527.29 करोड़ थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 38 मामलों में ₹ 44,115.90 करोड़ की बचत थी ***(परिशिष्ट 3.4)***। इन 38 मामलों में, ₹ 1,89,641.23 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,45,525.33 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 44,115.90 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें ***तालिका 3.3.5.1*** में सूचीबद्ध किया गया है:

**तालिका 3.3.5.1: ₹ 500 करोड़ से अधिक बचत वाले मामलों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

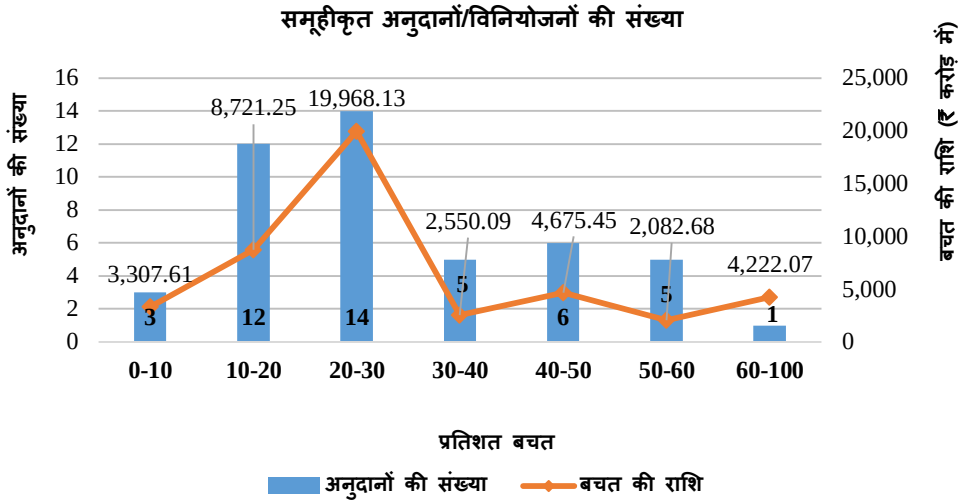
| क्र. सं. | अनुदान की संख्या और नाम | मूल | अनुपूरक | कुल | वास्तविक | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व (दत्तमत)** | | | | | | |
| 1 | 4-राजस्व | 1,573.32 | 856.3 | 2,429.62 | 1,880.32 | 549.30 |
| 2 | 6-वित्त | 19,335.15 | 881.5 | 20,216.65 | 11,212.92 | 9,003.73 |
| 3 | 9-शिक्षा | 17,162.02 | 139.95 | 17,301.97 | 14,473.22 | 2,828.75 |
| 4 | 13-स्वास्थ्य | 6,177.82 | 947.70 | 7,125.52 | 6,001.77 | 1,123.75 |
| 5 | 15-स्थानीय शासन | 4,101.10 | 4,162.58 | 8,263.68 | 4,566.88 | 3,696.80 |
| 6 | 21-महिला एवं बाल विकास | 1,474.13 | 359.71 | 1,833.84 | 1,223.37 | 610.47 |
| 7 | 24-सिंचाई | 3,066.14 | 15 | 3,081.14 | 2,034.93 | 1,046.21 |
| 8 | 27-कृषि | 3,301.07 | 587.04 | 3,888.11 | 2,603.64 | 1,284.47 |
| 9 | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 5,836.17 | 292.37 | 6,128.54 | 1,956.82 | 4,171.72 |
| 10 | 33-सहकारिता | 504.21 | 703.45 | 1,207.66 | 447.21 | 760.45 |
| 11 | 36-गृह | 5,605.89 | 1,276.11 | 6,882.00 | 5,108.90 | 1,773.10 |
| 12 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति | 2,030.35 | 442.55 | 2,472.90 | 1,856.28 | 616.62 |
| 13 | 40-ऊर्जा और विद्युत | 6,452.78 | 2,894.81 | 9,347.59 | 7,143.61 | 2,203.98 |
| | **कुल** | **76,620.15** | **13,559.07** | **90,179.22** | **60,509.87** | **29,669.35** |
| **राजस्व भारित** | | | | | | |
| 14 | 6-वित्त | 19,943.42 | 0 | 19,943.42 | 18,361.60 | 1,581.82 |
| | **कुल** | **19,943.42** | **0** | **19,943.42** | **18,361.60** | **1,581.82** |
| **पूंजीगत (दतमत)** | | | | | | |
| 15 | 13-स्वास्थ्य | 1,158.73 | 260.88 | 1,419.61 | 895.7 | 523.91 |
| 16 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 15,233.28 | 501 | 15,734.28 | 12,942.15 | 2,792.13 |
| 17 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति | 1,393.51 | 858.45 | 2,251.96 | 1,725.85 | 526.11 |
| 18 | 40-ऊर्जा और विद्युत | 763.42 | 0 | 763.42 | 10.41 | 753.01 |
| 19 | 45-ऋण एवं अग्रिम | 1,239.43 | 888.94 | 2,128.37 | 966.26 | 1,162.11 |
| | **कुल** | **19,788.37** | **2,509.27** | **22,297.64** | **16,540.37** | **5,757.27** |
| **पूंजीगत (भारित)** | | | | | | |
| 20 | लोक ऋण | 28,161.19 | 0 | 28,161.19 | 25,472.96 | 2,688.23 |

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की संवीक्षा से पता चला कि 2021-22 के दौरान 58 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं के अतिरिक्त) में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी ***(परिशिष्ट 3.5)***।

इस प्रकार की बड़ी बचतें दोषपूर्ण बजट के साथ-साथ अनुदान अथवा विनियोजन में निष्पादन में कमी का संकेत है।

बजट आबंटन के विरूद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को ***चार्ट 3.4*** में वर्गीकृत किया गया है।

**चार्ट 3.4: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोजनों की संख्या**




### *(ii) निरंतर बचतें*

इसके अतिरिक्त, अनुदानों और विनियोजन की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व दत्तमत में 22 अनुदानों, पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत नौ अनुदानों और दो विनियोजनों में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बचत के साथ अनुदान/विनियोजन का विवरण ***तालिका 3.3.5.2*** में दिया गया है।

**तालिका 3.3.5.2: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम | बचत की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| **राजस्व (दत्तमत)** | | | | | | |
| 1. | 10-तकनीकी शिक्षा | 92.61 (21) | 68.17 (15) | 58.23 (10) | 176.78 (24) | 77.71 (11) |
| 2. | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 211.20 (46) | 114.86 (29) | 114.93 (28) | 179.97 (60) | 222.63 (46) |
| 3. | 15-स्थानीय शासन | 1,462.93 (27) | 2,168.63 (43) | 2,263.66 (41) | 3,765.83 (51) | 3,696.80 (45) |
| 4. | 17-रोजगार | 56.52 (24) | 45.37 (13) | 69.75 (15) | 243.03 (37) | 188.41 (21) |
| 5. | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 122.11 (29) | 185.11 (37) | 201.65 (31) | 350.68 (43) | 462.29 (46) |
| 6. | 19-अनुसूचित जातियों तथा पिछडे वर्गों का कल्याण | 357.63 (47) | 325.97 (45) | 226.64 (44) | 139.49 (27) | 152.84 (28) |
| 7. | 21-महिला एवं बाल विकास | 232.26 (22) | 476.58 (34) | 409.27 (29) | 362.76 (24) | 610.47 (33) |
| 8. | 22-एससी, एसटी, अन्य बीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 18.83 (14) | 29.77 (16) | 175.71 (59) | 31.70 (19) | 59.55 (21) |
| 9. | 24-सिंचाई | 519.63 (27) | 214.32 (13) | 265.50 (15) | 1,133.01 (43) | 1,046.22 (34) |
| 10. | 25-उद्योग | 234.39 (64) | 343.58 (61) | 60.84 (19) | 69.71 (24) | 156.87 (34) |
| 11. | 27-कृषि | 648.44 (34) | 956.78 (35) | 1,542.96 (50) | 1,694.77 (42) | 1,284.47 (33) |

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम | बचत की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| 12. | 28-पशुपालन तथा डेयरी विकास | 88.83 (12) | 107.55 (12) | 183.11 (18) | 291.09 (25) | 290.29 (24) |
| 13. | 29-मछली पालन | 42.61 (48) | 32.75 (39) | 22.51 (30) | 56.10 (46) | 51.04 (41) |
| 14. | 30-वन एवं वन्य प्राणी | 142.21 (31) | 143.96 (32) | 178.39 (35) | 66.77 (12) | 292.07 (36) |
| 15. | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 1,193.68 (26) | 1,261.75 (26) | 1,341.36 (25) | 2,411.30 (35) | 4,171.72 (68) |
| 16. | 34-परिवहन | 277.38 (12) | 406.76 (16) | 387.16 (16) | 489.67 (22) | 365.26 (15) |
| 17. | 37-निर्वाचन | 38.15 (53) | 30.63 (40) | 171.11 (56) | 29.76 (33) | 48.20 (44) |
| 18. | 38-सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति | 238.01 (12) | 194.49 (10) | 345.02 (16) | 247.94 (10) | 616.62 (25) |
| 19. | 39-सूचना एवं प्रचार | 29.55 (18) | 194.72 (47) | 30.68 (12) | 73.53 (36) | 56.10 (21) |
| 20. | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 2,922.16 (28) | 892.38 (11) | 1,838.25 (21) | 1,896.33 (25) | 2,203.98 (24) |
| 21. | 42-न्याय प्रशासन | 140.01 (21) | 194.48 (25) | 286.45 (31) | 347.04 (35) | 200.44 (22) |
| 22. | 43-जेल | 50.37 (20) | 70.49 (25) | 60.26 (22) | 61.59 (20) | 40.40 (13) |
| **पूंजीगत (दत्तमत)** | | | | | | |
| 23 | 7-योजना एवं सांख्यिकी | 110.76 (27) | 310.14 (44) | 172.39 (42) | 200.48 (65) | 151.26 (38) |
| 24. | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 14.30 (37) | 53.33 (78) | 32.13 (42) | 58.99 (48) | 64.71 (60) |
| 25. | 21-महिला एवं बाल विकास | 110.87 (64) | 77.01 (48) | 127.84 (88) | 114.85 (67) | 94.05 (63) |
| 26. | 32- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 1,200.00 (100) | 96.14 (96) | 271.41 (90) | 229.94 (70) | 49.97 (33) |
| 27. | 34-परिवहन | 45.64 (17) | 163.57 (47) | 488.07 (88) | 224.70 (53) | 391.50 (60) |
| 28. | 35-पर्यटन | 50.48 (75) | 23.70 (50) | 10.55 (27) | 36.88 (57) | 56.05 (74) |
| 29. | 36-गृह | 82.15 (27) | 154.20 (38) | 180.30 (44) | 94.64 (37) | 97.82 (42) |
| 30. | 38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति | 273.98 (19) | 294.53 (17) | 296.86 (20) | 1,033.54 (52) | 526.11 (23) |
| 31. | 45-ऋण एवं अग्रिम | 208.95 (13) | 1,256.32 (62) | 373.02 (22) | 4,166.81 (12) | 1,162.11 (55) |
| **पूंजीगत (भारित)** | | | | | | |
| 32. | 24-सिंचाई | 12.39 (18) | 10.21 (15) | 37.26 (35) | 116.80 (78) | 84.64 (85) |
| 33. | लोक ऋण | 3,606.12 (36) | 2,081.88 (11) | 4,481.64 (22) | 4,166.81 (12) | 2,688.24 (10) |

- **कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।**

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान बचत की संवीक्षा से पता चला कि राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत 71 योजनाओं में लगातार बचत पाई गई जिनमें बजट प्रावधान ₹ पांच करोड़ या अधिक था और कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान बचत वाली योजनाओं का विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है।

### 3.3.6 अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह अपेक्षित है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से नियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

#### 3.3.6.1 अधिक व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के एक अनुदान संख्या 7-योजना एवं सांख्यिकी तथा अनुदान संख्या 23- खाद्य एवं आपूर्ति के एक विनियोग के अंतर्गत ₹ 47.10 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 63.47 करोड़ का अधिक संवितरण था। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकार पर प्रमुख शीर्ष-वार अधिक संवितरण ***तालिका 3.3.6.1*** में दिया गया है।

**तालिका 3.3.6.1: 2021-22 के दौरान प्रमुख शीर्ष-वार अधिक संवितरण के विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | प्रमुख शीर्ष | प्रमुख शीर्ष विवरण | कुल प्रावधान | व्यय | बचत (-)/ आधिक्य(+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 योजना एवं सांख्यिकी | 3451 | सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 2,414.50 | 9,083.19 | 6,668.69 |
| 2. | | 3454 | जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी | 2,275.70 | 1,950.12 | -325.58 |
| **कुल** | | | | **4,690.20** | **11,033.31** | **6,343.11** |
| 3. | 23 खाद्य एवं आपूर्ति | 2408 | खाद्य भंडार एवं भंडारण | 20.00 | 23.99 | 3.99 |
| **कुल** | | | | **20.00** | **23.99** | **3.99** |
| **कुल योग** | | | | **4,710.20** | **11,057.30** | **6,347.10** |

प्रमुख शीर्ष 3451 के अंतर्गत, आधिक्य मुख्य रूप से स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान में अधिक व्यय और नीति आयोग के अंतर्गत फील्ड स्टाफ के वेतन के कारण था। प्रमुख शीर्ष 2408 के अंतर्गत, विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के अनुसार मुख्य रूप से वास्तविक व्यय के कारण आधिक्य था। अतः अनुदान संख्या 7 एवं 23 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 63.47 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जो राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से अधिक था तथा इसे नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2019-20 से संबंधित दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 153.39 करोड़ के अधिक संवितरण और वर्ष 2020-21 से संबंधित एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 21.93 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना बाकी है (अगस्त 2022)। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है।

## 3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

### 3.4.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन,

कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य सब-ऑप्टिमल आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2021-22 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 1,95,689.44 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,50,162.15 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2021-22 में ₹ 45,527.29 करोड़ (23.27 प्रतिशत) की बचत हुई, जैसा कि ***तालिका 3.4.1.1*** में वर्णित है।

**तालिका 3.4.1.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

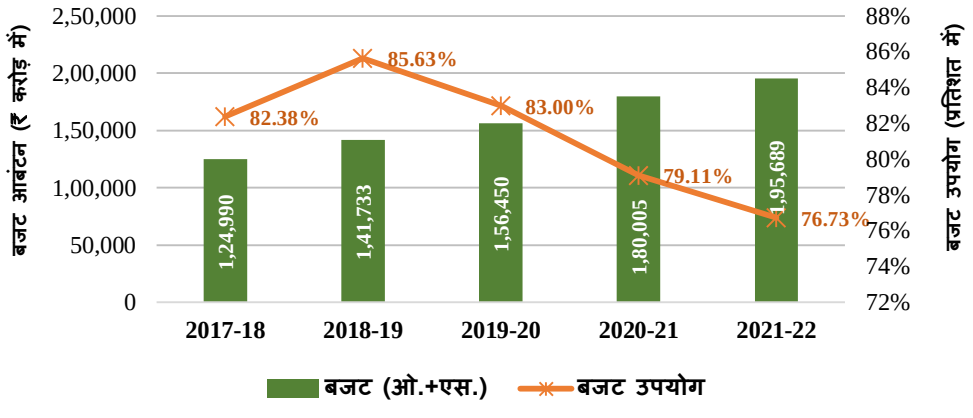
| व्यय की प्रकृति | | मूल अनुदान/ विनियोजन | अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन | कुल | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दत्तमत | I राजस्व | 97,894.49 | 16,164.45 | 1,14,058.94 | 80,844.04 | (-) 33,214.90 |
| | II पूंजीगत | 26,277.66 | 4,709.93 | 30,987.59 | 24,241.68 | (-) 6,745.91 |
| | III ऋण एवं अग्रिम | 1,239.43 | 888.94 | 2,128.37 | 966.26 | (-) 1,162.11 |
| **कुल दत्तमत** | | **1,25,411.58** | 21,763.32 | **1,47,174.90** | **1,06,051.98** | **(-) 41,122.92** |
| भारित | IV राजस्व | 20,178.55 | 24.80 | 20,203.35 | 18,597.21 | (-) 1,606.14 |
| | V पूंजीगत | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 40.00 | (-) 110.00 |
| | VI लोक ऋण पुनर्भुगतान | 28,161.19 | 0.00 | 28,161.19 | 25,472.96 | (-) 2,688.23 |
| **कुल भारित** | | **48,489.74** | **24.80** | **48,514.54** | **44,110.17** | **(-) 4,404.37** |

**स्रोत: विनियोजन लेखे**

**नोटः ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियों राजस्व शीर्ष (₹ 1,016.21 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 13,236.11 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।**

अनुपूरक प्रावधान द्वारा ₹ 21,788.12 करोड़ के मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत संघटित किया गया जो कि गत वर्ष के समान था।

**चार्ट 3.5: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट उपयोग**




राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1,27,484.26[8] करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित

[8] राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत वसूलियों को सकल बजट के आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

कर ₹ 1,25,222.67 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 1,10,436.87 करोड़ था। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां ***तालिका 3.4.1.2*** में दी गई हैं।

**तालिका 3.4.1.2: 2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| मूल बजट | 92,384.38 | 1,02,732.54 | 1,11,908.84 | 1,19,751.97 | 1,27,484.26 |
| संशोधित अनुमान | 93,685.52 | 1,02,779.09 | 1,08,203.33 | 1,03,156.85 | 1,25,222.67 |
| वास्तविक व्यय | 88,190.15 | 93,217.78 | 1,03,823.39 | 96,742.00 | 1,10,436.87 |
| बचत | 5,495.37 | 9,561.31 | 4,379.94 | 6,414.85 | 14,785.80 |

**स्रोत: बजट एक दृष्टि में एवं संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे**

### 3.4.2 बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय ***तालिका 3.4.2.1*** में दिया गया हैं:

**तालिका 3.4.2.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम और वर्गीकरण | बजट प्रावधान | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना (2401-113-82) | 306.00 | 15.85 | (-) 290.15 |
| 2 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-109-80) | 200.00 | 132.13 | (-) 67.87 |
| 3 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-111-90) | 517.50 | 492.79 | (-) 24.71 |
| 4 | हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान-सामान्य योजना (2415-01-277-99-99) | 485.00 | 416.68 | (-) 68.32 |
| 5 | विधायक आदर्श ग्राम योजना (वि.आ.ग्रा.यो.) (2515-106-99) | 180.20 | 2.18 | (-) 178.02 |
| 6 | राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-101-89) | 1,375.00 | 0.00 | (-) 1,375.00 |
| 7 | हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (ह.ग्रा.वि.यो.) (2515-102-94) | 350.00 | 172.55 | (-) 177.45 |
| 8 | बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु हरियाणा ग्राम उदय योजना का नाम बदलकर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना कर दिया गया (4515-101-99) | 150.00 | 100.00 | (-) 50.00 |
| 9 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना (2515-102-93-99) | 532.37 | 99.82 | (-) 432.55 |
| 10 | राज्य में सौर जल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना (2810-101-98) | 200.00 | 374.63 | 174.63 |
| 11 | ग्रामीण सड़कें- हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण, सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-03-337-88-99) | 150.00 | 91.16 | (-) 58.84 |
| 12 | निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99) | 400.65 | 357.27 | (-) 43.38 |
| 13 | वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (2235-60-102-98) | 3,694.04 | 4,109.68 | 415.64 |
| 14 | अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (2235-02-101-95) | 101.00 | 67.27 | (-) 33.73 |
| 15 | गांव दुधौला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (2230-03-001-91) | 210.00 | 165.00 | (-) 45.00 |
| | **कुल** | **8,851.76** | **6,597.01** | **(-) 2,254.75** |

**स्रोत: वित्त लेखे और विनियोजन लेखे**

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2021-22 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 8,851.76 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6,597.01 करोड़ (74.53 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। 15 में से पांच योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। उद्धृत कारणों में भारत सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से निधियां प्राप्त न होना, परियोजना ले-आउट का अंतिमकरण

न होना, आर्थिक उपाय आदि शामिल थे। इससे लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा।

### 3.4.3 *निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय*

निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार राज्य के विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखते हुए उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानती है। इसलिए, यह योजना राज्य सरकार द्वारा संसाधनों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय योजना के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्शिता को प्रोत्साहित करके राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होने की संभावना थी। इसका उद्देश्य विभागों को उत्पादक उपयोग के लिए संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, इसे निधियों की पार्किंग पर अंकुश लगाने और वर्ष के अंत में निकासी में तेजी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। यह विभागों की अवशोषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट को फिर से आबंटित करने के लिए वित्त विभाग की सुविधा के लिए भी था।

वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखे की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 29 अनुदानों/विनियोग के अंतर्गत 44 निष्पादन से जुड़ी हुई परिव्यय योजनाओं के लिए ₹ 10,398.60 करोड़ (₹ 409.99 करोड़ का मूल बजट, ₹ 9,988.61 करोड़ का पूरक अनुमान) का प्रावधान किया गया था ***(परिशिष्ट 3.7)***। योजना के अनुसार, निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय विभागों की अवशोषण और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद वित्त विभाग को बजट के पुन: आबंटन की सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, यह देखा गया था कि वर्ष 2021-22 के दौरान केवल 4 अनुदानों के अंतर्गत, निष्पादन से जुड़ी हुई परिव्यय योजना की राशि (अनुदान संख्या 4, 8, 38 और 40) का पुनर्विनियोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, 17 अनुदानों के अंतर्गत 24 योजनाओं में पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए।

यह यथार्थवादी वित्तीय नियोजन की कमी को दर्शाता है। वित्त विभाग राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करने में विफल रहा। बचत और पूरक प्रावधानों से बचने के लिए सरकार यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार कर सकती है।

### 3.4.4 व्यय की अधिकता

व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत ***परिशिष्ट 3.8*** में सूचीबद्ध 18 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 24 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

ऐसे मामलों में, वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए कुल ₹ 13,282.42 करोड़ के व्यय में से ₹ 6,887.23 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2022 में किया गया। इस प्रकार अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र एक महीने में 52 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 63 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है।

आगे यह देखा गया कि ₹ 13,282.42 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,749.31 करोड़ अनुदान संख्या 40 के अंतर्गत केवल एक प्रमुख शीर्ष 2801-विद्युत के संबंध में था। इस ₹ 6,749.31 करोड़ में से ₹ 3,538.11 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2022 माह के दौरान सब्सिडी की ओर किया गया था। इसी तरह, मार्च 2022 माह के दौरान प्रमुख शीर्ष 2048- ऋण में कमी के लिए विनियोग के अंतर्गत सिंकिंग निधि में अंशदान के लिए ₹ 500 करोड़ थे।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

### 3.4.5 आकस्मिक निधि से अग्रिम

हरियाणा आकस्मिक निधि नियम, 1967 के नियम 3 में प्रावधान है कि आकस्मिक व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से आकस्मिक निधि से अग्रिम लिया जाएगा। यदि बजट में किसी विशेष सेवा के लिए प्रावधान अपर्याप्त पाया जाता है और अनुदान के भीतर बचत से पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है या बजट में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं पर खर्च करने की आवश्यकता है, तो निधि से एक अग्रिम लिया जाएगा। निधि से कोई सांकेतिक अग्रिम नहीं होगा। अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली पूरक मांग, हालांकि, एक सांकेतिक राशि के लिए हो सकती है यदि अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के भीतर बचत उपलब्ध होने की संभावना है।

यह देखा गया था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आठ योजनाओं (₹ एक करोड़ और अधिक) के संबंध में आकस्मिक निधि से ₹ 900 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में आहरित की गई थी, जिसे विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए तीसरे पूरक अनुमान के माध्यम से वसूल किया था जैसा कि ***तालिका 3.4.5.1*** में विवरण दिए गए हैं। यह भी देखा गया था कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य के बजाय इन योजनाओं पर आकस्मिक निधि से अग्रिम आहरित किया गया जो हरियाणा आकस्मिक निधि नियम, 1967 के नियम 3 के उल्लंघन में था।

**तालिका 3.4.5.1: उन योजनाओं के विवरण जिनमें आकस्मिक निधि से अग्रिम के रूप में राशि आहरित की गई थी**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजनाओं की नामपद्धति | मूल बजट | पूरक अनुमान | कुल | व्यय | बचत/ आधिक्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निराश्रित बच्चे योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2235-02-789-91-51] | 95.00 | 19.34 | 114.34 | 91.08 | (-)23.26 |
| 2 | दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन (अनुसूचित जाति) [पी-01-20-2235-60-789-97-51] | 115.00 | 0.81 | 115.81 | 105.76 | (-)10.05 |
| 3 | अनुसूचित जाति की विधवाओं के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता [पी-01-20-2235-60-789-99-51] | 1,100.00 | 35.39 | 1,135.39 | 1,049.78 | (-)85.61 |
| 4 | निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2235-02-102-99-51] | 330.00 | 70.65 | 400.65 | 357.27 | (-)43.38 |
| 5 | निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता [पी-02-20-2235-60-102-96-51] | 1,650.00 | 325.25 | 1,975.25 | 1,801.55 | (-)173.70 |
| 6 | निराश्रित महिलाओं और विधवाओं (अनुसूचित जाति) को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2235-60-789-98-51] | 450.00 | 84.31 | 534.31 | 459.48 | (-)74.83 |

| क्र. सं. | योजनाओं की नामपद्धति | मूल बजट | पूरक अनुमान | कुल | व्यय | बचत/ आधिक्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | डिफरेंटली एबल पर्सन को पेंशन [पी-02-20-2235-60-102-95-51] | 400.00 | 0.20 | 400.20 | 415.06 | 14.86 |
| 8 | वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना [पी-02-20-2235-60-102-98-51] | 3,330.00 | 364.04 | 3,694.04 | 4,109.68 | 415.64 |

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, तीन[9] योजनाओं के संबंध में आकस्मिक निधि से निकासी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मूल बजट प्रावधान से कम व्यय किया गया था। तीन[10] योजनाओं, जिनमें कुल[11] प्रावधान के विरूद्ध कम व्यय किया गया था, के संबंध में आकस्मिक निधि से अत्यधिक आहरण किया गया था। दो[12] योजनाओं, जिनमें कुल प्रावधान के विरूद्ध अधिक व्यय किया गया था, में आकस्मिक निधि से अपर्याप्त आहरण था।

## 3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

### 3.5.1 अनुदान संख्या 06-वित्त

#### *3.5.1.1 प्रस्तावना*

अनुदान संख्या 06[13]-"वित्त" के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई (सितंबर 2022)।

#### *3.5.1.2 लेखापरीक्षा परिणाम*

***(i) बजट एवं व्यय***

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त विभाग को अनुदान संख्या 6 के लिए ₹ 40,170.39 करोड़ का बजट प्रदान किया। वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रावधान और इसके उपयोग का विवरण नीचे ***तालिका 3.5.1.1*** में दिया गया है:

**तालिका 3.5.1.1: वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रावधान और व्यय के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| व्यय की प्रकृति | | मूल अनुदान | पूरक अनुदान | कुल | व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दत्तमत | राजस्व | 19,335.15 | 881.50 | 20,216.65 | 11,212.91 | -9,003.74 (45) |
| | पूंजीगत | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 8.00 | -2.32 (22) |
| भारित | राजस्व | 19,943.42 | 0.00 | 19,943.42 | 18,361.60 | -1,581.82 (8) |
| **कुल** | | **39,288.89** | **881.50** | **40,170.39** | **29,582.51** | **-10,587.88 (26)** |

***(ii) अनुमान और वास्तविक के मध्य का अंतर***

2021-22 के बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2020-1बी एंड सी दिनांक

---

9 ***तालिका 3.9*** की क्रम संख्या 1, 2 और 3

10 ***तालिका 3.9*** की क्रम संख्या 4, 5 और 6

11 मूल प्रावधान + पूरक अनुमान।

12 ***तालिका 3.9*** की क्रम संख्या 7 और 8

13 इसमें प्रमुख शीर्ष: 2047-अन्य वित्तीय सेवाएं, 2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग, 2049-ब्याज भुगतान, 2054-ट्रेजरी और लेखा प्रशासन, 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय, 4885-उद्योगों और खनिजों पर पूंजी परिव्यय का समावेश है।

4 नवंबर 2020 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए मूल बजट, अनुपूरक और वास्तविक व्यय का विवरण ***तालिका 3.5.1.2*** में दिया गया है।

**तालिका 3.5.1.2: अनुमान और वास्तविक के मध्य अंतर का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | व्यय की प्रकृति | मूल | पूरक | कुल | व्यय | आधिक्य(+)/ बचत(-) | बचत/आधिक्य की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2019-20** | राजस्व (दत्तमत) | 10,584.69 | 14.43 | 10,599.12 | 9,064.73 | (-) 1,534.39 | (-) 14% |
| | राजस्व (भारित) | 16,799.62 | 0 | 16,799.62 | 15,588.01 | (-) 1,211.61 | (-) 7% |
| | पूंजीगत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **कुल** | | **27,384.31** | **14.43** | **27,398.74** | **24,652.74** | **(-) 2,746.00** | **(-) 10%** |
| **2020-21** | राजस्व (दत्तमत) | 9,994.14 | 394.49 | 10,388.63 | 10,178.12 | (-) 210.51 | (-) 2% |
| | राजस्व (भारित) | 18,304.58 | 0 | 18,304.58 | 17,114.67 | (-) 1,189.91 | (-) 7% |
| | पूंजीगत | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | (-) 0.10 | (-) 100% |
| **कुल** | | **28,298.82** | **394.49** | **28,693.31** | **27,292.79** | **(-) 1,400.52** | **(-) 5%** |
| **2021-22** | राजस्व (दत्तमत) | 19,335.15 | 881.50 | 20,216.65 | 11,212.91 | (-) 9,003.74 | (-) 45% |
| | राजस्व (भारित) | 19,943.42 | 0 | 19,943.42 | 18,361.60 | (-) 1,581.82 | (-) 8% |
| | पूंजीगत | 10.32 | 0 | 10.32 | 8.00 | (-) 2.32 | (-) 22% |
| **कुल** | | **39,288.89** | **881.50** | **40,170.39** | **29,582.51** | **(-) 10,587.88** | **(-) 26%** |

अनुदान संख्या 6-वित्त के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बजट प्रावधान के 5 से 26 प्रतिशत के मध्य बचत थी। देय दावों को प्रस्तुत न करना, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निधियों को जारी न करना और अनुमान के बाद स्थिति में परिवर्तन बचत का संभावित कारण हो सकता है। मामला वित्त विभाग हरियाणा के पास भेजा गया था। विभाग ने उत्तर दिया कि सूचना विभिन्न प्रमुख शीर्षों से संबंधित है और उनका मिलान किया जाना है।

***(iii) अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण***

2021-22 के बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2020-1बी एंड सी दिनांक 4 नवंबर 2020 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होना चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या 6-वित्त के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि नौ योजनाओं के अंतर्गत ₹ 8,792.93 करोड़ का बजट प्रावधान वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहा जैसा कि ***परिशिष्ट 3.9*** में वर्णित है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। विभाग ने बताया (सितंबर 2022) कि सूचना विभिन्न प्रमुख शीर्षों से संबंधित है और उसका मिलान किया जाएगा।

***(iv) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण***

पंजाब बजट नियमावली के अध्याय 13.2 के अनुसार सभी अंतिम बचतों को 15 जनवरी तक वित्त विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 6-वित्त के बजट और व्यय की जांच के दौरान, यह देखा गया कि विभागों ने 31 मार्च 2022 को ***परिशिष्ट 3.10*** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 28,357.31 करोड़ (कुल बजट प्रावधानों का 70.59 प्रतिशत) अभ्यर्पित कर दिए और अन्य विकास उद्देश्यों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में अभ्यर्पण किया गया था।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। विभाग ने बताया (सितंबर 2022) कि सूचना विभिन्न प्रमुख शीर्षों से संबंधित है और उसका मिलान किया जाएगा।

***(v) सहायता अनुदान***

हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड को लघु शीर्ष 115- मूलभूत संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता के अंतर्गत शीर्ष 3475 के तहत ₹ 10 लाख का एक सहायता अनुदान जारी किया गया था (नवंबर 2019)। अनुदान के लिए कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मामला विभाग के पास भेजा गया था और विभाग ने उत्तर दिया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि कुल अनुदान का पूरा उपयोग नहीं किया गया था और भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। यह भी सूचित किया गया था कि अनुदान मूलभूत संरचना कार्य के लिए नहीं अपितु आवर्ती व्यय के लिए था।

### 3.5.1.3 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजट प्रणाली सही नहीं थी क्योंकि 2021-22 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान का 74 प्रतिशत था। बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे। 31 मार्च 2022 को ₹ 28,357.31 करोड़ (कुल का 70.59 प्रतिशत) अभ्यर्पित किए गए थे। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान का 75.29 प्रतिशत था जो कि निधियों के गलत अनुमान को दर्शाता है।

### 3.5.2 अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य

#### *3.5.2.1 प्रस्तावना*

स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा की जाती है और प्रधान कार्यालय में उन्हें एक अपर महानिदेशक, सात निदेशकों, एक अपर निदेशक (प्रशासन), एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और उप-निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

जिला स्तर पर सिविल सर्जन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख हैं जबकि सिविल अस्पतालों की अध्यक्षता प्रधान चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा की

जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अध्यक्षता क्रमशः वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाती है।

विभाग का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विभाग को प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग सभी को पर्याप्त, सुलभ, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे आम आदमी के स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय में कमी आती है।

सितंबर 2022 के दौरान अनुदान संख्या 13[14]-स्वास्थ्य के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई।

#### *3.5.2.2 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चयन के लिए नमूनाकरण पद्धति*

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के वीएलसी अनुभाग से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के बाद, 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[15] का चयन आइडिया सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए स्तरीकृत[16] प्रतिचयन के माध्यम से किया गया। उपर्युक्त चयनित 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से छः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पहले स्तर से, तीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दूसरे स्तर से और दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तीसरे स्तर से चुना गया था।

#### *3.5.2.3 लेखापरीक्षा परिणाम*

##### *(i) बजट एवं व्यय*

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य विभाग को अनुदान संख्या-13 के लिए ₹ 8545.32 करोड़ का बजट प्रदान किया, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 3.5.2.1** में दर्शाया गया है:

---

14 इसमें प्रमुख शीर्ष -2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, -2211-परिवार कल्याण, -4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय और -4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय का समावेश है।

15 (i) निदेशक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हरियाणा, पंचकुला, (ii) निदेशक/ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल, (iii) महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकुला (iv) निदेशक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छैंसा, फरीदाबाद, (v) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला, (vi) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी, (vii) सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र, (viii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, पानीपत, (ix) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घरौंडा, (x) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया, (xi) बजट अधिकारी, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं।

16 सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को व्यय के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया और तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया। पहले 10 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (रैंक 1 से 10 तक) को पहले स्तर में लिया गया, 60 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (रैंक 11 से 70 तक) को दूसरे स्तर पर और शेष आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तीसरे स्तर में लिया गया।

**तालिका 3.5.2.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट एवं व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| व्यय की प्रकृति | | मूल अनुदान | अनुपूरक अनुदान | कुल | व्यय | बचत | बचत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दत्तमत | राजस्व | 6,177.82 | 947.70 | 7,125.52 | 6,001.77 | 1,123.75 | 15.77 |
| | पूंजीगत | 1,158.73 | 260.88 | 1,419.61 | 895.70 | 523.91 | 36.91 |
| भारित | राजस्व | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 70.00 |
| **कुल** | | **7,336.75** | **1,208.58** | **8,545.33** | **6,897.53** | **1,647.80** | **19.28** |

***(ii) अनुमान और वास्तविक के मध्य का अंतर***

वित्त विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए (नवंबर 2020)। योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 13 हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 8,545.33 करोड़ का बजट तैयार किया गया था जिसके विरूद्ध व्यय ₹ 6,897.53 करोड़ था। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए मूल बजट और वास्तविक व्यय का विवरण ***तालिका 3.5.2.2*** में दिया गया है।

**तालिका 3.5.2.2: अनुमान और वास्तविक के मध्य अंतर का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | बजट प्रावधान | व्यय | बचत | बचत (प्रतिशतता) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5,555.15 | 4,795.00 | 760.15 | 13.68 |
| 2020-21 | 7,595.10 | 5,849.34 | 1,745.76 | 22.99 |
| 2021-22 | 8,545.33 | 6,897.53 | 1,647.80 | 19.28 |

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान बजट प्रावधानों के विरूद्ध बचत ₹ 760.15 करोड़ से ₹ 1745.76 करोड़ के मध्य थी। उपर्युक्त बचत की प्रतिशतता बजट प्रावधानों के विरुद्ध 13.68 प्रतिशत से 22.99 प्रतिशत के मध्य थी। आगे यह भी देखा गया था कि 21 योजनाओं के लिए कुल ₹ 426.07 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। इन योजनाओं के लिए ₹ 539.07 करोड़ का अनुपूरक अनुदान भी प्रदान किया गया था। इस प्रकार, इन योजनाओं के लिए कुल ₹ 965.14 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन इस प्रावधान पर कोई व्यय नहीं किया गया था (विवरण ***परिशिष्ट 3.11*** में दर्शाया गया है)। यह दर्शाता है कि उपर्युक्त योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका। कुछ योजनाओं में बचत के कारण इस प्रकार थे (जैसा कि विभागों द्वारा बताया गया):

**(क)** **'डीएमईआर का निर्माण कार्य':** ₹ 10 करोड़ की बचत इस तथ्य के कारण थी कि कार्यकारी एजेंसी ने सिविल ठेकेदार को 13 नवंबर 2020 को कार्य आबंटित किया था और निर्माण कार्य साइट पर शुरू किया गया था लेकिन कार्यकारी एजेंसी ने निधियों की आवश्यकता प्रस्तुत नहीं की थी।

**(ख)** **'एम्स, मनेठी का निर्माण कार्य':** ₹ 50 करोड़ की बचत सरकार/निर्माण शाखा द्वारा प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार वास्तविक व्यय के कारण थी।

**(ग) 'डेंटल कॉलेज, नल्हर का निर्माण कार्य':** ₹ 5 करोड़ की बचत सरकार/निर्माण शाखा द्वारा प्राप्त संस्वीकृति के अनुसार वास्तविक व्यय के कारण थी।

**(घ) 'निष्पादन से जुड़ा परिव्यय':** ₹ 360.88 करोड़ की बचत योजना को लागू न करने के कारण थी (यह एक प्रोत्साहन-आधारित योजना है)।

चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान पांच क्षेत्रीय कार्यालयों[17] में 10 प्रतिशत से अधिक की बचत पाई गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 29.69 करोड़ (34 प्रतिशत) की अधिकतम बचत अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छैंसा, फरीदाबाद में मुख्य रूप से अस्पताल के कार्य न करने और कर्मचारियों की तैनाती न करने के कारण हुई थी। आगे कल्पना चावला राजकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल, करनाल (केसीजीएमसी) में ₹ 24.57 करोड़ (15 प्रतिशत) की बचत हुई जो वेतन का भुगतान न करने, कर्मचारियों के बकाया, वाहनों की खरीद न होने तथा विभिन्न लंबित दावों के कारण थी। अन्य सरकारी संस्थानों जैसे अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बचत संविदा कर्मचारियों आदि की कम नियुक्ति के कारण हुई। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सिविल सर्जन, भिवानी में संविदा सेवाओं के अंतर्गत ₹ 4.86 करोड़ की बचत देखी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि 30/03/2022 को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा द्वारा सिविल सर्जन, भिवानी को ₹ 4.86 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था। उपर्युक्त राशि के बिल सिविल सर्जन, भिवानी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे लेकिन 31 मार्च 2022 को अनुमोदन के लिए वित्त विभाग के पास लंबित थे। बिलों/लंबित दावों का समाधान न होने के कारण उस सीमा तक बचतों को अधिक बताया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान चयनित 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की बचत के विवरण ***परिशिष्ट 3.12*** में दर्शाए गए हैं।

### *(iii) अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान*

वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद प्रत्याशित अतिरिक्त राशि को कवर करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कुल ₹ 1,208.58 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि कुल व्यय मूल अनुदान से कम था जैसा कि **तालिका 3.5.2.3** में दर्शाया गया है।

[17] (i) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (ii) निदेशक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल (iii) श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छैंसा, फरीदाबाद (iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी (v) बजट अधिकारी, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं।

**तालिका 3.5.2.3: अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण**

| शीर्ष | मूल | अनुपूरक | व्यय | मूल के संबंध में व्यय प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| 2210 | 5,886.07 | 947.70 | 5,763.18 | 97.91 |
| 4210 | 1,138.73 | 260.88 | 895.70 | 78.66 |
| **कुल** | **7,024.80** | **1,208.58** | **6,658.88** | **94.79** |

आगे यह देखा गया था कि पांच योजनाओं के मामले में, ₹ 559.08 करोड़ का अनुपूरक अनुदान प्रदान किया गया था जो अनावश्यक था क्योंकि अनुपूरक अनुदान मूल अनुदान से कोई व्यय न होने या कम व्यय के बावजूद प्रदान किया गया था (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.13*** में वर्णित है)। प्रतिशतता व्यय मूल अनुदान के शून्य प्रतिशत से 97.93 प्रतिशत के मध्य रहा।

यह दर्शाता है कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन और मूल्यांकन किए बिना अनुपूरक प्रावधान किए गए थे। मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022) लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था।

***(iv) स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत आठ योजनाओं में बजट प्रावधान का अभ्यर्पण***

वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया था कि 21 योजनाओं के अंतर्गत किए गए ₹ 965.14 करोड़ के बजट प्रावधान वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहे (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.11*** विवरण में दिया गया है)। उल्लिखित योजनाओं के लिए किए गए बजट के संपूर्ण प्रावधान का अंतत: पुनर्विनियोजन किया गया और योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया।

***(v) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण***

पंजाब बजट नियमावली के अध्याय 13.2 के अनुसार, सभी अंतिम बचतों को 15 जनवरी तक वित्त विभाग के पास सौंप दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 1,659.65 करोड़ (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.14*** में दर्शाया गया है), अन्य विकास उद्देश्यों में उपयोग के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए अभ्यर्पित किए गए थे। पंजाब बजट मैनुअल के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022), लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था।

***(vi) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना***

जीएफआर 2017 के नियम 239 के अनुसार, राज्य सरकार को केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के लिए प्रारूप जीएफआर 12-सी में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह के प्रावधान नियम 238(1) में निहित हैं, जो किसी संस्थान या संगठन को गैर-आवर्ती अनुदान के संबंध में लागू होते हैं, जहां उपयोग प्रारूप

12-ए में प्रस्तुत किया जाना है। संबंधित संस्था या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया था कि राज्य में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के कारण निधियां कार्यान्वयन इकाइयों को हस्तांतरित की गई थी, जिनके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदानग्राही कार्यालय से प्राप्त किए जाने थे। निधियों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि पांच मामलों में ₹ 67.24 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदानग्राही इकाइयों से प्रस्तुत किए जाने के लिए लंबित थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.15*** में वर्णित है।

आगे यह देखा गया कि सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र और कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल में निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ₹ 116.47 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक से तीन वर्षों तक लंबित थे क्योंकि कार्य प्रगति पर था और अभी तक पूरा नहीं हुआ था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.16*** में दर्शाया गया है।

### *(vii) सरकारी अनुदानों से अर्जित ब्याज का प्रेषण न करना*

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया (मार्च 2022) कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार यथानुपातिक आधार पर संबंधित समेकित निधि में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य से संबंधित अभिलेखों और बैंक विवरणों की जांच से पता चला कि वर्ष 2021-22 के दौरान दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विभिन्न बैंक खातों में केन्द्र सरकार की योजनाओं के कारण ₹ 39.66 लाख का ब्याज प्राप्त हुआ और सात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[18] के विभिन्न बैंक खातों में राज्य सरकार की योजनाओं के कारण ₹ 3.30 लाख का ब्याज प्राप्त हुआ (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.17*** में दर्शाया गया है)। उक्त निर्देश के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज की कोई राशि संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं की गई थी।

### *(viii) सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना*

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई पैसा तब तक न निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। कार्य, जिसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरित करना अनुमन्य नहीं है।

आगे, बैंकों से डील करने के लिए संशोधित हरियाणा राज्य नीति (अप्रैल 2018) के पैरा 8 के

[18] (i) श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छैंसा, फरीदाबाद, (ii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सिविल अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला, (iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी, (iv) सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र, (v) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जनरल/सिविल अस्पताल, पानीपत (vi) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घरौंडा, (vii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया।

अनुसार, किसी भी संगठन को वित्त विभाग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना किसी भी बैंक खाते में निधियों को निष्क्रिय रखने के लिए उनकी निकासी नहीं करनी चाहिए।

चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि उपर्युक्त निर्देशों और नीति के उल्लंघन में केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण मार्च 2022 तक दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में ₹ 18.23 करोड़ की निधियां पड़ी थी और राज्य सरकार की योजनाओं के कारण सात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में ₹ 1.03 करोड़ पड़े थे (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.17*** में वर्णित है)।

### *(ix) हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 19.25 करोड़ के सहायता अनुदान के अभ्यर्पण पर अर्जित ब्याज को जमा न करना*

वित्त विभाग ने यू.ओ. नंबर 28/43/2010-1बी एंड सी दिनांक 9 मार्च 2011 के अंतर्गत निदेश दिया कि ऐसे सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटियां, जिन्हें विभिन्न विभाग कार्यों/खरीद के लिए निधियां प्रदान करते हैं, ऐसे विभागों को अर्धवार्षिक आधार पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे, जब तक कि उनके द्वारा निधियों का वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है। निधि की प्राप्ति की तारीख और उपयोग की तारीख के बीच दो सप्ताह के अंतर की ब्याज मुक्त अवधि के रूप में अनुमति दी जा सकती है। ऐसी संस्थाओं से अर्धवार्षिक आधार पर राशि की वसूली एवं प्राप्ति शीर्ष-0049 ब्याज प्राप्ति में जमा कराने के लिए प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होगा, जिसके लिए वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार, हरियाणा के अनुमोदन से एक विशिष्ट योजना बनाई जाएगी।

बजट अधिकारी, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया था कि हरियाणा सरकार द्वारा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा को 'अस्पतालों में सुधार और विस्तार' योजना के अंतर्गत ₹ 64 करोड़ की राशि का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया था (अप्रैल 2021)। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने वर्ष 2021-22 के दौरान चार किस्तों में प्रबंध निदेशक, हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को कुल ₹ 64 करोड़ की राशि अंतरित की। आगे यह देखा गया कि ₹ 64 करोड़ में से ₹ 44.75 करोड़ की राशि का उपयोग हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा 2021-22 के दौरान किया गया था और शेष अप्रयुक्त राशि अर्थात ₹ 19.25 करोड़ को हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा जून 2022 में ब्याज का भुगतान किए बिना अभ्यर्पित कर दिया गया था। इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को ब्याज राशि जमा करने के लिए पत्र भेजा गया था (अगस्त 2022)। हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा लेखापरीक्षा की तिथि (अगस्त 2022) तक ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया था। वित्त विभाग के उपर्युक्त निर्देशानुसार उक्त राशि पर ब्याज हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी खाते में जमा किया जाए।

### *(x) ₹ 55.58 लाख के एसी बिलों का समायोजन न करना*

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, रतिया, फतेहाबाद एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा

महाविद्यालय, छैंसा, फरीदाबाद के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया था कि निम्नलिखित राशि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), फतेहाबाद और हारट्रॉन को नीचे वर्णित उद्देश्य के लिए अंतरित कर दी गई है।

(क) नवंबर 2019 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, रतिया, फतेहाबाद द्वारा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), फतेहाबाद को ₹ 37.75 लाख की राशि अंतरित की गई थी।

(ख) श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छैंसा, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2021 (₹ 14.08 लाख) और 18 नवंबर 2021 (₹ 3.75 लाख) को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रॉन) को ₹ 17.83 लाख की राशि अंतरित की गई थी जैसा कि नीचे विवरण दिए गए हैं:

| वर्ष | कार्य का नाम | अग्रिम दिया गया (₹ लाख में) |
|---|---|---|
| **2019-20** | जिला फतेहाबाद के रतिया में स्थित सिविल अस्पताल के परिसर में 4 डॉक्टरों के आवास में एस/आर से ईआई के लिए अनुमान | 2.35 |
| | जिला फतेहाबाद के ग्राम नागपुर में पीएचसी आई/सी आवासों की विशेष मरम्मत के लिए विस्तृत अनुमान | 22.42 |
| | जिला फतेहाबाद में सीएचसी के परिसर में डॉक्टरों के आवास की विशेष मरम्मत का अनुमान | 12.98 |
| **2021-22** | कंप्यूटर सिस्टम (13) और मल्टीफंक्शनल प्रिंटर (20) | 14.08 |
| | मल्टीफंक्शनल प्रिंटर-कम-फोटोकॉपियर (04) | 3.75 |
| | **कुल** | **55.58** |

उपर्युक्त राशि के उपयोग के बाद, उपर्युक्त अग्रिमों को प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर समायोजित किया जाना अपेक्षित था, लेकिन ये चार माह से दो वर्ष की अवधि के बाद भी 31 मार्च 2022 तक असमायोजित पड़े थे। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि ₹ 37.75 लाख के अग्रिम को खजाना, फतेहाबाद द्वारा समायोजित किया गया था (जुलाई 2022), लेकिन विस्तृत बिलों की प्रति उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा इसे सत्यापित नहीं किया जा सका।

### *3.5.2.4 निष्कर्ष*

राज्य सरकार की बजटीय और वित्तीय प्रणाली सही नहीं थी क्योंकि 2021-22 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान का 80.72 प्रतिशत था। 21 योजनाओं के लिए ₹ 965.14 करोड़ के बजट का पूरा प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया था जो दर्शाता है कि विभाग द्वारा उपर्युक्त योजनाओं के लिए बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका और इसलिए योजनाओं का वास्तविक लाभ इसके लाभार्थियों तक नहीं पहुंचाया जा सका। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 1,659.65 करोड़ अन्य विकास उद्देश्यों में उपयोग के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए अभ्यर्पित किए गए थे, जो कि विभाग के अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था, जो कि निधियों के गलत अनुमान को दर्शाता है।

## 3.5.3 अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय

### *3.5.3.1 प्रस्तावना*

राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अधिनियमित किया। पीआरआई के संसाधन आधार में स्वयं का राजस्व, राज्य वित्त आयोग के अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार के अनुदान और केंद्र सरकार के अनुदान शामिल हैं। प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों एवं गलियों के रखरखाव आदि सहित बुनियादी सेवाओं की सुपुर्दगी को समर्थन और मजबूत करने के लिए किया जाता है।

अनुदान संख्या 32[19]-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई (जुलाई 2022)।

### *3.5.3.2 लेखापरीक्षा परिणाम*

#### *(i) बजट एवं व्यय*

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान विभागों (विकास एवं पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग) को अनुदान संख्या 32 के लिए ₹ 6,278.95 करोड़ का बजट प्रदान किया। वर्ष 2021-22 के लिए बजट प्रावधान और इसके उपयोग का विवरण ***तालिका 3.5.3.1*** में दिया गया है।

**तालिका 3.5.3.1: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट और व्यय का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| व्यय की प्रकृति | | मूल अनुदान | अनुपूरक अनुदान | कुल | व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **दत्तमत** | राजस्व | 5,836.17 | 292.37 | 6,128.54 | 1,956.82 | 4,171.72 (68.07) |
| | पूंजीगत | 150.01 | 0.00 | 150.01 | 100.04 | 49.97 (33.31) |
| **भारित** | राजस्व | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.38 (95) |
| **कुल** | | **5,986.58** | **292.37** | **6,278.95** | **2,056.88** | **4,222.07 (67.24)** |

#### *(ii) अनुमान और वास्तविक के मध्य का अंतर*

2021-22 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2020-1बी एंड सी दिनांक 4 नवंबर 2020 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार, योजनावार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की अस्थायी न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 32 हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 6,278.95 करोड़ का बजट तैयार किया गया था जिसके विरूद्ध ₹ 2,056.88 करोड़ का व्यय किया गया था। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए मूल बजट, अनुपूरक बजटीय प्रावधानों और व्यय का विवरण ***तालिका 3.5.3.2*** में दिया गया है।

[19] इसमें प्रमुख शीर्षग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-2501-, -2505ग्रामीण रोजगार, -2515अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, -2553सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, -3604स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और असाइनमेंट, -4515अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय का समावेश है।

**तालिका 3.5.3.2: अनुमान और वास्तविक के मध्य अंतर का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | मूल प्रावधान | अनुपूरक | कुल | व्यय | बचत (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 5,199.00 | 383.14 | 5,582.14 | 3,969.05 | 1,613.09 (29) |
| 2020-21 | 6,301.00 | 921.70 | 7,222.70 | 4,581.10 | 2,641.60 (37) |
| 2021-22 | 5,986.58 | 292.37 | 6,278.95 | 2,056.88 | 4,222.07 (67) |

अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के बजटीय प्रावधानों और व्यय की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बचत, बजटीय प्रावधान के 29 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के मध्य थी। 2021-22 के दौरान 49 योजनाओं में से 34 योजनाओं में बचत, बजटीय प्रावधानों के 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.18*** में वर्णित है।

कम उपयोग को विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2022) और विभाग से कम उपयोग के कारण बताने का अनुरोध किया गया था। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि अधिकांश योजनाएं/परियोजनाएं चल रही थीं और समय लेने वाली थीं, तथा तकनीकी समस्याओं जैसे साइट की समस्याएं, परियोजनाओं की गैर-व्यवहार्यता आदि के परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि विधायक आदर्श ग्राम योजना अप्रैल 2020 से बंद थी और केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के अंशों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह निर्धारित किया गया था कि विभाग को योजनाओं/परियोजना की प्रकृति के बारे में पता था और तदनुसार बजट तैयार किया जा सकता था। विधायक आदर्श ग्राम योजना योजना में बजट प्रावधान योजना को रोके जाने (जून 2020) के बाद किया गया था (नवंबर 2020)। उपर्युक्त का आकलन विभाग की ओर से बढ़े हुए बजटीय प्रावधान को दर्शाने के लिए किया जाता है।

***(iii) अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान***

वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद प्रत्याशित अतिरिक्त राशि को कवर करने के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-सामान्य योजना के अंतर्गत स्वच्छता हेतु लेखा शीर्ष पी-02-32-2515-51-102-93-99 योजना के अंतर्गत कुल ₹ 292.37 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रावधान प्राप्त किया गया, जो अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान का 41.59 प्रतिशत था। इस प्रकार, निधियों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अनावश्यक प्रावधान किया गया।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2022)। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि मुख्य अभियंता पंचायती राज द्वारा अनुपूरक

अनुदान की मांग की गई थी। सीमेंट के अनुबंध की समाप्ति और हरियाणा की नई दरों की अनुसूची के अनुमानों के संशोधन के कारण निधियों का कम उपयोग किया गया था। उपर्युक्त विभागीय अक्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा अनुपूरक अनुदान के लिए अनुमान वास्तविक नहीं हैं क्योंकि विभाग ने ₹ 240 करोड़ के मूल अनुदान में से केवल ₹ 99.82 करोड़ (41.59 प्रतिशत) खर्च किए।

### *(iv) निरंतर बचत*

अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग की नौ योजनाओं में ₹ 100 करोड़ से अधिक और 20 योजनाओं में ₹ सौ करोड़ से कम लेकिन ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत हुई। इन 29 योजनाओं में से विभाग के पास 2019-20 के दौरान 16 योजनाओं में और 2020-21 के दौरान 17 योजनाओं में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत थी, जैसा कि संलग्न ***परिशिष्ट 3.19*** में वर्णित है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2022)। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि अधिकांश योजनाएं/परियोजनाएं चल रही थीं तथा समय लेने वाली प्रक्रियाओं और कुछ तकनीकी लाक्षणिकताओं जैसे साइट की समस्याएं, परियोजनाओं की गैर-व्यवहार्यता आदि के परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ। यह आकलन किया गया है कि विभाग को योजनाओं की प्रकृति के बारे में पता था तथा तदनुसार बजटीय अनुमान लगाया जा सकता था। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि बचत केन्द्रीय अंश के निर्मुक्त न होने के कारण हुई। यह देखा गया है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजना में बचत थी और अनुमानों को बढ़ा दिया गया था।

### *(v) संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण*

वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 14 योजनाओं के अंतर्गत किए गए ₹ 1,965.24 करोड़ के बजट प्रावधान वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहे, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.20*** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2022)। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) योजना की 75 प्रतिशत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था और इसलिए मंत्रालय ने कोई निधि जारी नहीं की थी। अन्य योजनाओं के संबंध में, वित्त विभाग ने बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार निधियां जारी नहीं की थी। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि शून्य व्यय फील्ड कार्यालयों से मांग प्राप्त न होने तथा निर्वाचित ग्राम पंचायत के विद्यमान न होने के कारण था। उपर्युक्त निधि प्रबंधन और सरकार द्वारा कार्यान्वयन में कमियों को दर्शाता है।

### *(vi) केंद्रीय अनुदानों से अर्जित ब्याज का प्रेषण न करना*

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने एफ.सं.1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021

के माध्यम से निर्देश जारी किए कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार यथानुपातिक आधार पर संबंधित समेकित निधि (केंद्र और राज्य) को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए।

अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय से संबंधित अभिलेखों और बैंक विवरणों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि वर्ष 2021-22 के दौरान पांच बैंक खातों में ₹ 3.55 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 2.14 करोड़ तथा राज्य अंश ₹ 1.42 करोड़) का ब्याज प्राप्त हुआ था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.21*** में विवरण दिया गया है। केन्द्र सरकार की निधियों पर ₹ 2.14 करोड़ के अर्जित ब्याज की राशि उक्त निर्देशों के अनुसार संबंधित समेकित निधि में प्रेषित नहीं की गई थी।

आगे नमूना-जांच की गई 10[20] कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि ***परिशिष्ट 3.22*** में दिए गए विवरण के अनुसार नौ कार्यान्वयन एजेंसियों के 18 बैंक खातों में केन्द्र सरकार की निधियों पर ₹ 83.88 लाख का ब्याज प्राप्त हुआ था, जो उक्त निर्देशों के अनुसार संबंधित समेकित निधि में प्रेषित नहीं किया गया था।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई और सितंबर 2022)। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि मनरेगा एवं रूर्बन योजना के अंतर्गत अर्जित ब्याज वापस कर दिया गया है। छः केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में अर्जित ब्याज संबंधित समेकित निधि को प्रेषित किया जाना बाकी है। कार्यान्वयन एजेंसियों का उत्तर प्रतीक्षित है।

### *(vii) सरकारी निधियों को बैंक खातों में रखना*

पंजाब वित्तीय नियम खंड-I के नियम 2.10 (बी) 5 में प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि खजाने से कोई पैसा तब तक न निकाला जाए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। कार्य, जिसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है, के निष्पादन के लिए खजाने से अग्रिम आहरित करना अनुमन्य नहीं है। वित्त विभाग ने भी विशिष्ट निर्देश जारी किए (फरवरी 2009) कि बजटीय आबंटन के बल पर समेकित निधि में से आहरित निधियों को रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर वित्तीय अनियमितता के समान है। इसने इस बात पर जोर दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजटीय आबंटन को समेकित निधि से आहरित करने की अनुमति नहीं है और वित्तीय वर्ष के समापन के बाद किसी भी तरह से और बिना किसी औचित्य/योग्यता/अनुमान के इसे रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर अनियमितता है।

आगे, बैंकों से डील करने के लिए संशोधित हरियाणा राज्य नीति (अप्रैल 2018) के पैरा 8 के अनुसार, किसी भी संगठन को वित्त विभाग के विशिष्ट अनुमोदन के बिना किसी भी बैंक खाते

[20] खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय अंबाला-2, बरवाला, भुना, फतेहाबाद हिसार-1 तथा जगाधरी, सचिव जिला परिषद करनाल और कुरुक्षेत्र, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पानीपत तथा कार्यकारी अभियंता पंचायती राज मंडल फतेहाबाद।

में निधियों को निष्क्रिय रखने के लिए उनकी निकासी नहीं करनी चाहिए।

निदेशक ग्रामीण विकास, विकास एवं पंचायत कार्यालय और नमूना-जांच की गई दस कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान ₹ 296.05 करोड़ (₹ 272.24 करोड़ + ₹ 23.81 करोड़) करोड़ की राशि उपर्युक्त निर्देशों और नीति के उल्लंघन में 31 मार्च 2022 को निदेशक ग्रामीण विकास, विकास एवं पंचायत और नमूना-जांच की गई नौ कार्यान्वयन एजेंसियों के नौ बैंक खातों में पड़ी थी जैसा कि ***परिशिष्ट 3.23*** में वर्णित है। निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने से बैंकों को लाभ हुआ और ***परिशिष्ट 3.24*** के अनुसार ₹ 4.95 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

बैंक खाते में निधियों के आहरण और प्रतिधारण के परिणामस्वरूप विकास गतिविधियों से जुड़ी प्राथमिकता वाली मदों पर होने वाले व्यय को स्थगित/वंचित किया जाता है। इस तरह के आहरण लोक व्यय की एक गलत तस्वीर देते हैं क्योंकि बजट में प्रदान की गई निधियां वास्तव में उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की गई थी जिसके लिए ये प्रदान की गई थी।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई और सितंबर 2022)। ग्रामीण विकास विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि एक योजना[21] में अव्ययित शेष कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त हुए थे, दूसरी[22] योजना में निधियों का उपयोग आवश्यकता के आधार पर किया गया था, तीन[23] मामलों में एकल नोडल खातों को अधिसूचित नहीं किया गया था और एकल नोडल खातों में अंतरण के लिए राशि बैंक खाते में रखी गई। एक योजना[24] की अव्ययित राशि जून 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को वापस कर दी गई थी।

वित्तीय नियमों और सरकार की नीति के दृष्टिगत उत्तर मान्य नहीं है। खजाने से निधियों का आहरण और उन्हें किसी भी बैंक खाते में निष्क्रिय रखना आर्थिक रूप से अनियमित है। निदेशक विकास एवं पंचायत और कार्यान्वयन एजेंसी का उत्तर प्रतीक्षित है।

### *(viii) निष्क्रिय व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों को बंद करना*

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 12.16 के अनुसार कभी-कभी सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक प्रकृति के जमा लेनदेन के कुछ वर्गों के लिए विशेष बैंकिंग खाते रखे जाते हैं (जैसे सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत वार्डों और संलग्न परिसंपत्तियों के खाते की प्राप्तियां और भुगतान) जिसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संवितरण को एक विशेष प्राप्ति पर किया गया माना जाए। इनका जो खाता खजाने में रखा जाता है वह बैंकिंग जमा खाते की प्रकृति का होता है। इन खातों को व्यक्तिगत जमा खाते कहा जाता है।

साधारणत: सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से बैंकिंग जमा खाता या व्यक्तिगत बही खाता खोलने की मंजूरी दी जाती है। यह आम तौर पर माना जाता है कि सरकार को ऐसे खाते को खोलने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि व्यक्तिगत बही खाते में धन के प्रारंभिक खाते ठीक से बनाए गए हैं और लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

---

21 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम।

22 जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन।

23 प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन।

24 एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना।

इसके अलावा, जहां कानून या नियमों द्वारा कानून के बल पर व्यक्तिगत जमा खातों को विशेष अधिनियमों से उत्पन्न सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए समेकित निधि से निधियां अंतरित करके बनाया जाता है, समेकित निधि में नामे द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत जमा खातों को वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित निधि में संबंधित सेवा शीर्षों में शेष राशि को घटाकर बंद करना अपेक्षित है, अगले वर्ष फिर से खोले जा रहे व्यक्तिगत जमा खाते, यदि सामान्य ढंग से आवश्यक हो।

एमएच-8443 नागरिक जमा-106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत एक व्यक्तिगत जमा खाता खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद में ₹ 20,11,322 की राशि को बंद करने के लिए लंबित था और पिछले तीन वर्षों (अगस्त 2022) से गैर-परिचालनात्मक है।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2022) कि खाता सरकार के निर्देशानुसार खोला गया था। यह भी सूचित किया गया था कि आईटी एप्लीकेशन में लेखांकन वर्गीकरण की अनुपलब्धता के कारण राशि का आहरण नहीं किया जा सका। चूंकि विभाग के पास पिछले तीन वर्षों से गैर-परिचालनात्मक व्यक्तिगत जमा खाता है और उसे निर्धारित के अनुसार बंद नहीं किया गया है।

### *(ix) बैंक खाते का संचालन*

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पत्र एफ संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/ 2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से निर्देश जारी किया कि 1 जुलाई 2021 से प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करेगी। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगी। योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद और कार्यान्वयन एजेंसियों के शून्य शेष सहायक खाता खोलने या उन्हें एकल नोडल एजेंसी के खाते से आहरण अधिकार सौंपने से पहले, सभी स्तरों पर कार्यान्वयन एजेंसियां अपने खातों में पड़ी सभी अव्ययित राशि को एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर देंगी और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी अव्ययित राशि संबंधित एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए। उपर्युक्त निर्देश राज्य की समेकित निधि से तत्काल आवश्यकता के बिना बैंक खातों में धन के अंतरण को सक्षम करते हैं और राज्य की समेकित निधि के बाहर निधियों को जमा करने के कारण अनियमित होने का आकलन किया गया है।

नमूना-जांच की गई 10 कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ कार्यान्वयन एजेंसियों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के खातों को बंद नहीं किया गया था या शून्य शेष खाते में परिवर्तित नहीं किया गया था और 19 बैंक खातों में ₹ 18.66 करोड़ की शेष राशि (जैसा कि ***परिशिष्ट 3.25*** में वर्णित है) को योजना के एकल नोडल खाते में वापस नहीं किया गया था। यह देखा गया था कि इसमें तीन बैंक खातों का संचालन शामिल था, जहां बैंक खाता खोलने का कारण ***तालिका 3.5.3.3*** में विवरण के अनुसार तीन योजनाओं में एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) का संचालन न करना था।

**तालिका 3.5.3.3: 2021-22 में एकल नोडल खातों के गैर-परिचालन के कारण एकल नोडल खाते में अंतरण के लिए बैंक खाते में अंतरित निधि का विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| क्र. सं. | योजना/वर्गीकरण का नाम | अंतरित राशि | 31 मार्च 2022 को खाते का अंतिम शेष | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पी-02-32-2515-51-106-96-51 | 9,52,04,975 | 62,,42,77,476 | विस्तृत विनियोग लेखा 2021-22 के अनुसार कॉलम 3 में दर्शाया गया व्यय केवल राज्य का हिस्सा है |
| 2. | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पी-03-32-2515-51-106-98-51 | शून्य | 38,17,251 | |
| 3. | जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन पी-02-32-2501-06-800-87-51 | 29,13,68,000 | 16,60,80,149 | |

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। उत्तर प्रतीक्षित है।

### *(x) उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होना*

अनुदान के संस्वीकृति पत्र के अनुसार अनुदानग्राही द्वारा 12 माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा जारी की गई राशि का शत-प्रतिशत व्यय करना होगा।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल ₹ 1,525.18 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹ 1,525.18 करोड़ के कुल अनुदान में से केवल ₹ 37.09 करोड़ (2.43 प्रतिशत) की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 1,488.09 करोड़ (97.57 प्रतिशत) की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे (***परिशिष्ट 3.26*** में वर्णित)।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (सितंबर 2022)। उत्तर प्रतीक्षित है।

### *(xi) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण*

पंजाब बजट नियमावली के अध्याय 13.2 के अनुसार सभी अंतिम बचतों को 15 जनवरी तक वित्त विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के बजट एवं व्यय की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभागों ने अन्य प्रयोजनों के लिए अभ्यर्पित निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए 31 मार्च 2022 को ₹ 3,649.61 करोड़ (***परिशिष्ट 3.27*** में वर्णित) अभ्यर्पित कर दिए।

मामला विभाग के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2022)। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2022) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से कम प्राक्कलन प्राप्त होने के कारण तथा मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री द्वारा की गई तत्काल घोषणा के लिए निधियां हाथ में रखी गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंजाब बजट नियमावली के अनुसार सभी अंतिम बचतों को 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित किया जाना था।

### 3.5.3.3 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजटीय और वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि 2021-22 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान का 33 प्रतिशत था। बजटीय आबंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 49 योजनाओं में से 34 योजनाओं में बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी। बचतों में से ₹ 3,649.61 करोड़ (कुल बचत का 86.44 प्रतिशत) 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किए गए थे। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान का 41.59 प्रतिशत था, जो निधियों के गलत अनुमान को दर्शाता है। समेकित निधि में से बजटीय आबंटन के बल पर आहरित निधियों को रोककर व्यय के रूप में दर्ज करने के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में गलत चित्रण हुआ। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

# अध्याय-4

# लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

# अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता व गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर रिपोर्ट्स, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक हो तो सरकार को कुशल योजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबंधकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करती हैं।

## लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

### 4.1 राज्य की समेकित निधि या सार्वजनिक लेखा से बाहर की निधियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा। अनुच्छेद 266 (2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए, जैसा भी मामला हो, सभी अन्य सार्वजनिक धन राज्य के लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

यह देखा गया है कि राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा में जमा की जाने वाली निधियों को राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा से बाहर रखा गया है जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

#### 4.1.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखों के अनुसार 31 मार्च 2020 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 3,118.96 करोड़ थीं। वर्ष 2020-21 के दौरान कॉर्पस फंड में अंशदान/अतिरिक्त अंशदान ₹ 355.62 करोड़ रहा और वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर निवल व्यय ₹ 245.27[1] करोड़ हुआ। 31 मार्च 2021 को बोर्ड के पास ₹ 3,229.31 करोड़ की निधियां थी।

[1] आय: ₹ 143.21 करोड़ - व्यय: ₹ 388.48 करोड़ = निवल व्यय: ₹ 245.27 करोड़।

### 4.1.2 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से एड-वेलोरेम आधार पर शुल्क (उपकर) लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। 2011-21 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 5,901.75 करोड़ थीं तथा ₹ 4,867.61 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे अब तक (सितंबर 2022) प्राप्त नहीं हुए हैं।

### 4.1.3 हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य के लाभ के लिए मूलभूत संरचना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के प्रयासों का समन्वय करने के लिए हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों का विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3एए के अंतर्गत हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया, जिसमें राज्य के बजट द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से निजी भागीदारी और वित्त पोषण शामिल है। बोर्ड को विशेष रूप से सरकार द्वारा अपने बजटीय प्रावधानों के माध्यम से शुरू की गई मूलभूत संरचना परियोजनाओं में किसी भी भूमिका को निभाने से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता के लिए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों वाली कार्यकारी समिति का गठन कर सकता है। मुख्य प्रशासक, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया जाना होता है, इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सहायता करता है।

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियमन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कालोनाइजर को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर राज्य मूलभूत संरचना विकास प्रभार जमा करवाना अपेक्षित है। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा निधि का संग्रहण एवं प्रबंधन किया जाएगा तथा इसके आगे उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा। कालोनाइजरों द्वारा जमा करवाए गए राज्य मूलभूत संरचना विकास प्रभारों और मूलभूत संरचना वृद्धि प्रभारों की राशि, केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से ऋण एवं अनुदान या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अनुदान और ऐसे स्रोत से कोई अन्य धन, जैसा कि राज्य सरकार निर्णय ले, निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य के लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रमुख मूलभूत संरचना परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। निधि का उपयोग निधि के प्रबंधन की लागत को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा

राज्य सरकार की समेकित निधि/लोक लेखा के बाहर सीधे बैंक खाते में निधियां प्राप्त की जाती हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की प्राप्ति ₹ 525.69 करोड़ थी तथा व्यय ₹ 73.36 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के अंत में निधि का कुल कोष ₹ 2,981.29 करोड़ था (वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों के रूप में अनंतिम आंकड़ों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था)।

### 4.1.4 हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड

शहरी मूलभूत संरचना; नगर नियोजन कार्यान्वयन की तकनीकों के प्रावधान और उन्नयन हेतु संसाधन जुटाने; शहरी प्रबंधन में प्रशिक्षण सुविधाएं/मानव संसाधन विकास प्रदान करने और नगर पालिकाओं की अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं के समन्वय, योजना एवं कार्यान्वयन के लिए हरियाणा म्युनिसिपल (एच.एम.) अधिनियम, 1973 में संशोधन करके हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एच.यू.आई.डी.बी.) का गठन (अप्रैल 2002) किया गया था। हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के शासी निकाय में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य प्रशासक, सचिव और नौ अन्य पदेन सदस्य हैं और शहरी स्थानीय निकायों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

हरियाणा म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 203एल के अनुसार हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने निधि[2] का गठन किया जिसमें लाइसेंस फीस, संवीक्षा फीस, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, निजी डेवलपरों को लाइसेंस देने के लिए कंपोजीशन फीस और राज्य नगरपालिका अधिनियमों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, ऋण एवं वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य फीस/प्रभार शामिल हैं।

2020-21 के दौरान बोर्ड की प्राप्ति ₹ 44.19 करोड़ और व्यय ₹ 49.17 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के अंत में निधि का कुल कोष ₹ 182.53 करोड़ था। वर्ष 2021-22 का वार्षिक लेखा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि/राज्य के लोक लेखा से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रहण एवं उपयोग पर कोई विधायी निरीक्षण नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी सार्वजनिक व्यय को बजट से नामित निधियों की ओर मोड़ने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की जो विधायिका के प्राधिकार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के बाहर संचालित होती हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में, अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा

[2] हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड।

रही है। हालांकि, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं करते हैं।

## 4.2 ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना

सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा तथा खदान एवं खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि नामक ब्याज वहन करने वाले जमाओं/निधियों में राशियों पर ब्याज का भुगतान करना था। वर्ष 2021-22 के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना तथा राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा कोई ब्याज नहीं दिया है तथा खनिज विकास, बहाली और पुनर्वास निधि पर ब्याज का कम भुगतान किया है। इस प्रकार ₹ 51.10 करोड़ की राशि के सरकार के ब्याज दायित्व का भुगतान न करने/कम भुगतान के परिणामस्वरूप इस सीमा तक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया है।

## 4.3 बजट से बाहर उधार

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10(3) के अनुसार, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूल राशि चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे ऐसी देयता को राज्य के उधार के रूप में प्रतिबिंबित करना होगा।

हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.) ने हरियाणा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) के दो ऋण लिए। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार की सहमति से गृह विभाग द्वारा ऋण गारंटी की संस्वीकृति जारी की गई थी। संस्वीकृतियों की शर्तों के अनुसार मूलधन और ब्याज की अदायगी ऋण अनुबंध के अनुसार की जाएगी। इन शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ब्याज के साथ ऋण अनुबंध में निर्धारित राशि के अनुसार बजट में निधियों का वार्षिक आबंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार, ये ऑफ बजट उधार की प्रकृति के थे।

गृह विभाग द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अनुसार ऋणों के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जारी की गई राशि को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उल्लंघन में बजट एवं लेखा में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक उधारों को कम करके दर्शाया गया। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के पैरा 10 (3) के अनुसार, जहां राज्य सरकार किसी अलग कानूनी इकाई की बिना शर्त और पर्याप्त रूप से देनदारियों को चुकाने

का वचन देती है, उसे राज्य की उधारी के रूप में इस तरह की देनदारी को प्रतिबिंबित करना होता है। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण (₹ 823.30 करोड़, जिसमें से ₹ 21.30 करोड़ वर्ष 2021-22 के दौरान जुटाए गए) की अदायगी के लिए राज्य सरकार की देनदारी को खातों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया था।

## 4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी राशियां सीधे तौर पर हस्तांतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2021-22 के दौरान, राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 7,451.69 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में विवरण दिया गया है।

भारत सरकार ने राज्य में मौजूद विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 7,674.98 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इसमें से, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 7,451.69 करोड़ जारी किए गए थे जो कि 2020-21 में जारी की गई राशि (₹ 7,118.68 करोड़) से 4.68 प्रतिशत अधिक थी। यह राज्य के बजट के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹ 3,332.31 करोड़) का 2.24 गुणा है। शेष ₹ 223.29 करोड़ (₹ 7,674.98 करोड़ - ₹ 7,451.69 करोड़) की निधियां हरियाणा सरकार के दायरे से बाहर राज्य में स्थित केंद्रीय निकायों और अन्य संगठनों को जारी की गई थीं।

## 4.5 स्थानीय निधियों की जमा राशि

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत वसूल की गई या वसूली योग्य सभी धनराशि को प्रमुख शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि के अंतर्गत पंचायत निकाय निधि के रूप में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के अंतर्गत प्रारंभिक शेष, प्राप्तियों, संवितरणों और अंतिम शेष का विवरण ***तालिका 4.1*** में दिया गया है।

**तालिका 4.1: 2017-18 से 2021-22 के दौरान पंचायत निकायों की निधि का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| आरंभिक शेष | 12.07 | 9.71 | 7.81 | 7.34 | 8.77 |
| प्राप्ति | 3.13 | 2.16 | 1.66 | 2.34 | 0.68 |
| संवितरण | 5.49 | 4.06 | 2.13 | 0.91 | 0.40 |
| अंतिम शेष | 9.71 | 7.81 | 7.34 | 8.77 | 9.05 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे**

## पारदर्शिता से संबंधित मामले

### 4.6 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 8.14, वॉल्यूम-1 (जैसा कि हरियाणा में लागू है)/वित्तीय नियम/वित्तीय संहिता, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अनुदानग्राही द्वारा अनुदान की स्वीकृति के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर उस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसने इसे स्वीकृत किया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने पर, जोखिम है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक पहुंच गई है। जिन मामलों में व्यय की विशेष वस्तुओं के विनिर्देश के रूप में अनुदान की उपयोगिता की शर्तों को जोड़ा जाता है या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। विनिर्दिष्ट अवधि के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है और लेखों में उस सीमा तक दिखाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) [ए.जी. (ए. एंड ई.)] के अभिलेखों के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति और बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण ***तालिका 4.2*** *और* ***तालिका 4.3*** में दिया गया है।

**तालिका 4.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| देय वर्ष[3] | आरंभिक शेष | | वृद्धि | | निपटान | | प्रस्तुतीकरण हेतु देय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 2017-18 तक | 1,879 | 9,062.62 | 8,083 | 8,844.56 | 8,374 | 10,106.38 | 1,588 | 7,800.80 |
| 2018-19 | 1,588 | 7,800.80 | 7,709 | 8,429.14 | 7,565 | 7,760.45 | 1,732 | 8,469.49 |
| 2019-20 | 1,732 | 8,469.49 | 7,892 | 8,914.81 | 7,620 | 6,786.72 | 2,004 | 10,597.58 |
| 2020-21 | 2,004 | 10,597.58 | 730 | 6,425.48 | 292 | 2,472.28 | 2,442 | 14,550.78 |
| 2021-22 | 2,442 | 14,550.78 | 654 | 5,333.74 | 265 | 1,583.19 | 2,831 | 18,301.02 |

**स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित।**

₹ 14,550.78 करोड़ की राशि के 2,442 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (31 मार्च 2021 तक) में से ₹ 1,518.69 करोड़ के 260 उपयोगिता प्रमाण-पत्र पिछले वर्षों से संबंधित हैं और वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 64.50 करोड़ के पांच उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष 2021-22 के दौरान निपटान कर दिया गया था। 31 मार्च 2022 तक ₹ 18,301.02 करोड़ के 2,831 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे।

[3] 2019-20 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2020-21 के दौरान ही देय होंगे।

**तालिका 4.3: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण**

| अनुदानों के संवितरण का वर्ष | 31 अगस्त 2021 को प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र | |
|---|---|---|
| | संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
| 2009-10 | 1 | 10.85 |
| 2010-11 | 7 | 33.08 |
| 2011-12 | 41 | 137.00 |
| 2012-13 | 56 | 303.77 |
| 2013-14 | 86 | 711.32 |
| 2014-15 | 86 | 317.73 |
| 2015-16 | 184 | 463.18 |
| 2016-17 | 303 | 1,383.57 |
| 2017-18 | 402 | 1,707.03 |
| 2018-19 | 428 | 2,804.29 |
| 2019-20 | 587 | 5,159.96 |
| 2020-21 | 650 | 5,269.24 |
| **कुल** | **2,831** | **18,301.02** |

कुल 2,831 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से ₹ 13,031.78 करोड़ के अनुदान के 2,181 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2009-10 से 2019-20 की अवधि से संबंधित हैं। ₹ 18,301.02 करोड़ की कुल राशि में से, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, 92.45 प्रतिशत चार विभागों (36.02 प्रतिशत - ग्रामीण विकास विभागः ₹ 6,592.89 करोड़, 38.26 प्रतिशत - शहरी विकास विभागः ₹ 7,002.80 करोड़, 6.81 प्रतिशत - स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा: ₹ 1,246.62 करोड़ एवं 11.26 प्रतिशत - सामान्य शिक्षा विभागः ₹ 2,078.41 करोड़) से संबंधित हैं जैसा कि ***परिशिष्ट 4.2*** में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की लंबिता को कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे और समयबद्ध ढंग से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जमा करने के लिए एक तंत्र तैयार करे जो व्यय और वांछित आउटपुट/परिणामों के आश्वासन को सक्षम बनाए।

### 4.6.1 अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना

2021-22 के दौरान ₹ 12,445.81 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से ₹ 2,627.44 करोड़ (कुल सहायता अनुदान का 21.11 प्रतिशत) के संबंध में अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के नाम का उल्लेख 'अन्य' के रूप में किया गया था। इसमें से ₹ 117.94 करोड़ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए थे। 2017-22 के दौरान 'अन्य' के लिए संवितरित सहायता अनुदान की स्थिति ***तालिका 4.4*** में दिखाई गई है।

**तालिका 4.4: 'अन्य' श्रेणी के अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को सहायता अनुदान**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | कुल सहायता अनुदान राशि | 'अन्य' श्रेणी के अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों की राशि | कुल सहायता अनुदान की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 9,844.31 | शून्य | शून्य |
| 2018-19 | 10,077.83 | 1,129.59 | 11.21 |
| 2019-20 | 11,337.35 | 905.17 | 7.98 |
| 2020-21 | 13,012.47 | 1,329.75 | 10.22 |
| 2021-22 | 12,445.81 | 117.94 | 0.95 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

## 4.7 सार आकस्मिक बिल

जब अग्रिम रूप से धन की आवश्यकता होती है या जब वे आवश्यक राशि की गणना करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को सेवा शीर्षों से डेबिट करके सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के बिना धन आहरण की अनुमति होती है और व्यय को सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को एक माह के भीतर राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रस्तुत करने तक इन राशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। विस्तृत आकस्मिक बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लंबी अवधि तक प्रस्तुत न करना लेखों की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है।

31 मार्च 2022 तक आपत्ति, लंबित समायोजन के अंतर्गत सार आकस्मिक बिलों का विवरण ***तालिका 4.5*** में दिया गया है।

**तालिका 4.5: 31 मार्च 2022 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण**

| वर्ष | लंबित डी.सी. बिलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 2019-20 तक | 140 | 17.61 |
| 2020-21 | 253 | 129.73 |
| 2021-22 | 460 | 392.68 |
| **कुल** | **853** | **540.02** |

31 मार्च 2022 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों की 96.35 प्रतिशत राशि, चार विभागों अर्थात् खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (83.53 प्रतिशत - ₹ 451.11 करोड़ के सात विस्तृत आकस्मिक बिल), स्वास्थ्य विभाग (2.54 प्रतिशत - ₹ 13.69 करोड़ के 14 विस्तृत आकस्मिक बिल), सामान्य शिक्षा विभाग (5.96 प्रतिशत - ₹ 32.20 करोड़ के 545 विस्तृत आकस्मिक बिल) और परिवहन विभाग (4.32 प्रतिशत - ₹ 23.31 करोड़ के 33 विस्तृत आकस्मिक बिल) से संबंधित है।

## 4.8 व्यक्तिगत जमा खाते

पंजाब वित्तीय नियम वॉल्यूम-I (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के नियम 12.16 एवं 12.17 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समेकित निधि या अन्य

निधियों से हस्तांतरण द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुमोदन से व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए अधिकृत है। निधियों का व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरण संबंधित सेवा प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत समेकित निधि से व्यय के रूप में लेखाकृत किया जाता है। वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस हस्तांतरित कर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद किया जाना आवश्यक है और यदि आवश्यकता हो तो अगले वर्ष फिर से खोला जा सकता है। वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निधि से हस्तांतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या शून्य थी। आगे, उपर्युक्त नियमों के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि से अलग निधियों के हस्तांतरण द्वारा खोले गए व्यक्तिगत जमा खातों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए और जो खाते तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों से निष्क्रिय हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए तथा ऐसे खातों में पड़ी हुई शेष राशि को सरकारी खातों में जमा किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खातों की ब्रॉडशीट के अनुसार 31 मार्च 2022 तक सक्रिय व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति ***तालिका 4.6*** में दी गई है।

**तालिका 4.6: 31 मार्च 2022 तक व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति**

| व्यक्तिगत जमा खातों का स्रोत | आरंभिक शेष | | वर्ष के दौरान शामिल किए गए | | वर्ष के दौरान बंद किए गए | | अंतिम शेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि (₹ करोड़ में) | संख्या | राशि (₹ करोड़ में) | संख्या | राशि (₹ करोड़ में) | संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
| समेकित निधि | 7 | 1,567.80 | -- | 335.92 | 5 | 869.97 | 2 | 1033.75 |
| समेकित निधि से अलग | 157 | 303.37 | 1 | 2,662.13 | 1 | 279.39 | 157 | 2,686.11 |
| **कुल** | **164** | **1,871.17** | **1** | **2,998.05** | **6** | **1,149.36** | **159** | **3,719.86** |

₹ 19.37 करोड़ की राशि वाले 13 व्यक्तिगत जमा खाते तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय हैं और राज्य सरकार द्वारा नियमों के विचलन में बंद नहीं किए गए हैं।

## 4.9 लघु शीर्ष-800 का अंधाधुंध उपयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं दिया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखों की पारदर्शिता प्रभावित होती है। वर्ष के दौरान, विभिन्न राजस्व और पूंजीगत प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,226.56 करोड़ के व्यय, जो ₹ 1,09,470.60 करोड़ के कुल व्यय का लगभग 8.43 प्रतिशत है और ₹ 2,812.55 करोड़ की प्राप्तियों, जो ₹ 78,158.85 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 3.60 प्रतिशत है, को संबंधित प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज किया गया था। ऐसे मामले, जहां व्यय का पर्याप्त अनुपात (50 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, ***तालिका 4.7*** में दिए गए हैं।

**तालिका 4.7: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का प्रमुख शीर्ष-वार विवरण**

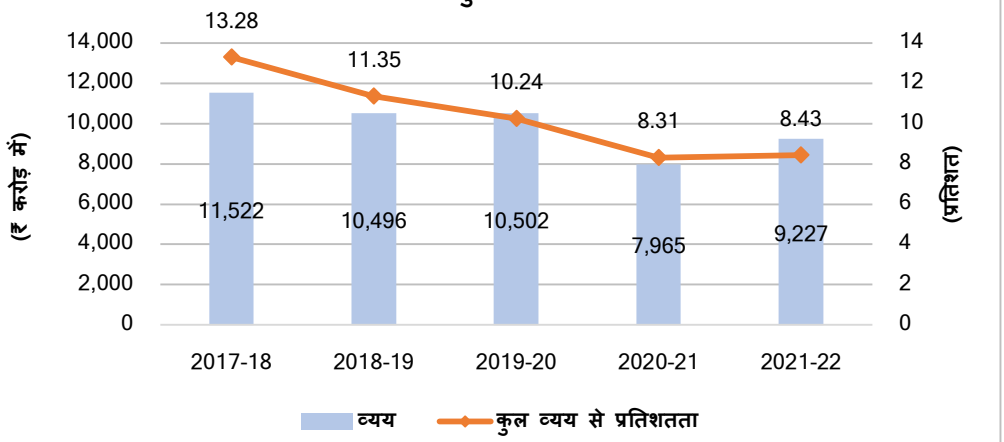
**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | प्रमुख शीर्ष | विवरण | कुल व्यय | लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2075 | विविध सामान्य सेवाएं | 2.27 | 1.73 | 76.21 |
| 2. | 2700 | मुख्य सिंचाई | 1,506.56 | 1,034.02 | 68.63 |
| 3. | 2701 | मध्यम सिंचाई | 216.53 | 181.67 | 83.90 |
| 4. | 2801 | विद्युत | 6,749.31 | 6,260.00 | 92.75 |
| **कुल** | | | **8,474.67** | **7,477.42** | **88.23** |

यह देखा गया था कि प्रमुख शीर्ष 2075 के अंतर्गत दर्ज किया गया व्यय मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से संबंधित है, प्रमुख शीर्ष 2700 और 2701 के अंतर्गत दर्ज किया गया व्यय पूंजी पर ब्याज, ऊर्जा प्रभारों से संबंधित है और प्रमुख शीर्ष 2801 के अंतर्गत दर्ज किया गया व्यय हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दी गई सहायता से संबंधित है।

2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन ***चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 4.1: 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय का परिचालन**




2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रवृत्ति घट रही है। व्यय 2017-18 में 13.28 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.31 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, 2021-22 के दौरान यह थोड़ा बढ़कर 8.43 प्रतिशत हो गया है।

## माप से संबंधित मामले

## 4.10 उचंत एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को जोड़ते हुए इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की गणना की जाती है। महत्वपूर्ण उचंत मदों को पिछले तीन वर्षों के सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में ***तालिका 4.8*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.8: बकाया उचंत एवं प्रेषण शेषों के विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| **(क) 8658- उचंत लेखे** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **लघु शीर्ष** | **2019-20** | | **2020-21** | | **2021-22** | |
| | **डेबिट** | **क्रेडिट** | **डेबिट** | **क्रेडिट** | **डेबिट** | **क्रेडिट** |
| 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत | 26.69 | 0.01 | 30.76 | 0.01 | -- | 1.05 |
| **निवल** | **26.68 (डेबिट)** | | **30.75 (डेबिट)** | | **1.05 (क्रेडिट)** | |
| 102-उचंत लेखे (सिविल) | 109.94 | .. | 15.79 | - | - | (-) 0.08 |
| **निवल** | **109.94 (डेबिट)** | | **15.79 (डेबिट)** | | **0.08 (डेबिट)** | |
| 107-रोकड़ निपटान उचंत लेखा | 52.88 | .. | 42.08 | - | 36.09 | 18.14 |
| **निवल** | **52.88 (डेबिट)** | | **42.08 (डेबिट)** | | **17.95 (डेबिट)** | |
| 109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय) | 0.24 | 0.97 | (-) 9.86 | (-) 1.14 | (-) 0.39 | 5.55 |
| **निवल** | **0.73 (क्रेडिट)** | | **8.72 (क्रेडिट)** | | **5.94 (क्रेडिट)** | |
| 110-रिजर्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय | 11.58 | .. | 19.95 | 20.30 | (-) 20.30 | (-) 15.96 |
| **निवल** | **11.58 (डेबिट)** | | **0.35 (क्रेडिट)** | | **4.34 (क्रेडिट)** | |
| 112-स्रोत पर काटा गया कर उचंत | .. | 129.85 | - | 55.32 | 1,347.84 | 1,088.91 |
| **निवल** | **129.85 (क्रेडिट)** | | **55.32 (क्रेडिट)** | | **258.93 (डेबिट)** | |
| **8782- एक ही लेखा कार्यालय में लेखे भेजने वाले अधिकारियों के मध्य रोकड़ प्रेषण और समायोजन** | | | | | | |
| **लघु शीर्ष** | **2019-20** | | **2020-21** | | **2021-22** | |
| | **डेबिट** | **क्रेडिट** | **डेबिट** | **क्रेडिट** | **डेबिट** | **क्रेडिट** |
| 102-लोक निर्माण प्रेषण | 30.78 | 333.64 | 31.05 | 357.09 | 10,790.00 | 10,786.50 |
| **निवल** | **302.86 (क्रेडिट)** | | **326.04 (क्रेडिट)** | | **4 (डेबिट)** | |
| 103-वन प्रेषण | .. | 3.55 | - | 4.11 | 202.28 | 202.71 |
| **निवल** | **3.55 (क्रेडिट)** | | **4.11 (क्रेडिट)** | | **0.43 (क्रेडिट)** | |

**स्रोत:वित्त लेखे**

## 4.11 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, उसे बजट अनुदानों के भीतर एवं अपने खातों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु.नि.अ.)/नियंत्रण अधिकारियों (नि.अ.) को अपने रिकार्ड में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ मिलान करना अपेक्षित है। समेकित निधि के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय, दोनों के आंकड़ों का मिलान शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। साइबर खजानों के अंतर्गत आने वाली प्राप्तियों का मिलान कर लिया गया है।

## 4.12 नकद शेष का मिलान

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखों के अनुसार 2021-22 तक राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 371.24 करोड़ था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 107.79 करोड़ सूचित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 तक ₹ 263.45 करोड़ के अंतर का मिलान अभी बाकी था। यह मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को लेनदेन की गलत रिपोर्टिंग के कारण है।

### 4.12.1 जमा कार्यों के लिए अग्रिमों पर ब्याज का लेखांकन न करना

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है। इस प्रयोजन के लिए, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निपटान में अग्रिम रूप से निधियां रखी जाती हैं। गृह विभाग, हरियाणा सरकार ने 2004-05 से 2020-21 की अवधि के दौरान हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निपटान में कई अग्रिम रखे हैं। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 09 मार्च 2011 के क्रमांक 28/43/2010-1 बी एंड सी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी बोर्ड, निगम/समितियां, जिन्हें विभिन्न विभाग कार्य/खरीद के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, ऐसे विभागों को अर्धवार्षिक आधार पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे, जब तक कि उनके द्वारा निधियों का वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है और प्रशासनिक विभाग इसे वसूलने और सरकार के प्राप्ति शीर्ष में जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बहियों के अनुसार 2020-21 तक ₹ 116.19 करोड़ की राशि और 2021-22 के लिए ₹ 11.63 करोड़ को गृह विभाग द्वारा किए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज के रूप में लेखाबद्ध किया गया था और बैलेंस शीट के देयता पक्ष के रूप में दिखाया गया था और इसे संबंधित कार्यों के लिए आवंटित किया गया था। तथापि, सरकारी निधियों (अग्रिम) से प्राप्त होने वाली ब्याज राशि को वित्त लेखे में लेखांकित नहीं किया गया था। राज्य सरकार के वित्त लेखों में अर्जित ब्याज के अलेखांकन, जिसे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखा बहियों में सरकार से प्राप्त के रूप में दिखाया गया है, के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व प्राप्ति को कम बताया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि निधियों को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रखा गया था और विभिन्न कार्यों के लिए आबंटित किया गया था, तदनुसार राज्य सरकार की बहियों में व्यय को भी कम बताया गया था।

## प्रकटीकरण से संबंधित मामले

## 4.13 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, संघ और राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक भारत सरकार के तीन लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2021-22 में हरियाणा सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों की अनुपालना और उनमें कमियां ***तालिका 4.9*** में दी गई हैं।

**तालिका 4.9: लेखांकन मानकों की अनुपालना**

| क्र. सं. | लेखांकन मानक | राज्य सरकार द्वारा अनुपालना | अनुपालना/कमियां |
|---|---|---|---|
| 1 | **आई.जी.ए.एस. 1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटियां - प्रकटीकरण आवश्यकताएं* | अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणियां 9 एवं 20) | प्रत्येक संस्थान के लिए विस्तृत जानकारी जैसेकि गारंटियों की संख्या प्रस्तुत की गई है। |
| 2 | **आई.जी.ए.एस. 2:** *सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण* | अनुपालना की गई (वित्त लेखों की विवरणी 10) | (i) ₹ 4,145.71 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया है।<br>(ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तुरूप में दिए गए सहायतानुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है। |
| 3 | **आई.जी.ए.एस. 3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम* | अनुपालना नहीं की गई (वित्त लेखों की विवरणी 18) | राज्य सरकार द्वारा विवरण की पुष्टि नहीं की गई है। अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी। |

**स्रोत: भारतीय सरकार के लेखांकन मानक तथा वित्त लेखे**

## 4.14 लेखों के संकलन से संबंधित मुद्दे

### 4.14.1 प्राप्तियां

रसीद चालान/चालानों का डेटाबेस कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार से प्राप्त नहीं किया जा रहा है। खजाने द्वारा संकलित रूप में प्राप्तियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 78,158 करोड़ की कुल प्राप्तियां सरकारी लेखा में दर्ज की गई हैं।

### 4.14.2 ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान

विभिन्न संस्थाओं को हरियाणा सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में विवरण हरियाणा सरकार द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इन विवरणों के अभाव में न तो इन ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में कोई मिलान किया गया था और न ही यह संभव था। 2021-22 में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 500.25 करोड़ थी। विवरण की अनुपस्थिति का मूल्यांकन वसूली न होने के जोखिम के साथ-साथ लेखा बहियों में उपचार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च 2022 तक ऋण एवं अग्रिम की शेष राशि ₹ 8,350.06 करोड़ थी।

## 4.15 प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि और न्याय के क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 38 निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा का कार्यभार सौंपने, लेखे लेखापरीक्षा को भेजने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतीकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 4.3*** में दर्शाई गई है।

10 स्वायत्त निकायों के संबंध में एक से पांच वर्षों का विलंब रहा। लेखों के अंतिमकरण में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ जाता है तथा इसलिए

आवश्यक है कि लेखों का अतिशीघ्र अंतिमकरण किया जाए एवं लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखों के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

## 4.16 लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब

सरकार/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना लेखापरीक्षा को प्रदान करें ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम 1971 [सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971] की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए पात्र संस्थाओं की पहचान हो सके।

31 जुलाई 2022 तक 95 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 275 वार्षिक लेखे प्रतीक्षित थे। इन लेखों का विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है और विलंब की समय-वार स्थिति ***तालिका 4.10*** में प्रस्तुत की गई हैं।

**तालिका 4.10: निकायों/प्राधिकरणों के लंबित वार्षिक लेखों की समय-वार स्थिति**

| क्र.सं. | विलंब वर्षों में | लेखों की संख्या | प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 0-1 | 95 | 411.38 |
| 2. | 1-2 | 92 | 446.49 |
| 3. | 3 एवं अधिक | 88 | 338.23 |
| | **कुल** | **275** | **1,196.10** |

**स्रोतः सरकारी विभागों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े**

वार्षिक लेखों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकरण सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान के अंतर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं या नहीं।

सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थानों से हर वर्ष के अन्त तक लेखों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा को आकर्षित करने वाले संस्थानों की पहचान की जा सके।

## 4.17 विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादित करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के कार्यकारी परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फॉरमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनकी कार्य-कुशलता का अनुमान लगा सके। अंतिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और व्यवसाय को

चलाने में दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखों के समय पर अंतिमकरण न करने से, सरकार के निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हों, समय पर नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, विलंब के कारण सार्वजनिक धन की जालसाजी और दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है।

जून 2022 तक, ऐसे छ:[4] उपक्रमों ने वर्ष 1986-87 और 2019-20 के बीच के वर्षों से अपने लेखे तैयार नहीं किए थे। इन उपक्रमों में ₹ 10,282.37 करोड़ की सरकारी निधियां निवेशित थीं। यद्यपि बकाया लेखों को तैयार करने के बारे में बार-बार पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी टिप्पणियाँ की गई हैं, लेकिन इस संबंध में कोई सुधार नहीं हुआ था। प्रोफार्मा लेखों के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 4.5*** में दिया गया है।

## 4.18 लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य सरकार के लेखे राज्य के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के अतिरिक्त जिला खजानों, उप-खजानों, साइबर खजाना, लोक निर्माण मंडलों और वन मंडलों द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक लेखों से संकलित किए जाते हैं।

2021-22 के दौरान, संबंधित राज्य की खाता प्रदान करने वाली इकाइयों द्वारा देरी के कारण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मासिक सिविल लेखों से किसी भी लेखे को बाहर नहीं किया गया था।

## अन्य मामले

## 4.19 दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा में लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार को हुई हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा। किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि के संबंध में भी उस सीमा तक, जितनी हानि उसकी लापरवाही या कमी के कारण हुई, जिम्मेवार ठहराया जाएगा। आगे, पूर्वोक्त नियम 2.34 के अनुसार, दुरुपयोग एवं हानियों के मामले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किए जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए ₹ 68.64 लाख के सरकारी धन से संबंधित दुर्विनियोजन के 51 मामलों में अक्तूबर 2022 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। लंबित मामलों

[4] (i) 1988-89 से बीज डिपो स्कीम (ii) 1986-87 से कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण (iii) 2007-08 से राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम (iv) 2017-18 से अनाज आपूर्ति स्कीम (v) 2014-15 से हरियाणा रोडवेज और (vi) 2019-20 से हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड।

का विभाग-वार विघटन ***तालिका 4.11*** में दिया गया है।

**तालिका 4.11: दुर्विनियोजन, हानियां, चोरी, दुरुपयोग इत्यादि**

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विभाग का नाम | सरकारी सामान के दुर्विनियोजन/ हानियों/चोरी के मामले | | दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | विभागीय जांच की प्रतीक्षा में या न्यायालयों में लंबित | | विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई परंतु अंतिम रूप नहीं दिया गया | | वसूली या बट्टे खाते डालने के लिए आदेशों की प्रतीक्षा में | |
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 1 | विकास एवं पंचायत | 01 | 6.50 | शून्य | शून्य | 01 | 6.50 | शून्य | शून्य |
| 2 | शिक्षा | 20 | 40.12 | 1 | 0.09 | 18 | 40.03 | 1 | शून्य |
| 3 | श्रम एवं रोजगार | 02 | 0.15 | शून्य | शून्य | 02 | 0.15 | शून्य | शून्य |
| 4 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 03 | 8.63 | शून्य | शून्य | 02 | 5.93 | 01 | 2.70 |
| 5 | महिला एवं बाल विकास | 04 | 10.52 | 02 | 10.52 | 2 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6 | सिंचाई | 19 | 2.07 | शून्य | शून्य | 17 | 1.85 | 02 | 0.22 |
| 7 | जन स्वास्थ्य | 02 | 0.65 | शून्य | शून्य | 02 | 0.65 | शून्य | शून्य |
| | **कुल** | **51** | **68.64** | **3** | **10.61** | **44** | **55.11** | **4** | **2.92** |

लम्बित मामलों तथा सरकारी सामान की चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या की आयु-वार रूपरेखा ***तालिका 4.12*** में संक्षेपित की गई हैं।

**तालिका 4.12: दुर्विनियोजन, हानियों, दुरुपयोग इत्यादि की रूपरेखा**

**(₹ लाख में)**

| लंबित मामलों की आयु-वार रूपरेखा | | | लंबित मामलों की प्रकृति | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्षों में श्रृंखला | मामलों की संख्या | आवेष्टित राशि | | मामलों की संख्या | आवेष्टित राशि |
| 0-5 | 16 | 22.74 | चोरी के मामले | 47 | 57.90 |
| 5-10 | 11 | 36.13 | | | |
| 10-15 | 02 | 0.09 | सरकारी सामान का दुर्विनियोजन/हानि | 4 | 10.74 |
| 15-20 | 07 | 8.62 | | | |
| 20-25 | 03 | 0.24 | | | |
| 25 एवं अधिक | 12 | 0.82 | | | |
| **कुल** | **51** | **68.64** | **जून 2022 को कुल लंबित मामले** | **51** | **68.64** |

हानि के सभी मामलों में से ₹ 57.90 लाख के 47 मामले सरकारी धन/भण्डार की चोरी से संबंधित थे। आगे, हानियों के 44 मामलों (₹ 55.11 लाख) के संबध में, विभागीय कार्रवाई को अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि चार मामलों में ₹ 2.92 लाख की वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रतीक्षा के कारण बकाया थे। आगे यह भी देखा गया कि चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानियों के 51 मामलों में से ₹ 45.90 लाख के 35 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, इनमें से 15 मामले 20 वर्षों से भी अधिक पुराने थे। इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागों के ढुल-मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई बल्कि अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

सरकार द्वारा, चोरी, दुर्विनियोजन इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।

## 4.20 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी और जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वत: सकारात्मक और निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए, बिना यह सोचे कि ये मामले लोक लेखा समिति सहित राज्य विधानमंडल की विधायी समितियों द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं। प्रशासनिक विभागों द्वारा विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी एक्शन टेकन नोट्स संबंधित विधायी समिति को प्रस्तुत करने आवश्यक हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 8 अगस्त 2022 को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति की बैठक में चयनात्मक आधार पर चर्चा के अधीन है (सितंबर 2022)।

## 4.21 निष्कर्ष

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत 2011-21 के दौरान एकत्र की गई ₹ 5,901.75 करोड़ की प्राप्तियां राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गईं। वर्ष 2020-21 के अंत तक हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत ₹ 2,981.29 करोड़ तथा हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत ₹ 182.53 करोड़ की एकत्र राशियां भी राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई। इसी प्रकार, सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अंतर्गत एकत्र किए गए उपकर को राज्य की समेकित निधि/लोक लेखा के माध्यम के बिना रूट किए हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च 2021 तक बोर्ड के पास ₹ 3,229.31 करोड़ की निधियां थीं।

वर्ष 2021-22 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा किसी भी लेखा को मासिक सिविल लेखा से बाहर नहीं किया गया है।

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में काफी विलंब था, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुदानों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वार्षिक लेखों के अभाव में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधानों को आकृष्ट करने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों का पता नहीं चल पाया।

बड़ी संख्या में स्वायत्त निकायों और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अंतिम लेखे तैयार नहीं किए। परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी सामान की हानि तथा दुरुपयोग के मामलों में विभागीय कार्रवाई दीर्घावधि से लंबित थी। 2021-22 के दौरान कुल व्यय का 8.43 प्रतिशत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

## 4.22 सिफारिशें

1. सरकार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि, हरियाणा आधारभूत संरचना विकास बोर्ड और हरियाणा शहरी आधारभूत संरचना विकास बोर्ड के संग्रहण एवं उपयोग के लिए उचित लेखा प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए ताकि संबंधित बोर्डों को राशि का संग्रहण एवं हस्तांतरण राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल किया जा सके और विधायी निरीक्षण के अधीन हो।
2. सरकार, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।
3. वित्त विभाग एकल नोडल खातों के संचालन के आलोक में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी सभी राशियों को समयबद्ध तरीके से समेकित निधि में प्रेषित किया जाता है।
4. वित्त विभाग को स्वायत्त निकायों और विभागीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
5. सरकार, दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार करे।
6. सरकार को नियमों के अंतर्गत अपेक्षितानुसार निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए। सार आकस्मिक बिलों के समायोजन के विलंब से प्रस्तुतीकरण को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
7. वित्त विभाग, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से, वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की सभी प्राप्तियां और व्यय वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए जाएं।

# अध्याय-5

# राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

## अध्याय 5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा की गई है। वर्ष 2021-22 (या पूर्व के वर्षों के वित्तीय विवरण जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के दौरान भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के प्रभाव की भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

### 5.1 सरकारी कंपनी की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, या किसी भी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा या आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कंपनी, जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी सम्मिलित है। सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया अधिनियम, 2013 की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, पहला लेखापरीक्षक कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना होता है और यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होती है।

### 5.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरण (जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षक, अन्य बातों के साथ, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरण सहित, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण भी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके विवेकाधिकार से पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है और पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

## 5.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित किए जाते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2022 तक, हरियाणा में 37[1] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे, जिनमें दो[2] सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (चार अकार्यरत सरकारी कंपनियों[3] सहित) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थीं। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नाम ***परिशिष्ट 5.1*** में वर्णित हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकार नियंत्रित सात अन्य कंपनियां शामिल थीं।

केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यथा हरियाणा वित्तीय निगम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार[4] अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 31 मार्च 2022 को अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का कुल निवेश ₹ 21.67 करोड़ था जिसमें पूंजीगत निवेश (₹ 17.98 करोड़) और दीर्घ अवधि ऋण (₹ 3.69 करोड़) शामिल थे। दो[5] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की परिसमापन प्रक्रिया 18 से 23 वर्षों से चल रही है और पूरा होनी बाकी है। सरकार इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को शीघ्र बंद करने पर विचार कर सकती है क्योंकि ये निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में कोई योगदान नहीं करते हैं।

---

1 30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विवरणों पर चर्चा की गई है क्योंकि तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड और ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फोर्मेशन सर्विसिज ऑफ हरियाणा लिमिटेड के प्रथम लेखे उनके गठन के बाद से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, पांच अकार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात् हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड के विवरण शामिल नहीं किए गए हैं।

2 हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

3 अकार्यरत सरकारी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो पिछले दो वित्तीय वर्ष में कोई भी व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है या वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

4 हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (2001-02 से निष्क्रिय), हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (जुलाई 2002 से निष्क्रिय), हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड (1998-99 से निष्क्रिय) और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (2003-04 से निष्क्रिय)।

5 हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का विवरण ***तालिका 5.1*** में दिया गया है।

**तालिका 5.1: हरियाणा के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| टर्नओवर | 38,077 | 38,869 | 41,051 |
| हरियाणा का स.रा.घ.उ. | 7,62,044 | 7,58,507 | 8,95,672 |
| हरियाणा के स.रा.घ.उ. से टर्नओवर का प्रतिशत | 5.00 | 5.12 | 4.58 |

**स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष तुलना के लिए किए गए संबंधित वर्षों की वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के टर्नओवर के आंकड़ों पर आधारित संकलन।**

## 5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

### 5.4.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण का विवरण ***तालिका 5.2*** में नीचे दिया गया है।

**तालिका 5.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में क्षेत्रवार निवेश**

| क्षेत्र का नाम | निवेश (₹ करोड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | कुल इक्विटी | राज्य सरकार की पूंजी | कुल दीर्घकालिक ऋण | राज्य सरकार के ऋण | कुल इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण |
| **ऊर्जा** | 36,781.25 | 35,651.99 | 9,750.26 | 0.00 | 46,531.51 |
| **वित्त** | 320.61 | 303.62 | 74.92 | 0.00 | 395.53 |
| **सेवा** | 121.09 | 55.77 | 0.00 | 0.00 | 121.09 |
| **आधारभूत संरचना** | 524.25 | 261.36 | 4,646.20 | 66.32 | 5,170.45 |
| **अन्य** | 17.74 | 9.78 | 77.94 | 36.87 | 95.68 |
| **कुल** | **37,764.94** | **36,282.52** | **14,549.32** | **103.19** | **52,314.26** |

**स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरण।**

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को ₹ 52,314.26 करोड़ के कुल निवेश का 88.95 प्रतिशत (₹ 46,531.51 करोड़) प्राप्त हुआ था।

### 5.4.2 बजटीय सहायता

हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों[6] के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, चुकाए गए/बट्टे खाते में

[6] 2021-22 के दौरान निष्क्रिय कंपनियों में कोई निवेश नहीं किया गया/को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई।

डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋण के लिए बजटीय व्यय का सारांश विवरण ***तालिका 5.3*** में दिया गया है।

**तालिका 5.3: वर्षों के दौरान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रा.सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि | रा.सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि | रा.सा.क्षे.उ. की संख्या | राशि |
| (i) इक्विटी कैपिटल आउटगो | 10 | 5,838.78 | 6 | 631.67 | 4 | 151.93 |
| (ii) दिए गए ऋण | 1 | 108.74 | 5 | 104.98 | 5 | 101.09 |
| (iii) प्रदान किए गए अनुदान/सब्सिडी | 9 | 142.72 | 7 | 438.52 | 8 | 442.54 |
| **कुल आउटगो (i+ii+iii)** | | **6,090.24** | | **1,175.17** | | |
| ऋण चुकौती/बट्टे खाते में डालना | 4 | 487.41 | 4 | 254.66 | 6 | 245.72 |
| इक्विटी में परिवर्तित ऋण | 3 | 5,190.00 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| जारी की गई गारंटी | 5 | 1,975.62 | 5 | 3,793.00 | 6 | 2,336.85 |
| गारंटी प्रतिबद्धता | 7 | 8,067.63 | 8 | 8,698.72 | 9 | 9,148.73 |

**स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त जानकारी पर आधारित संकलन।**

### 5.4.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा वित्तीय निगम स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यद्यपि हरियाणा वित्तीय निगम एक सूचीबद्ध निगम है परंतु निगम ने मई 2010 से कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया है और निगम के शेयरों की अंतिम ट्रेडिंग 13 जुलाई 2011 को ₹ 24.65 के मूल्य पर हुई थी।

### 5.4.4 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निजीकरण का कोई मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में निवेशित राज्य सरकार की इक्विटी के विनिवेश संबंधी कोई नीति तैयार नहीं की है।

## 5.5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से रिटर्न

### 5.5.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

2020-21 में अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ दर्ज करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की तुलना में 2021-22 के दौरान लाभ दर्ज करने वाले 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम[7] थे। 2020-21 में दर्ज किया गया लाभ ₹ 1,698.89[8] करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ हो गया। 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र

[7] एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर जिसके वार्षिक लेखों 2020-21 के लिए कोई लाभ और हानि नहीं है।

[8] अन्य व्यापक आय/व्यय के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लाभ के आंकड़े लिए गए हैं।

उद्यमों में 36.97 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में लाभ अर्जित करने वाले 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) भी घटकर 10.32 प्रतिशत हो गया। नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2021-22 में सभी 30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न 1.41 प्रतिशत था।

लाभ में अधिकतम योगदान देने वाले शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का उल्लेख ***तालिका 5.4*** में किया गया है।

**तालिका 5.4: शीर्ष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ में योगदान दिया**

| राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम | अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में) | राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कुल लाभ से लाभ की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड | 185.26 | 28.56 |
| हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड | 171.03 | 26.36 |
| हरियाणा राज्य भंडारण निगम | 109.74 | 16.92 |
| **कुल** | **466.03** | **71.84** |

### 5.5.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने लेखों को अंतिम रूप दिया। इनमें से छ: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने ₹ 296.88 करोड़ का संचयी लाभ और अन्य पांच ने अपने परिचालन में हानि दर्ज की। वर्ष 2021-22 में लाभ दर्ज करने वाले छ: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से किसी ने भी लाभांश की घोषणा नहीं की।

हालांकि, दो[9] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने वर्ष 2021-22 के दौरान घोषित अपने परिणामों में ₹ 112.50 करोड़ के निवल लाभ के विरूद्ध ₹ 16.52 करोड़ का लाभांश घोषित किया था। वर्ष 2018-19 और 2020-21 के अपने लेखों पर क्रमश: हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 0.06 करोड़ (30 प्रतिशत) का और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने ₹ 16.46 करोड़ (282 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

### 5.5.3 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है, जिसमें इसकी पूंजी नियोजित है। नियोजित पूंजी पर रिटर्न की गणना ब्याज और करों (ई.बी.आई.टी.) से पहले कंपनी की आय को नियोजित पूंजी[10] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान 30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नियोजित पूंजी पर रिटर्न के विवरण ***तालिका 5.5*** में दिए गए हैं।

[9] हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड।

[10] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

**तालिका 5.5: नियोजित पूंजी पर रिटर्न**

| वर्ष | ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में) | नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में) | आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 3,533.51 | 26,933.23 | 13.12 |
| 2020-21 | 4,457.74 | 28,917.91 | 15.42 |
| 2021-22 | 3,664.86 | 27,959.05 | 13.11 |

**स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के नवीनतम वित्तीय विवरण।**

### 5.5.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि लाभ अर्जित करने के लिए किसी कंपनी की संपत्ति का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इक्विटी पर रिटर्न की गणना निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को शेयर धारक निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या हैं तो इसकी गणना किसी भी कंपनी के लिए की जा सकती है।

शेयरधारकों की निधि या निवल मूल्य की गणना संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय घटाकर प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियों को बेच दिया जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए क्या कुछ बचेगा। धनात्मक निवल मूल्य (शेयरधारकों की निधि) बताता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्ति है जबकि ऋणात्मक निवल मूल्य का अर्थ है कि देयताएं परिसंपत्ति से अधिक हैं।

30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित शेयर धारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे ***तालिका 5.6*** में दिया गया है।

**तालिका 5.6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न**

| वर्ष | निवल आय | शेयरधारकों की निधि | इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| | (₹ करोड़ में) | | |
| 2019-20 | 937.68 | 10,630.91 | 8.82 |
| 2020-21 | 1,273.18 | 12,477.82 | 10.20 |
| 2021-22 | 189.10 | 13,409.43 | 1.41 |

2021-22 के दौरान इक्विटी पर कम रिटर्न मुख्य रूप से दो[11] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की निवल आय में कमी के कारण था।

## 5.6 ऋण सर्विसिंग

### 5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज खर्चों द्वारा एक कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.) से विभाजित करके

[11] हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, उधार पर ब्याज का भुगतान करने में कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पा रही है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण, जिसमें ब्याज का भार था, नीचे दी गई ***तालिका 5.7*** में दिया गया है।

**तालिका 5.7: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात**

| वर्ष | ब्याज (₹ करोड़ में) | ब्याज और कर से पूर्व आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में) | सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या | एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या | एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 2,293.45 | 3,509.60 | 13 | 11 | 2[12] |
| 2020-21 | 2,245.23 | 4,457.74 | 14 | 11 | 3[13] |
| 2021-22 | 2,047.68 | 3576.55 | 14 | 9 | 5[14] |

**स्रोत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के नवीनतम वित्तीय विवरण।**

यह देखा गया था कि 2021-22 के दौरान नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था। 2021-22 के दौरान पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था अर्थात ये पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ब्याज पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व पैदा नहीं कर रहे थे।

## 5.7 हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

### 5.7.1 उठाई गई हानियां

मार्च 2022 के अंत तक अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार हानि वहन करने वाले नौ[15] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा वहन की गई हानि 2019-20 में ₹ 38.10 करोड़ से बढ़कर उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 459.65 करोड़ हो गई जैसा कि नीचे ***तालिका 5.8*** में दिया गया है।

**तालिका 5.8: 2018-19 से 2020-21 के दौरान हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या**

| वर्ष | हानि उठाने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या | वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में) | संचित लाभ (₹ करोड़ में) | निवल मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| सरकारी कंपनियां | | | | |
| 2019-20 | 8 | 38.10 | (-) 2.55 | 140.21 |
| 2020-21 | 11 | 425.71 | 382.71 | 7,882.78 |
| 2021-22 | 9 | 459.65 | 357.74 | 7,119.95 |

[12] हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[13] हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[14] हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड और हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

[15] (i) हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (ii) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, (iii) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (iv) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (v) हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, (vi) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (vii) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (viii) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (ix) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 2021-22 के दौरान नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 459.65 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 395.08 करोड़ की हानि (85.96 प्रतिशत) हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित है, जो ऊर्जा और बिजली विभाग में कार्यशील हैं।

यह भी अवलोकित किया गया कि दो[16] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जिन्होंने 2020-21 के दौरान लाभ कमाया था, उन्हें 2021-22 में घाटा हुआ है। जबकि, तीन[17] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जिसे 2020-21 में घाटा हुआ था, ने 2021-22 के दौरान लाभ दर्ज किया है।

### 5.7.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2022 तक, 13 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 28,237.99 करोड़ थी। इन 13 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में से सात[18] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने उपलब्ध नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार ₹ 425.02 करोड़ की हानि उठाई। छ:[19] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने हानि नहीं उठाई थी, यद्यपि उनकी संचित हानि उनके अंतिम अंतिमकृत लेखों के अनुसार ₹ 27,277.63 करोड़ थी। इन छ: में से दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) की ₹ 27,136.62 करोड़ की संचित हानियां थी।

30 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। 31 मार्च 2022 को ₹ 61.94 करोड़ के इक्विटी निवेश के विरूद्ध इन चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की कुल परिसंपत्ति (-) ₹ 184.47 करोड़ थी। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जिनका निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, का विवरण ***तालिका 5.9*** में दिया गया है।

---

16 (i) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (ii) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

17 (i) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, (ii) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड और (iii) हरियाणा वित्त निगम।

18 (i) हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ii) हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (iii) हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (iv) हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (v) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (vi) हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और (vii) हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

19 (i) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, (ii) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, (iii) हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (iv) पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड (v) गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और (vi) हरियाणा वित्तीय निगम।

**तालिका 5.9: उन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का विवरण जिनकी निवल संपत्ति उनके नवीनतम अंतिमकृत लेखों के अनुसार कम हो गई है**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम | लेखों का नवीनतम वर्ष | 31 मार्च 2022 को प्रदत्त पूंजी | ब्याज, कर और लाभांश के बाद निवल लाभ (+)/हानि (-) | संचित हानि | निवल मूल्य | 31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की इक्विटी | 31 मार्च 2022 को राज्य सरकार के ऋण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2019-20 | 4.14 | (-) 13.01 | (-) 181.51 | (-) 177.37 | 2.54 | 0.00* |
| 2 | गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड | 2020-21 | 50.00 | 3.13 | (-) 54.83 | (-) 4.83 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन | 2021-22 | 6.80 | (-) 5.82 | (-) 8.97 | (-) 2.17 | 6.80 | 0.00 |
| 4 | हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 2021-22 | 1.00 | (-) 0.70 | (-) 1.10 | (-) 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | | | **61.94** | **(-) 16.40** | **(-) 246.41** | **(-) 184.47** | **9.34** | **0.00** |

**स्रोत:** **कॉलम 3 से 6 के संबंध में जानकारी नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार और कॉलम 7 और 8 के संबंध में संबंधित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त जानकारी।**

*** नोट:** **31 मार्च 2022 तक, सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर विवरणी संख्या 18 के अंतर्गत, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के अंतर्गत हरियाणा कृषि उद्योग निगम को ऋण ₹ 31.17 करोड़ के रूप में दर्शाया गया था।**

## 5.8 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी.वी.) की गणना 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जहां राज्य सरकार ने इक्विटी/अनुदान/सब्सिडी में निवेश किया है, के संबंध में की गई है ताकि निवेश के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/हानि की दर का निर्धारण किया जा सके। 31 मार्च 2022 तक प्रत्येक वर्ष के अंत तक इन निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार निधियों को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर वर्ष-वार भारित औसत ब्याज दर पर चक्रवृद्धित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत माना गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी के रूप में दिए गए वास्तविक निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए अनुदान/सब्सिडी (परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए) को राज्य सरकार द्वारा निवेश के रूप में माना गया है।
- उन मामलों में जहां राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए चक्रवृद्धित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की गई लागत को प्रदर्शित करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है।

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के उद्देश्य से 1999-2000 से 2021-22 तक की अवधि को राज्य सरकार के 31 मार्च 2000 के निवेश को 2000-01 के लिए राज्य सरकार का वर्तमान मूल्य पर निवेश माना गया है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश के विवरण (ब्याज मुक्त ऋण और विनिवेश के कोई मामले नहीं थे) इनके वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति के साथ ***तालिका 5.10*** में इंगित किए गए हैं:

**तालिका 5.10: 1999-2000 से 2021-22 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक प्रतिफल)**

**(₹ करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी | परिचालनात्मक एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी | वर्ष के दौरान कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश | सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न | वर्ष के लिए कुल अर्जन | निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) | 6=2+5 | 7 | 8= (6x7/100)+6 | 9=6x7/100 | 10 | 11= 10/8*100 |
| 1999-2000 | | 612.33* | 49.95 | 662.28 | 662.28 | 12.05 | 742.09 | 79.80 | (-) 436.59 | - |
| 2000-01 | 742.09 | 310.48 | 73.50 | 383.98 | 1,126.07 | 11.40 | 1,254.44 | 128.37 | (-) 221.85 | - |
| 2001-02 | 1,254.44 | 59.75 | 98.18 | 157.93 | 1,412.37 | 10.50 | 1,560.66 | 148.30 | (-) 174.72 | - |
| 2002-03 | 1,560.66 | 125.40 | 77.49 | 202.89 | 1,763.55 | 10.74 | 1,952.96 | 189.41 | 36.70 | 1.88 |
| 2003-04 | 1,952.96 | 123.78 | 80.43 | 204.21 | 2,157.17 | 10.20 | 2,377.20 | 220.03 | 236.76 | 9.96 |
| 2004-05 | 2,377.20 | 165.41 | 22.23 | 187.64 | 2,564.84 | 8.49 | 2,782.60 | 217.75 | (-) 368.24 | - |
| 2005-06 | 2,782.60 | 417.07 | 31.59 | 448.66 | 3,231.26 | 8.95 | 3,520.46 | 289.20 | (-) 327.89 | - |
| 2006-07 | 3,520.46 | 789.96 | 25.90 | 815.86 | 4,336.32 | 9.20 | 4,735.26 | 398.94 | (-) 442.18 | - |
| 2007-08 | 4,735.26 | 1,002.23 | 83.03 | 1,085.26 | 5,820.52 | 7.43 | 6,252.97 | 432.46 | (-) 730.53 | - |
| 2008-09 | 6,252.97 | 951.64 | 67.39 | 1,019.03 | 7,272.00 | 7.82 | 7,840.68 | 568.67 | (-) 1,070.16 | - |
| 2009-10 | 7,840.68 | 903.80 | 41.96 | 945.76 | 8,786.44 | 9.29 | 9,602.70 | 816.26 | (-) 1,406.59 | - |
| 2010-11 | 9,602.70 | 888.59 | 98.80 | 987.39 | 10,590.09 | 9.22 | 11,566.50 | 976.41 | -453.63 | - |
| 2011-12 | 11,566.50 | 594.63 | 167.40 | 762.03 | 12,328.53 | 9.73 | 13,528.09 | 1,199.57 | (-) 10,096.15 | - |
| 2012-13 | 13,528.09 | 176.64 | 61.71 | 238.35 | 13,766.44 | 9.86 | 15,123.81 | 1,357.37 | (-) 3710.51 | - |
| 2013-14 | 15,123.81 | 102.93 | 94.88 | 197.81 | 15,321.62 | 9.83 | 16,827.74 | 1,506.12 | (-) 3,943.54 | - |
| 2014-15 | 16,827.74 | 75.76 | 153.74 | 229.50 | 17,057.24 | 9.33 | 18,648.69 | 1,591.44 | (-) 2,648.04 | - |
| 2015-16 | 18,648.69 | 1,638.52 | 4,076.41 | 5,714.93 | 24,363.62 | 8.64 | 26,468.64 | 2,105.02 | (-) 1,779.65 | - |
| 2016-17 | 26,468.64 | 1,931.09 | 4,199.98 | 6,131.07 | 32,599.71 | 8.00 | 35,207.68 | 2,607.98 | 63.68 | 0.18 |
| 2017-18 | 35,207.68 | 5462.30 | 176.82 | 5,639.12 | 40,846.80 | 8.10 | 44,155.39 | 3,308.59 | 910.95 | 2.06 |
| 2018-19 | 36,370.39** | 13,327.92 | 350.46 | 13,678.38 | 50,048.77 | 8.81 | 54,458.07 | 4,409.30 | 960.37 | 1.76 |
| 2019-20 | 54,458.07 | 5,838.78 | 11.15 | 5,849.93 | 60,308.00 | 8.31 | 65,319.59 | 5,011.59 | 968.29 | 1.48 |
| 2020-21 | 65,319.59 | 631.67 | 104.78 | 736.45 | 66,056.04 | 6.50 | 70,349.68 | 4,293.64 | 1,273.18 | 1.81 |
| 2021-22 | 70,349.68 | 151.93 | 50.31 | 202.24 | 70,551.92 | 6.73 | 75,300.06 | 4,748.14 | 165.39 | 0.22 |
| **कुल** | | **36,282.61** | **2,413.09#** | **38,695.70#** | | | | | | |

* ₹ 844.23 करोड़ की निवेशित इक्विटी में से विद्युत क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ. को हस्तांतरित ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानियों को घटाया गया है। कॉलम संख्या 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना को संबंधित वर्षों की मुद्रित लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संकलित किया गया है।

** प्रारंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय योजना (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के कारण था जिसे 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था क्योंकि संबंधित वर्षों के अनुदान में इसका प्रभाव पहले ही पड़ चुका था।

# कुल अनुदान में वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ₹ 7,785 करोड़ शामिल नहीं है।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 612.33 करोड़ (निवेश की गई इक्विटी ₹ 844.23 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ की प्रारंभिक अवशिष्ट संचित हानि) से बढ़कर वर्ष 2021-22 के अंत में ₹ 38,695.70 करोड़ हो गया क्योंकि इस अवधि के दौरान सरकार ने इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 38,083.37 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 75,300.06 करोड़ परिकलित किया गया।

इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2015-16 के लिए कुल आय ऋणात्मक थी जो इंगित करता है कि सरकार अपनी निधियों की लागत की वसूली नहीं कर सकी। हालांकि 2002-03 के दौरान और 2016-17 से 2021-22 के दौरान कुल धनात्मक अर्जन थे, लेकिन वे न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थे। पिछले चार वर्षों अर्थात् 2018-19 से 2021-22 के लिए निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न 0.22 और 1.76 प्रतिशत के मध्य रहा, जो मुख्य रूप से बिजली वितरण कंपनियों में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत निधियों के निवेश के कारण था।

## 5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और (7) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने या पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। विधि शासित कुछ निगमों में यह प्रावधान है कि उनके लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए और प्रतिवेदन विधायिका को सौंपा जाए।

## 5.10 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाए।

## 5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

### 5.11.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक के तीन माह के भीतर तैयार की जानी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट तैयार होने के तुरंत बाद इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले लगभग समान प्रावधान

संबंधित अधिनियम में अधिनियमित है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करना अपेक्षित है तथा एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त वार्षिक आम बैठक में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

### 5.11.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2022 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 35 सरकारी कंपनियां थी। इनमें से, वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को छोड़कर (परिसमापन के अंतर्गत) 33 सरकारी कंपनियों (निष्क्रिय मामलों सहित) के लेखे देय थे। हालांकि, केवल 10 सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु अपने वर्ष 2021-22 के लेखे प्रस्तुत किए थे। 23 सरकारी कंपनियों के एक से पांच वर्ष तक के लेखे बकाया थे।

सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे ***तालिका 5.11*** में दिया गया है।

**तालिका 5.11: सरकारी कंपनियों के लेखे प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण**

| विवरण | | राज्य सरकार की कंपनियां |
|---|---|---|
| 31 मार्च 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल कंपनियों की संख्या | | 35 |
| **घटा:** परिसमापन के अंतर्गत कंपनियां जिनके 2021-22 के लेखे देय नहीं थे | | 2 |
| कंपनियों की संख्या जिनके 2021-22 के लेखे देय थे | | 33 |
| कंपनियों की संख्या जिन्होंने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2022 तक लेखे प्रस्तुत किए | | 10 |
| बकाया लेखों वाली कंपनियों की संख्या | | 23 |
| बकायों का ब्रेक-अप | (i) निष्क्रिय | 2 |
| | (ii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए | 3 |
| | (iii) अन्य | 18 |
| बकायों का आयु-वार विश्लेषण | एक वर्ष | 7 |
| | दो वर्ष | 10 |
| | तीन वर्ष या अधिक | 6 |

### 5.11.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

दो सांविधिक निगमों[20] की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जा रही है और पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। एक निगम (हरियाणा वित्तीय निगम) ने सितंबर 2022 से पहले लेखापरीक्षा के लिए अपने वर्ष 2021-22 के लेखे प्रस्तुत किए।

## 5.12 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पर्यवेक्षण - लेखों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

### 5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

कंपनियों से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से अपने लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से तैयार किए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने अपेक्षित हैं।

### 5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का सही एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग द्वारा पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है। इस कार्य का निर्वहन निम्न अधिकारों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी करना।

### 5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करना एक इकाई के प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

[20] हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटैंट्स संस्थान की मानक ऑडिटिंग प्रथाओं और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। ऐसी समीक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हो, वार्षिक आम बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

## 5.13 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका का परिणाम

### 5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान 22 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2021-22 और पिछले वर्षों के 29 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। इन 29 वित्तीय विवरणों में से 26 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई और तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को गैर-समीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

### 5.13.2 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2021-22 और पिछले वर्षों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के बाद, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 10 सरकारी कंपनियों की 10 वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की। वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 28.56 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 3,969.47 करोड़ था, का विवरण ***तालिका 5.12*** और ***तालिका 5.13*** में दिया गया है।

**तालिका 5.12: सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव**

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1. | वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | कंपनी ने अगस्त 2021, दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में ₹ 290.84 करोड़ की राशि के 78 कार्यों का पूंजीकरण किया, जो जून 2007 से मार्च 2022 तक चालू किए गए थे। इन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की गणना संबंधित परियोजनाओं के चालू होने की तारीख के बजाय हस्तांतरण की तारीख अर्थात अगस्त 2021, दिसंबर 2021 और मार्च 2022 से की गई थी। कंपनी ने इन परियोजनाओं पर ₹ 18.09 करोड़ का कम मूल्यह्रास दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय को कम बताया गया और लाभ को ₹ 18.09 करोड़ तक अधिक बताया गया। |
| 2 | | कंपनी (हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) ने मैसर्ज केपीटीएल पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 220 केवी जीआईएस सब-स्टेशन, सेक्टर-77, गुरुग्राम के निर्माण का कार्य सौंपा (24 मई 2017)। हालांकि, भूमि के मुआवजे में कई गुना वृद्धि के कारण, राज्य सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर-77 में पड़ने वाले ग्राम शिकोहपुर में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही बंद करने का निर्णय लिया। कंपनी ने आगे 220 केवी जीआईएस सब-स्टेशन सेक्टर-77, गुरुग्राम (आंशिक रूप से निर्मित) को विघटित करने और एक वैकल्पिक साइट (सेक्टर-75ए, गुरुग्राम) में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। आगे, विघटन की लागत ₹ 2.48 करोड़ (जिसमें से 50 प्रतिशत हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा वहन की जानी है) का अनुमान लगाया गया था। कंपनी को ₹ 9.23 करोड़ (सिविल एवं निर्माण) की प्रक्रियागत कार्य (डब्ल्यूआईपी) में दर्ज परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना चाहिए और अपेक्षित नुकसान के लिए ₹ 1.24 करोड़ (₹ 2.48 करोड़ की अनुमानित विघटन लागत का 50 प्रतिशत) का प्रावधान किया।<br>इसके परिणामस्वरूप प्रगतिधीन कार्य को ₹ 9.23 करोड़ तक अधिक बताया गया है, विघटन के प्रावधान को ₹ 1.24 करोड़ तक कम बताया गया है और लाभ को ₹ 10.47 करोड़ तक अधिक बताया गया है। |

**तालिका 5.13: सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव**

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड | भारतीय लेखांकन मानक-19 के पैरा 63 में अपेक्षित है कि प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) को मान्यता देगा। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2022 को वित्त पोषित लाभों और गैर-वित्त पोषित लाभों के लिए निवल परिभाषित लाभ देयता क्रमशः ₹ 4,535.50 करोड़ और ₹ 362.96 करोड़ बनती है। कंपनी ने लेखों वित्त पोषित लाभों के प्रति ₹ 928.99 करोड़ की देयता/प्रावधान प्रदान किया है और गैर-वित्त पोषित लाभों के प्रति कुछ भी प्रदान नहीं किया है। परिणामस्वरूप, कर्मचारियों के लाभों के लिए देयता/प्रावधान को ₹ 3,969.47 करोड़ तक कम बताया गया है और अन्य इक्विटी को उसी सीमा तक अधिक बताया गया है। |

## 5.14 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालने वालों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के

अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टों में या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पाई गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गई थीं। वर्ष के दौरान, 11 सरकारी कंपनियों और एक सांविधिक निगम को प्रबंधन-पत्र जारी किए गए थे। प्रबंधन पत्रों में लेखांकन नीतियों/प्रथाओं के अनुप्रयोग/व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण से संबंधित कमियों को इंगित किया गया था।

## 5.15 निष्कर्ष

31 मार्च 2022 तक, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरियाणा में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे, जिनमें दो सांविधिक निगम और 35 सरकारी कंपनियां (चार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) शामिल थीं।

- अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार, लाभ की सूचना देने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या 2021-22 में 20 है, जबकि 2020-21 में इनकी संख्या 19 थी। अर्जित लाभ 2020-21 में ₹ 1,698.89 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ हो गया।
- 2021-22 के दौरान नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 459.65 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 395.08 करोड़ (85.96 प्रतिशत) की हानि, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से संबंधित है जो ऊर्जा और बिजली विभाग में कार्यशील हैं।
- राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। 31 मार्च 2022 तक 35 सरकारी कंपनियों में से 33 सरकारी कंपनियों (परिसमापन के अंतर्गत दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को छोड़कर) के वर्ष 2021-22 के लेखे देय थे। तथापि, केवल 10 सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2021-22 के अपने लेखे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2022 तक प्रस्तुत किए। 23 सरकारी कंपनियों के लेखे एक से पांच वर्ष तक की अवधि के बकाया थे।

## 5.16 सिफारिशें

1. राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से उनके वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे क्योंकि उनके वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के अभाव में ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।

2. राज्य सरकार को चार निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने/परिसमापन प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि वे न तो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और न ही उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया था।

3. राज्य सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जिनकी निवल संपत्ति कम हो गई है, के संबंध में परिचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने और उनके परिचालन परिणामों में सुधार के लिए एक प्रभावी दीर्घकालिक योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

**चंडीगढ़** **(नवनीत गुप्ता)**

**दिनांक: 07** फरवरी **2023** **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

**दिनांक**: 10 **फरवरी** 2023 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट 1.1

## राज्य प्रोफाइल

## (संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

| **राज्य प्रोफाइल** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क.** | **सामान्य डाटा** | | | |
| **क्र.सं.** | **विवरण** | | | **आंकड़े** |
| **1** | क्षेत्र | | | 44,212 वर्ग कि.मी. |
| **2** | जनसंख्या | | | |
| | क | 2001 की जनगणना के अनुसार | | 2.11 करोड़ |
| | ख | 2011 की जनगणना के अनुसार | | 2.54 करोड़ |
| **3** | जनसंख्या घनत्व[1] (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) | | | 573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. |
| **4** | गरीबी रेखा[2] से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत) | | | 11.16 प्रतिशत |
| **5** | साक्षरता[3] (2011) (अखिल भारतीय औसत=73 प्रतिशत) | | | 75.60 प्रतिशत |
| **6** | शिशु मृत्यु-दर[4] (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1000 सजीव जन्म) | | | 28 |
| **7** | जन्म[5] पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.7 वर्ष) | | | 69.9 वर्ष |
| **8** | गिनी गुणांक[6] | | | |
| | क | (अखिल भारतीय=35.70) | | ग्रामीण 0.30 |
| | ख | | | शहरी 0.36 |
| **9** | वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2021-22[7] | | | ₹ 8,95,672 करोड़ |
| **10** | प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2012-13 से 2021-22) | | हरियाणा | 9.51 |
| **11** | | | अखिल भारतीय | 6.87 |
| **12** | स.रा.घ.उ. की सी.ए.जी.आर. (2012-13 से 2021-22) | | हरियाणा | 11.11 |
| **13** | | | अखिल भारतीय | 10.11 |
| **14** | हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022) | | | 15.81 |
| **15** | अखिल भारतीय जनसंख्या[8] वृद्धि (2012 से 2022) | | | 12.12 |

**ख वित्तीय आंकड़े**

| **विवरण** | | **आंकड़े (प्रतिशत में)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2012-13 से 2015-16** | | **2016-17 से 2019-20** | | **2019-20 से 2020-21** | | **2020-21 से 2021-22** | |
| | **सी.ए.जी.आर** | **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य** | **हरियाणा** | **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य** | **हरियाणा** | **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य** | **हरियाणा** | **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य** | **हरियाणा** |
| क | राजस्व प्राप्तियों का | 13.79 | 12.23 | 8.68 | 8.92 | (-) 4.12 | (-)0.44 | 25.60 | 15.59 |
| ख | स्वयं के कर राजस्व का | 8.92 | 9.49 | 9.15 | 7.96 | (-) 4.06 | (-)2.13 | 25.62 | 27.35 |
| ग | कर-भिन्न राजस्व का | 9.80 | 0.57 | 15.41 | 6.09 | (-) 34.63 | (-)5.93 | 45.46 | 6.22 |
| घ | कुल व्यय का | 16.32 | 21.39 | 6.99 | 9.17 | 4.99 | (-)6.05 | 13.96 | 13.22 |
| ड | पूंजीगत व्यय का | 25.38 | 6.23 | (-) 4.95 | 37.01 | (-) 2.09 | (-)66.77 | 25.59 | 88.18 |
| च | राजस्व व्यय का | 14.51 | 27.87 | 9.59 | 7.44 | 6.12 | 6.01 | 12.25 | 9.43 |
| छ | शिक्षा पर राजस्व व्यय का | 12.31 | 12.17 | 9.26 | 9.38 | (-) 0.90 | (-)3.11 | 11.47 | 9.86 |
| ज | स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का | 17.22 | 15.94 | 11.86 | 16.87 | 15.29 | 13.62 | 19.71 | 18.13 |
| झ | वेतन एवं मजदूरी का | 10.50 | 10.07 | 9.86 | 8.88 | 2.83 | 1.03 | 11.23 | 7.26 |
| ञ | पेंशन का | 12.16 | 14.17 | 15.01 | 15.98 | 6.48 | 9.96 | 11.88 | 9.31 |

1 कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

3 जनगणना 2011

4 एस.आर.एस. बुलेटिन

5 एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2015-19

6 विश्व बैंक, http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/DatabookDec2014%20106.pdf.

7 सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा आपूर्ति की गई सूचना।

8 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या अनुमान।

## परिशिष्ट 1.2

## (संदर्भः अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 8)

## 31 मार्च 2022 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

**(₹ करोड़ में)**

| 31 मार्च 2021 को | देयताएं | | | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|---|---|
| **2,03,958.21** | | **आंतरिक ऋण** | | **2,26,208.23** |
| | 1,61,214.18 | ब्याज युक्त बाजार ऋण | 1,85,357.53 | |
| | 2.26 | ब्याज रहित बाजार ऋण | 0.02 | |
| | शून्य | जीवन बीमा निगम से ऋण | शून्य | |
| | 34,381.04 | अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण | 33,489.81 | |
| | 8,360.73 | केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 7,360.87 | |
| **5,851.97** | | **केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम** | | **13,234.58** |
| | | 1984-85 से पूर्व के ऋण | | |
| | 37.04 | योजनेत्तर ऋण | 7.57 | |
| | 970.02 | राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण | 844.71 | |
| | 4,844.91 | विधाई स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण | 12,382.30 | |
| **1,000.00** | | **आकस्मिक निधि** | | **1,000.00** |
| **17,996.91** | | **लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि** | | **18,394.45** |
| **9,471.56** | | **जमा** | | **11,724.95** |
| **7,823.91** | | **आरक्षित निधियां** | | **8,848.92** |
| | | **उचंत तथा विविध शेष** | | **241.40** |
| **312.85** | | **प्रेषण शेष** | | **314.60** |
| **2,46,415.41** | | | | **2,79,967.13** |
| **31 मार्च 2021 को** | **परिसंपत्तियां** | | | **31 मार्च 2022 को** |
| **1,18,035.14** | | **स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय** | | **1,29,013.56** |
| | 37,566.55 | कंपनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश | 37,865.68 | |
| | 80,468.59 | अन्य पूंजीगत परिव्यय | 91,147.88 | |
| **7,884.05** | | **ऋण एवं अग्रिम** | | **8,350.07** |
| | 1,179.37 | बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण | 949.24 | |
| | 6,492.24 | अन्य विकास ऋण | 7,273.14 | |
| | 212.44 | सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण | 127.69 | |
| **0.74** | | **अग्रिम** | | **0.74** |
| **24.24** | | **उचन्त एवं विविध शेष** | | **शून्य** |
| | | **प्रेषण शेष** | | |
| **3,147.94** | | **नकद** | | **4,946.11** |
| | 0.54 | कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण | 0.54 | |
| | (-) 463.47 | रिजर्व बैंक में जमा | (-) 371.24 | |
| | 3.34 | विभागीय नकद शेष | 4.41 | |
| | 0.12 | स्थायी अग्रिम | 0.12 | |
| | 1,564.72 | नकद शेष निवेश | 2,597.52 | |
| | 2,042.69 | आरक्षित निधि निवेश | 2,714.76 | |
| **1,17,323.30** | | **सरकारी लेखों पर घाटा** | | **1,37,656.65** |
| | 22,385.59 | (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा | 20,333.34 | |
| | 95,654.00 | (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा | 1,17,323.30 | |
| | (-) 1,516.29 | (iii) विविध सरकारी लेखे | शून्य | |
| | 800.00 | (iv) आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन | शून्य | |
| | | राउंडिंग के कारण अंतर (वित्त लेखों के अनुसार) | 0.01 | |
| **2,46,415.41** | | **कुल** | | **2,79,967.13** |

**स्रोत: वित्त लेखे**

## परिशिष्ट 2.1

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 16)

## वर्ष 2021-22 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

**(₹ करोड़ में)**

| प्राप्तियां | | | | संवितरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020-21 | | 2021-22 | | 2020-21 | | 2021-22 |
| **भाग कः राजस्व** | | | | | | | |
| **I. राजस्व प्राप्तियां** | **67,561.01** | | **78,091.69** | **I. राजस्व व्यय** | **89,946.60** | | **98,425.03** |
| कर राजस्व | 41,913.80 | 53,377.16 | | **सामान्य सेवाएं** | **34,734.17** | | **37,947.91** |
| कर भिन्न राजस्व | 6,961.49 | 7,394.13 | | **सामाजिक सेवाएं** | **36,163.96** | | **40,927.67** |
| संघीय करों में राज्यांश | 6,437.59 | 9,722.16 | | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 14,029.47 | 15,412.42 | |
| नॉन प्लान अनुदान | - | - | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 5,081.05 | 6,001.83 | |
| राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान | - | - | | जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास | 5,914.79 | 6,780.06 | |
| केन्द्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान | - | - | | सूचना एवं प्रसारण | 132.81 | 213.13 | |
| केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें | 3,135.18 | 3,332.31 | | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 376.01 | 396.06 | |
| वित्त आयोग अनुदान | 2,364.00 | 1,192.05 | | श्रम एवं श्रम कल्याण | 935.17 | 1,328.37 | |
| राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान | 6,748.95 | 3,073.88 | | समाज कल्याण एवं पोषण | 9,686.43 | 10,785.09 | |
| | | | | अन्य | 8.23 | 10.71 | |
| | | | | **आर्थिक सेवाएं** | **19,048.47** | | **19,549.45** |
| | | | | कृषि एवं सहायक गतिविधियां | 4,205.56 | 4,790.92 | |
| | | | | ग्रामीण विकास | 4,498.67 | 1,985.44 | |
| | | | | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1,574.44 | 2,044.79 | |
| | | | | ऊर्जा | 5,788.32 | 7,130.30 | |
| | | | | उद्योग एवं खनिज | 390.60 | 457.21 | |
| | | | | परिवहन | 2,442.29 | 2,935.81 | |
| | | | | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 31.83 | 20.35 | |
| | | | | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 116.76 | 184.63 | |
| | | | | **सहायता अनुदान तथा अंशदान** | **शून्य** | | |
| **II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व घाटा** | **22,385.59** | | **20,333.34** | **II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व आधिक्य** | | | |
| **योग भाग क** | **89,946.60** | | **98,425.03** | | **89,946.60** | | **98,425.03** |
| **भाग ख- अन्य** | | | | | | | |
| **III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष** | **3,999.47** | | **3,147.94** | **III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट** | | | |
| **IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां** | **62.96** | | **67.15** | **IV. पूंजीगत परिव्यय** | **5,869.70** | | **11,045.56** |
| | | | | **सामान्य सेवाएं** | **387.61** | **562.07** | **562.07** |
| | | | | **सामाजिक सेवाएं** | **2,986.12** | **5,471.24** | **5,471.24** |
| | | | | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 409.32 | 578.60 | |
| | | | | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 766.37 | 895.70 | |
| | | | | जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास | 1,594.50 | 3,811.77 | |
| | | | | सूचना एवं प्रसारण | 80.00 | 78.05 | |
| | | | | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 0.48 | 0 | |
| | | | | समाज कल्याण एवं पोषण | 64.55 | 62.02 | |
| | | | | अन्य | 70.90 | 45.10 | |

| प्राप्तियां | | | | संवितरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020-21 | | 2021-22 | | 2020-21 | | 2021-22 |
| | | | | **आर्थिक सेवाएं** | **2,495.97** | | **5,012.25** |
| | | | | कृषि एवं सहायक गतिविधियां | (-)1,171.85 | -22.92 | |
| | | | | ग्रामीण विकास | 97.06 | 100.04 | |
| | | | | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1,365.75 | 1,807.54 | |
| | | | | ऊर्जा | 527.09 | 0.06 | |
| | | | | उद्योग एवं खनिज | 4.79 | 22.68 | |
| | | | | परिवहन | 1,513.34 | 2,823.86 | |
| | | | | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 23.00 | 10.35 | |
| | | | | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 136.79 | 270.64 | |
| **V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां** | **431.95** | | **500.24** | **V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम** | **925.70** | | **966.27** |
| बिजली परियोजनाओं से | 225.87 | 240.43 | | बिजली परियोजनाओं हेतु | 56.15 | 10.30 | |
| सरकारी कर्मचारियों से | 65.63 | 183.23 | | सरकारी कर्मचारियों को | 201.71 | 98.48 | |
| अन्य से | 140.45 | 76.58 | | अन्यों को | 667.84 | 857.49 | |
| **VI राजस्व आधिक्य भाग क से अग्रनीत** | **-** | | | **VI. राजस्व घाटा भाग क से अग्रनीत** | **22,385.59** | | **20,333.34** |
| **VII. लोक ऋण प्राप्तियां** | **53,816.73** | | **55,105.60** | **VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान** | **29,497.60** | | **25,472.95** |
| बाह्य ऋण | | | | बाह्य ऋण | | | |
| आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त) | 44,362.72 | 44,792.38 | | आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अतिरिक्त) | 24,190.11 | 22,542.35 | |
| अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन | 4,977.33 | 2,775.83 | | अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेनदेन | 4,977.33 | 2,775.83 | |
| केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 4,476.68 | 7537.39 | | केन्द्रीय सरकार के ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान | 330.16 | 154.77 | |
| **VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन** | **800** | | | **VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन** | **800.00** | | |
| **IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि** | | **900** | **900** | **IX. आकस्मिक निधि से व्यय** | | **900** | **900** |
| **X. लोक लेखा प्राप्तियां** | **53,760.90** | | **55,670.95** | **X. लोक लेखा संवितरण** | **50,245.48** | | **51,727.64** |
| लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि. | 3,604.79 | 3,569.29 | | लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि. | 2,570.34 | 3,171.76 | |
| आरक्षित निधियां | 1,342.32 | 1,668.69 | | आरक्षित निधियां | 2,012.76 | 643.69 | |
| उचन्त एवं विविध | 2,610.02 | 1,363.26 | | उचन्त एवं विविध | 1,047.48 | 1,097.62 | |
| प्रेषण | 8,795.19 | 10,992.28 | | प्रेषण | 8,756.08 | 10,990.53 | |
| जमा एवं अग्रिम | 37,408.58 | 38,077.43 | | जमा एवं अग्रिम | 35,858.82 | 35,824.04 | |
| **XI. भारतीय रिजर्व बैंक से संवरण ओवरड्राफ्ट** | | | | **XI. अंतिम रोकड़ शेष** | **3,147.94** | | **4,946.12** |
| | | | | कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद राशि | 0.54 | 0.54 | |
| | | | | रिजर्व बैंक के साथ जमा | (-)463.47 | -371.24 | |
| | | | | स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष | 3.46 | 4.53 | |
| | | | | नकद शेष निवेश | 1,564.72 | 2,597.52 | |
| | | | | चिह्नित निवेश | 2,042.69 | 2,714.76 | |
| | | | | पूर्णांकन के कारण अंतर | -- | 0.01 | |
| **योग भाग-ख** | **1,12,872.01** | | **1,15,391.88** | **योग** | **1,12,872.01** | | **1,15,391.88** |

## परिशिष्ट 2.2
## (संदर्भः अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 19)
## राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम डाटा

**(₹ करोड़ में)**

| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **भाग-क प्राप्तियां** | | | | | |
| **1. राजस्व प्राप्तियां** | **62,695** | **65,885** | **67,858** | **67,561** | **78,092** |
| **(i) कर राजस्व** | **41,099(66)** | **42,581 (65)** | **42,825 (63)** | **41,914 (62)** | **53,377 (68)** |
| बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर | 15,609(38) | 8,998 (21) | 8,398 (19) | 8,660 (21) | 11,221(21) |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 4,966(12) | 6,042 (14) | 6,323 (15) | 6,864 (16) | 7,934 (15) |
| वाहनों पर कर | 2,778(7) | 2,908 (7) | 2,916 (7) | 2,495 (6) | 3,265 (6) |
| स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस | 4,193(10) | 5,636 (13) | 6,013 (14) | 5,157 (12) | 7,598 (14) |
| भू-राजस्व | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 |
| माल एवं यात्रियों पर कर | 2,317(6) | 21 | 16 | 4 | 6 |
| बिजली पर कर एवं शुल्क | 306(1) | 337 (1) | 262 (1) | 476 (1) | 404 (1) |
| राज्य माल एवं सेवा कर | 10,833(26) | 18,613 (44) | 18,873 (44) | 18,236 (44) | 22,922(43) |
| अन्य कर | 79 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| **(ii) कर-भिन्न राजस्व** | **9,113(14)** | **7,976 (12)** | **7,400 (11)** | **6,961 (10)** | **7,394 (9)** |
| **(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का अंश** | **7,298(12)** | **8,255 (12)** | **7,111 (10)** | **6,438 (10)** | **9,722 (12)** |
| **(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान** | **5,185(8)** | **7,073 (11)** | **10,522 (16)** | **12,248 (18)** | **7,599 (10)** |
| **2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां** | **40** | **49** | **54** | **63** | **67** |
| **3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां** | **6,341** | **5,372** | **5,393** | **432** | **500** |
| **4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)** | **69,076** | **71,306** | **73,305** | **68,056** | **78,659** |
| **5. लोक ऋण प्राप्तियां** | **21,490** | **34,265** | **44,432** | **53,817** | **55,106** |
| आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित) | 21,270(99) | 33,635 (98) | 43,068 (97) | 44,363 (83) | 44,793 (81) |
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | 79 | 505 (2) | 1,262 (3) | 4,977 (9) | 2,776(5) |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 141(1) | 125 | 102 | 4,477* (8) | 7,537**(14) |
| **6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)** | **90,566** | **1,05,571** | **1,17,737** | **1,21,873** | **1,33,765** |
| **7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां** | **27** | **12** | **शून्य** | **800** | **900** |
| **8. लोक लेखे प्राप्तियां** | **33,894** | **40,785** | **45,047** | **53,761** | **55,671** |
| **9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)** | **1,24,487** | **1,46,368** | **1,62,784** | **1,76,434** | **1,90,336** |
| **भाग- ख व्यय/संवितरण** | | | | | |
| **10. राजस्व व्यय** | **73,257** | **77,155** | **84,848** | **89,946** | **98,425** |
| योजनागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0 |
| योजनेत्तर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0 |
| सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित) | 26,699(36) | 28,169 (36) | 31,884 (38) | 34,734 (39) | 37,948 (38) |
| आर्थिक सेवाएं | 18,107(25) | 19,021 (25) | 19,238 (22) | 19,048 (21) | 19,549 (20) |
| सामाजिक सेवाएं | 28,061(38) | 29,743(38) | 33,726 (40) | 36,164 (40) | 40,928(42) |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 390(1) | 222(1) | शून्य | शून्य | 0 |
| **11. पूंजीगत व्यय** | **13,538** | **15,307** | **17,666** | **5,870** | **11,046** |
| योजनागत | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0 |
| योजनेत्तर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0 |
| सामान्य सेवाएं | 481(4) | 715 (5) | 586 (3) | 388 (7) | 562 (5) |
| आर्थिक सेवाएं | 9,884(73) | 10,787 (70) | 13,846 (79) | 2,496 (42) | 5,013 (45) |
| सामाजिक सेवाएं | 3,173(23) | 3,805 (25) | 3,234 (18) | 2,986 (51) | 5,471 (50) |
| **12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण** | **1,395** | **756** | **1,309** | **926** | **966** |
| **13. कुल (10+11+12)** | **88,190** | **93,218** | **1,03,823** | **96,742** | **1,10,437** |
| **14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान** | **6,339** | **17,184** | **15,776** | **29,498** | **25,473** |
| आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित) | 6,074(96) | 16,480 (96) | 14,250 (90) | 24,191 (82) | 22,542 (88) |
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | 79(1) | 505 (3) | 1,262 (8) | 4,977 (17) | 2,776(11) |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 186(3) | 199 (1) | 264 (2) | 330 (1) | 155 (1) |
| **15. आकस्मिक निधि के विनियोजन** | - | - | **शून्य** | **800** | **0** |
| **16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)** | **94,529** | **1,10,402** | **1,19,599** | **1,27,040** | **1,35,910** |
| **17. आकस्मिक निधि संवितरण** | **27** | **12** | **शून्य** | **शून्य** | **900** |
| **18. लोक लेखा संवितरण** | **31,171** | **37,386** | **42,171** | **50,245** | **51,728** |
| **19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)** | **1,25,727** | **1,47,800** | **1,61,770** | **1,77,285** | **1,88,538** |

* वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

** वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।

| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| **भाग ग-घाटा/आधिक्य** | | | | | |
| **20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)** | **(-)10,562** | **(-) 11,270** | **(-) 16,990** | **(-) 22,385** | **-20,333** |
| **21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)** | **(-)19,114** | **(-) 21,912** | **(-) 30,518** | **(-) 29,486** | **-31,778** |
| **22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)** | **(-)7,153** | **(-) 8,361** | **(-) 14,930** | **(-) 12,371** | **-13,416** |
| **भाग-घ अन्य डाटा** | | | | | |
| **23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)** | **11,961** | **13,551** | **15,588** | **17,115** | **18,362** |
| **24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता** | **9,844** | **10,078** | **11,337** | **13,012** | **12,446** |
| **25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट(दिनों में)** | **79(2)** | **505(4)** | **1,262 (11)** | **4,977(42)** | **2,776** |
| **26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज** | **0.02** | **0.29** | **0.42** | **1.31** | **0.29** |
| **27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[1]** | **6,38,832** | **6,98,189** | **7,62,044** | **7,58,507** | **8,95,672** |
| **28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)** | **1,64,076** | **1,84,216** | **2,15,562** | **2,38,708[2]** | **2,63,950[3]** |
| **29. बकाया गारंटियां-ब्याज सहित (वर्ष के अन्त में)** | **14,138** | **18,220** | **20,738** | **23,053** | **24,343** |
| **30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या** | **25** | **23** | **26** | **48** | **19** |
| **31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)** | **167.14** | **127.30** | **221.57** | **546.30** | **190.05** |
| **भाग-ई राजकोषीय स्थिति सूचक** | | | | | |
| **I संसाधन संघटन** | | | | | |
| स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ. | 0.064 | 0.061 | 0.056 | 0.055 | 0.060 |
| स्वयं का कर-भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ. | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 |
| केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ. | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.011 |
| **II व्यय प्रबंधन** | | | | | |
| कुल व्यय/स.रा.घ.उ. | 0.138 | 0.134 | 0.136 | 0.129 | 0.109 |
| कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां | 1.407 | 1.415 | 1.530 | 1.444 | 1.249 |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय | 0.831 | 0.828 | 0.817 | 0.922 | 1.009 |
| सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय | 0.354 | 0.360 | 0.356 | 0.401 | 0.476 |
| आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय | 0.317 | 0.320 | 0.319 | 0.221 | 0.252 |
| पूंजीगत व्यय/कुल व्यय | 0.154 | 0.164 | 0.170 | 0.060 | 0.113 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय | 0.148 | 0.157 | 0.165 | 0.056 | 0.107 |
| **III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन** | | | | | |
| राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. | (-) 0.017 | (-) 0.016 | (-) 0.022 | (-) 0.030 | (-) 0.023 |
| राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ. | (-) 0.030 | (-) 0.031 | (-) 0.040 | (-) 0.039 | (-) 0.035 |
| प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. | (-) 0.011 | (-) 0.012 | (-) 0.020 | (-) 0.016 | (-) 0.015 |
| राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा | 0.553 | 0.514 | 0.557 | 0.759 | 0.640 |
| **IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन** | | | | | |
| राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ. | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां | 2.617 | 2.796 | 3.177 | 3.533 | 3.380 |
| **V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक** | | | | | |
| निवेश पर रिटर्न | 7.53 | 56.60 | 87.01 | 163.14 | 1,007.59 |
| वित्तीय परिसम्पतियां/देयताएं | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.51 |

1 आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

2 वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ को छोड़कर।

3 भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में)

## परिशिष्ट 2.3

**(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.2.2 (iii); पृष्ठ 22)**

## राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2022 तक राजस्व के बकाया

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2022 को बकाया राशि | 31 मार्च 2022 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि | विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वसूली की स्थिति | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कोर्ट द्वारा स्टे | सरकार द्वारा स्टे | दिवालिया डीलर | बट्टे खाते में डाला जाना | संशोधन/ समीक्षा/ अपील | न्यायालय में मामले | अन्य कारण | आधिकारिक परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर[4] | अंतर्राज्यीय बकाया | अंतर जिला बकाया | किस्तों में | कार्रवाई के विभिन्न चरणों में |
| 1 | बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट | 33,063.37 | 5,364.18 | 1,046.89 | 66.61 | 84.81 | 106.03 | 2,977.50 | 3,370.45 | 4,793.24 | 1,992.80 | 333.18 | 85.43 | 0.25 | 18,206.18 |
| 2 | राज्य उत्पाद शुल्क | 494.11 | 254.52 | 21.78 | - | - | 1.08 | - | 28.60 | 39.59 | - | 44.79 | 73.58 | - | 284.69 |
| 3 | स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर) | 208.11 | 181.26 | 182.46 | - | - | - | - | 0.07 | 0.44 | 4.88 | - | - | | 20.26 |
| 4 | वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां | 11.12 | 11.11 | 8.52 | - | - | - | - | 0.21 | 0.01 | - | - | - | - | 2.38 |
| 5 | पुलिस | 128.86 | 40.91 | - | 7.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.48 |
| 6 | बिजली पर कर और शुल्क | 410.85 | 210.88 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | | | | | | | | | | | | |

**स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।**

[4] औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

## परिशिष्ट 2.4

**(संदर्भः अनुच्छेद 2.4.3.2 (ii); पृष्ठ 38)**

**वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखे के अनुसार सरकारी निवेश**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | वित्त लेखे के अनुसार (एस-16) | कंपनी लेखा के अनुसार (एस-19) | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हरियाणा वित्तीय निगम | 204.22 | 202.01 | (-) 2.21 |
| 2 | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड | 9,584.68 | 13,459.51 | 3,874.83 |
| 3 | हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला | 3,437.95 | 3,037.76 | (-) 400.19 |
| 4 | हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 49.46 | 48.20 | (-) 1.26 |
| 5 | हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 4.77 | 5.57 | 0.80 |
| 6 | हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम | 33.84 | 26.14 | (-) 7.70 |
| 7 | हरियाणा पुलिस आवास निगम | 69.82 | 25.00 | (-) 44.82 |
| 8 | हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम | 8.41 | 6.80 | (-) 1.61 |
| 9 | हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 2.74 | 2.76 | 0.02 |
| 10 | हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 9.90 | 9.89 | (-) 0.01 |
| 11 | हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 2.62 | 2.65 | 0.03 |
| 12 | हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 76.10 | 72.36 | (-) 3.74 |
| 13 | हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 70.12 | 122.04 | 51.92 |
| 14 | हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 1.40 | 1.81 | 0.41 |
| 15 | हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद | 0.22 | 1.17 | 0.95 |
| 16 | हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | शून्य | 37.76 | 37.76 |
| 17 | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला | 3,638.97 | 4,303.05 | 664.08 |
| 18 | हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 14.86 | 15.51 | 0.65 |
| 19 | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला | 11,128.04 | 15,227.63 | 4,099.59 |
| 20 | हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम | शून्य | 14.40 | 14.40 |
| 21 | हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड | शून्य | 5.00 | 5.00 |
| 22 | हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड | 160.00 | 239.22 | 79.22 |
| 23 | हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड | 0.07 | 0.10 | 0.03 |
| 24 | हरियाणा लिमिटेड की ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवाएं | 10.10 | 10.00 | -0.10 |
| | **कुल** | **28,508.29** | **36,876.34** | **8,368.05** |

## परिशिष्ट 2.5

## (संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iii); पृष्ठ 38)

## कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना परियोजनाओं का विवरण

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | विभाग/एजेंसी | अनुमानित लागत (₹ करोड़ में) | संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.) | प्रदानगी की तिथि | पूर्णता की संभावित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सिकंदरपुर स्टेशन से एन.एच.-8 गुड़गांव तक मेट्रो लिंक | एच.एम.आर.टी.सी.एल. (रैपिड मेट्रो गुड़गांव साउथ लिमिटेड) | 1,088.00 | बी.ओ.टी. | 16 जुलाई 2009 | 14 नवंबर 2013 राज्य को राजस्व उत्पन्न करना- शून्य। परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव को एच.एम.आर.टी.सी. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और 23.10.2019 को लाइसेंसधारक के रूप में डी.एम.आर.सी. को सौंप दिया गया है। मेट्रो परियोजनाओं के संचालन से किराया वसूली डी.एम.आर.सी. के नाम से खोले गए एक अलग खाते में की जाती है। |
| 2. | कुंडली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण | एच.एस.आई.आई.डी.सी. (मैसर्ज एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड) | 1,863.00 | बी.ओ.टी. | 31 जुलाई 2015 (प्रारंभ करने की तिथि 24 अगस्त 2016) | 04 दिसंबर 2018 (राजस्व वितीय वर्ष: ₹ 162.73 करोड़) |
| 3. | दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर से सेक्टर 56, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक | एच.एम.आर.टी.सी.एल. | 2,143.00 | डी.बी.एफ.ओ.टी. | 1 अक्तूबर 2012 | मार्च 2017 राज्य को राजस्व सृजन- शून्य। परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव को एच.एम.आर.टी.सी. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और 23.10.2019 को लाइसेंसधारक के रूप में डी.एम.आर.सी. को सौंप दिया गया है। मेट्रो परियोजनाओं के संचालन से किराया वसूली डी.एम.आर.सी. के नाम से खोले गए एक अलग खाते में की जाती है |
| 4. | हरियाणा विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड की जे.के.टी.पी.एल. | कल्पतरु पावर ट्रांस लिमिटेड और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीरनियरिंग के संयुक्त उद्यम | 382.00 | डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर) | 14 मई 2010 | 12 मार्च 2012 |
| 5. | बस स्टैंड, एन.आई.टी. फरीदाबाद | डी.जी.एस.टी. (मैसर्ज पैसिफिक रिटेल काउंटर्स) | 110.94 | डी.बी.एफ.ओ.टी. | 14 जून 2018 | निचले भूतल तक का निर्माण कार्य पूर्ण (मई 2021) किया गया तथा भूतल से द्वितीय तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है |
| 6. | हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका भिवानी रोड (0.00 से 14.28 किलोमीटर) पर पक्के फुटपाथ के साथ 2 लेनिंग का विकास | लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) | 94.00 | डी.बी.एफ.ओ.टी. (टोल) 23.06.2016 | | पूरा हुआ |
| 7. | गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ सोहना रोड का रख-रखाव (लंबाई 66.185 किलोमीटर) | लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) | 180.00 | बी.ओ.टी. | | परियोजना परिचालन चरण में है। |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | विभाग/एजेंसी | अनुमानित लागत (₹ करोड़ में) | संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.) | प्रदानगी की तिथि | पूर्णता की संभावित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन | कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग | 130.00 | - | 2007-2012 | उक्त परियोजना 2007 में शुरू की गई है और जी.आई.टी.आई. को 2007-2012 से 5 चयन चक्रों में चुना गया है। जारी ऋण राशि 10 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद 20 वर्षों में वापस की जानी है। तदनुसार, परियोजना को 2042 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक ₹ 14.33 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है |
| 9. | रेडियोलॉजिकल सर्विसिज | स्वास्थ्य | शून्य | डी.एफ.ओ. एंड एम. | जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से जुलाई 2014 से परियोजना शुरू हुई | 17 जिलों में 18 केंद्रों पर सीटी स्कैन सेवाएं और पांच जिलों में एम.आर.आई. सुविधाएं कार्यात्मक हैं। |
| 10. | हेमोडायलिसिस | स्वास्थ्य | शून्य | डी.एफ.ओ. एंड एम. | 14 जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से दिसंबर 2015 में परियोजना शुरू हुई | 18 जिलों में 18 केंद्रों पर सेवाएं कार्यात्मक हैं और तीन जिलों (कुरुक्षेत्र, मेवात, अंबाला शहर) में प्रगति पर हैं। |
| 11. | कैथ लैब सर्विसिज | स्वास्थ्य | शून्य | डी.एफ.ओ. एंड एम. | चार जिला अस्पतालों के लिए चरणबद्ध ढंग से मार्च 2016 से परियोजना शुरू हुई | चार जिला अस्पतालों में सेवाएं कार्यात्मक हैं। |
| 12. | गुड़गांव मनोरंजन पार्क का निर्माण | एच.एस.आई.आई.डी.सी. | 230.00 | संयुक्त उद्यम | 01 अप्रैल 2004 | संयुक्त उद्यम कंपनी-मैसर्स गुड़गांव रिक्रिएशन पार्क लिमिटेड (जी.आर.पी.एल.) ने एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड से लिए गए अपने ऋण के भुगतान में चूक की थी। एच.डी.एफ.सी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जी.आर.पी.एल. की संपत्ति की नीलामी की अनुमति मांगने के लिए एक मामला दायर किया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी अक्तूबर 2021 तक होनी है। |
| 13. | हरियाणा राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास के लिए 13 परियोजनाएं | शहरी स्थानीय निकाय | 1,701.30 | बी.ओ.ओ.टी. | - | 13 परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं को आवंटित किया गया था।<br>दो परियोजनाओं के लिए बोली मूल्यांकन किया जा चुका है और परियोजना को जल्द ही प्रदान किया जाएगा।<br>दो परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में थीं और शेष परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। |
| 14. | एचवीपीएनएल | पीपीपी मोड पर मैसर्ज जेकेटीपीएल | 441.00 | डीबीएफओटी (डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर) | 15 अप्रैल 2010 | 12 मार्च 2012 |

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | विभाग/एजेंसी | अनुमानित लागत (₹ करोड़ में) | संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.) | प्रदानगी की तिथि | पूर्णता की संभावित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | एचएमआरटीसीएल | पूर्ण पीपीपी परियोजनाओं की संख्या:<br>(i) रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम लिमिटेड (आरएमजीएल) द्वारा पीपीपी मोड पर सिकंदरपुर स्टेशन से एनएच-8, गुरुग्राम तक की लंबाई 5.1 किलोमीटर की मेट्रो लिंक विकसित की गई थी। परियोजना को नवंबर, 2013 में चालू किया गया था।<br>(ii) रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम साउथ लिमिटेड (आरएमजीएसएल) ने पीपीपी मोड पर सिकंदरपुर स्टेशन से एनएच-8 गुरुग्राम तक की लंबाई 6.5 किलोमीटर मेट्रो लिंक विकसित की गई थी। परियोजना को मार्च, 2017 को चालू किया गया था।<br>(iii) रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम लिमिटेड और रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम साउथ लिमिटेड ने 07.06.2019 को और उसके बाद माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2019 के निर्देशों के अनुसार समाप्ति हेतु नोटिस जारी किया; संचालन और रखरखाव एचएमआरटीसी द्वारा लिया जाता है और डीएमआरसी द्वारा 23.10.2019 से लाइसेंसधारी के रूप में चलाया जा रहा है।<br>(iv) माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2021 के आदेश के अनुसार, 80 प्रतिशत ऋण देय राशि ₹ 1925.92 करोड़ एचएसवीपी द्वारा रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम लिमिटेड/रैपिड मेट्रोरेल गुरुग्राम साउथ लिमिटेड के मौजूदा एस्क्रो खातों में 25.06.2021 को जमा किए गए हैं। | | | | |
| **कुल** | | | **8,363.24** | | | |

## परिशिष्ट 3.1

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 68)**

## उन मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | व्यय | कुल प्रावधान में से बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | |
| 1 | 1-विधानसभा | 82.81 | 14.62 | 76.11 | 21.32 |
| 2 | 6-वित्त | 19,335.15 | 881.50 | 11,212.92 | 9,003.73 |
| 3 | 08-भवन एवं सड़कें | 1,436.72 | 104.50 | 1,392.61 | 148.61 |
| 4 | 9-शिक्षा | 17,162.02 | 139.95 | 14,473.22 | 2,828.75 |
| 5 | 10-तकनीकी शिक्षा | 678.04 | 36.50 | 636.84 | 77.70 |
| 6 | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 372.73 | 116.09 | 266.19 | 222.63 |
| 7 | 12-कला एवं संस्कृति | 66.28 | 6.65 | 24.10 | 48.83 |
| 8 | 13-स्वास्थ्य | 6,177.82 | 947.70 | 6,001.77 | 1,123.75 |
| 9 | 14-शहरी विकास | 134.73 | 0.68 | 125.41 | 10.00 |
| 10 | 17-रोज़गार | 882.50 | 28.30 | 722.39 | 188.41 |
| 11 | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 760.29 | 250.00 | 548.01 | 462.28 |
| 12 | 19-एससी एवं बीसी कल्याण | 522.90 | 26.00 | 396.06 | 152.84 |
| 13 | 21-महिला एवं बाल विकास | 1,474.13 | 359.71 | 1,223.37 | 610.47 |
| 14 | 24-सिंचाई | 3,066.14 | 15.00 | 2,034.93 | 1,046.21 |
| 15 | 27-कृषि | 3,301.07 | 587.04 | 2,603.64 | 1,284.47 |
| 16 | 30-वन एवं वन्य जीवन | 655.17 | 165.05 | 528.15 | 292.07 |
| 17 | 31-पारिस्थितिकी और पर्यावरण | 14.15 | 2.18 | 7.05 | 9.28 |
| 18 | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 5,836.17 | 292.37 | 1,956.82 | 4,171.72 |
| 19 | 33-सह-संचालन | 504.21 | 703.45 | 447.21 | 760.45 |
| 20 | 34-परिवहन | 2,328.61 | 178.12 | 2,141.47 | 365.26 |
| 21 | 35-पर्यटन | 79.32 | 2.48 | 51.95 | 29.85 |
| 22 | 36-गृह | 5,605.89 | 1,276.11 | 5,108.90 | 1,773.10 |
| 23 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 2,030.35 | 442.55 | 1,856.28 | 616.62 |
| 24 | 42-न्याय प्रशासन | 879.00 | 18.00 | 696.56 | 200.44 |
| 25 | 43-जेल | 290.02 | 22.30 | 271.92 | 40.40 |
| | **कुल** | **73,676.22** | **6,616.85** | **54,803.88** | **25,489.19** |
| **पूंजीगत (दत्तमत)** | | | | | |
| 26 | 13-स्वास्थ्य | 1,158.73 | 260.88 | 895.70 | 523.91 |
| 27 | 16-श्रम | 5.01 | 3.40 | 1.15 | 7.26 |
| 28 | 21-महिला एवं बाल विकास | 146.87 | 2.90 | 55.72 | 94.05 |
| 29 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 15,233.28 | 501.00 | 12,942.15 | 2,792.13 |
| 30 | 27-कृषि | 10.01 | 50.00 | 2.23 | 57.78 |
| 31 | 34-परिवहन | 396.92 | 259.59 | 265.01 | 391.50 |
| 32 | 35-पर्यटन | 33.60 | 42.35 | 19.90 | 56.05 |
| 33 | 37-चुनाव | 11.50 | 1.15 | 6.14 | 6.51 |
| 34 | 45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम | 1,239.43 | 888.94 | 966.26 | 1,162.11 |
| | **कुल** | **18,235.35** | **2,010.21** | **15,154.26** | **5,091.30** |
| | **कुल योग** | **91,911.57** | **8,627.06** | **69,958.14** | **30,580.49** |

## उन मामलों के विवरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | व्यय | कुल प्रावधान में से बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | |
| 1 | 2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद | 157.29 | 27.71 | 163.57 | 21.43 |
| 2 | 3-सामान्य प्रशासन | 456.69 | 108.65 | 469.32 | 96.02 |
| 3 | 4-राजस्व | 1,573.32 | 856.30 | 1,880.32 | 549.30 |
| 4 | 5-आबकारी एवं कराधान | 261.01 | 36.40 | 267.53 | 29.88 |
| 5 | 15-स्थानीय सरकार | 4,101.10 | 4,162.58 | 4,566.88 | 3,696.80 |
| 6 | 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 7,800.59 | 900.00 | 8,586.50 | 114.09 |
| 7 | 22-पूर्व सैनिकों का कल्याण | 168.91 | 109.74 | 219.10 | 59.55 |
| 8 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 665.47 | 392.00 | 819.98 | 237.49 |
| 9 | 39-सूचना एवं प्रचार | 212.34 | 58.29 | 214.53 | 56.10 |
| 10 | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 6,452.78 | 2,894.81 | 7,143.61 | 2,203.98 |
| | **कुल** | **21,849.50** | **9,546.48** | **24,331.34** | **7,064.64** |
| **राजस्व (भारित)** | | | | | |
| 11 | 3-सामान्य प्रशासन | 23.50 | 24.80 | 36.29 | 12.01 |
| **कुल** | | **23.50** | **24.80** | **36.29** | **12.01** |
| **पूंजीगत (दत्तमत)** | | | | | |
| 12 | 3-सामान्य प्रशासन | 38.00 | 10.10 | 42.60 | 5.50 |
| 13 | 8-भवन एवं सड़कें | 2,035.69 | 1,185.98 | 2,918.74 | 302.93 |
| 14 | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 55.00 | 34.12 | 72.76 | 16.36 |
| 15 | 14-शहरी विकास | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,015.28 | 484.72 |
| 16 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 1,393.51 | 858.45 | 1,725.85 | 526.11 |
| | **कुल** | **4,522.20** | **3,588.65** | **6,775.23** | **1,335.62** |
| | **कुल योग** | **26,395.20** | **13,159.93** | **31,142.86** | **8,412.27** |

## परिशिष्ट 3.2

## (संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 69)

## प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन का विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान<br>ओः मूल<br>एसः अनुपूरक<br>आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद | 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक<br>03-राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक<br>090-सचिवालय<br>99-राज्यपाल के सचिवालय कर्मचारी<br>98-स्थापना व्यय | (ओ) 9.63<br>(आर) (-) 4.20<br>5.43 | 8.35 | 2.92 |
| 2. | | 2013 -मंत्रिपरिषद-<br>800-अन्य व्यय<br>99-मंत्रियों के आवासों/कार्यालयों का रखरखाव- | (ओ) 11.03<br>(एस) 20.20<br>(आर) (-) 31.22<br>0.01 | 31.17 | 31.16 |
| 3. | 4-राजस्व | 2030-स्टाम्प्स एवं पंजीकरण<br>02-स्टाम्प्स गैर-न्यायिक<br>102-स्टाम्प्स की बिक्री पर व्यय<br>99-चेकिंग स्टाफ | (ओ) 1.06<br>(आर) (-) 1.06<br>0.00 | 14.29 | 14.29 |
| 4. | | 2245-प्राकृतिक नियति के कारण राहत<br>02-बाढ़, चक्रवात आदि<br>101-नि:शुल्क राहत<br>97-बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की आपूर्ति | (ओ) 35.00<br>(आर) 211.67<br>246.67 | 582.51 | 335.84 |
| 5. | | 2245-प्राकृतिक नियति के कारण राहत<br>05-राज्य आपदा राहत निधि<br>101-राज्य आपदा राहत निधि<br>99-राज्य एवं केंद्र अंशदान | (ओ) 655.00<br>(आर) 184.02<br>839.02 | 523.73 | (-) 315.29 |
| 6. | | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-कार्यालय भवन<br>051-निर्माण<br>99-जिला प्रशासन | (ओ) 155.00<br>(आर) (-) 155.00<br>0.00 | 116.97 | 116.97 |
| 7. | | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-सरकारी आवासीय भवन<br>106-सामान्य पूल आवास<br>98-जिला प्रशासन | (ओ) 50.00<br>(आर) (-) 50.00<br>0.00 | 42.97 | 42.97 |
| 8. | 5-आबकारी एवं कराधान | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60-अन्य भवन<br>051-निर्माण<br>97-आबकारी एवं कराधान | (ओ) 40.00<br>(आर) (-) 40.00<br>0.00 | 23.10 | 23.10 |
| 9. | 6-वित्त | 2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन<br>101-सिंकिंग फंड<br>99-बाजार ऋण का परिशोधन-सिंकिंग फंड और जमा खातों में अंतरण (प्रमुख शीर्ष 8222) | (ओ) 600.00<br>(आर) (-) 600.00<br>0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 10. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>01-आंतरिक ऋण पर ब्याज<br>101-बाजार ऋण पर ब्याज<br>99-ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज | (ओ) 13,892.89<br>(आर) (-)<br>13,892.89<br>0.00 | 13,013.24 | 13,013.24 |
| 11. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>01-आंतरिक ऋण पर ब्याज<br>123-राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज<br>93-लघु बचत संग्रह पर ब्याज | (ओ) 805.39<br>(आर) (-) 805.39<br>0.00 | 809.28 | 809.28 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 6-वित्त | 2049-ब्याज भुगतान<br>01-आंतरिक ऋण पर ब्याज<br>200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज<br>89-वित्तीय पुनर्गठन/उदय योजनाओं के कारण ब्याज का भुगतान | (ओ) 2,126.85<br>(आर) (-) 2,126.85<br>0.00 | 2,126.85 | 2,126.85 |
| 13. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>01-आंतरिक ऋण पर ब्याज<br>305-ऋणों का प्रबंधन<br>99-नया ऋण आदि जारी करने पर व्यय | (ओ) 40.00<br>(आर) (-) 40.00<br>0.00 | 33.07 | 33.07 |
| 14. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज<br>104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज<br>98-एआईएस (सीएच) पर ब्याज | (ओ) 0.20<br>(आर) (-) 0.20<br>0.00 | 3.22 | 3.22 |
| 15. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज<br>104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज<br>99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज | (ओ) 1,327.57<br>(आर) (-) 1,327.57<br>0.00 | 1,234.02 | 1,234.02 |
| 16. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज<br>108-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज<br>99-जी.आई.एस. पर ब्याज | (ओ) 25.00<br>(आर) (-) 25.00<br>0.00 | 25.00 | 25.00 |
| 17. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>04-केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज<br>101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना की योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज<br>99-ब्लॉक ऋण | (ओ) 38.36<br>(आर) (-) 38.36<br>0.00 | 162.62 | 162.62 |
| 18. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>04-केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज<br>104-योजनेत्तर योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज<br>95-पुलिस-पुलिस बल का आधुनिकीकरण | (ओ) 1.10<br>(आर) (-) 1.10<br>0.00 | 1.10 | 1.10 |
| 19. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>04-केंद्र सरकार के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज<br>109-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज<br>99-12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर समेकित राज्य योजना ऋण पर ब्याज | (ओ) 25.00<br>(आर) (-) 25.00<br>0.00 | 22.98 | 22.98 |
| 20. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>05-आरक्षित निधियों पर ब्याज<br>101-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज<br>97-मूल्यह्रास आरक्षित निधि (सरकारी प्रेस) | (ओ) 1.90<br>(आर) (-) 1.90<br>0.00 | 1.95 | 1.95 |
| 21. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>05-आरक्षित निधियों पर ब्याज<br>101-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि में ब्याज<br>98-मूल्यह्रास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन) | (ओ) 54.00<br>(आर) (-) 54.00<br>0.00 | 58.16 | 58.16 |
| 22. | | 2049-ब्याज भुगतान<br>60-अन्य दायित्वों पर ब्याज<br>101-जमा पर ब्याज<br>98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए जमा पर ब्याज | (ओ) 16.00<br>(आर) (-) 16.00<br>0.00 | 15.57 | 15.57 |
| 23. | | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ<br>01-सिविल<br>101-अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति भत्ते<br>51-एनए | (ओ) 5,221.94<br>(आर) 1,599.58<br>6,821.52 | 6,285.16 | (-) 536.36 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 6-वित्त | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ<br>01-सिविल<br>102-पेंशन का सारांशित मूल्य<br>51-एनए | (ओ) 1,275.00<br>(आर) (-) 320.16<br>954.84 | 970.65 | 15.81 |
| 25. | | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ<br>01-सिविल<br>104-उपदान<br>51-एनए | (ओ) 1,099.56<br>(आर) (-) 96.98<br>1,002.58 | 1,236.77 | 234.19 |
| 26. | | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ<br>01-सिविल<br>105-पारिवारिक पेंशन<br>51-एनए | (ओ) 714.00<br>(आर) 399.63<br>1,113.63 | 1,151.43 | 37.80 |
| 27. | | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ<br>01-सिविल<br>106-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार<br>51-एनए | (ओ) 105.06<br>(आर) (-) 96.82<br>8.24 | 7.15 | (-) 1.09 |
| 28. | | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ<br>01-सिविल<br>111-विधायकों को पेंशन<br>99-राज्य विधानमंडल के सदस्य | (ओ) 188.19<br>(आर) (-) 163.67<br>24.52 | 25.88 | 1.36 |
| 29. | | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ<br>01-सिविल<br>117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान<br>99-हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना<br>99-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान | (ओ) 596.24<br>(एस) 868.45<br>(आर)(-) 534.16<br>930.53 | 939.67 | 9.14 |
| 30. | 8-भवन एवं सड़कें | 2059-लोक निर्माण<br>60-अन्य भवन<br>053-रखरखाव एवं मरम्मत<br>99-रखरखाव एवं मरम्मत | (ओ) 10.00<br>(आर) (-) 1.64<br>8.36 | 16.60 | 8.24 |
| 31. | | 2059-लोक निर्माण<br>80-सामान्य<br>053-रखरखाव एवं मरम्मत<br>99-रखरखाव एवं मरम्मत | (ओ) 60.00<br>(आर) 5.17<br>65.17 | 125.13 | 59.96 |
| 32. | | 3054-सड़कें एवं पुल<br>03-राज्य राजमार्गों<br>337-सड़क निर्माण कार्य<br>51-एनए | (ओ) 40.00<br>(आर)(-) 5.86<br>34.14 | 38.20 | 4.06 |
| 33. | | 3054-सड़कें एवं पुल<br>04-जिला और अन्य सभी सड़कें<br>337-सड़क निर्माण कार्य<br>98-ग्रामीण सड़कें | (ओ) 400.00<br>(आर) (-) 45.11<br>354.89 | 349.37 | (-) 5.52 |
| 34. | | 3054-सड़कें एवं पुल<br>04-जिला और अन्य सभी सड़कें<br>337-सड़क निर्माण कार्य<br>99 जिला सडकें | (ओ)25.00<br>(आर) (-)13.12<br>11.88 | 16.82 | 4.94 |
| 35. | | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60-अन्य भवन<br>051-निर्माण<br>60-रेवाड़ी में बावल में न्यायिक परिसर का निर्माण | (ओ) 5.00<br>(आर) (-) 3.31<br>1.69 | 0.00 | (-) 1.69 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 8-भवन एवं सड़कें | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60-अन्य भवन<br>051-निर्माण<br>61-सेक्टर 27 पिंजौर कालका में प्रशासनिक परिसर और न्यायिक परिसर कालका का निर्माण | (ओ) 0.01<br>(आर) 34.61<br>34.62 | 0.00 | (-) 34.62 |
| 37. | | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60-अन्य भवन<br>051-निर्माण<br>98-न्याय-प्रशासन | (ओ) 80.00<br>(आर) (-) 27.22<br>52.78 | 89.46 | 36.68 |
| 38. | | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60-अन्य भवन<br>051-निर्माण<br>99-लोक निर्माण | (ओ) 50.00<br>(आर) 16.93<br>66.93 | 76.28 | 9.35 |
| 39. | | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>80-सामान्य<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>98-लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बी एंड आर-पीएलओ-सीएपी) | (ओ) 0.00<br>(एस) 1,164.98<br>(आर)(-) 72.02<br>1,092.96 | 0.00 | (-) 1,092.96 |
| 40. | | 4202-शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय<br>04-कला एवं संस्कृति<br>105-सार्वजनिक लाइब्रेरी<br>99-भवन (सार्वजनिक लाइब्रेरी) | (ओ) 20.00<br>(एस) 21.00<br>(आर) (-) 41.00<br>0.00 | 17.61 | 17.61 |
| 41. | | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-सरकारी आवासीय भवन<br>106-सामान्य पूल आवास<br>99-न्याय-प्रशासन | (ओ) 50.00<br>(आर) (-) 31.09<br>18.91 | 20.99 | 2.08 |
| 42. | 9-शिक्षा | 2202-सामान्य शिक्षा<br>03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा<br>103-राजकीय महाविद्यालय और संस्थान<br>98-राजकीय महाविद्यालय | (ओ) 489.59<br>(आर) (-) 106.05<br>383.54 | 385.68 | 2.14 |
| 43. | | 4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-सामान्य शिक्षा<br>202--माध्यमिक शिक्षा<br>99-माध्यमिक विद्यालय भवन | (ओ) 180.00<br>(आर) (-) 11.33<br>168.67 | 170.34 | 1.67 |
| 44. | | 4202-सामान्य शिक्षा<br>01-सामान्य शिक्षा<br>203-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा<br>99-कॉलेज भवन | (ओ) 136.00<br>(आर) (-) 136.00<br>0.00 | 123.48 | 123.48 |
| 45. | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय<br>03-खेल और युवा सेवाएं<br>101-युवा हॉस्टल<br>99-भवन (युवा हॉस्टल) | (ओ) 5.00<br>(आर)(-) 0.00<br>5.00 | 2.55 | (-) 2.45 |
| 46. | 13-स्वास्थ्य | 4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-शहरी स्वास्थ्य सेवा<br>110-अस्पताल और औषधालय<br>99-भवन | (ओ) 220.00<br>(एस) 100.00<br>(आर) (-) 0.12<br>319.88 | 341.39 | 21.51 |
| 47. | | 4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय<br>03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान<br>101-आयुर्वेद<br>91-सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/अस्पताल के भवन का निर्माण | (ओ) 25.00<br>(आर) (-) 12.41<br>12.59 | 2.52 | (-) 10.07 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 16-श्रम | 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>201-श्रम<br>96-लेबर कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण | (ओ) 0.01<br>(एस) 3.40<br>(आर)(-) 0.95<br>2.46 | 1.15 | (-) 1.31 |
| 49. | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास<br>03-प्रशिक्षण<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>92-हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना | (ओ) 10.20<br>(एस) 230.00<br>(आर) (-) 223.32<br>16.88 | 4.50 | (-) 12.38 |
| 50. | | 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>201-श्रम<br>94-औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण | (ओ) 62.67<br>(आर) (-) 21.94<br>40.73 | 37.10 | (-) 3.63 |
| 51. | 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>02-समाज कल्याण<br>102-बाल कल्याण<br>99-निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता | (ओ) 330.00<br>(एस) 70.65<br>(आर) (-) 104.86<br>295.79 | 357.27 | 61.48 |
| 52. | | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>02-समाज कल्याण<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>91-निराश्रित बच्चे योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता | (ओ) 95.00<br>(एस) 19.34<br>(आर) (-) 38.82<br>75.52 | 91.08 | 15.56 |
| 53. | | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम<br>102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन<br>96-निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता | (ओ) 1,650.00<br>(एस) 325.26<br>(आर) (-) 478.26<br>1,497.00 | 1,801.55 | 304.55 |
| 54. | | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम<br>102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन<br>98-वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना | (ओ) 3,330.00<br>(एस) 364.04<br>(आर) 63.93<br>3,757.97 | 4,109.68 | 351.71 |
| 55. | | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>98-निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता (अनुसूचित जातियां) | (ओ) 450.00<br>(एस) 84.31<br>(आर) (-) 151.92<br>382.39 | 459.48 | 77.09 |
| 56. | | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>99-अनुसूचित जाति की विधवाओं के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता | (ओ) 1,100.00<br>(एस) 35.39<br>(आर) (-) 174.46<br>960.93 | 1,049.78 | 88.85 |
| 57. | | 4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय<br>02-समाज कल्याण<br>101-दिव्यांग कल्याण<br>98-जी.आई.बी. पानीपत (लड़के/लड़कियां) | (ओ) 1.65<br>(आर) (-) 1.65<br>0.00 | 2.79 | 2.79 |
| 58. | 21-महिला एवं बाल विकास | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>02-समाज कल्याण<br>102-बाल कल्याण<br>78-अपनी बेटी अपना धन का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाड़ली) रखा गया है | (ओ) 75.00<br>(एस) 78.51<br>(आर) (-) 40.25<br>113.26 | 115.39 | 2.13 |
| 59. | | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण<br>02-समाज कल्याण<br>102-बाल कल्याण<br>92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएँ (डब्ल्यूसीडी) | (ओ) 739.20<br>(एस) 35.44<br>(आर)(-) 62.73<br>711.91 | 597.03 | (-) 114.88 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 21-महिला एवं बाल विकास | 2236-पोषण<br>02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण<br>101-विशेष पोषण कार्यक्रम<br>95-अनुपूरक पोषण कार्यक्रम | (ओ) 100.00<br>(एस) 1.00<br>(आर) (-) 35.99<br>65.01 | 67.27 | 2.26 |
| 61. | | 2236-पोषण<br>02-पौष्टिक भोजन और पेय पदार्थों का वितरण<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>98-अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम | (ओ) 59.60<br>(आर)(-) 45.03<br>14.57 | 15.63 | 1.06 |
| 62. | | 2236-पोषण<br>80-सामान्य<br>102-पोषण शिक्षा और विस्तार<br>99-पोषण अभियान के लिए योजना | (ओ) 50.00<br>(एस) 24.49<br>(आर)(-) 62.58<br>11.90 | 8.37 | (-) 3.53 |
| 63. | | 4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय<br>02-समाज कल्याण<br>103-महिला कल्याण<br>99-युवा लड़कियों/महिलाओं और परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र | (ओ) 6.86<br>(आर) (-) 4.02<br>2.84 | 0.30 | (-) 2.54 |
| 64. | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-खाद्य<br>101-खरीद और आपूर्ति<br>97-पूंजी पर ब्याज | (ओ) 1,200.00<br>(आर) (-) 1,200.00<br>0.00 | 301.45 | 301.45 |
| 65. | 24-सिंचाई | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>89-विशेष राजस्व | (ओ) 29.34<br>(आर) (-) 2.81<br>26.53 | 1.13 | (-) 25.40 |
| 66. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>91-कार्यकारी अभियंता | (ओ) 114.85<br>(आर) (-) 5.15<br>109.70 | 5.15 | (-) 104.55 |
| 67. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>01-बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>92-अधीक्षण अभियंता | (ओ) 4.04<br>(आर) (-) 1.21<br>2.83 | 0.16 | (-) 2.67 |
| 68. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>89-विशेष राजस्व | (ओ) 51.16<br>(आर) (-) 11.31<br>39.85 | 1.45 | (-) 38.40 |
| 69. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>91-कार्यकारी अभियंता | (ओ) 457.60<br>(आर) (-) 25.24<br>432.36 | 16.58 | (-) 415.78 |
| 70. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>92-अधीक्षण अभियंता | (ओ) 27.35<br>(आर) (-) 5.80<br>21.55 | 0.70 | (-) 20.85 |
| 71. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक)<br>101-रख -रखाव एवं मरम्मत<br>98-अन्य रख-रखाव व्यय | (ओ) 33.00<br>(आर) (-) 4.59<br>28.41 | 29.56 | 1.15 |
| 72. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>91-कार्यकारी अभियंता | (ओ) 68.62<br>(आर) (-) 12.50<br>56.12 | 15.27 | (-) 40.85 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73. | 24-सिंचाई | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>92-अधीक्षण अभियंता | (ओ) 5.55<br>(आर) (-) 1.82<br>3.73 | 0.59 | (-) 3.14 |
| 74. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>93-मुख्य अभियंता | (ओ) 5.58<br>(आर) (-) 1.28<br>4.30 | 1.83 | (-) 2.47 |
| 75. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>80-सामान्य<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>93-मुख्य अभियंता | (ओ) 98.41<br>(आर) (-) 21.50<br>76.91 | 14.31 | (-) 62.60 |
| 76. | | 2700-प्रमुख सिंचाई<br>80-सामान्य<br>800-अन्य व्यय<br>98-सुधार, उन्नयन, संचालन और रख-रखाव | (ओ) 55.00<br>(आर) (-) 3.33<br>51.67 | 50.47 | (-) 1.20 |
| 77. | | 4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग<br>800-अन्य व्यय<br>97-पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) और जवाहर लाल नेहरू (जे.एल.एन.) नहर प्रणाली की क्षमता में सुधार | (ओ) 20.00<br>(आर) 4.07<br>24.07 | 13.27 | (-) 10.80 |
| 78. | | 4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग<br>800-अन्य व्यय<br>98-नहर का निर्माण-नहर नेटवर्क का पुनरूद्धार | (ओ) 200.00<br>(आर) 47.08<br>247.08 | 239.54 | (-) 7.54 |
| 79. | | 4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>80-सामान्य<br>800-अन्य व्यय<br>97-नहरों और नालों पर पुलों और संरचना का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण | (ओ) 125.00<br>(आर) (-) 17.57<br>107.43 | 102.20 | (-) 5.23 |
| 80. | | 4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>80-सामान्य<br>800-अन्य व्यय<br>98-सिंचाई और जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी) | (ओ) 10.00<br>(आर) (-) 1.50<br>8.50 | 0.00 | (-) 8.50 |
| 81. | | 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>06-पानी के समान वितरण के लिए नया माइनर<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>99-राज्य के अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में जल वितरण के लिए नए माइनर सुधार हेतु योजना | (ओ) 8.00<br>(आर) (-) 4.29<br>3.71 | 2.31 | (-) 1.40 |
| 82. | | 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>99-राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार | (ओ) 100.00<br>(आर) (-) 2.87<br>97.13 | 86.53 | (-) 10.60 |
| 83. | | 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय<br>07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार<br>800-अन्य व्यय<br>98-नाबार्ड-नहर का निर्माण | (ओ) 100.00<br>(आर) 106.39<br>206.39 | 203.68 | (-) 2.71 |
| 84. | 27-कृषि | 2401-फसल पालन<br>109-विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण<br>78-कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन | (ओ) 200.00<br>(आर) (-) 135.78<br>64.22 | 60.79 | (-) 3.43 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85. | 27-कृषि | 2401-फसल पालन<br>109-विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण<br>85-केंद्रीय क्षेत्र योजना विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता की योजना | (ओ) 24.00<br>(आर) (-) 6.04<br>17.96 | 19.22 | 1.26 |
| 86. | | 2401-फसल पालन<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>85-अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | (ओ) 8.00<br>(आर) (-) 7.86<br>0.14 | 1.44 | 1.30 |
| 87. | 30-वन एवं वन्य जीवन | 2406-वानिकी और वन्य जीवन<br>01-वानिकी<br>102-सामाजिक और कृषि वानिकी<br>78-कृषि वानिकी क्लोनल और गैर क्लोनल का विकास | (ओ) 58.00<br>(आर) 61.11<br>119.11 | 120.56 | 1.45 |
| 88. | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय<br>101-पंचायती राज<br>97 हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) | (ओ) 0.00<br>(एस) 0.00<br>(आर) 2.47<br>2.47 | 0 | (-) 2.47 |
| 89. | | 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय<br>101-पंचायती राज<br>99-दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना | (ओ) 150.00<br>(आर) (-) 52.43<br>97.57 | 100.00 | 2.43 |
| 90. | 33-सहयोग | 2425-सहयोग<br>108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता<br>95-दुग्ध सहकारी समितियां<br>9-प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां | (ओ) 2.94<br>(आर) (-) 2.94<br>0.00 | 2.66 | 2.66 |
| 91. | 34-परिवहन | 3055-सड़क परिवहन<br>201-हरियाणा रोडवेज<br>96-एफ-अन्य व्यय | (ओ) 82.77<br>(आर) (-) 82.77<br>0.00 | 79.00 | 79.00 |
| 92. | | 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय<br>60-अन्य वैमानिकी सेवाएं<br>102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं<br>98-हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब | (ओ) 80.00<br>(एस) 259.59<br>(आर) (-) 339.59<br>0.00 | 192.44 | 192.44 |
| 93. | | 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय<br>60-अन्य वैमानिकी सेवाएं<br>102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं<br>99-हवाई अड्डों का रख-रखाव | (ओ) 50.00<br>(आर) (-) 49.99<br>0.01 | 13.58 | 13.57 |
| 94. | 36-गृह | 2055-पुलिस<br>109-जिला पुलिस<br>99-जिला पुलिस बल | (ओ) 3,992.00<br>(आर) (-) 207.54<br>3,784.46 | 3,785.90 | 1.44 |
| 95. | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 2215-जलापूर्ति and स्वच्छता<br>01-जलापूर्ति<br>001 निदेशन एवं प्रशासन<br>96-कार्यकारी अभियंता एवं उनकी स्थापना-नियमित/कन्फर्म्ड मैकेनिकल स्टाफ- | (ओ) 728.73<br>(आर) (-) 218.63<br>510.10 | 511.35 | 1.25 |
| 96. | | 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता<br>01-जलापूर्ति<br>101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम<br>99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव<br>97-नहरी जल प्रभार | (ओ) 1.00<br>(आर) 0.23<br>1.23 | 3.19 | 1.96 |
| 97. | | 2215-जलापूर्ति and स्वच्छता<br>01-जलापूर्ति<br>101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम<br>99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव<br>98-रख-रखाव शुल्क | (ओ) 100.00<br>(आर) 93.61<br>193.61 | 186.90 | (-) 6.71 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98. | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता<br>01-जलापूर्ति<br>101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम<br>99-शहरी जल सेवाएं और सीवरेज का रख-रखाव<br>99-ऊर्जा प्रभार | (ओ) 250.00<br>(आर) 26.18<br>276.18 | 275.17 | (-) 1.01 |
| 99. | | 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता<br>01-जलापूर्ति<br>102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम<br>97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम | (ओ) 711.10<br>(आर) 204.70<br>915.80 | 888.18 | (-) 27.62 |
| 100. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>101-शहरी जलापूर्ति<br>99-शहरी जलापूर्ति<br>99-जलापूर्ति आवर्धन | (ओ) 1 47.06<br>(आर) (-) 20.59<br>126.47 | 116.77 | (-) 9.70 |
| 101. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>102-ग्रामीण जलापूर्ति<br>86-ग्रामीण और शहरी जलापूर्ति तथा सीवरेज कार्यों के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा | (ओ) 35.00<br>(आर) 1.14<br>36.14 | 37.95 | 1.81 |
| 102. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>102-ग्रामीण जलापूर्ति<br>93-ग्रामीण जलापूर्ति<br>90-गाँव में पेयजल जलापूर्ति के अद्यतनीकरण हेतु महाग्राम योजना | (ओ) 45.00<br>(आर) (-) 18.62<br>26.38 | 21.55 | (-) 4.83 |
| 103. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>102-ग्रामीण जलापूर्ति<br>93-ग्रामीण जलापूर्ति<br>93-नाबार्ड | (ओ) 276.00<br>(आर) (-) 156.52<br>119.48 | 121.94 | 2.46 |
| 104. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>102-ग्रामीण जलापूर्ति<br>93-ग्रामीण जलापूर्ति<br>94-जलापूर्ति आवर्धन | (ओ) 230.00<br>(आर) (-) 119.36<br>110.64 | 96.21 | (-) 14.43 |
| 105. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>102-ग्रामीण जलापूर्ति<br>98-त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति<br>99-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज सेंट्रल | (ओ) 213.80<br>(आर) 486.80<br>700.60 | 950.77 | 250.17 |
| 106. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>96-ग्रामीण जलापूर्ति के संवर्धन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | (ओ) 70.00<br>(आर) (-) 49.68<br>20.32 | 32.53 | 12.21 |
| 107. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-जलापूर्ति<br>789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>97-नाबार्ड अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | (ओ) 69.00<br>(आर) (-) 41.52<br>27.48 | 31.40 | 3.92 |
| 108. | | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>02-सीवरेज एवं स्वच्छता<br>101-शहरी स्वच्छता सेवा<br>94-सीवरेज एवं स्वच्छता | (ओ) 200.50<br>(आर) (-) 66.08<br>134.42 | 119.78 | (-) 14.64 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या एवं विवरण | लेखा शीर्ष | प्रावधान ओः मूल एसः अनुपूरक आरः पुनर्विनियोजन | वास्तविक व्यय | फाइनल आधिक्य (+) बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 109. | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय<br>02-सीवरेज एवं स्वच्छता<br>102-ग्रामीण स्वच्छता सेवा<br>98-ग्रामीण स्वच्छता<br>97-गांव में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए महाग्राम योजना | (ओ) 12.00<br>(आर) 29.88<br>41.88 | 49.78 | 7.90 |
| 110. | | 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-बाढ़ नियंत्रण<br>201-जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना<br>98-शहरी बरसाती पानी निकासी नाले का कार्य | (ओ) 15.00<br>(आर) 14.56<br>29.56 | 32.77 | 3.21 |
| 111. | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 2801-विद्युत<br>80-सामान्य<br>001-निदेशन एवं प्रशासन<br>98-विद्युत हेतु निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओडब्ल्यू-पीएलओ-आरईवी) | (ओ) 0.00<br>(एस) 2,629.81<br>(आर) (-) 1,952.10<br>677.71 | 0 | (-) 677.71 |
| 112. | 43-जेल | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय<br>60-अन्य भवन<br>051 -निर्माण<br>96-जेल | (ओ) 70.00<br>(आर) (-) 60.00<br>10.00 | 67.60 | 57.60 |
| 113. | | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-सरकारी आवासीय भवन<br>106-सामान्य पूल आवास<br>97-जेल | (ओ) 30.00<br>(आर) (-) 29.78<br>0.22 | 10.88 | 10.66 |
| | | **कुल** | **32,120.59** | **49,478.14** | **(-) 3,665.56**<br>**(+) 21,023.11** |

| सार | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+) | 70 | (+) 21,023.11 |
| विनियोजन में से बचत (-) | 43 | (-) 3,665.56 |
| **कुल** | **113** | |

| ₹ 10 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले | मामलों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| क्र.सं. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 37, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 91, 92, 93, 105, 106, 112 तथा 113 | 39 | 20,928.50 |
| **₹ 10 करोड़ से अधिक के बचत के मामले** | | |
| क्र.सं. 5, 23, 36, 39, 47, 49, 59, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 82, 99, 104, 108 तथा 111 | 20 | 3,580.79 |
| **कुल** | **59** | |

## परिशिष्ट 3.3

## (संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.4; पृष्ठ 69)

## मार्च 2022 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | मूल | अनुपूरक | कुल प्रावधान | वास्तविक | बचत/ अतिरिक्त | अभ्यर्पित की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचतों के प्रति राशि कम अभ्यर्पित की गई थी** | | | | | | | |
| **राजस्व (दत्तमत)** | | | | | | | |
| 1 | 10-तकनीकी शिक्षा | 678.04 | 36.50 | 714.54 | 636.84 | -77.70 | 77.28 |
| 2 | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 760.29 | 250.00 | 1,010.29 | 548.01 | -462.28 | 450.02 |
| 3 | 21-महिला एवं बाल विकास | 1,474.13 | 359.71 | 1,833.84 | 1,223.37 | -610.47 | 498.18 |
| 4 | 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण | 168.91 | 109.74 | 278.65 | 219.10 | -59.55 | 58.79 |
| 5 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 2,030.35 | 442.55 | 2,472.90 | 1,856.28 | -616.62 | 380.37 |
| 6 | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 6,452.78 | 2,894.81 | 9,347.59 | 7,143.61 | -2,203.98 | 1,261.27 |
| **कुल** | | **11,564.50** | **4,093.31** | **15,657.81** | **11,627.21** | **-4,030.60** | **2,725.91** |
| **पूंजीगत दत्तमत** | | | | | | | |
| 7 | 8-भवन एवं सड़कें | 2,035.69 | 1,185.98 | 3,221.67 | 2,918.74 | -302.93 | 120.63 |
| 8 | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 55.00 | 34.12 | 89.12 | 72.76 | -16.36 | 13.91 |
| 9 | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 107.68 | 0.00 | 107.68 | 42.97 | -64.71 | 60.57 |
| 10 | 21-महिला एवं बाल विकास | 146.87 | 2.90 | 149.77 | 55.72 | -94.05 | 91.51 |
| **कुल** | | **2,345.24** | **1,223.00** | **3,568.24** | **3,090.19** | **-478.05** | **286.62** |
| | | **13,909.74** | **5,316.31** | **19,226.05** | **14,717.40** | **-4,508.65** | **3,012.53** |
| **ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचतों के प्रति अधिक राशि अभ्यर्पित की गई थी** | | | | | | | |
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | | | |
| 1 | 2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद | 157.29 | 27.71 | 185.00 | 163.57 | -21.43 | 52.59 |
| 2 | 3-सामान्य प्रशासन | 456.69 | 108.65 | 565.34 | 469.32 | -96.02 | 96.08 |
| 3 | 4-राजस्व | 1,573.32 | 856.30 | 2,429.62 | 1,880.32 | -549.30 | 584.67 |
| 4 | 5-आबकारी एवं कराधान | 261.01 | 36.40 | 297.41 | 267.53 | -29.88 | 29.94 |
| 5 | 6-वित्त | 19,335.15 | 881.50 | 20,216.65 | 11,212.92 | -9,003.73 | 9,264.59 |
| 6 | 8-भवन एवं सड़कें | 1,436.72 | 104.50 | 1,541.22 | 1,392.61 | -148.61 | 268.99 |
| 7 | 9-शिक्षा | 17,162.02 | 139.95 | 17,301.97 | 14,473.22 | -2,828.75 | 2,830.16 |
| 8 | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 372.73 | 116.09 | 488.82 | 266.19 | -222.63 | 222.71 |
| 9 | 13-स्वास्थ्य | 6,177.82 | 947.70 | 7,125.52 | 6,001.77 | -1,123.75 | 1,124.27 |
| 10 | 16-श्रम | 67.91 | 0.45 | 68.36 | 57.98 | -10.38 | 10.39 |
| 11 | 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 7,800.59 | 900.00 | 8,700.59 | 8,586.50 | -114.09 | 1,013.45 |
| 12 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 665.47 | 392.00 | 1,057.47 | 819.98 | -237.49 | 237.55 |
| 13 | 24-सिंचाई | 3,066.14 | 15.00 | 3,081.14 | 2,034.93 | -1,046.21 | 1,065.13 |
| 14 | 27-कृषि | 3,301.07 | 587.04 | 3,888.11 | 2,603.64 | -1,284.47 | 1,284.50 |
| 15 | 28-पशुपालन एवं डेयरी विकास | 1,186.53 | 0.00 | 1,186.53 | 896.24 | -290.29 | 290.36 |
| 16 | 30-वन एवं वन्य जीवन | 655.17 | 165.05 | 820.22 | 528.15 | -292.07 | 294.39 |
| 17 | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 5,836.17 | 292.37 | 6,128.54 | 1,956.82 | -4,171.72 | 4,171.91 |
| 18 | 33-सहयोग | 504.21 | 703.45 | 1,207.66 | 447.21 | -760.45 | 763.10 |
| 19 | 34-परिवहन | 2,328.61 | 178.12 | 2,506.73 | 2,141.47 | -365.26 | 445.62 |
| 20 | 36-गृह | 5,605.89 | 1,276.11 | 6,882.00 | 5,108.90 | -1,773.10 | 1,774.73 |
| 21 | 41-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 102.74 | 0.00 | 102.74 | 46.63 | -56.11 | 56.56 |
| 22 | 42-न्याय-प्रशासन | 879.00 | 18.00 | 897.00 | 696.56 | -200.44 | 200.49 |
| 23 | 43-जेल | 290.02 | 22.30 | 312.32 | 271.92 | -40.40 | 40.67 |
| **कुल** | | **79,222.27** | **7,768.69** | **86,990.96** | **62,324.38** | **-24,666.58** | **26,122.85** |
| **राजस्व भारित** | | | | | | | |
| 24 | 6-वित्त | 19,943.42 | 0.00 | 19,943.42 | 18,361.60 | -1,581.82 | 19,090.40 |
| **कुल** | | **19,943.42** | **0.00** | **19,943.42** | **18,361.60** | **-1,581.82** | **19,090.40** |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | मूल | अनुपूरक | कुल प्रावधान | वास्तविक | बचत/ अतिरिक्त | अभ्यर्पित की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत दत्तमत** | | | | | | | |
| 25 | 4-राजस्व | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 159.94 | -45.06 | 205.00 |
| 26 | 5-आबकारी एवं कराधान | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 23.10 | -16.90 | 40.00 |
| 27 | 9-शिक्षा | 445.91 | 0.00 | 445.91 | 413.82 | -32.09 | 157.24 |
| 28 | 13-स्वास्थ्य | 1,158.73 | 260.88 | 1,419.61 | 895.70 | -523.91 | 535.24 |
| 29 | 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 34..65 | 0.00 | 34.65 | 6.31 | -28.34 | 31.07 |
| 30 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 15,233.28 | 501.00 | 15,734.28 | 12,942.15 | -2,792.13 | 3,227.80 |
| 31 | 24-सिंचाई | 1,915.02 | 0.00 | 1,915.02 | 1,759.41 | -155.61 | 338.20 |
| 32 | 27-कृषि | 10.01 | 50.00 | 60.01 | 2.23 | -57.78 | 57.79 |
| 33 | 34-परिवहन | 396.92 | 259.59 | 656.51 | 265.01 | -391.50 | 597.51 |
| 34 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 1,393.51 | 858.45 | 2,251.96 | 1,725.85 | -526.11 | 766.36 |
| 35 | 43-जेल | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 78.49 | -21.51 | 89.78 |
| 36 | 45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम | 1,239.43 | 888.94 | 2,128.37 | 966.26 | -1,162.11 | 1,162.35 |
| **कुल** | | **22,172.46** | **2,818.86** | **24,991.32** | **19,238.27** | **-5,753.05** | **7,208.34** |
| **पूंजीगत भारित** | | | | | | | |
| 37 | 8-भवन एवं सड़कें | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 24.64 | -25.36 | 27.87 |
| 38 | 24-सिंचाई | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 15.36 | -84.64 | 85.25 |
| **कुल** | | **150.00** | **0.00** | **150.00** | **40.00** | **-110.00** | **113.12** |
| **कुल योग** | | **1,21,488.15** | **10,587.55** | **1,32,075.70** | **99,964.25** | **-32,111.45** | **52,534.31** |
| **ऐसे मामले जिनमें राशि को वास्तविक बचत के रूप में अभ्यर्पित किया गया था** | | | | | | | |
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | | | |
| 1 | 1-विधान सभा | 82.81 | 14.62 | 97.43 | 76.11 | -21.32 | 21.32 |
| 2 | 12-कला एवं संस्कृति | 66.28 | 6.65 | 72.93 | 24.10 | -48.83 | 48.83 |
| 3 | 14-शहरी विकास | 134.73 | 0.68 | 135.41 | 125.41 | -10.00 | 10.00 |
| 4 | 15-स्थानीय शासन | 4,101.10 | 4,162.58 | 8,263.68 | 4,566.88 | -3,696.80 | 3,696.80 |
| 5 | 17-रोजगार | 882.50 | 28.30 | 910.80 | 722.39 | -188.41 | 188.41 |
| 6 | 19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण | 522.90 | 26.00 | 548.90 | 396.06 | -152.84 | 152.84 |
| 7 | 25-उद्योग | 462.03 | 0.00 | 462.03 | 305.16 | -156.87 | 156.87 |
| 8 | 26-खान और भू-विज्ञान | 233.96 | 0.00 | 233.96 | 132.03 | -101.93 | 101.93 |
| 9 | 29-मत्स्य पालन | 124.60 | 0.00 | 124.60 | 73.56 | -51.04 | 51.04 |
| 10 | 35-पर्यटन | 79.32 | 2.48 | 81.80 | 51.95 | -29.85 | 29.85 |
| 11 | 37-चुनाव | 108.74 | 0.00 | 108.74 | 60.54 | -48.20 | 48.20 |
| 12 | 39-सूचना एवं प्रचार | 212.34 | 58.29 | 270.63 | 214.53 | -56.10 | 56.10 |
| **कुल** | | **7,011.31** | **4,299.60** | **11,310.91** | **6,748.72** | **-4,562.19** | **4,562.19** |
| **राजस्व भारित** | | | | | | | |
| 13 | 3-सामान्य प्रशासन | 23.50 | 24.80 | 48.30 | 36.29 | -12.01 | 12.01 |
| **कुल** | | **23.50** | **24.80** | **48.30** | **36.29** | **-12.01** | **12.01** |
| **पूंजीगत दत्तमत** | | | | | | | |
| 15 | 7-आयोजना और सांख्यिकी | 402.00 | 0.00 | 402.00 | 250.74 | -151.26 | 151.26 |
| 16 | 14-शहरी विकास | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,015.28 | -484.72 | 484.72 |
| 17 | 28-पशुपालन एवं डेयरी विकास | 38.01 | 0.00 | 38.01 | 11.32 | -26.69 | 26.69 |
| 18 | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 150.01 | 0.00 | 150.01 | 100.04 | -49.97 | 49.97 |
| 19 | 35-पर्यटन | 33.60 | 42.35 | 75.95 | 19.90 | -56.05 | 56.05 |
| 20 | 36-गृह | 235.01 | 0.00 | 235.01 | 137.19 | -97.82 | 97.82 |
| 21 | 39-सूचना एवं प्रचार | 88.10 | 0.00 | 88.10 | 78.05 | -10.05 | 10.05 |
| 22 | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 763.42 | 0.00 | 763.42 | 10.41 | -753.01 | 753.01 |
| | **कुल** | **2,710.15** | **1,542.35** | **4,252.50** | **2,622.93** | **-1,629.57** | **1,629.57** |
| | **कुल योग** | **9,744.96** | **5,866.75** | **15,611.71** | **9,407.94** | **-6,203.77** | **6,203.77** |
| **70** | **कुल योग** | **1,45,142.85** | **21,770.61** | **1,66,913.46** | **1,24,089.59** | **-42,823.87** | **61,751.01** |

## परिशिष्ट 3.4

## (संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 70)

## विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | अनुदान की संख्या तथा नाम | मूल | अनुपूरक | कुल | वास्तविक | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व (दत्तमत)** | | | | | | |
| 1 | 4-राजस्व | 1,573.32 | 856.30 | 2,429.62 | 1,880.32 | 549.30 |
| 2 | 6-वित्त | 19,335.15 | 881.50 | 20,216.65 | 11,212.92 | 9,003.73 |
| 3 | 8-भवन एवं सड़कें | 1,436.72 | 104.50 | 1,541.22 | 1,392.61 | 148.61 |
| 4 | 9-शिक्षा | 17,162.02 | 139.95 | 17,301.97 | 14,473.22 | 2,828.75 |
| 5 | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 372.73 | 116.09 | 488.82 | 266.19 | 222.63 |
| 6 | 13-स्वास्थ्य | 6,177.82 | 947.70 | 7,125.52 | 6,001.77 | 1,123.75 |
| 7 | 15-स्थानीय शासन | 4,101.10 | 4,162.58 | 8,263.68 | 4,566.88 | 3,696.80 |
| 8 | 17-रोजगार | 882.50 | 28.30 | 910.80 | 722.39 | 188.41 |
| 9 | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 760.29 | 250.00 | 1,010.29 | 548.01 | 462.28 |
| 10 | 19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण | 522.90 | 26.00 | 548.90 | 396.06 | 152.84 |
| 11 | 20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 7,800.59 | 900.00 | 8,700.59 | 8,586.50 | 114.09 |
| 12 | 21-महिला एवं बाल विकास | 1,474.13 | 359.71 | 1,833.84 | 1,223.37 | 610.47 |
| 13 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 665.47 | 392.00 | 1,057.47 | 819.98 | 237.49 |
| 14 | 24-सिंचाई | 3,066.14 | 15.00 | 3,081.14 | 2,034.93 | 1,046.21 |
| 15 | 25-उद्योग | 462.03 | 0.00 | 462.03 | 305.16 | 156.87 |
| 16 | 26-खान और भू-विज्ञान | 233.96 | 0.00 | 233.96 | 132.03 | 101.93 |
| 17 | 27-कृषि | 3,301.07 | 587.04 | 3,888.11 | 2,603.64 | 1,284.47 |
| 18 | 28-पशुपालन एवं डेयरी विकास | 1,186.53 | 0.00 | 1,186.53 | 896.24 | 290.29 |
| 19 | 30-वन एवं वन्य जीवन | 655.17 | 165.05 | 820.22 | 528.15 | 292.07 |
| 20 | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 5,836.17 | 292.37 | 6,128.54 | 1,956.82 | 4,171.72 |
| 21 | 33-सहयोग | 504.21 | 703.45 | 1,207.66 | 447.21 | 760.45 |
| 22 | 34-परिवहन | 2,328.61 | 178.12 | 2,506.73 | 2,141.47 | 365.26 |
| 23 | 36-गृह | 5,605.89 | 1,276.11 | 6,882.00 | 5,108.90 | 1,773.09 |
| 24 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 2,030.35 | 442.55 | 2,472.90 | 1,856.28 | 616.62 |
| 25 | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 6,452.78 | 2,894.81 | 9,347.59 | 7,143.61 | 2,203.98 |
| 26 | 42-न्याय-प्रशासन | 879.00 | 18.00 | 897.00 | 696.56 | 200.44 |
| | **कुल** | **94,806.65** | **15,737.13** | **1,10,543.78** | **77,941.22** | **32,602.56** |
| **राजस्व भारित** | | | | | | |
| 27 | 6-वित्त | 19,943.42 | 0 | 19,943.42 | 18,361.60 | 1,581.82 |
| | **कुल** | **19,943.42** | **0** | **19,943.42** | **18,361.60** | **1,581.82** |
| **पूंजीगत दत्तमत** | | | | | | |
| 28 | 7-आयोजना और सांख्यिकी | 402.00 | 0.00 | 402.00 | 250.74 | 151.26 |
| 29 | 8-भवन एवं सड़कें | 2,035.69 | 1,185.98 | 3,221.67 | 2,918.74 | 302.93 |
| 30 | 13-स्वास्थ्य | 1,158.73 | 260.88 | 1,419.61 | 895.70 | 523.91 |
| 31 | 14-शहरी विकास | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 2,015.28 | 484.72 |
| 32 | 23-खाद्य एवं आपूर्ति | 15,233.28 | 501.00 | 15,734.28 | 12,942.15 | 2,792.13 |
| 33 | 24-सिंचाई | 1,915.02 | 0.00 | 1,915.02 | 1,759.41 | 155.61 |
| 34 | 34-परिवहन | 396.92 | 259.59 | 656.51 | 265.01 | 391.50 |
| 35 | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 1,393.51 | 858.45 | 2,251.96 | 1,725.85 | 526.11 |
| 36 | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 763.42 | 0.00 | 763.42 | 10.41 | 753.01 |
| 37 | 45-ऋण एवं अग्रिम | 1,239.43 | 888.94 | 2,128.37 | 966.26 | 1,162.11 |
| | **कुल** | **25,538.00** | **5,454.84** | **30,992.84** | **23,749.55** | **7,243.29** |
| **पूंजीगत (भारित)** | | | | | | |
| 38 | लोक ऋण | 28,161.19 | 0.00 | 28,161.19 | 25,472.96 | 2,688.23 |
| | **कुल** | **28,161.19** | **0.00** | **28,161.19** | **25,472.96** | **2,688.23** |
| | **कुल योग** | **1,68,449.26** | **21,191.97** | **1,89,641.23** | **1,45,525.33** | **44,115.90** |

## परिशिष्ट 3.5

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 70)**

## ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत वाली योजनाओं का विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान का नाम और योजना का नाम | बजट अनुमान | अनुपूरक | व्यय | बचत | बजट से बचत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **राजस्व (दत्तमत)** | | | | | |
| **1** | **6-वित्त** | | | | | |
| (i) | 2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन, 101-सिंकिंग फंड्स, 99-बाजार ऋण का परिशोधन - सिंकिंग फंड और जमा खातों में अंतरण (मुख्य शीर्ष 8222) | 600.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 | 16.67 |
| (ii) | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ, 01-सिविल,102-पेंशन का सारांशित मूल्य,51-एनए | 1,275.00 | 0.00 | 970.65 | 304.35 | 23.87 |
| (iii) | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 01-सिविल,111-राज्य के विधायकों को पेंशन, 99-राज्य विधानमंडल के सदस्य, | 188.19 | 0.00 | 25.88 | 162.31 | 86.25 |
| (iv) | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 01-सिविल, 117-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान, 99-हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, 99-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सरकारी अंशदान | 596.24 | 868.45 | 939.67 | 525.02 | 35.85 |
| (v) | 2075-विविध सामान्य सेवा, 800-अन्य व्यय, 88-मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) | 823.74 | 0.00 | 1.64 | 822.10 | 99.80 |
| (vi) | 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवा, 797-आरक्षित निधि और जमा खाते से अंतरण, 99-विकास और कल्याण निधि (पूंजीगत निर्माण कार्य निधि) | 8,585.00 | 0.00 | 0.00 | 8,585.00 | 100.00 |
| **2** | **9-शिक्षा** | | | | | |
| (i) | 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 053-भवनों का रखरखाव, 99-सरकारी स्कूलों में विस्तार तथा बदलाव | 150.00 | 0.00 | 42.02 | 107.98 | 71.99 |
| **3** | **13-स्वास्थ्य** | | | | | |
| (i) | 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवा-एलोपैथी, 110-अस्पताल और औषधालय, 70-केंद्रीय वित्त आयोग के प्रशासन के मानकों का उन्नयन | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 100.00 |
| (ii) | 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा-एलोपैथी, 103-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 84-एनआरएचएम के अंतर्गत सहायता अनुदान | 837.00 | 389.00 | 1,112.16 | 113.84 | 9.29 |
| (iii) | 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, 80-सामान्य, 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता, 97-आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (एबी-एचएचपीए) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार | 200.00 | 0.00 | 50.00 | 150.00 | 75.00 |
| **4** | **15-स्थानीय शासन** | | | | | |
| (i) | 2217-शहरी विकास,05-अन्य शहरी विकास योजना, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 98-मेरा शहर सर्वोत्तम शहर | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

| क्र. सं. | अनुदान का नाम और योजना का नाम | बजट अनुमान | अनुपूरक | व्यय | बचत | बजट से बचत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ii) | 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 92-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिका को सहायता अनुदान | 1,070.00 | 0.00 | 868.77 | 201.23 | 18.81 |
| (iii) | 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 96-नगर निगमों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान | 100.00 | 1,966.61 | 750.32 | 1,316.29 | 63.69 |
| (iv) | 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 97-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान | 423.04 | 0.00 | 208.87 | 214.17 | 50.63 |
| (v) | 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 87-स्मार्ट सिटी | 200.00 | 336.00 | 136.00 | 400.00 | 74.63 |
| (vi) | 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 88-स्वच्छ भारत मिशन | 200.00 | 164.86 | 199.50 | 165.36 | 45.32 |
| (vii) | 2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 92-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान | 50.00 | 99.47 | 10.21 | 139.26 | 93.17 |
| **5** | **21-महिला एवं बाल विकास** | | | | | |
| (i) | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 02-समाज कल्याण, 102-बाल कल्याण, 92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी) | 739.20 | 35.44 | 597.03 | 177.61 | 22.93 |
| **6** | **24-सिंचाई** | | | | | |
| (i) | 2700-प्रमुख सिंचाई.80-सामान्य, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 96-गांव के तालाबों के विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/पुनरुद्धार किया गया | 802.00 | 0.00 | 128.52 | 673.48 | 83.98 |
| (ii) | 2705-कमांड एरिया डेवलपमेंट, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता, 94-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन- सीएडीए द्वारा प्रति बूंद अधिक फसल | 455.33 | 15.00 | 165.47 | 304.86 | 64.82 |
| **7** | **27-कृषि** | | | | | |
| (i) | 2401-फसल पालन, 108-वाणिज्यिक फसलें, 79-हैफेड को मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी प्लस मार्केट फीस की प्रतिपूर्ति | 323.01 | 323.00 | 0.00 | 646.01 | 100.00 |
| (ii) | 2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण, 78-कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन | 200.00 | 0.00 | 60.79 | 139.21 | 69.61 |
| (iii) | 2401-फसल पालन, 113-कृषि अभियांत्रिकी, 82-फसल अवशेष प्रबंधन योजना | 200.00 | 106.00 | 15.85 | 290.15 | 94.82 |
| **8** | **30-वन एवं वन्य जीवन** | | | | | |
| (i) | 2406-वानिकी और वन्य जीवन, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण, विकास और उत्थान, 99-वनों का संगठन, सुधार और विस्तार | 75.00 | 75.00 | 1.73 | 148.27 | 98.85 |
| **9** | **32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास** | | | | | |
| (i) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 101-पंचायती राज, 89-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 100.00 |
| (ii) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 93-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना | 240.00 | 292.37 | 99.82 | 432.55 | 81.25 |
| (iii) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 94-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) | 350.00 | 0.00 | 172.55 | 177.45 | 50.70 |

| क्र. सं. | अनुदान का नाम और योजना का नाम | बजट अनुमान | अनुपूरक | व्यय | बचत | बजट से बचत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (iv) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 106-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं का प्रावधान, 97-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 100.00 |
| (v) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम,106-ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं का प्रावधान, 99-विधायक आदर्श ग्राम योजना (वीएजीवाई) | 180.20 | 0.00 | 2.18 | 178.02 | 98.79 |
| (vi) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता, 99-पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान तथा जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन की योजना | 467.76 | 0.00 | 153.03 | 314.73 | 67.28 |
| (vii) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 198-ग्राम पंचायतों को सहायता, 98-केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान | 1,040.00 | 0.00 | 467.50 | 572.50 | 55.05 |
| (viii) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 87-राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00 |
| (ix) | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 97-अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) | 150.00 | 0.00 | 22.88 | 127.12 | 84.75 |
| **10** | **33-सहयोग** | | | | | |
| (i) | 2425-सहयोग, 107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 85-हरियाणा कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा हरियाणा सहकारी बैंक को वसूली से जुड़े प्रोत्साहन के लिए एकमुश्त निपटान की योजना | 37.00 | 703.45 | 36.66 | 703.79 | 95.05 |
| **11** | **40 ऊर्जा एवं विद्युत** | | | | | |
| (i) | 2801-विद्युत, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 98-ऊर्जा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओडब्ल्यू-पीएलओ-आरईवी) | 0.00 | 2629.81 | 0.00 | 2,629.81 | 100.00 |
| (ii) | 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 83-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एससीटी-पीएलओ-आरईवी) | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 100.00 |
| | **राजस्व (भारित)** | | | | | |
| **1** | **6-वित्त** | | | | | |
| (i) | 2049-ब्याज भुगतान, 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज, 200-अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज, 95-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण | 900.00 | 0.00 | 47.17 | 852.83 | 94.76 |
| (ii) | 2075-विविध सामान्य सेवा, 797-आरक्षित निधि/जमा खातों में/से अंतरण, 99-आरक्षित निधि और जमा खातों में गारंटी मोचन निधि अंतरण (प्रमुख शीर्ष-8235) | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 100.00 |
| | **पूंजीगत (दत्तमत)** | | | | | |
| **1** | **13-स्वास्थ्य** | | | | | |
| (i) | 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 93-भिवानी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य | 150.00 | 0.00 | 36.35 | 113.65 | 75.77 |

| क्र. सं. | अनुदान का नाम और योजना का नाम | बजट अनुमान | अनुपूरक | व्यय | बचत | बजट से बचत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **14-शहरी विकास** | | | | | |
| (i) | 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य शहरी विकास योजना, 051-निर्माण, 89-मंगल नगर विकास योजना | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,015.28 | 484.72 | 19.39 |
| **3** | **23-खाद्य एवं आपूर्ति** | | | | | |
| (i) | 4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 89-बाजरा की खरीद | 50.00 | 501.00 | 74.50 | 476.50 | 86.48 |
| (ii) | 4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य ,101-खरीद और आपूर्ति, 97-पूंजी पर ब्याज | 1,200.00 | 0.00 | 301.45 | 898.55 | 74.88 |
| (iii) | 4408-खाद्य भंडार और भंडारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01-खाद्य ,101-खरीद और आपूर्ति, 99-अनाज आपूर्ति योजना | 13,650.00 | 0.00 | 12,119.41 | 1,530.59 | 11.21 |
| **4** | **24-सिंचाई** | | | | | |
| (i) | 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार, 800-अन्य व्यय, 97-नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई | 150.00 | शून्य | 0.00 | 150.00 | 100.00 |
| **5** | **34-परिवहन** | | | | | |
| (i) | 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं, 102-नेविगेशन और हवाई मार्ग सेवाएं, 98-हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब | 80.00 | 259.59 | 192.44 | 147.15 | 43.33 |
| (ii) | 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 050-भूमि और भवन, 78-हरियाणा रोडवेज डिपो | 130.00 | 0.00 | 28.53 | 101.47 | 78.05 |
| **6** | **38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति** | | | | | |
| (i) | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 102-ग्रामीण जलापूर्ति, 93-ग्रामीण जलापूर्ति, 93-नाबार्ड | 276.00 | 0.00 | 121.94 | 154.06 | 55.82 |
| (ii) | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 102-ग्रामीण जलापूर्ति, 93-ग्रामीण जलापूर्ति, 94-जलापूर्ति आवर्धन | 230.00 | 0.00 | 96.21 | 133.79 | 58.17 |
| (iii) | 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 800-अन्य व्यय, 96-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी) | 0.00 | 858.45 | 0.00 | 858.45 | 100.00 |
| **7** | **40-ऊर्जा एवं विद्युत** | | | | | |
| (i) | 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05-संचरण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 96-डीएचबीवीएन को इक्विटी पूंजी | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00 |
| (ii) | 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05-संचरण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 97-यूएचबीवीएनएल को इक्विटी पूंजी | 205.05 | 0.00 | 0.00 | 205.05 | 100.00 |
| (iii) | 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05-संचरण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 99-एचवीपीएनएल को इक्विटी पूंजी | 185.38 | 0.00 | 0.00 | 185.38 | 100.00 |

| क्र. सं. | अनुदान का नाम और योजना का नाम | बजट अनुमान | अनुपूरक | व्यय | बचत | बजट से बचत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम** | | | | | |
| (i) | 6401-फसल पालन के लिए ऋण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण, 97-इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, गन्नौर, सोनीपत की स्थापना के लिए एचआईएचएमसी पंचकुला को ऋण प्रदान करने की योजना | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 351.00 | 100.00 |
| (ii) | 6408-खाद्य भंडार और भंडारण के लिए ऋण, 02-भंडार और भंडारण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण, 99-हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए ऋण (नाबार्ड) जिसका नाम बदलकर वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज कर दिया गया है | 120.00 | 40.16 | 33.63 | 126.53 | 79.00 |
| (iii) | 6501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण, 99-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) को ऋण | 70.00 | 138.78 | 34.79 | 173.99 | 83.34 |
| (iv) | 6860-उपभोक्ता उद्यम के लिए ऋण, 04-शुगर, 101-सहकारी चीनी मिलों को ऋण, 99-सभी सहकारी चीनी मिलों, कैथल, महम, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, जींद, पलवल, गोहाना, शाहबाद, करनाल को ऋण का एकमुश्त निपटान | 350.00 | 300.00 | 495.00 | 155.00 | 23.85 |
| | **पूंजीगत भारित** | | | | | |
| **1** | **सार्वजनिक ऋण** | | | | | |
| (i) | 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 107-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण, 99-भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण | 14,800.00 | 0.00 | 1,684.53 | 13,115.47 | 88.62 |
| (ii) | 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए ऋण, 101-ब्लॉक ऋण, 51-एनए | 255.15 | 0.00 | 56.52 | 198.63 | 77.85 |

## परिशिष्ट 3.6

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (ii); पृष्ठ 72)**

**उन योजनाओं का विवरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रावधान ₹ पांच करोड़ और अधिक तथा बचत कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक थी**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | स्कीम | वर्ष | कुल | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन [पी-02-27-2401-51-109-78-51] | 2019-20 | 200.00 | 36.69 | 163.31 | 82 |
| | | 2020-21 | 200.00 | 76.36 | 123.64 | 62 |
| | | 2021-22 | 200.00 | 60.79 | 139.21 | 70 |
| 2. | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-27-2401-51-109-77-51] | 2019-20 | 35.50 | 8.65 | 26.85 | 75 |
| | | 2020-21 | 21.15 | 9.48 | 11.67 | 55 |
| | | 2021-22 | 23.25 | 4.00 | 19.25 | 83 |
| 3. | हरियाणा राज्य में भावांतर भरपाई योजना [पी-01-27-2401-51-190-99-51] | 2019-20 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 80 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 4. | अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-27-2401-51-789-85-51] | 2019-20 | 8.80 | 0.34 | 8.46 | 96 |
| | | 2020-21 | 8.00 | 0.33 | 7.67 | 96 |
| | | 2021-22 | 8.00 | 1.44 | 6.56 | 82 |
| 5. | मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना [पी-02-27-2402-51-101-95-51] | 2019-20 | 16.50 | 5.10 | 11.40 | 69 |
| | | 2020-21 | 14.00 | 4.20 | 9.80 | 70 |
| | | 2021-22 | 14.00 | 0.60 | 13.40 | 96 |
| 6. | हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना [पी-01-28-2403-51-102-81-51] | 2019-20 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 7. | सूचान प्रौद्योगिकी [पी-01-23-2408-01-001-94-99] | 2019-20 | 12.00 | 0.02 | 11.98 | 100 |
| | | 2020-21 | 7.75 | 1.07 | 6.68 | 86 |
| | | 2021-22 | 12.00 | 0.75 | 11.25 | 94 |
| 8. | वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज के लिए ऋण [पी-01-45-6408-02-190-99-51] | 2019-20 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 150.00 | 27.79 | 122.21 | 81 |
| | | 2021-22 | 160.16 | 33.63 | 126.53 | 79 |
| 9. | राज्य विधानमंडल के सदस्य [पी-01-06-2071-01-111-99-51] | 2019-20 | 284.81 | 36.23 | 248.58 | 87 |
| | | 2020-21 | 184.50 | 83.01 | 101.49 | 55 |
| | | 2021-22 | 188.19 | 25.88 | 162.31 | 86 |
| 10. | स्टेशनरी कार्यालय और स्टोर [पी-01-44-2058-51-101-99-51] | 2019-20 | 9.91 | 1.00 | 8.91 | 90 |
| | | 2020-21 | 9.49 | 1.15 | 8.34 | 88 |
| | | 2021-22 | 8.73 | 2.30 | 6.43 | 74 |
| 11. | गारंटी मोचन निधि-आरक्षित निधि और जमा खाते में अंतरण (प्रमुख शीर्ष-8235) [पी-01-06-2075-51-797-99-51] | 2019-20 | 167.00 | 0.00 | 167.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 167.00 | 0.00 | 167.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 167.00 | 0.00 | 167.00 | 100 |
| 12. | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना [पी-01-06-2075-51-800-88-51] | 2019-20 | 1,500.00 | 148.65 | 1,351.35 | 90 |
| | | 2020-21 | 900.60 | 383.68 | 516.92 | 57 |
| | | 2021-22 | 823.74 | 1.64 | 822.10 | 100 |
| 13. | पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आबंटित प्लॉट का भुगतान [पी-01-39-4220-60-101-97-51] | 2019-20 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 14. | | 2019-20 | 40.23 | 0.00 | 40.23 | 100 |
| | | 2020-21 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 100 |

| क्र. सं. | स्कीम | वर्ष | कुल | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पीएचसी-उच्च न्यायालय का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-42-2014-51-102-96-51] | 2021-22 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 100 |
| 15. | मंत्रियों, उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों और राज्य विधायकों को एचबीए अग्रिम [पी-01-45-7610-51-201-98-51] | 2019-20 | 15.00 | 1.59 | 13.41 | 89 |
| | | 2020-21 | 15.00 | 4.38 | 10.62 | 71 |
| | | 2021-22 | 15.00 | 3.60 | 11.40 | 76 |
| 16. | शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीएलबी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-15-2217-80-001-91-51] | 2019-20 | 987.00 | 0.00 | 987.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 247.40 | 0.00 | 247.40 | 100 |
| | | 2021-22 | 1,511.46 | 0.00 | 1,,511.46 | 100 |
| 17. | अग्निशमन सेवा का सुदृढ़ीकरण [पी-01-15-2217-80-192-98-51] | 2019-20 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100 |
| 18. | किसी भी आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की व्यावसायिक संपत्ति के नुकसान के मुआवजे की योजना [पी-01-15-2217-80-192-90-51] | 2019-20 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 19. | दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान [पी-01-15-2217-80-789-94-51] | 2019-20 | 50.00 | 22.50 | 27.50 | 55 |
| | | 2020-21 | 35.00 | 15.43 | 19.57 | 56 |
| | | 2021-22 | 35.00 | 1.76 | 33.24 | 95 |
| 20. | एकीकृत बंजर भूमि विकास प्रबंधन परियोजना [पी-02-32-2501-05-789-99-51] | 2019-20 | 10.00 | 4.25 | 5.75 | 58 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 4.40 | 5.60 | 56 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 21. | स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना [पी-01-32-2515-51-102-96-99] | 2019-20 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 22. | विद्युत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओडब्ल्यू-पीएलओ-आरईडब्ल्यू) [पी-01-40-2801-80-001-98-51] | 2019-20 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 242.16 | 0.00 | 242.16 | 100 |
| | | 2021-22 | 2,629.81 | 0.00 | 2,629.81 | 100 |
| 23. | ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी विद्युत संयंत्र कार्यक्रम [पी-01-40-2810-51-101-99-51] | 2019-20 | 50.00 | 16.02 | 33.98 | 68 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 3.71 | 6.29 | 63 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.38 | 9.62 | 96 |
| 24. | सोनीपत में साइंस सिटी की स्थापना [पी-01-40-5425-51-600-99-51] | 2019-20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 25. | बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-24-2700-01-001-91-51] | 2019-20 | 121.70 | 4.60 | 117.10 | 96 |
| | | 2020-21 | 114.85 | 4.91 | 109.94 | 96 |
| | | 2021-22 | 114.85 | 5.15 | 109.70 | 96 |
| 26. | बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-24-2700-01-001-89-51 | 2019-20 | 24.70 | 1.05 | 23.65 | 96 |
| | | 2020-21 | 28.09 | 0.83 | 27.26 | 97 |
| | | 2021-22 | 29.34 | 1.13 | 28.21 | 96 |
| 27. | पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता [पी-01-24-2700-02-001-92-51] | 2019-20 | 23.55 | 1.58 | 21.97 | 93 |
| | | 2020-21 | 25.90 | 1.12 | 24.78 | 96 |
| | | 2021-22 | 27.35 | 0.70 | 26.65 | 97 |
| 28. | पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-24-2700-02-001-89-51] | 2019-20 | 46.02 | 3.10 | 42.92 | 93 |
| | | 2020-21 | 45.00 | 2.46 | 42.54 | 95 |
| | | 2021-22 | 51.16 | 1.45 | 49.71 | 97 |

| क्र. सं. | स्कीम | वर्ष | कुल | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | मुख्य अभियंता गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) [पी-01-24-2700-18-001-93-51] | 2019-20 | 7.00 | 1.48 | 5.52 | 79 |
| | | 2020-21 | 7.76 | 0.96 | 6.80 | 88 |
| | | 2021-22 | 5.58 | 1.83 | 3.75 | 67 |
| 30. | अधीक्षण अभियंता गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) [पी-01-24-2700-18-001-92-51] | 2019-20 | 5.96 | 0.61 | 5.35 | 90 |
| | | 2020-21 | 6.50 | 0.45 | 6.05 | 93 |
| | | 2021-22 | 5.55 | 0.59 | 4.96 | 89 |
| 31. | गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-24-2700-18-001-91-51] | 2019-20 | 63.56 | 12.24 | 51.32 | 81 |
| | | 2020-21 | 79.25 | 12.11 | 67.14 | 85 |
| | | 2021-22 | 68.62 | 15.27 | 53.35 | 78 |
| 32. | गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत मुख्य अभियंता [पी-01-24-2700-80-001-93-51] | 2019-20 | 50.68 | 11.46 | 39.22 | 77 |
| | | 2020-21 | 63.74 | 11.48 | 52.26 | 82 |
| | | 2021-22 | 98.41 | 14.31 | 84.10 | 85 |
| 33. | शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायता अनुदान [पी-01-04-2705-51-102-99-51] | 2019-20 | 15.00 | 3.75 | 11.25 | 75 |
| | | 2020-21 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 75 |
| | | 2021-22 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 75 |
| 34. | नहर (एसवाईएल) का निर्माण [पी-01-24-4700-07-800-98-51] | 2019-20 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 100.00 | 4.72 | 95.28 | 95 |
| 35. | नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई [पी-01-24-4701-07-800-97-51] | 2019-20 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100 |
| 36. | गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एनएसओपी उड़ान) [पी-01-34-3053-01-190-99-98] | 2019-20 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 37. | परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-34-3055-51-001-97-51] | 2019-20 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 100 |
| | | 2021-22 | 204.82 | 0.00 | 204.82 | 100 |
| 38. | स्पेयर पार्ट्स, एयर क्राफ्टस और अन्य उपकरणों की खरीद [पी-01-34-5053-60-052-99-51] | 2019-20 | 15.16 | 0.34 | 14.82 | 98 |
| | | 2020-21 | 15.16 | 0.76 | 14.40 | 95 |
| | | 2021-22 | 15.16 | 2.01 | 13.15 | 87 |
| 39. | हरियाणा रोडवेज डिपो [पी-01-34-5055-51-050-78-51] | 2019-20 | 150.00 | 59.33 | 90.67 | 60 |
| | | 2020-21 | 145.00 | 61.71 | 83.29 | 57 |
| | | 2021-22 | 130.00 | 28.53 | 101.47 | 78 |
| 40. | बेड़े के अधिग्रहण के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज डिपो [पी-01-34-5055-51-102-77-51] | 2019-20 | 100.00 | 4.08 | 95.92 | 96 |
| | | 2020-21 | 100.00 | 25.47 | 74.53 | 75 |
| | | 2021-22 | 100.00 | 22.02 | 77.98 | 78 |
| 41. | पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-08-4059-80-001-98-51] | 2019-20 | 953.76 | 0.00 | 953.76 | 100 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 1,164.98 | 0.00 | 1,164.98 | 100 |
| 42. | उप-मंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटों के लिए स्वर्ण जयंती योजना [पी-01-08-4216-01-106-76-51] | 2019-20 | 10.00 | 0.49 | 9.51 | 95 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 0.80 | 9.20 | 92 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 4.25 | 5.75 | 58 |
| 43. | माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-09-2202-02-001-92-51] | 2019-20 | 30.12 | 0.00 | 30.12 | 100 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 100 |
| 44. | सरकारी स्कूलों में विस्तार और परिवर्तन [पी-01-09-2202-02-053-99-51] | 2019-20 | 188.00 | 57.02 | 130.98 | 70 |
| | | 2020-21 | 280.00 | 64.23 | 215.77 | 77 |
| | | 2021-22 | 150.00 | 42.02 | 107.98 | 72 |

| क्र. सं. | स्कीम | वर्ष | कुल | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | झज्जर में एक स्वायत्त राज्य स्तरीय | 2019-20 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 100 |
| | शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना | 2020-21 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| | [पी-01-09-2202-02-105-93-51] | 2021-22 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 100 |
| 46. | कक्षा IX-XII में बीपीएल छात्रों को मासिक वजीफा | 2019-20 | 6.00 | 2.39 | 3.61 | 60 |
| | [पी-01-09-2202-02-107-87-51] | 2020-21 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 47. | कक्षा IX-XII में बीसी-ए के छात्रों को मासिक वजीफा | 2019-20 | 40.00 | 19.52 | 20.48 | 51 |
| | [पी-01-09-2202-02-107-86-51] | 2020-21 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 100 |
| 48. | छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना | 2019-20 | 10.00 | 4.58 | 5.42 | 54 |
| | [पी-01-09-2202-02-107-81-51] | 2020-21 | 5.00 | 0.56 | 4.44 | 89 |
| | | 2021-22 | 5.00 | 0.69 | 4.31 | 86 |
| 49. | स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल | 2019-20 | 10.00 | 0.50 | 9.50 | 95 |
| | [पी-01-13-2210-05-105-74-51] | 2020-21 | 10.00 | 1.00 | 9.00 | 90 |
| | | 2021-22 | 5.00 | 1.25 | 3.75 | 75 |
| 50. | नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एमपीएचडब्ल्यू पुरुष की स्थापना | 2019-20 | 10.00 | 0.61 | 9.39 | 94 |
| | [पी-01-13-2210-05-105-71-51] | 2020-21 | 25.00 | 5.26 | 19.74 | 79 |
| | | 2021-22 | 20.00 | 9.52 | 10.48 | 52 |
| 51. | खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण | 2019-20 | 13.31 | 0.07 | 13.24 | 99 |
| | [पी-02-13-4059-01-051-63-51] | 2020-21 | 12.00 | 0.01 | 11.99 | 100 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 52. | नल्हर में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य- | 2019-20 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| | भवन का निर्माण | 2020-21 | 30.00 | 0.17 | 29.83 | 99 |
| | [पी-01-13-4210-03-105-90-99] | 2021-22 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 53. | भिवानी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज | 2019-20 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | का निर्माण कार्य | 2020-21 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 100 |
| | [पी-02-13-4210-03-105-93-51] | 2021-22 | 150.00 | 36.35 | 113.65 | 76 |
| 54. | अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च प्रतियोगी/प्रवेश | 2019-20 | 10.00 | 3.24 | 6.76 | 68 |
| | परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता | 2020-21 | 19.00 | 5.31 | 13.69 | 72 |
| | [पी-01-19-2225-01-277-88-51] | 2021-22 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100 |
| 55. | अनुसूचित जाति के छात्रों को | 2019-20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100 |
| | प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना | 2020-21 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| | [पी-03-19-2225-01-277-68-51] | 2021-22 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 56. | मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण और | 2019-20 | 10.00 | 1.01 | 8.99 | 90 |
| | हरियाणा में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना | 2020-21 | 10.00 | 3.39 | 6.61 | 66 |
| | [पी-01-20-2235-02-101-64-51] | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 57. | आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए | 2019-20 | 7.62 | 1.11 | 6.51 | 85 |
| | केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को अनुग्रह राशि | 2020-21 | 7.00 | 0.40 | 6.60 | 94 |
| | [पी-01-22-2235-60-200-77-51] | 2021-22 | 5.00 | 0.09 | 4.91 | 98 |
| 58. | अनुसूचित जातियों के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम | 2019-20 | 59.60 | 11.52 | 48.08 | 81 |
| | [पी-02-21-2236-02-789-98-51] | 2020-21 | 59.60 | 13.74 | 45.86 | 77 |
| | | 2021-22 | 59.60 | 15.63 | 43.97 | 74 |
| 59. | पोषण अभियान के लिए योजना | 2019-20 | 98.00 | 42.91 | 55.09 | 56 |
| | [पी-02-21-2236-80-102-99-51] | 2020-21 | 51.99 | 20.48 | 31.51 | 61 |
| | | 2021-22 | 74.49 | 8.37 | 66.12 | 89 |
| 60. | राजस्व के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय | 2019-20 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | 100 |
| | (पीएलओ) (एफसीआर-पीओएल-आरईवी) | 2020-21 | 51.57 | 0.00 | 51.57 | 100 |
| | [पी-01-04-2245-80-001-95-51] | 2021-22 | 839.30 | 0.00 | 839.30 | 100 |

| क्र. सं. | स्कीम | वर्ष | कुल | व्यय | बचत | बचत का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | निदेशालय स्वर्ण जयंती के भवन निर्माण हेतु संस्थागत प्लॉट की खरीद [पी-01-20-4235-02-101-93-51] | 2019-20 | 15.00 | 0.24 | 14.76 | 98 |
| | | 2020-21 | 5.00 | 0.04 | 4.96 | 99 |
| | | 2021-22 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100 |
| 62. | सुगम्य भारत अभियान सुगम भारत अभियान (एसआईपीडीए) [पी-03-20-4235-02-101-92-51] | 2019-20 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 18.00 | 0.75 | 17.25 | 96 |
| | | 2021-22 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 100 |
| 63. | आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण-नाबार्ड अंशदान [पी-01-21-4235-02-102-99-99] | 2019-20 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 20.00 | 4.03 | 15.97 | 80 |
| | | 2021-22 | 20.00 | 6.39 | 13.61 | 68 |
| 64. | आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण-राज्य अंशदान [पी-01-21-4235-02-102-99-98] | 2019-20 | 81.00 | 6.42 | 74.58 | 92 |
| | | 2020-21 | 60.00 | 6.70 | 53.30 | 89 |
| | | 2021-22 | 40.00 | 13.19 | 26.81 | 67 |
| 65. | आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण [पी-02-21-4235-02-102-99-51] | 2019-20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 20.00 | 2.06 | 17.94 | 90 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 66. | आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण [पी-01-21-4235-02-789-99-51] | 2019-20 | 15.67 | 1.51 | 14.16 | 90 |
| | | 2020-21 | 15.00 | 0.50 | 14.50 | 97 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 67. | हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना [पी-01-18-2230-03-001-92-51] | 2019-20 | 17.00 | 3.40 | 13.60 | 80 |
| | | 2020-21 | 10.20 | 4.50 | 5.70 | 56 |
| | | 2021-22 | 240.20 | 4.50 | 235.70 | 98 |
| 68. | कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-18-2230-03-001-90-51] | 2019-20 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100 |
| | | 2021-22 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 100 |
| 69. | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-38-2215-01-001-89-51] | 2019-20 | 16.06 | 0.00 | 16.06 | 100 |
| | | 2020-21 | 365.18 | 0.00 | 365.18 | 100 |
| | | 2021-22 | 443.55 | 0.00 | 443.55 | 100 |
| 70. | पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) - (पीओएल-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-36-2055-51-001-97-51] | 2019-20 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | | 2020-21 | 95.00 | 0.19 | 94.81 | 100 |
| | | 2021-22 | 1,277.11 | 0.00 | 1,277.11 | 100 |
| 71. | जेल का आधुनिकीकरण [पी-01-43-2056-51-800-99-51] | 2019-20 | 35.00 | 2.05 | 32.95 | 94 |
| | | 2020-21 | 27.29 | 7.81 | 19.48 | 71 |
| | | 2021-22 | 25.01 | 7.78 | 17.23 | 69 |

## परिशिष्ट 3.7

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 76)**

### योजना निष्पादन से जुड़ा परिव्यय का विवरण जिसमें व्यय शून्य था

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | स्कीम | बजट प्रावधान | अनुपूरक | कुल | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| **1-विधान सभा** | | | | | |
| 1 | एचवीएस-हरियाणा विधान सभा का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एचवीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-01-2011-02-103-97-51] | 0.50 | 13.96 | 14.46 | -14.46 |
| **2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद** | | | | | |
| 2 | आरजेबी-हरियाणा राज भवन का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आरजेबी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-02-2012-03-090-97-51] | 0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.10 |
| 3 | सीएसई-मुख्य सचिवालय स्थापना का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएसई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-02-2013-51-800-97-51] | 0.50 | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
| **3-सामान्य प्रशासन** | | | | | |
| 4 | मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएसई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-03-2052-51-090-90-51] | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
| 5 | मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएसई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-03-2052-51-090-90-51] भारित | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| **4-राजस्व** | | | | | |
| 6 | राजस्व के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफसीआर-पीओएल-आरईवी) [पी-01-04-2245-80-001-95-51] | 0.00* | 839.30 | 839.30 | -839.30 |
| **6-वित्त** | | | | | |
| 7 | टीएए-खजाना और लेखा का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीएए-पीएलओ-आरईवी) [पी-06-2054-51-095-95-51] | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| **8-भवन एवं सड़कें** | | | | | |
| 8 | पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-08-4059-80-001-98-51] | 0.00 | 1,164.98 | 1,164.98 | -1,164.98 |
| 9 | पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-08-2059-80-001-87-51] | 0.00 | 104.50 | 104.50 | -104.50 |
| **9-शिक्षा** | | | | | |
| 10 | माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-09-2202-02-001-92-51] | 45.00 | 0.00 | 45.00 | -45.00 |
| 11 | उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-09-2202-03-001-96-51] | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
| 12 | ईडीएस शिक्षा (माध्यमिक) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-09-4202-01-202-96-51] | 9.91 | 0.00 | 9.91 | -9.91 |
| **10-तकनीकी शिक्षा** | | | | | |
| 13 | तकनीकी शिक्षा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीईडी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-10-2203-51-001-89-51] | 0.00[1] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[1] राशि मात्र ₹ 1,000 है।

| क्र.सं. | स्कीम | बजट प्रावधान | अनुपूरक | कुल | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| **13-स्वास्थ्य** | | | | | |
| 14 | स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीएचएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-13-2210-01-001-92-51] | 0.00[1] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | आयुष विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एवाईयू-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-13-2210-02-101-89-51] | 0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-13-2210-05-105-72-51] | 0.00 | 376.28 | 376.28 | -376.28 |
| 17 | खाद्य और औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफडीए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-13-2210-06-104-97-51] | 0.00* | 1.92 | 1.92 | -1.92 |
| 18 | चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-13-4210-03-105-86-51] | 200.00 | 160.88 | 360.88 | -360.88 |
| **15-स्थानीय शासन** | | | | | |
| 19 | शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीएलबी-पीएलओ-आरईवी)[पी-01-15-2217-80-001-91-51] | 10.00 | 1,501.46 | 1,511.46 | -1,511.46 |
| 20 | डीएलबी-निदेशक शहरी स्थानीय निकाय का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएपी) [पी-01-15-4217-60-001-98-51] | 0.00 | 0.00* | 0.00 | 0.00 |
| **16-श्रम** | | | | | |
| 21 | एलएबी-श्रम का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एलएबी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-16-2230-01-001-94-51] | 0.00 | 0.45 | 0.45 | -0.45 |
| **17-रोजगार** | | | | | |
| 22 | रोजगार के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईएमपी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-17-2230-02-001-97-51] | 0.00 | 28.30 | 28.30 | -28.30 |
| **18-औद्योगिक प्रशिक्षण** | | | | | |
| 23 | कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-18-2230-03-001-90-51] | 30.00 | 9.00 | 39.00 | -39.00 |
| **24-सिंचाई** | | | | | |
| 24 | सिंचाई और जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-24-4700-80-800-98-51] | 10.00 | 0.00 | 10.00 | -10.00 |
| **27-कृषि** | | | | | |
| 25 | कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एजीआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-27-2401-51-001-94-51] | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| **28-पशुपालन एवं डेयरी विकास** | | | | | |
| 26 | पशु पालन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एएनएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-28-2403-51-001-92-51] | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 27 | पशु पालन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एएनएच-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-28-4403-51-101-98-51] | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| **29-मत्स्य पालन** | | | | | |
| 28 | मत्स्य पालन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफआईएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-29-2405-51-001-95-51] | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| **30-वन एवं वन्य जीवन** | | | | | |
| 29 | वन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफआरटी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-30-2406-01-001-94-51] | 24.00 | 58.70 | 82.70 | -82.70 |
| **31-पारिस्थितिकी और पर्यावरण** | | | | | |
| 30 | ईएनवी-पर्यावरण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईएनवी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-31-3435-03-001-96-51] | 0.00 | 1.71 | 1.71 | -1.71 |
| **32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास** | | | | | |
| 31 | ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-32-2501-03-001-97-51] | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 32 | विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-32-2515-51-001-96-51] | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |

| क्र.सं. | स्कीम | बजट प्रावधान | अनुपूरक | कुल | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-32-4515-51-101-98-51] | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| **34-परिवहन** | | | | | |
| 34 | परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-34-3055-51-001-97-51] | 26.70 | 178.12 | 204.82 | -204.82 |
| **35-पर्यटन** | | | | | |
| 35 | पर्यटन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीओआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-35-3452-80-001-96-51] | 20.00 | 2.48 | 22.48 | -22.48 |
| 36 | पर्यटन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीओआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-35-5452-80-800-86-51] | 0.00 | 42.35 | 42.35 | -42.35 |
| **36-गृह** | | | | | |
| 37 | पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) - (पीओएल-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-36-2055-51-001-97-51] | 1.00 | 1,276.11 | 1,277.11 | -1,277.11 |
| **38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति** | | | | | |
| 38 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-38-2215-01-001-89-51] | 1.00 | 442.55 | 443.55 | -443.55 |
| 39 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-38-4215-01-800-96-51] | 0.00 | 858.45 | 858.45 | -858.45 |
| **39-सूचना एवं प्रचार** | | | | | |
| 40 | लोक संपर्क विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-39-2220-01-001-97-51] | 5.00 | 0.00 | 5.00 | -5.00 |
| **40-ऊर्जा एवं विद्युत** | | | | | |
| 41 | ऊर्जा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओडब्ल्यू-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-40-2801-80-001-98-51] | 0.00 | 2,629.81 | 2,629.81 | -2,629.81 |
| 42 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एससीटी-पीएलओ-आरईवी)[पी-01-40-3425-60-001-83-51] | 0.00 | 265.00 | 265.00 | -265.00 |
| **42-न्याय-प्रशासन** | | | | | |
| 43 | पीएचसी-उच्च न्यायालय का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीएचसी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-42-2014-51-102-96-51] | 21.00 | 10.00 | 31.00 | -31.00 |
| **43-जेल** | | | | | |
| 44 | पीआरआई-जेल का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीआरआई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-43-2056-51-001-97-51] | 0.20 | 22.30 | 22.50 | -22.50 |
| | **कुल** | **409.99** | **9,988.61** | **10,398.60** | **-10,398.60** |

## परिशिष्ट 3.8

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 76)**

### वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाले विवरण जहां व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | लेखा शीर्ष | वर्ष के दौरान कुल व्यय | वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय | | मार्च 2022 के दौरान व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राशि | कुल व्यय की प्रतिशतता | राशि | कुल व्यय की प्रतिशतता |
| 1. | 3-सामान्य प्रशासन | 2051-लोक सेवा आयोग | 188.87 | 95.36 | 51 | 33.13 | 18 |
| 2. | | 4047-अन्य राजकोषीय सेवा पर पूंजीगत परिव्यय | 10.10 | 10.10 | 100 | 0.00 | 0 |
| 3. | | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय | 32.50 | 20.00 | 62 | 20.00 | 62 |
| 4. | 4-राजस्व | 2030-स्टाम्प्स एवं पंजीकरण | 21.69 | 15.90 | 73 | 9.96 | 46 |
| 5. | 6-वित्त | 2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोजन | 500.00 | 500.00 | 100 | 500.00 | 100 |
| 6. | 7-आयोजना और सांख्यिकी | 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवा | 90.83 | 76.17 | 84 | 1.56 | 2 |
| 7. | | 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवा पर पूंजीगत परिव्यय | 250.74 | 208.59 | 83 | 160.00 | 64 |
| 8. | 8-भवन एवं सड़कें | 3054-सड़कें एवं पुल | 866.40 | 548.50 | 63 | 502.03 | 58 |
| 9. | | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय | 166.86 | 101.33 | 61 | 92.86 | 56 |
| 10. | 14-शहरी विकास | 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 2,015.28 | 1,015.28 | 51 | 994.48 | 49 |
| 11. | 15-स्थानीय शासन | 2070-अन्य प्रशासनिक सेवा | 13.01 | 11.25 | 86 | 10.05 | 77 |
| 12. | 21-महिला एवं बाल विकास | 4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 55.72 | 34.82 | 62 | 4.81 | 9 |
| 13. | 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 219.10 | 140.74 | 64 | 8.95 | 4 |
| 14. | 24-सिंचाई | 2701-मध्यम सिंचाई | 216.53 | 196.92 | 91 | 186.78 | 86 |
| 15. | | 4700-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 962.27 | 545.50 | 57 | 436.14 | 45 |
| 16. | | 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 524.66 | 316.32 | 60 | 266.59 | 51 |
| 17. | 25-उद्योग | 4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय | 14.53 | 12.02 | 83 | 0.00 | 0 |
| 18. | 26-खान और भू-विज्ञान | 2853-अलौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग | 109.91 | 58.24 | 53 | 3.83 | 3 |
| 19. | 30-वन एवं वन्य जीवन | 2402-मृदा और जल संरक्षण | 33.04 | 17.54 | 53 | 8.72 | 26 |
| 20. | 33-सहयोग | 4425-सहयोग पर पूंजीगत परिव्यय | 112.12 | 97.85 | 87 | 62.05 | 55 |
| 21. | 35-पर्यटन | 3452-पर्यटन | 51.95 | 28.10 | 54 | 15.78 | 30 |
| 22. | 36-गृह | 2070-अन्य प्रशासनिक सेवा | 44.23 | 22.61 | 51 | 7.71 | 17 |
| 23. | 38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय | 32.77 | 23.93 | 73 | 23.69 | 72 |
| 24. | 40-ऊर्जा एवं विद्युत | 2801-विद्युत | 6,749.31 | 4,300.99 | 64 | 3,538.11 | 52 |
| | | **कुल** | **13,282.42** | **8,398.06** | **63** | **6,887.23** | **52** |

## परिशिष्ट 3.9

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1.2 (iii); पृष्ठ 79)**

### अनुदान संख्या 6-वित्त-संपूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | शीर्ष | बजट | अप्रयुक्त अनुदान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2075-797-99-गारंटी रिडंप्शन फंड | 167.00 | 167.00 |
| 2 | 2235-60-105-99-मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घाटना बीमा योजना | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 3475-115-98-ई-मित्र किसान वित्तीय सेवा योजना | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 3475-115-99-हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड को सहायता अनुदान | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 3475-797-99 विकास और कल्याण निधि (पूंजीगत निर्माण कार्य निधि) | 8,585.00 | 8,585.00 |
| 6 | 3475-800-97-96-आत्म निर्भर योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए ऋण के ब्याज सबवेंशन का भुगतान | 0.03 | 0.03 |
| 7 | 3475-800-98-उच्च शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी | 0.03 | 0.03 |
| 8 | 4059-01-051-60-वित्त भवन का निर्माण | 10.00 | 10.00 |
| 9 | 4059-60-051-72-खजाना और लेखा प्रशासन | 0.32 | 0.32 |
| | कुल | **8,792.93** | **8,792.93** |

## परिशिष्ट 3.10

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1.2 (iv); पृष्ठ 80)**

## पुनर्विनियोग आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित निधियों का विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | प्रमुख शीर्ष | बजट प्रावधान | व्यय | अभ्यर्पित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवा | 8,615.44 | 0.39 | (-) 8,615.15 |
| 2 | 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 0.50 | 0 | (-) 0.50 |
| 3 | 2075-विविध सामान्य सेवा | 990.74 | 1.64 | (-) 989.10 |
| 4 | 2071-पेंशन एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ | 9,200.00 | 10,616.71 | 787.41 |
| 5 | 2054-खजाना और लेखा प्रशासन | 93.48 | 92.36 | (-) 14.07 |
| 6 | 2047-अन्य राजकोषीय सेवा | 1.99 | 1.82 | (-) 0.18 |
| 7 | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय | 10.32 | 0 | (-) 10.32 |
| 8 | 4885-उद्योग और खनिज पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| 9 | 2049-ब्याज भुगतान | 19,776.42 | 18,361.60 | (-) 18,923.40 |
| 10 | 2048-ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग | 600.00 | 500.00 | (-) 600.00 |
| **कुल** | | **39,288.89** | **29,582.52** | **(-) 28,357.31** |

## परिशिष्ट 3.11

## (संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (ii); पृष्ठ 82)

## अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के अंतर्गत अभ्यर्पित किए गए संपूर्ण प्रावधान के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | स्वास्थ्य योजना | मूल बजट (ओ) | अनुपूरक प्रावधान (एस) | कुल प्रावधान (ओ+एस) | पुनर्विनियोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी-01-13-2210-01-001-92-51-आर-वी-स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीएचएस-पीएलओ-आरईवी) | 1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| 2 | पी-01-13-2210-01-001-93-51-आर-वी-स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) की सिफारिश का कार्यान्वयन | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 | -1,00,000 |
| 3 | पी-01-13-2210-01-110-43-51-आर-वी- एनपीसीडीसीएस (कैंसर और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) और एनपीएचसीई (बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का कार्यान्वयन | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 | -1,00,000 |
| 4 | पी-01-13-2210-01-110-70-51-एन-वी-केंद्रीय वित्त आयोग प्रशासन के मानकों का उन्नयन | 1,42,00,00,000 | 0 | 1,42,00,00,000 | -1,42,00,00,000 |
| 5 | पी-01-13-2210-02-101-89-51-आयुष विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एआईयू-पीएलओ-आरईवी) | 1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| 6 | पी-01-13-2210-02-101-90-51-आयुष द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) की सिफारिश का कार्यान्वयन | 1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| 7 | पी-01-13-2210-03-792-51-आर-वी-अपूरणीय ऋण बट्टे खाते में डालना | 1,000 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| 8 | पी-01-13-2210-05-105-72-51-आर-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी) | 0 | 3,76,28,02,000 | 3,76,28,02,000 | -3,76,28,02,000 |
| 9 | पी-01-13-2210-06-104-97-51-खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आर-वी-एफडीए-पीएलओ-आरईवी) | 1,000 | 1,91,50,000 | 1,91,51,000 | -1,91,51,000 |
| 10 | पी-01-13-2210-80-800-96-51-एन-वी-सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 | -1,00,000 |
| 11 | पी-01-13-2210-80-800-97-51-एन-वी-मुख्य पंजीयक मृत्यु एवं जन्म के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 | -1,00,000 |
| 12 | पी-03-13-4210-03-101-90-51-एन-वी-स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत भवन का निर्माण | 7,00,00,000 | 0 | 7,00,00,000 | -7,00,00,000 |
| 13 | पी-03-13-4210-03-105-82-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर का निर्माण | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 | -1,00,000 |
| 14 | पी-03-13-4210-03-105-83-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, कैथल का निर्माण | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 | -1,00,000 |
| 15 | पी-03-13-4210-03-105-84-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, सिरसा का निर्माण | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 | -1,00,000 |
| 16 | पी-03-13-4210-03-105-86-51-एन-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (एमईआर-पीएलओ-सीएपी) | 2,00,00,00,000 | 1,60,88,00,000 | 3,60,88,00,000 | -3,60,88,00,000 |
| 17 | पी-03-13-4210-04-105-87-51-एन-वी-एआईआईएमएस, मनेठी (रेवाड़ी) का निर्माण कार्य | 50,00,00,000 | 0 | 50,00,00,000 | -50,00,00,000 |
| 18 | पी-03-13-4210-04-105-90-99-एन-वी-डैंटल कॉलेज, नल्हर का निर्माण कार्य | 5,00,00,000 | 0 | 5,00,00,000 | -5,00,00,000 |
| 19 | पी-03-13-4210-04-107-99-51-एन-वी-राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | 2,00,00,000 | 0 | 2,00,00,000 | -2,00,00,000 |
| 20 | 4059-01-051-63 खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण | 10,00,00,000 | 0 | 10,00,00,000 | -10,00,00,000 |
| 21 | 4059-01-051-65 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय हरियाणा (पंचकुला) का निर्माण कार्य | 10,00,00,000 | 0 | 10,00,00,000 | -10,00,00,000 |
| | **कुल** | **4,26,07,05,000** | **5,39,07,52,000** | **9,65,14,57,000** | **-9,65,14,57,000** |

## परिशिष्ट 3.12

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (ii); पृष्ठ 83)**

## बचत के विवरण जो वर्ष 2021-22 के लिए अभ्यर्पित नहीं की गई थी

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | यूनिट का नाम | डीडीओ कोड | लेखा का प्रमुख शीर्ष | आबंटित बजट | किया गया व्यय | शेष राशि | शेष राशि की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक/एसएओ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हरियाणा, पंचकुला | 1163 | 2210 एवं 4210 | 1,368.92 | 1,180.72 | 188.20 | 14 |
| 2 | निदेशक/एसएमओ कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल | 1203 | 2210 | 165.03 | 140.46 | 24.57 | 15 |
| 3 | निदेशक सामान्य स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा, पंचकुला | 1342 | 2211 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0 |
| 4 | निदेशक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, छैंसा, फरीदाबाद | 1148 | 2210 एवं 4210 | 87.40 | 57.72 | 29.68 | 34 |
| 5 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सरकारी सिविल अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला | 1149 | 2210 | 48.42 | 48.11 | 0.31 | 1 |
| 6 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी | 1152 | 2210 | 28.99 | 24.12 | 4.87 | 17 |
| 7 | सिविल सर्जन, कुरूक्षेत्र | 1152 | 2210 | 17.99 | 17.51 | 0.48 | 3 |
| 8 | चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामान्य/सिविल अस्पताल, पानीपत | 1153 | 2210 एवं 2211 | 20.49 | 20.43 | 0.06 | 0 |
| 9 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घरौंडा | 1149 | 2210 एवं 2211 | 8.88 | 8.77 | 0.11 | 1 |
| 10 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया | 1149 | 2210 एवं 2211 | 9.50 | 9.48 | 0.02 | 0 |
| 11 | बजट अधिकारी, निदेशक सामान्य, स्वास्थ्य सेवा | 1142 | 2210 | 2,360.20 | 2,063.34 | 296.86 | 13 |
| **कुल योग** | | | | **4,120.00** | **3,574.84** | **545.16** | **13** |

## परिशिष्ट 3.13

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (iii); पृष्ठ 84)**

**अनावश्यक अनुपूरक अनुदान प्रदान की गई योजनाओं का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | मूल | अनुपूरक | व्यय | व्यय प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी-01-13-2210-01-110-96-51-एन-वी-विभिन्न स्थानीय संस्थाओं का सुधार और विस्तार के रूप में नामित अस्पताल का सुधार और विस्तार | 203.00 | 10.00 | 196.08 | 96.59 |
| 2 | पी-02-13-2210-01-200-98-51-एन-वी-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | 42.00 | 10.00 | 41.13 | 97.93 |
| 3 | पी-01-13-2210-05-105-72-51-आर-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी) | 0.00 | 376.28 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | पी-01-13-2210-06-104-97-51-आर-वी-खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफडीए-पीएलओ-आरईवी) | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | पी-03-13-4210-03-105-86-51-एन-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी) | 200.00 | 160.88 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **445.00** | **559.08** | **237.21** | **53.30** |

## परिशिष्ट 3.14

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (v); पृष्ठ 84)**

## 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई राशि के विवरण

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | स्वास्थ्य योजना | बचत राशि | अतिरिक्त राशि | अभ्यर्पित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पी-01-13-2210-01-001-92-51-आर-वी-स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीएचएस-पीएलओ-आरईवी) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 2 | पी-01-13-2210-01-001-93-51-आर-वी-स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) की सिफारिश का कार्यान्वयन | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 3 | पी-01-13-2210-01-001-98-51-आर-वी-जिला स्टाफ - सिविल सर्जनों के लिए स्टाफ की निरंतरता | 1,35,88,391 | 3,31,61,512 | -1,95,73,121 |
| 4 | पी-01-13-2210-01-001-99-51-आर-सी-मुख्यालय स्टाफ - स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार और सुदृढ़ीकरण | 14,42,000 | 0 | 14,42,000 |
| 5 | पी-01-13-2210-01-001-99-51-आर-वी-मुख्यालय स्टाफ - स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार और सुदृढ़ीकरण | 22,68,479 | 6,89,73,917 | -6,67,05,438 |
| 6 | पी-01-13-2210-01-102-98-98-जिला स्टाफ-स्थापना व्यय | 36,65,93,934 | 8,28,14,990 | 28,37,78,944 |
| 7 | पी-01-13-2210-01-102-99-मुख्यालय स्टाफ | 1,31,70,239 | 15,48,494 | 1,16,21,745 |
| 8 | पी-01-13-2210-01-110-38-99-एन-वी-मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना - सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत | 13,50,00,000 | 0 | 13,50,00,000 |
| 9 | पी-01-13-2210-01-110-46-51-एन-वी-सहायक सेवा की आउटसोर्सिंग | 0 | 25,74,49,789 | -25,74,49,789 |
| 10 | पी-01-13-2210-01-110-49-51-आर-वी-शहरी अस्पताल और औषधालय का सुदृढ़ीकरण | 1,08,22,56,334 | 39,38,11,994 | 68,84,44,340 |
| 11 | पी-01-13-2210-01-110-64-51-एन-वी-हरियाणा रक्त आधान परिषद को सहायता अनुदान जिसका नाम बदलकर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता अनुदान कर दिया गया है | 1,59,18,000 | 0 | 1,59,18,000 |
| 12 | पी-01-13-2210-01-110-65-51-एन-वी-देवी रूपक राष्ट्रीय उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना | 23,20,824 | 0 | 23,20,824 |
| 13 | पी-01-13-2210-01-110-96-51-एन-वी-विभिन्न स्थानीय संस्थाओं का सुधार और विस्तार के रूप में नामित अस्पताल का सुधार और विस्तार | 16,92,37,303 | 0 | 16,92,37,303 |
| 14 | पी-01-13-2210-02-101-89-51-आयुष विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एवाईओ-पीओएलओ-आरईवी) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 15 | पी-01-13-2210-02-101-90-51-आयुष विभाग द्वारा हरियाणा शासन सुधार प्राधिकरण (एचजीआरए) की सिफारिश का कार्यान्वयन | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 16 | पी-01-13-2210-02-101-92-98-जिला आयुर्वेद कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण-स्थापना व्यय | 6,20,08,553 | 16,03,818 | 6,04,04,735 |
| 17 | पी-01-13-2210-02-101-93-51-मुख्यालय में आयुष निदेशालय का सुदृढ़ीकरण | 1,89,72,320 | 34,31,951 | 1,55,40,369 |
| 18 | पी-01-13-2210-02-101-93-51-मुख्यालय में आयुष निदेशालय का सुदृढ़ीकरण | 30,00,000 | 0 | 30,00,000 |
| 19 | पी-01-13-2210-02-102-99-51-होम्योपैथिक औषधालयों का उद्घाटन/निरंतरता | 27,05,655 | 0 | 27,05,655 |
| 20 | पी-01-13-2210-03-110-99-51-आर-वी-ग्रामीण अस्पताल और औषधालय जारी रखना जिसका नाम बदलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कर दिया गया है | 38,81,48,505 | 14,33,52,676 | 24,47,95,829 |
| 21 | पी-01-13-2210-03-789-99-51-एन-वी-अनुसूचित जाति के लिए जननी सुरक्षा योजना | 1,37,70,000 | 0 | 1,37,70,000 |
| 22 | पी-01-13-2210-03-792-51-51-आर-वी-अपूरणीय ऋण बट्टे खाते में डालना | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 23 | पी-01-13-2210-04-101-86-51-आर-वी-आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण और महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए विशेष चिकित्सा | 18,46,10,081 | 6,14,84,499 | 12,31,25,582 |
| 24 | पी-01-13-2210-04-101-90-51-आर-वी-मेलों में चिकित्सा शिविरों के माध्यम से आईएसएम और एच के माध्यम से जागरूकता | 1,12,48,812 | 0 | 1,12,48,812 |

| क्र.सं. | स्वास्थ्य योजना | बचत राशि | अतिरिक्त राशि | अभ्यर्पित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 25 | पी-01-13-2210-04-101-94-51-आर-वी-विभिन्न संस्थानों/ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान | 2,36,85,700 | 0 | 2,36,85,700 |
| 26 | पी-01-13-2210-04-102-97-51-आर-वी-होम्योपैथिक औषधालय का सतत संचालन | 1,65,79,765 | 0 | 1,65,79,765 |
| 27 | पी-01-13-2210-04-103-98-51-आर-वी-यूनानी | 84,74,448 | 24,22,548 | 60,51,900 |
| 28 | पी-01-13-2210-05-101-86-51-आर-वी-श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र | 3,54,25,000 | 0 | 3,54,25,000 |
| 29 | पी-01-13-2210-05-101-88-51-आर-वी-सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज/सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी/औषध परीक्षण प्रयोगशाला, कुरुक्षेत्र और आईएसएम एंड आर संस्थान, पंचकुला की निरंतरता/सुधार | 2,47,72,303 | 23,24,084 | 2,24,48,219 |
| 30 | पी-01-13-2210-05-101-89-51-आर-वी-श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र और आईएसएम एंड आर संस्थान, पंचकुला का सुदृढ़ीकरण/सुधार | 4,36,38,266 | 0 | 4,36,38,266 |
| 31 | पी-01-13-2210-05-105-70-51-आर-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, छैंसा (फरीदाबाद) की स्थापना | 21,83,41,719 | 8,85,55,927 | 12,97,85,792 |
| 32 | पी-01-13-2210-05-105-71-51-आर-वी-नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एमपीएचडब्ल्यू मेल की स्थापना | 11,09,02,539 | 61,39,472 | 10,47,63,067 |
| 33 | पी-01-13-2210-05-105-72-51-आर-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी) | 3,76,28,02,000 | 0 | 3,76,28,02,000 |
| 34 | पी-01-13-2210-05-105-74-51-आर-वी-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल | 3,75,00,000 | 0 | 3,75,00,000 |
| 35 | पी-01-13-2210-05-105-76-95-51-आर-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज, छैंसा (फरीदाबाद) | 1,85,28,046 | 0 | 1,85,28,046 |
| 36 | पी-01-13-2210-05-105-76-96-51-आर-वी-बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां, सोनीपत | 1,61,08,931 | 0 | 1,61,08,931 |
| 37 | पी-01-13-2210-05-105-76-98-51-आर-वी-एसएचकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नल्हर, मेवात | 0 | 3,74,61,454 | -3,74,61,454 |
| 38 | पी-01-13-2210-05-105-76-99-51-आर-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना-कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल | 0 | 8,71,66,306 | -8,71,66,306 |
| 39 | पी-01-13-2210-05-105-78-51-आर-वी-कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल की स्थापना | 6,47,16,543 | 23,21,69,995 | -16,74,53,452 |
| 40 | पी-01-13-2210-05-105-81-51-आर-वी-मेवात मेडिकल कॉलेज, नल्हर की स्थापना | 16,67,91,066 | 37,25,49,534 | -20,57,58,468 |
| 41 | पी-01-13-2210-05-105-82-51-आर-वी-बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां (सोनीपत) की स्थापना | 5,87,76,254 | 3,73,14,470 | 2,14,61,784 |
| 42 | पी-01-13-2210-05-105-83-51-आर-वी-स्थापना कार्यालय निदेशक, शोध एवं चिकित्सा शिक्षा, हरियाणा | 2,47,92,184 | 45,33,767 | 2,02,58,417 |
| 43 | पी-01-13-2210-05-105-94-51-आर-वी-महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अग्रोहा | 0 | 5,74,70,661 | -5,74,70,661 |
| 44 | पी-01-13-2210-06-101-99-51-आर-वी-मलेरिया | 18,13,45,692 | 12,15,26,106 | 5,98,19,586 |
| 45 | पी-01-13-2210-06-102-99-51-आर-वी-सार्वजनिक विश्लेषक और खाद्य निरीक्षक | 4,70,714 | 1,51,67,156 | -1,46,96,442 |
| 46 | पी-01-13-2210-06-104-45-51-आर-वी-खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना | 27,47,832 | 68,05,505 | -40,57,673 |
| 47 | पी-01-13-2210-06-104-97-51-आर-वी-खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफडीए-पीएलओ-आरईवी) | 1,91,51,000 | 0 | 1,91,51,000 |
| 48 | पी-01-13-2210-06-104-98-51-आर-वी-ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम | 74,39,308 | 35,27,121 | 39,12,187 |
| 49 | पी-01-13-2210-06-107-99-51-आर-वी-प्रयोगशालाएं | 88,46,501 | 18,87,546 | 69,58,955 |
| 50 | पी-01-13-2210-80-199-97-51-आर-वी-आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (एबी-एचएचपीए) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार | 1,50,00,00,000 | 0 | 1,50,00,00,000 |
| 51 | पी-01-13-2210-80-199-98-99-एन-वी-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - अश्योरिंग टोटल एनीमिया लिमिट (एटीएएल) अभियान जिसका नाम बदलकर | 94,41,00,000 | 0 | 94,41,00,000 |

| क्र.सं. | स्वास्थ्य योजना | बचत राशि | अतिरिक्त राशि | अभ्यर्पित राशि |
|---|---|---|---|---|
| | अटल स्वास्थ्य अभियान कर दिया गया है | | | |
| 52 | पी-01-13-2210-80-800-96-51-एन-वी-सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 53 | पी-02-13-2210-01-110-43-51-एन-वी-एनपीसीडीसीएस (कैंसर और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) और एनपीएचसीई (बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का कार्यान्वयन | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 54 | पी-02-13-2210-01-200-98-51-एन-वी-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | 10,87,00,000 | 0 | 10,87,00,000 |
| 55 | पी-02-13-2210-03-103-84-51-एन-वी-एनआरएचएम के अंतर्गत सहायता अनुदान | 1,13,84,11,201 | 0 | 1,13,84,11,201 |
| 56 | पी-02-13-2210-04-101-81-51-एन-वी-राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए राज्य आयुष सोसायटी, हरियाणा को सहायता अनुदान | 38,70,49,600 | 0 | 38,70,49,600 |
| 57 | पी-03-13-2210-01-110-70-51-एन-वी-प्रशासन केंद्रीय वित्त आयोग के मानकों का उन्नयन | 1,42,00,00,000 | 0 | 1,42,00,00,000 |
| 58 | पी-03-13-2210-06-101-86-51-एन-वी-राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम | 1,35,000 | 0 | 1,35,000 |
| 59 | पी-03-13-2210-80-800-97-51-एन-वी-मुख्य रजिस्ट्रार मृत्यु एवं जन्म के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| | **कुल** | **12,83,68,95,042** | **2,12,46,55,292** | **10,71,22,39,750** |
| | **बचत भारित** | **-14,42,000** | | **-14,42,000** |
| | **कुल योग दत्तमत बचत 2210** | **12,83,54,53,042** | | **10,71,07,97,750** |
| | **4210 शीर्ष** | | | |
| 1 | पी-01-13-4210-01-110-99-51-एन-वी-भवन जिसका नाम बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर/प्रशासनिक व्यय कर दिया गया है | 12,48,111 | 0 | 12,48,111 |
| 2 | पी-01-13-4210-03-101-90-51-एन-वी-स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत भवन का निर्माण | 7,00,00,000 | 0 | 7,00,00,000 |
| 3 | पी-01-13-4210-03-101-91-51-एन-वी-सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/अस्पतालों के भवनों का निर्माण | 12,40,66,422 | 0 | 12,40,66,422 |
| 4 | पी-01-13-4210-03-101-92-51-एन-वी-सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत | 6,36,07,069 | 0 | 6,36,07,069 |
| 5 | पी-01-13-4210-03-101-98-51-एन-वी-आईएसएम एंड आर पंचकुला के सरकारी संस्थान और संस्थान के परिसर में आयुर्वेद निदेशालय के भवन का निर्माण | 44,91,118 | 0 | 44,91,118 |
| 6 | पी-01-13-4210-03-105-85-51-एन-वी-सरकारी मेडिकल कॉलेज, छैंसा (फरीदाबाद) की स्थापना | 0 | 10,54,63,600 | -10,54,63,600 |
| 7 | पी-01-13-4210-03-105-86-51-एन-वी-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-सीएपी) | 3,60,88,00,000 | 0 | 3,60,88,00,000 |
| 8 | पी-01-13-4210-03-105-87-51-एन-वी-एम्स, मनेठी (रेवाड़ी) का निर्माण कार्य | 50,00,00,000 | 0 | 50,00,00,000 |
| 9 | पी-01-13-4210-03-105-88-51-एन-वी-सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, महेन्द्रगढ़ (नारनौल) | 90,00,00,000 | 0 | 90,00,00,000 |
| 10 | पी-01-13-4210-03-105-90-99-एन-वी-डैंटल कॉलेज, नल्हर का निर्माण कार्य- भवन निर्माण | 5,00,00,000 | 0 | 5,00,00,000 |
| 11 | पी-01-13-4210-03-105-92-99-एन-वी-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण | 0 | 81,13,38,653 | -81,13,38,653 |
| 12 | पी-01-13-4210-03-105-94-51-एन-वी-जींद में नए राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य | 30,00,00,000 | 0 | 30,00,00,000 |
| 13 | पी-01-13-4210-03-105-96-51-एन-वी-कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल का निर्माण | 15,00,00,000 | 0 | 15,00,00,000 |
| 14 | पी-01-13-4210-03-105-97-98-एन-वी-बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां (सोनीपत) का निर्माण | 0 | 15,65,38,090 | -15,65,38,090 |
| 15 | पी-01-13-4210-03-105-98-97-एन-वी-भवन का निर्माण (राज्य अंशदान) | 0 | 70,33,00,000 | -70,33,00,000 |
| 16 | पी-02-13-4210-03-105-82-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण, यमुना नगर | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 17 | पी-02-13-4210-03-105-83-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कैथल | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |
| 18 | पी-02-13-4210-03-105-84-51-एन-वी-राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण, सिरसा | 1,00,000 | 0 | 1,00,000 |

| क्र.सं. | स्वास्थ्य योजना | बचत राशि | अतिरिक्त राशि | अभ्यर्पित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 19 | पी-02-13-4210-03-105-93-51-एन-वी-नए राजकीय मेडिकल कॉलेज, भिवानी का निर्माण | 1,13,64,94,548 | 0 | 1,13,64,94,548 |
| 20 | पी-02-13-4210-04-107-99-51-एन-वी-राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | 2,00,00,000 | 0 | 2,00,00,000 |
| | **कुल** | **6,92,90,07,268** | **1,77,66,40,343** | **5,15,23,66,925** |
| | **शीर्ष 2211** | | | |
| 1 | 2211-001-97 बाल जीवन सुरक्षित मातृत्व | 5,50,76,746 | 0 | 5,50,76,746 |
| 2 | 2211-001-98 जिला परिवार नियोजन ब्यूरो | 10,59,48,684 | 0 | 10,59,48,684 |
| 3 | 2211-001-99 राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो | 2,43,52,640 | 0 | 2,43,52,640 |
| 4 | 2211-003-95 एमपीडब्ल्यू ट्रेनिंग स्कूल (पुरुष), रोहतक | 78,66,070 | 0 | 78,66,070 |
| 5 | 2211-003-96 एमपीडब्ल्यू (महिला) के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग स्कूल, भिवानी | 50,47,573 | 0 | 50,47,573 |
| 6 | 2211-003-98 एएनएम का प्रशिक्षण | 8,97,57,938 | 0 | 8,97,57,938 |
| 7 | 2211-003-99 क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केंद्र, रोहतक | 1,03,27,558 | 0 | 1,03,27,558 |
| 8 | 2211-101-98 उप केंद्र | 31,96,49,548 | 0 | 31,96,49,548 |
| 9 | 2211-102-99 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | 2,46,00,225 | 0 | 2,46,00,225 |
| 10 | 2211-103-99 टीकाकरण कार्यक्रम | 0 | 12,06,92,000 | -12,06,92,000 |
| 11 | 2211-200-99 पारंपरिक गर्भनिरोधक | 99,20,950 | 0 | 99,20,950 |
| | **कुल** | **65,25,47,932** | **12,06,92,000** | **53,18,55,932** |
| | **शीर्ष 4059** | | | |
| 1 | 4059-01-051-63 खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण | 10,00,00,000 | 0 | 10,00,00,000 |
| 2 | 4059-01-051-65 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय हरियाणा (पंचकुला) का निर्माण कार्य | 10,00,00,000 | 0 | 10,00,00,000 |
| | **कुल** | **20,00,00,000** | **0** | **20,00,00,000** |
| | **शीर्ष का कुल योग 2210+4210+2211+4059** | **20,61,84,50,242** | **4,02,19,87,635** | **16,59,64,62,607** |

## परिशिष्ट 3.15

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (vi); पृष्ठ 85)**

## 31 मार्च 2022 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की सूची

| क्र. सं. | सरकारी स्वीकृति संख्या | फाइल/पत्र संख्या | दिनांक | अनुदानग्राही का नाम/कार्यालय | प्रयोजन | सहायता अनुदान की राशि (राशि ₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/21/2018-4-एचबी-III दिनांक 28 मई 2020 | 32/155(एनएपीएस) लेखापरीक्षा/2020/1818-21 | 04 अगस्त 2020 | डीएचएस (एचएमडी) | राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु | 7,30,96,000 |
| 2 | 23/74/2020-4-एचबी-III दिनांक 13 जुलाई 2020 | 32/150(अनुदान)-लेखापरीक्षा-2020/1869 | 11 अगस्त 2020 | डीडी (एनसीडी) | अंबाला में टीसीसीसी स्थापित करने के लिए | 31,88,00,000 |
| 3 | 23/55/2020-4-एचबी-III दिनांक 17 नवंबर 2020 | 32/143(अनुदान)लेखापरीक्षा/4047-50 | 07 दिसंबर 2020 | निदेशक (एफ एंड ए) एनएचएम | अटल जननी वाहिनी सेवा | 23,25,00,000 |
| 4 | 23/50/2020-4-एचबी-III दिनांक 17 अक्तूबर 2020 | 32/143(अनुदान)2020/3098-3102 | 12 नवंबर 2020 | निदेशक (एफ एंड ए) एनएचएम | एनएचएम (केंद्र + राज्य हिस्सेदारी) के अंतर्गत शामिल विभिन्न गतिविधियां | 4,08,00,000 |
| 5 | 23/63/2020-4-एचबी-III दिनांक 21 जनवरी 2021 | 32/143(अनुदान)लेखापरीक्षा/48-51 | 05 जनवरी 2021 | निदेशक (एफ एंड ए) एनएचएम | एनएचएम (केंद्र + राज्य हिस्सेदारी) के अंतर्गत शामिल विभिन्न गतिविधियां | 72,00,000 |
| | | | | | **कुल** | **67,23,96,000** |

## परिशिष्ट 3.16

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (vi); पृष्ठ 85)**

**अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण जो 31 मार्च 2022 को बकाया थे**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | डीडीओ का नाम | योजना का नाम | को दिए गए अग्रिम | अग्रिम राशि | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र | निर्माण कार्य | लोक निर्माण विभाग | 30.21 | 30.21 | कार्य पूर्ण न होने के कारण लंबित |
| 2 | कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, करनाल | 4210-03-105-96-51-13 पी-01-एनवी-कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल का निर्माण | फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज | 86.06 | 86.06 | (i) 2019-20 के दौरान ₹ 19.20 करोड़ और ₹ 56 करोड़, (ii) 2020-21 के दौरान ₹ 10.35 करोड़, ₹ 0.51 करोड़ |
| | | | एचपीएचसी, पंचकुला | 5.20 | 0.20 | 2020-21 के दौरान ₹ 0.20 करोड़ |
| **कुल** | | | | **121.47** | **116.47** | |

## परिशिष्ट 3.17

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2.3 (vii); पृष्ठ 85)**

## डीडीओ के कारण केंद्र और राज्यवार ब्याज

| क्र. सं. | डीडीओ का नाम | डीडीओ कोड | योजना का नाम | 2021-22 के दौरान अर्जित ब्याज | 31 मार्च 2022 को बैंक बैलेंस | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **केंद्र प्रायोजित योजनाएं** | | | | | | |
| 1 | निदेशक/एसएमओ कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल | 1203 | मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटी | 31,07,619 | 14,54,22,479 | यह कॉलेज सोसायटी का बैंक खाता है लेकिन केंद्रीय अनुदान अर्थात लक्ष्य से निधियां और एनएचएम की निधियों से आईसीयू/एचडीयू की स्थापना की राशि भी इस बैंक खाते में जमा की गई थी। ₹ 10572454/- 07 सितंबर 2022 को 0049-04-107-91-51 में जमा किए गए थे। |
| 2 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया | 1149 | जन औषधि केंद्र | 14,269 | 8,93,639 | केंद्र सरकार की योजना |
| | | | आयुष्मान भारत | 5,35,219 | 2,31,51,599 | केंद्र सरकार की योजना |
| | | | परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहु-विषयक अनुसंधान इकाई | 3,08,854 | 1,28,08,854 | केंद्र सरकार की योजना |
| | | | आयुष्मान भारत | 524 | 1,963 | केंद्र सरकार की योजना |
| | | | **कुल (ए)** | **39,66,485** | **18,22,78,534** | |
| **राज्य योजनाएं** | | | | | | |
| 3 | निदेशक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छैंसा, फरीदाबाद | 1148 | कॉलेज का चालू खाता | 0 | 11,90,745 | चालू खाते के कारण ब्याज अर्जित नहीं किया जा रहा था जबकि ₹ 1,93,200 की राशि के बिजली प्रभारों की सरकारी प्राप्ति इस खाते में जमा की गई थी। |
| 4 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सरकारी सिविल अस्पताल, सेक्टर 6, पंचकुला | 1149 | एमएमआईवाई | 43,163 | 13,98,444 | - |
| 5 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी | 1152 | एमएमआईवाई | 59,551 | 23,848 | - |
| | | | पीपीपी | 2,037 | 2,019 | - |
| 6 | सिविल सर्जन, कुरुक्षेत्र | 1152 | एमएमआईवाई | 1,82,509 | 30,97,175 | - |
| 7 | चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सामान्य/सिविल अस्पताल, पानीपत | | एमएमआईवाई | 39,976 | 42,06,224 | - |
| | | | पीपीपी | 0 | 1,66,985 | - |
| 8 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घरौंडा | 1149 | एमएमआईवाई | 40 | 24,210 | - |
| 9 | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रतिया | 1149 | एमएमआईवाई | 3,169 | 2,12,440 | - |
| | | | **कुल (बी)** | **3,30,445** | **1,03,22,090** | - |
| | | | **कुल योग (ए+बी)** | **42,96,930** | **19,26,19,661** | |

## परिशिष्ट 3.18

## (संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (ii); पृष्ठ 89)

## उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजना | कुल (बजट + अनुपूरक) | विनियोग लेखे के अनुसार व्यय | बचत/आधिक्य 2021-22 | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी-01-32-2515-51-101-89-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 100.00 |
| 2 | पी-01-32-2515-51-789-87-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00 |
| 3 | पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 100.00 |
| 4 | पी-02-32-2515-51-101-81-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 5 | पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 6 | पी-01-32-2505-01-789-99-51-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 7 | पी-01-32-2515-51-102-96-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना - सामान्य योजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 8 | पी-01-32-2515-51-789-99-51-एन-वी- अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 9 | पी-02-32-2501-05-789-99-51-एन-वी- एकीकृत अपशिष्ट भूमि विकास प्रबंधन परियोजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 10 | पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 100.00 |
| 11 | पी-01-32-2515-51-102-98-51-आर-वी- गैर-अधिकारियों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 12 | पी-03-32-3604-51-101-99-51-एन-वी- भूमि होल्डिंग टैक्स के बदले पंचायत समितियों को मुआवजा | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 100.00 |
| 13 | पी-01-32-2501-03-001-97- ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन संबद्ध परिव्यय (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| 14 | पी-01-32-2515-51-001-96- आर-वी- विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| 15 | पी-01-32-2515-51-106-99-51-एन-वी- विधायक आदर्श ग्राम योजना (वीएजीवाई) | 180.20 | 2.18 | 178.02 | 98.79 |
| 16 | पी-01-32-2505-01-702-88-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना - सामान्य योजना | 50.00 | 1.00 | 49.00 | 98.00 |
| 17 | पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-वी- सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक प्रभारित कार्मिक | 0.40 | 0.02 | 0.38 | 95.00 |
| 18 | P-01-32-2515-51-789-97-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) के लिए योजना | 150.00 | 22.88 | 127.12 | 84.75 |
| 19 | पी-02-32-2501-05-101-99-51-एन-वी- एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना | 30.00 | 5.60 | 24.40 | 81.33 |
| 20 | पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए सामान्य योजना - सामान्य योजना | 532.37 | 99.82 | 432.55 | 81.25 |
| 21 | पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना | 50.00 | 9.52 | 40.48 | 80.96 |
| 22 | पी-01-32-2501-06-800-98-51-एन-वी- ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ योजना | 2.50 | 0.60 | 1.90 | 75.88 |
| 23 | पी-01-32-2515-51-102-90-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 75.00 |
| 24 | पी-01-32-2515-51-789-91-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 75.00 |

| क्र. सं. | योजना | कुल (बजट + अनुपूरक) | विनियोग लेखे के अनुसार व्यय | बचत/आधिक्य 2021-22 | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | पी-01-32-2515-51-102-83-51-एन-वी- ग्रामीण विकास के लिए ग्राम युवा स्वयं सेवकों में जागरूकता | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 71.53 |
| 26 | पी-02-32-2501-06-789-99-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) | 75.00 | 22.08 | 52.92 | 70.56 |
| 27 | पी-02-32-2515-51-789-98-51-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना- अनुसूचित जाति के लिए | 50.00 | 14.81 | 35.19 | 70.37 |
| 28 | पी-01-32-2515-51-196-99-51-आर-वी- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के लिए योजना | 467.76 | 153.03 | 314.73 | 67.29 |
| 29 | पी-01-32-2515-51-102-97-51-एन-वी- पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत | 25.00 | 10.03 | 14.97 | 59.89 |
| 30 | पी-01-32-2515-51-001-99-98-आर-वी- पंचायत विभाग-स्थापना व्यय मुख्यालय स्टाफ एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी | 23.56 | 9.86 | 13.70 | 58.17 |
| 31 | पी-03-32-2515-51-198-98-51-एन-वी- केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान | 1,040.00 | 467.50 | 572.50 | 55.05 |
| 32 | पी-02-32-2515-51-003-98-98-एन-वी- सामुदायिक विकास - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना नीलोखेड़ी का नाम बदलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 51.61 |
| 33 | पी-01-32-2515-51-102-94-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) | 350.00 | 172.55 | 177.45 | 50.70 |
| 34 | पी-01-32-2515-51-102-82-51-एन-वी- हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना | 26.00 | 13.00 | 13.00 | 50.00 |

## परिशिष्ट 3.19

## (संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (iv); पृष्ठ 90)

## पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित बचत का विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | अवधि | बजट प्रावधान | व्यय | बचत/ आधिक्य | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी-01-32-2515-51-101-89-51-एन-वी-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 2019-20 | 925.00 | 925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-21 | 1,460.00 | 1,021.80 | 438.20 | 30.01 |
| | | 2021-22 | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 100.00 |
| 2 | पी-03-32-2515-51-198-98-51-एन-वी- केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान | 2019-20 | 1,176.68 | 1,048.53 | 128.15 | 10.89 |
| | | 2020-21 | 1,264.00 | 1,264.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2021-22 | 1,040.00 | 467.50 | 572.50 | 55.05 |
| 3 | पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना | 2019-20 | 120.00 | 87.67 | 32.33 | 26.94 |
| | | 2020-21 | 245.00 | 80.77 | 164.23 | 67.03 |
| | | 2021-22 | 532.37 | 99.82 | 432.55 | 81.25 |
| 4 | पी-01-32-2515-51-789-87-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता | 2019-20 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-21 | 365.00 | 255.50 | 109.50 | 30.00 |
| | | 2021-22 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00 |
| 5 | पी-01-32-2515-51-196-99-51-आर-वी- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के लिए योजना | 2019-20 | 108.93 | 95.41 | 13.52 | 12.41 |
| | | 2020-21 | 668.92 | 161.48 | 507.44 | 75.86 |
| | | 2021-22 | 467.76 | 153.03 | 314.73 | 67.28 |
| 6 | पी-01-32-2515-51-106-99-51-एन-वी- विधायक आदर्श ग्राम योजना (वीएजीवाई) | 2019-20 | 180.20 | 66.35 | 113.85 | 63.18 |
| | | 2020-21 | 180.20 | 124.59 | 55.61 | 30.86 |
| | | 2021-22 | 180.20 | 2.18 | 178.02 | 98.79 |
| 7 | पी-01-32-2515-51-102-94-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) | 2019-20 | 250.00 | 175.20 | 74.80 | 29.92 |
| | | 2020-21 | 556.00 | 315.32 | 240.68 | 43.29 |
| | | 2021-22 | 350.00 | 172.55 | 177.45 | 50.70 |
| 8 | पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) | 2019-20 | 45.00 | 79.14 | -34.14 | -75.87 |
| | | 2020-21 | 200.00 | 112.68 | 87.32 | 43.66 |
| | | 2021-22 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 100.00 |
| 9 | पी-01-32-2515-51-789-97-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) के लिए योजना | 2019-20 | 250.00 | 174.80 | 75.20 | 30.08 |
| | | 2020-21 | 304.00 | 44.71 | 259.29 | 85.29 |
| | | 2021-22 | 150.00 | 22.88 | 127.12 | 84.75 |
| 10 | पी-02-32-2501-06-789-99-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) | 2019-20 | 75.00 | 32.34 | 42.66 | 56.88 |
| | | 2020-21 | 75.00 | 51.68 | 23.32 | 31.09 |
| | | 2021-22 | 75.00 | 22.08 | 52.92 | 70.56 |
| 11 | पी-01-32-4515-51-101-99-51-एन-वी- दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना | 2019-20 | 300.00 | 28.59 | 271.41 | 90.47 |
| | | 2020-21 | 100.00 | 97.06 | 2.94 | 2.94 |
| | | 2021-22 | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 33.33 |
| 12 | पी-01-32-2505-01-702-88-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना - सामान्य योजना | 2019-20 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 3.00 | 0.60 | 2.40 | 80.00 |
| | | 2021-22 | 50.00 | 1.00 | 49.00 | 98.00 |
| 13 | पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)-सामान्य योजना | 2019-20 | 220.00 | 110.14 | 109.86 | 49.94 |
| | | 2020-21 | 400.00 | 255.58 | 144.42 | 36.11 |
| | | 2021-22 | 300.00 | 255.74 | 44.26 | 14.75 |
| 14 | पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (पीएमजेवीके) | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | 2021-22 | 50.00 | 9.52 | 40.48 | 80.96 |
| 15 | पी-02-32-2515-51-789-98-51-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना- अनुसूचित जाति के लिए | 2019-20 | 50.00 | 33.05 | 16.95 | 33.90 |
| | | 2020-21 | 60.00 | 25.79 | 34.21 | 57.02 |
| | | 2021-22 | 50.00 | 14.81 | 35.19 | 70.38 |

| क्र. सं. | योजना का नाम | अवधि | बजट प्रावधान | व्यय | बचत/ आधिक्य | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम /आजीविका)-सामान्य योजना | 2019-20 | 75.00 | 32.34 | 42.66 | 56.88 |
| | | 2020-21 | 75.00 | 67.84 | 7.16 | 9.54 |
| | | 2021-22 | 75.00 | 49.40 | 25.60 | 34.13 |
| 17 | पी-02-32-2501-05-101-99-51-एन-वी- एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना (60:40) | 2019-20 | 30.00 | 17.82 | 12.18 | 40.60 |
| | | 2020-21 | 20.00 | 24.88 | -4.88 | -24.40 |
| | | 2021-22 | 30.00 | 5.60 | 24.40 | 81.33 |
| 18 | पी-01-32-2515-51-197-99-51-आर-वी- ग्राम चौकीदारों को मानदेय के लिए योजना | 2019-20 | 50.00 | 47.66 | 2.34 | 4.68 |
| | | 2020-21 | 69.00 | 64.23 | 4.77 | 6.91 |
| | | 2021-22 | 124.00 | 103.03 | 20.97 | 16.91 |
| 19 | पी-02-32-2515-51-101-81-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर जी एस ए) | 2019-20 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 13.85 | -3.85 | -38.50 |
| | | 2021-22 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 20 | पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) | 2019-20 | 2.20 | 2.04 | 0.16 | 7.27 |
| | | 2020-21 | 6.50 | 6.38 | 0.12 | 1.85 |
| | | 2021-22 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 21 | पी-01-32-2515-51-102-90-51-एन-वी-हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता | 2019-20 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 75.00 |
| 22 | पी-01-32-2515-51-789-91-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता योजना | 2019-20 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 75.00 |
| 23 | पी-01-32-2515-51-102-97-51-एन-वी- पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत | 2019-20 | 30.00 | 15.46 | 14.54 | 48.47 |
| | | 2020-21 | 30.00 | 18.44 | 11.56 | 38.53 |
| | | 2021-22 | 25.00 | 10.03 | 14.97 | 59.88 |
| 24 | पी-01-32-2515-51-001-99-98-आर-वी-पंचायत विभाग-स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टाफ) एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी | 2019-20 | 18.36 | 6.13 | 12.23 | 66.61 |
| | | 2020-21 | 21.80 | 17.28 | 4.52 | 20.73 |
| | | 2021-22 | 23.56 | 9.86 | 13.70 | 58.15 |
| 25 | पी-01-32-2515-51-102-82-51-एन-वी- हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना | 2019-20 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-21 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 26.00 | 13.00 | 13.00 | 50.00 |
| 26 | पी-01-32-2515-51-102-96-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना - सामान्य योजना | 2019-20 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 27 | पी-01-32-2515-51-789-99-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) | 2019-20 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 28 | पी-01-32-2505-01-789-99-51-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना | 2019-20 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 29 | पी-02-32-2501-05-789-99-51-एन-वी- एकीकृत अपशिष्ट भूमि विकास प्रबंधन परियोजना (60:40) | 2019-20 | 10.00 | 4.25 | 5.75 | 57.50 |
| | | 2020-21 | 10.00 | 4.40 | 5.60 | 56.00 |
| | | 2021-22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 30 | पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-वी- सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक कर्मचारी | 2019-20 | 162.05 | 140.42 | 20.63 | 12.73 |
| | | 2020-21 | 182.65 | 163.95 | 18.76 | 10.29 |
| | | 2021-22 | 184.45 | 176.12 | 8.33 | 4.52 |
| 31 | पी-01-32-2515-51-001-98-94-आर-वी- सामुदायिक विकास - पंचायती राज लोक कार्य मंडल | 2019-20 | 87.97 | 83.11 | 4.86 | 5.52 |
| | | 2020-21 | 167.36 | 85.17 | 82.19 | 49.11 |
| | | 2021-22 | 96.37 | 90.58 | 5.79 | 6.01 |
| 32 | पी-01-32-2515-51-789-88-51-एन-वी- महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना | 2019-20 | 50.00 | 43.99 | 6.01 | 12.02 |
| | | 2020-21 | 30.00 | 29.02 | 0.98 | 3.27 |
| | | 2021-22 | 30.00 | 24.54 | 5.46 | 18.20 |

| क्र. सं. | योजना का नाम | अवधि | बजट प्रावधान | व्यय | बचत/ आधिक्य | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | पी-02-32-2501-06-800-97-51-एन-वी- डीआरडीए प्रशासन | 2019-20 | 35.00 | 24.85 | 10.15 | 29.00 |
| | | 2020-21 | 33.00 | 28.25 | 4.75 | 14.39 |
| | | 2021-22 | 33.00 | 29.14 | 3.86 | 11.70 |
| 34 | पी-01-32-2515-51-789-96-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए योजना | 2019-20 | 130.00 | 147.46 | -17.46 | -13.43 |
| | | 2020-21 | 196.00 | 172.74 | 23.26 | 11.87 |
| | | 2021-22 | 200.00 | 196.37 | 3.63 | 1.82 |
| 35 | पी-01-32-2515-51-102-83-51-एन-वी- ग्रामीण विकास के लिए ग्राम युवा स्वयं सेवकों में जागरूकता | 2019-20 | 5.00 | 3.36 | 1.64 | 32.80 |
| | | 2020-21 | 5.00 | 0.86 | 4.14 | 82.80 |
| | | 2021-22 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 71.43 |
| 36 | पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) | 2019-20 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 100.00 |
| 37 | पी-01-32-4515-51-101-97-51-एन-वी- हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई) | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | 2021-22 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 100.00 |
| 38 | पी-01-32-2501-03-001-99 ग्रामीण विकास स्थापना व्यय योजना (मुख्यालय) | 2019-20 | 5.50 | 3.16 | 2.34 | 42.55 |
| | | 2020-21 | 4.66 | 3.28 | 1.38 | 29.61 |
| | | 2021-22 | 5.46 | 3.30 | 2.16 | 39.56 |
| 39 | पी-01-32-2515-51-001-98-98-आर-वी- सामुदायिक विकास-स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टाफ) | 2019-20 | 6.65 | 5.93 | 0.71 | 10.68 |
| | | 2020-21 | 8.22 | 5.93 | 2.29 | 27.86 |
| | | 2021-22 | 8.63 | 6.55 | 2.08 | 24.10 |
| 40 | पी-01-32-2501-06-800-98-51-एन-वी-ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ योजना | 2019-20 | 4.00 | 1.37 | 2.63 | 65.75 |
| | | 2020-21 | 2.50 | 0.91 | 1.59 | 63.60 |
| | | 2021-22 | 2.50 | 0.60 | 1.90 | 76.00 |
| 41 | पी-01-32-2501-06-102-99-51-एन-वी- डीएवाई एनआरएलएम के अंतर्गत प्रचारित एसएचजी की सहायता के लिए हरियाणा सरकार (आईएस जीओएच) द्वारा ब्याज सबवेंशन प्रदान करने की योजना | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-21 | 5.00 | 2.25 | 2.75 | 55.00 |
| | | 2021-22 | 5.00 | 3.35 | 1.65 | 33.00 |
| 42 | पी-02-32-2515-51-003-98-98-एन-वी- सामुदायिक विकास - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना नीलोखेड़ी का नाम बदलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी | 2019-20 | 3.10 | 2.29 | 0.81 | 26.13 |
| | | 2020-21 | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 51.61 |
| | | 2021-22 | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 51.61 |
| 43 | पी-01-32-2515-51-102-98-51-आर-वी- गैर-कार्मिकों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन | 2019-20 | 1.00 | 0.91 | 0.09 | 9.00 |
| | | 2020-21 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 44 | पी-03-32-3604-51-101-99-51-एन-वी- भूमि होल्डिंग टैक्स के बदले पंचायत समितियों को मुआवजा | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2021-22 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 100.00 |
| 45 | पी-01-32-2515-51-101-93-51-एन-वी- विकास कार्यों के लिए सहायता अनुदान (सरकारी भाग) | 2019-20 | 1.00 | 0.58 | 0.42 | 42.00 |
| | | 2020-21 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 60.00 |
| | | 2021-22 | 2.00 | 1.34 | 0.66 | 33.00 |
| 46 | पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-वी-सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक प्रभारित कार्मिक | 2019-20 | 0.40 | 0.08 | 0.32 | 80.00 |
| | | 2020-21 | 0.40 | 0.04 | 0.36 | 90.00 |
| | | 2021-22 | 0.40 | 0.02 | 0.38 | 95.00 |
| 47 | पी-01-32-2501-03-001-97 ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी) | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-21 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| 48 | पी-01-32-2515-51-001-96-आर-वी- विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-आरईवी) | 2019-20 | 372.34 | 0.00 | 372.34 | 100.00 |
| | | 2020-21 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| 49 | पी-01-32-4515-51-101-98-51-आर-वी- विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2020-21 | 227.00 | 0.00 | 227.00 | 100.00 |
| | | 2021-22 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |

## परिशिष्ट 3.20

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (v); पृष्ठ 90)**

### उन प्रकरणों का विवरण जिनमें वर्ष 2021-22 का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना | बजट प्रावधान | विनियोग लेखे के अनुसार व्यय | बचत/ आधिक्य | बचत प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी-01-32-2501-03-001-97- ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| 2 | पी-01-32-2505-01-789-99-51-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100 |
| 3 | पी-01-32-2515-51-001-96-आर-वी- विकास और पंचायतों के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.00 |
| 4 | पी-01-32-2515-51-101-89-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 1,375.00 | 0.00 | 1,375.00 | 100.00 |
| 5 | पी-01-32-2515-51-102-96-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना - सामान्य योजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 6 | पी-01-32-2515-51-102-98-51-आर-वी- गैर-कार्मिकों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 7 | पी-01-32-2515-51-789-87-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 100.00 |
| 8 | पी-01-32-2515-51-789-99-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 9 | पी-02-32-2501-05-789-99-51-एन-वी- एकीकृत अपशिष्ट भूमि विकास प्रबंधन परियोजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 10 | पी-02-32-2515-51-101-81-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 11 | पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 100.00 |
| 12 | पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 13 | पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएमएजीवाई) | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 100.00 |
| 14 | पी-01-32-3604-51-101-99-51-एन-वी- भूमि होल्डिंग टैक्स के बदले पंचायत समितियों को मुआवजा | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 100.00 |
| | **कुल** | **1,965.24** | **0.00** | **1,965.24** | **100.00** |

## परिशिष्ट 3.21

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (vi); पृष्ठ 91)**

**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अर्जित ब्याज, जिसे संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं किया गया, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी**

**(राशि ₹ में)**

| क्र. सं. | बैंक का नाम | बैंक खाता संख्या | योजना का नाम | बजट आबंटित, केंद्र :राज्य का हिस्सा वर्ष 2021-22 के लिए (राशि करोड़ में) | उधार पर राज्य द्वारा भुगतान किया गया ब्याज (उधार की औसत दर 6.73 प्रतिशत की दर से परिकलित) | अर्जित ब्याज | आबंटित बजट के आधार पर ब्याज, केंद्र का हिस्सा | आबंटित बजट के आधार पर ब्याज, राज्य का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सेक्टर 16, पंचकुला | 2084104000023010 | पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी- प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम | 30:20 (प्रतिशत 60:40) | 1,36,84,134 | 69,84,857 | 41,90,914 | 27,93,943 |
| 2 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 47, चंडीगढ़ | 250100088490279 | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट | 90:76 (प्रतिशत 54.22: 45.78) | 3,10,42,754 | 1,67,56,907 | 90,85,595 | 76,71,312 |
| 3 | पीएनबी बैंक सेक्टर 09, चंडीगढ़ | 4431000100010460 | पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना | 225:75 (प्रतिशत 75:25) | 1,62,41,006 | 1,01,01,231 | 75,75,923 | 25,25,308 |
| 4 | केनरा बैंक सेक्टर 10, पंचकुला | 1624101015733 | पी-01-32-2501-06-800 डीआरडीए प्रशासन | 3.6:31.90 (प्रतिशत 10:90) | 27,57,779 | 10,49,758 | **1,04,976** | 9,44,782 |
| 5 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 8, पंचकुला | 309302010097974 | पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/आजीविका) - सामान्य योजना | 45:30 (प्रतिशत 60:40) | 6,50,343 | 5,98,187 | 3,58,912 | 2,39,275 |
| | कुल | | | | **6,43,76,016** | **3,54,90,940** | **2,13,16,320** | **1,41,74,620** |

## परिशिष्ट 3.22

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (vi); पृष्ठ 91)**

**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर अर्जित ब्याज, जिसे आईए द्वारा संबंधित समेकित निधि को प्रेषित नहीं किया गया था, के विवरण दर्शाने वाली विवरणी**

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | यूनिट का नाम | बैंक खाता संख्या. | योजना | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीडीपीओ हिसार-1 | बड़ौदा बैंक खाता 0768 | स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण | 51,905 |
| | | पीएनबी 05441 | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना | 27,584 |
| | | बड़ौदा बैंक खाता 2459 | 15वां वित्त आयोग | 23,280 |
| 2 | बीडीपीओ बरवाला | एचडीएफसी बैंक खाता 40192 | स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण | 15,289 |
| | | एचडीएफसी बैंक 351167 | प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना | 31,398 |
| | | पीएनबी 74459 | 15वां वित्त आयोग | 2,67,006 |
| 3 | बीडीपीओ जगाधरी | आईसीआईसीआई बैंक 246601000152 | 15वां वित्त आयोग | 2,77,933 |
| | | पीएनबी 0471000102262333 | 15वां वित्त आयोग | 89,538 |
| 4 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कुरुक्षेत्र | एक्सिस बैंक 920010062362461 | 15वां वित्त आयोग | 17,19,706 |
| | | एक्सिस बैंक 916010055185203 | 15वां वित्त आयोग | 3,93,875 |
| 5 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, पानीपत | यस बैंक 007094600001357 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) | 14,86,991 |
| 6 | पंचायती राज, पानीपत | यूनियन बैंक 752402010000458 | पी-03-32-2553-एमपीएलडी | 1,65,000 |
| 7 | बीडीपीओ फतेहाबाद | आईडीबीआई बैंक खाता 3790 | 15वां वित्त आयोग | 5,24,259 |
| | | इंडसइंड बैंक 0019 | एमपीएलडी | 9,700 |
| 8 | बीडीपीओ अंबाला- II | एचडीएफसी बैंक खाता 43770 | स्वच्छ भारत मिशन | 31,559 |
| | | एचडीएफसी बैंक | 15वां वित्त आयोग | 56,330 |
| 9 | जिला परिषद करनाल | यस बैंक 0561 | 15वां वित्त आयोग | 30,28,191 |
| 10 | बीडीपीओ भूना | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया | 15वां वित्त आयोग | 1,89,082 |
| **कुल** | | | | **83,88,626** |

## परिशिष्ट 3.23

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (vii); पृष्ठ 92)**

### (i) अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित बैंक बैलेंस का विवरण दर्शाने वाली विवरणी 2022-23

**(राशि ₹ में)**

| क्र. सं. | बैंक का नाम | बैंक खाता संख्या | योजना का नाम | 31 मार्च 2022 तक बैंक बैलेंस |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सेक्टर 16, पंचकुला | 2084104000023010 | पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी-प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम | 62,42,77,476 |
| 2 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 47 चंडीगढ़ | 250100088490279 | पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) | 28,74,20,387 |
| 3 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 27 चंडीगढ़ | 50100093992916 | पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) | 14,70,410 |
| 4 | पीएनबी बैंक सेक्टर 09 चंडीगढ़ | 4431000100010460 | पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना | 5,11,60,403 |
| 5 | केनरा बैंक सेक्टर 10 पंचकुला | 1624101015733 | पी-01-32-2501-06-800-97-51-एन-वी- डीआरडीए प्रशासन | 16,60,80,149 |
| 6 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड सेक्टर 27 चंडीगढ़ | 159992246110 | पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) | 38,17,251 |
| 7 | बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 8 पंचकुला, और अन्य बैंक (विवरण प्रदान नहीं किया गया) | 309302010097974 | पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका)-सामान्य योजना | 13,89,36,064 |
| 8 | बैंक विवरण प्रदान नहीं किया गया | | पी-02-32-2501-05-101-99-51-एन-वी- एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना (60:40) | 35,061 |
| 9 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड सेक्टर 28 ए चंडीगढ़) | | पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना | 1,44,91,83,153 |
| | | | **कुल** | **2,72,23,80,354** |

## (ii) अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित बैंक बैलेंस का विवरण दर्शाने वाली विवरणी 2022-23

**(राशि ₹ में)**

| क्र. सं. | डीडीओ का नाम | योजना का नाम | 31 मार्च 2022 तक अव्ययित राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | बीडीपीओ हिसार-1 | 15वां वित्त आयोग | 1,19,50,595 |
| | | एसबीएम | 11,66,907 |
| | | पीएमएजीवाई | 2,57,748 |
| 2 | बीडीपीओ बरवाला | 15वां वित्त आयोग | 89,67,408 |
| | | पीएमएजीवाई | 1,33,967 |
| | | एसबीएम | 3,09,883 |
| | | वैट पर सरचार्ज/ एसएफसी | 11,11,845 |
| 3 | बीडीपीओ जगाधरी | एफएफसी | 127,71,676 |
| | | एमपीएलएडी(कुरुक्षेत्र) | 5,87,408 |
| | | एमपीएलएडी(अंबाला) | 8,54,063 |
| 4 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कुरुक्षेत्र | एफएफसी | 3,95,99,749 |
| | | वैट पर सरचार्ज | 8,70,292 |
| | | एसएफसी | 70,90,117 |
| | | पीआरआई | 97,21,681 |
| 5 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, पानीपत | वीएजीवाई | 1,54,81,648 |
| | | एमपीएलएडी | 51,88,573 |
| | | एसपीएमआरएम | 14,88,991 |
| | | एचएसआरएलएम | 1,10,425 |
| 6 | बीडीपीओ फतेहाबाद | 15वां वित्त आयोग | 2,48,11,378 |
| | | एमपीएलएडी | 22,53,356 |
| 7 | बीडीपीओ अंबाला-II | स्वच्छ भारत मिशन | 5,34,406 |
| | | 15वां वित्त आयोग | 24,24,706 |
| | | राज्य वित्त आयोग | 22,35,137 |
| 8 | बीडीपीओ भूना | 15वां वित्त आयोग | 84,72,632 |
| | | राज्य वित्त आयोग | 69,71,498 |
| 9 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | 15वां वित्त आयोग | 6,50,64,373 |
| | | राज्य वित्त आयोग | 76,54,336 |
| | | **कुल** | **23,80,84,798** |

## परिशिष्ट 3.24

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (vii); पृष्ठ 92)**

### सरकारी लेखों के बाहर निधि जमा करने और राज्य को परिणामी ब्याज हानि का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | बैंक का नाम | बैंक खाता संख्या | योजना का नाम | बजट आबंटित, केंद्र: राज्य का हिस्सा वर्ष 2021-22 के लिए (राशि करोड़ में) | उधार पर राज्य द्वारा भुगतान किया गया ब्याज (उधार की औसत दर 6.73 प्रतिशत की दर से परिकलित) | अर्जित ब्याज | ब्याज हानि | आबंटित बजट के आधार पर ब्याज, केंद्र का हिस्सा | आबंटित बजट के आधार पर ब्याज, राज्य का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सेक्टर 16, पंचकुला | 2084104000023010 | पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी-प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम | 30:20 (प्रतिशत 60:40) | 1,36,84,134 | 69,84,857 | 66,99,277 | 41,90,914 | 27,93,943 |
| 2 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 47 चंडीगढ़ | 250100088490279 | पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) | 90:76 (प्रतिशत 54.22:45.78) | 3,10,42,754 | 1,67,56,907 | 1,42,85,847 | 90,85,595 | 76,71,312 |
| 3 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 27 चंडीगढ़ | 50100093992916 | पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी-सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) | 2.5 (100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित) | 98,797 | 44,652 | 54,145 | 44,652 | 0 |
| 4 | पीएनबी बैंक सेक्टर 09 चंडीगढ़ | 4431000100010460 | पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना | 225:75 (प्रतिशत 75:25) | 1,62,41,006 | 1,01,01,231 | 61,39,775 | 75,75,923 | 25,25,308 |
| 5 | केनरा बैंक सेक्टर 10 पंचकुला | 1624101015733 | पी-01-32-2501-06-800 डीआरडीए प्रशासन | 3.6:31.90 (प्रतिशत 10:90) | 27,57,779 | 10,49,758 | 17,08,021 | 1,04,976 | 9,44,782 |
| 6 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड सेक्टर 27 चंडीगढ़) | 159992246110 | पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी-प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) | 2.5 (100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित) | 21,408 | 0 | 21,408 | 0 | 0 |
| 7 | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, सेक्टर 8, पंचकुला, | 309302010097974 | पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/आजीविका) - सामान्य योजना | 45:30 (प्रतिशत 60:40) | 6,50,343 | 5,98,187 | 52,156 | 3,58,912 | 2,39,275 |
| 8 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड सेक्टर 28, चंडीगढ़ | 151500160028 | पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना | प्रतिशत 50:50 | 6,26,08,507 | 4,20,34,659 | 2,05,73,848 | 0 | 0 |
| | **कुल** | | | | **12,71,04,728** | **7,75,70,251** | **4,95,34,477** | **2,13,60,972** | **1,41,74,620** |

## परिशिष्ट 3.25

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (ix); पृष्ठ 93)**

**केंद्र प्रायोजित योजनाओं के खातों, जिन्हें बंद नहीं किया गया था अथवा शून्य शेष खाते में परिवर्तित नहीं किया गया था, का विवरण दर्शाने वाली विवरणी**

**(राशि ₹ में)**

| क्र.सं. | डीडीओ का नाम | | योजना का नाम | 31 मार्च 2022 तक अव्ययित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीडीपीओ हिसार-1 | बड़ौदा बैंक खाता 2459 | 15वां वित्त आयोग | 1,19,50,595 |
| 2 | बीडीपीओ हिसार-1 | बड़ौदा बैंक खाता 0768 | एसबीएम | 11,66,907 |
| 3 | बीडीपीओ हिसार-1 | पीएनबी 05441 | पीएमएजीवाई | 2,57,748 |
| 4 | बीडीपीओ बरवाला | पीएनबी 74459 | 15वां वित्त आयोग | 89,67,408 |
| 5 | बीडीपीओ बरवाला | एचडीएफसी बैंक 351167 | पीएमएजीवाई | 1,33,967 |
| 6 | बीडीपीओ बरवाला | एचडीएफसी बैंक खाता 40192 | एसबीएम | 3,09,883 |
| 7 | बीडीपीओ जगाधरी | आईसीआईसीआई बैंक 246601000152 एवं पीएनबी 62333 | एफएफसी | 1,27,71,676 |
| 8 | बीडीपीओ जगाधरी | इंडियन बैंक70226 | एमपीएलएडी(कुरुक्षेत्र) | 5,87,408 |
| 9 | बीडीपीओ जगाधरी | इंडियन बैंक17542 | एमपीएलएडी(अंबाला) | 8,54,063 |
| 10 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कुरुक्षेत्र | एक्सिस बैंक 920010062362461 | एफएफसी | 3,93,45,187 |
| 12 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, पानीपत | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया खाता 00458 | एमपीएलएडी | 51,88,573 |
| 13 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीआरडीए, पानीपत | यस बैंक 007094600001357 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन | 14,86,991 |
| 14 | बीडीपीओ फतेहाबाद | आईडीबीआई बैंक खाता 3790 | 15वां वित्त आयोग | 2,48,11,378 |
| 15 | बीडीपीओ फतेहाबाद | इंडसइंड बैंक 0019 | एमपीएलएडी | 22,53,356 |
| 16 | बीडीपीओ अंबाला- II | एचडीएफसी बैंक खाता 43770 | स्वच्छ भारत मिशन | 5,34,406 |
| 17 | बीडीपीओ अंबाला- II | एचडीएफसी बैंक | 15वां वित्त आयोग | 24,24,706 |
| 18 | बीडीपीओ भूना | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया | 15वां वित्त आयोग | 84,72,632 |
| 19 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | यस बैंक 0561 | 15वां वित्त आयोग | 6,50,64,373 |
| | | | **कुल** | **18,65,81,257** |

## परिशिष्ट 3.26

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (x); पृष्ठ 94)**

**लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण दर्शाने वाली विवरणी**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम | योजना का नाम | वर्ष 2020-21 के दौरान जारी की गई राशि (पिछले वर्ष) | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र | लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक विकास एवं पंचायत, हरियाणा | 15वां वित्त आयोग | 1264.00 | 27.56 | 1236.44 |
| 2 | निदेशक विकास एवं पंचायत, हरियाणा | राज्य वित्त आयोग | 254.62 | 7.60 | 247.02 |
| 3 | निदेशक ग्रामीण विकास | प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) | 6.38 | 1.90 | 4.48 |
| 4 | बीडीपीओ हिसार-1 | महिला शौचालय का निर्माण | 0.18 | 0.03 | 0.15 |
| **कुल** | | | **1525.18** | **37.09** | **1488.09** |

## परिशिष्ट 3.27

**(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.3.2 (xi); पृष्ठ 94)**

## वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण की राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | लेखे का मुख्य शीर्ष एवं योजना का नाम | वास्तविक प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | कुल | व्यय | 31 मार्च को अभ्यर्पण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी-01-32-2501-03-001-97-51-आर-वी-ग्रामीण विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आरयूडी-पीएलओ-आरईवी) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2 | पी-01-32-2501-03-001-99-51-आर-वी- ग्रामीण विकास स्थापना व्यय मुख्यालय हेतु योजना | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 3.30 | 2.16 |
| 3 | पी-01-32-2501-06-102-99-51-एन-वी- डीएवाई एनआरएलएम के अंतर्गत प्रचारित एसएचजी की सहायता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज सबवेंशन प्रदान करने की योजना | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.35 | 1.65 |
| 4 | पी-01-32-2501-06-800-97-51-एन-वी- डीआरडीए प्रशासन | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 29.14 | 3.86 |
| 5 | पी-01-32-2501-06-800-98-51-एन-वी-ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ योजना (ग्राम सेविका) | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.60 | 1.90 |
| 6 | पी-01-32-2505-01-702-88-99-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना - सामान्य योजना | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1.00 | 49.00 |
| 7 | पी-01-32-2505-01-789-99-51-एन-वी- स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 8 | पी-01-32-2515-51-001-98-94-आर-वी- सामुदायिक विकास -पंचायती राज लोक कार्य मंडल | 96.37 | 0.00 | 96.37 | 90.58 | 5.80 |
| 9 | पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-सी- सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक कर्मचारी | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 0.08 |
| 10 | पी-01-32-2515-51-001-98-96-आर-वी- सामुदायिक विकास-जिला और ब्लॉक कर्मचारी | 184.45 | 0.00 | 184.45 | 176.12 | 8.51 |
| 11 | पी-01-32-2515-51-001-98-98-आर-वी- सामुदायिक विकास-स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टाफ) | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 6.55 | 2.08 |
| 12 | पी-01-32-2515-51-001-99-98-आर-वी-पंचायत विभाग-स्थापना व्यय मुख्यालय स्टाफ एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी | 23.56 | 0.00 | 23.56 | 9.86 | 13.70 |
| 13 | पी-01-32-2515-51-101-89-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 1,375.00 | 0.00 | 1375.00 | 0.00 | 1,375.00 |
| 14 | पी-01-32-2515-51-101-93-51-एन-वी- विकास कार्यों के लिए सहायता अनुदान का मिलान (सरकारी शेयर) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.34 | 0.66 |
| 15 | पी-01-32-2515-51-102-82-51-एन-वी- हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 13.00 | 13.00 |
| 16 | पी-01-32-2515-51-102-83-51-एन-वी- ग्रामीण विकास के लिए ग्राम युवा स्वयं सेवकों में जागरूकत | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 1.00 |
| 17 | पी-01-32-2515-51-102-96-99-एन-वी-स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना-सामान्य योजना | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 18 | पी-01-32-2515-51-102-97-51-एन-वी- पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 10.03 | 14.97 |
| 19 | पी-01-32-2515-51-102-98-51-आर-वी- गैर-कार्मिकों के लिए राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20 | पी-01-32-2515-51-196-99-51-आर-वी- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय के भुगतान और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के लिए योजना | 467.76 | 0.00 | 467.76 | 153.03 | 314.73 |

| क्र. सं. | लेखे का मुख्य शीर्ष एवं योजना का नाम | वास्तविक प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | कुल | व्यय | 31 मार्च को अभ्यर्पण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | पी-01-32-2515-51-197-99-51-आर-वी- ग्राम चौकीदारों को मानदेय के लिए योजना | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 103.00 | 20.97 |
| 22 | पी-01-32-2515-51-789-87-51-एन-वी- राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 23 | पी-01-32-2515-51-789-88-51-एन-वी- महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 24.54 | 5.46 |
| 24 | पी-01-32-2515-51-789-96-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए योजना | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 196.40 | 3.63 |
| 25 | पी-01-32-2515-51-789-99-51-एन-वी- अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 26 | पी-01-32-4515-51-101-98-51-आर-वी- विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 27 | पी-01-32-4515-51-101-99-51-एन-वी- दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00 | 52.43 |
| 28 | पी-02-32-2501-05-101-99-51-एन-वी- एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना (60:40) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 5.60 | 24.40 |
| 29 | पी-02-32-2501-05-789-99-51-एन-वी- एकीकृत अपशिष्ट भूमि विकास प्रबंधन परियोजना (60:40) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30 | पी-02-32-2501-06-101-99-99-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका)-सामान्य योजना | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 49.40 | 25.60 |
| 31 | पी-02-32-2501-06-789-99-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (60:40) | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 22.08 | 52.92 |
| 32 | पी-02-32-2505-02-101-99-99-एन-वी- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) - सामान्य योजना | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 255.74 | 44.26 |
| 33 | पी-02-32-2515-51-003-98-98-एन-वी- सामुदायिक विकास - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना नीलोखेड़ी का नाम बदलकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए योजना - हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 1.50 | 1.60 |
| 34 | पी-02-32-2515-51-101-81-51-एन-वी- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 35 | पी-02-32-2515-51-102-93-99-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना | 240.00 | 292.37 | 532.37 | 99.82 | 432.55 |
| 36 | पी-02-32-2515-51-106-96-51-एन-वी- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (पीएमजेवीके) (60:40) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 9.52 | 40.48 |
| 37 | पी-02-32-2515-51-106-97-51-एन-वी- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) (60:40) | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 166.00 |
| 38 | पी-02-32-2515-51-789-98-51-एन-वी- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना- अनुसूचित जाति के लिए | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 14.81 | 35.19 |
| 39 | पी-03-32-2515-51-106-98-51-एन-वी- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 40 | पी-03-32-2515-51-198-98-51-एन-वी- केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान | 1,040.00 | 0.00 | 1040.00 | 467.50 | 512.50 |
| 41 | पी-03-32-2553-51-101-98-51-एन-वी- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| **कुल** | | **5,265.25** | **292.37** | **5,557.62** | **1,848.83** | **3,649.61** |

## परिशिष्ट 4.1

## (संदर्भः अनुच्छेद 4.4; पृष्ठ 101)

## राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | भारत सरकार की स्कीम | कार्यान्वयन एजेंसी | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम | मनरेगा | 465.95 |
| 2 | दिव्यांगों के लिए योजनाएं | राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम | 0.39 |
| 3 | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | सभी जिलों के उपायुक्त | 33.50 |
| 4 | राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III | हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी | 28.59 |
| 5 | नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन | एन.एच.पी.सी. लिमिटेड | 15.00 |
| 6 | जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास विभाग | राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान | 240.62 |
| 7 | बागवानी विकास के लिए मिशन | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा | 108.52 |
| 8 | सीखो और कमाओ- कौशल विकास पहल | मास इन्फोटेक सोसायटी और अन्य | 13.69 |
| 9 | खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन सी.एस. (संपदा) | श्री श्याम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, फ्रिटफूड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य | 48.22 |
| 10 | एकीकृत विद्युत विकास योजना | पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 15.54 |
| 11 | स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास | हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड | 9.45 |
| 12 | यूरिया फ्रेट सब्सिडी का भुगतान | यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 2,467.14 |
| 13 | आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान | मोज़ेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1,313.16 |
| 14 | नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 1.17 |
| 15 | रोड विंग के अंतर्गत कार्य | मान बिल्डर्स, केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य | 367.23 |
| 16 | सामर्थ्य (बीबीबीपी क्रेच पीएमएमवीवाई) लैंगिक बजट कौशल, प्रशिक्षण आदि (प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना) | महिला एवं बाल विकास विभाग | 41.64 |
| 17 | राष्ट्रीय गोकुल मिशन | हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड | 3.06 |
| 18 | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि | कृषि विभाग, हरियाणा | 1,145.87 |
| 19 | फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना | कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा | 193.35 |
| 20 | इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग (एमएसएमई) | औद्योगिक नीति और संवर्धन ब्यूरो (बीआईपीपी) और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक | 3.60 |
| 21 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण | जी.जे.यू. हिसार तथा अन्य | 5.19 |
| 22 | राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम/पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण | हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड | 11.20 |
| 23 | अनुसंधान और विकास (डीएसटी) | भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र और अन्य विश्वविद्यालय | 21.85 |
| 24 | स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.) | ताइचीजूनो स्पेशलिटी टायर्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य स्कूल | 14.37 |
| 25 | एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत अनाज के अंतर-राज्य आंदोलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एफ.पी.एस. डीलरों का मार्जिन | निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हरियाणा | 178.23 |
| 26 | अटल भूजल योजना | एसपीएमयू, आई एंड डब्ल्यूआर विभाग हरियाणा | 32.15 |
| 27 | किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान - ऑफ ग्रिड (कुसुम) | हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी | 161.12 |
| 28 | शुगर मिलों को हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और चीनी के निर्यात पर अंतरराष्ट्रीय तथा आंतरिक परिवहन एवं माल ढुलाई प्रभारों की लागत सहित विपणन लागत पर खर्च के लिए सहायता प्रदान करने की योजना | सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड, शाहबाद सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड और अन्य | 65.13 |
| 29 | जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन | प्रमुख अभियंता, हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 303.31 |
| 30 | वस्त्र कौशल विकास के लिए एकीकृत योजना | शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ध्रुव ग्लोबल लिमिटेड और अन्य | 20.30 |
| 31 | खेलो इंडिया | मैसर्ज हरियाणा स्पोर्टस डेवल्पमेंट फंडस और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र | 19.19 |
| 32 | अन्य योजनाएं | | 103.94 |
| | **कुल** | | **7,451.67** |

**स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI**

## परिशिष्ट 4.2

## (संदर्भः अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 103)

## 31 मार्च 2022 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | शीर्ष का नाम | वर्ष | कुल प्रदत्त अनुदान | | देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मद | राशि | मद | राशि | मद | राशि | मद | राशि |
| 1 | पुलिस (2055) | 2019-20 | 1 | 34.33 | 1 | 34.33 | 0 | 0 | 1 | 34.33 |
| | | 2020-21 | 2 | 115.41 | 2 | 115.41 | 0 | 0 | 2 | 115.41 |
| 2 | सामान्य शिक्षा (2202) | 2014-15 | 739 | 1,382.54 | 8 | 1.02 | 2 | 0.03 | 6 | 0.99 |
| | | 2015-16 | 1,063 | 1,542.62 | 20 | 3.86 | 9 | 3.15 | 11 | 0.71 |
| | | 2016-17 | 1,332 | 1,618.88 | 21 | 2.74 | 14 | 2.37 | 7 | 0.37 |
| | | 2017-18 | 1,385 | 1,656.36 | 4 | 31.10 | 1 | 7.00 | 3 | 24.10 |
| | | 2018-19 | 866 | 1,560.24 | 7 | 189.80 | 4 | 52.00 | 3 | 137.80 |
| | | 2019-20 | 47 | 545.79 | 44 | 545.63 | 6 | 99.37 | 38 | 446.26 |
| | | 2020-21 | 142 | 1,468.19 | 142 | 1,468.19 | 0 | 0 | 142 | 1,468.19 |
| 3 | तकनीकी शिक्षा (2203) | 2016-17 | 102 | 227.06 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| | | 2017-18 | 90 | 218.18 | 3 | 12.65 | 0 | 0 | 3 | 12.65 |
| | | 2018-19 | 109 | 252.21 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0.01 |
| | | 2020-21 | 56 | 228.60 | 56 | 228.60 | 0 | 0 | 56 | 228.60 |
| 4 | खेल एवं युवा सेवाएं (2204) | 2015-16 | 130 | 124.02 | 14 | 0.72 | 2 | 0.08 | 12 | 0.64 |
| | | 2016-17 | 56 | 90.69 | 18 | 6.80 | 4 | 0.19 | 14 | 6.61 |
| | | 2017-18 | 229 | 73.14 | 11 | 12.39 | 4 | 10.34 | 7 | 2.05 |
| | | 2018-19 | 544 | 79.62 | 10 | 0.04 | 0 | 0 | 10 | 0.04 |
| | | 2019-20 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0.19 |
| | | 2020-21 | 50 | 2.70 | 50 | 2.7 | 0 | 0 | 50 | 2.7 |
| 5 | कला एवं संस्कृति (2205) | 2015-16 | 7 | 3.51 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| | | 2018-19 | 3 | 12.73 | 2 | 12.68 | 0 | 0 | 2 | 12.68 |
| | | 2019-20 | 1 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 2020-21 | 1 | 0.30 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| 6 | चिकित्सा (2210) | 2017-18 | 82 | 1,031.67 | 1 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 86 | 1,229.21 | 5 | 8.16 | 1 | 6.02 | 4 | 2.14 |
| | | 2019-20 | 54 | 796.03 | 54 | 796.03 | 28 | 365.66 | 26 | 430.37 |
| | | 2020-21 | 47 | 814.12 | 47 | 814.12 | 0 | 0 | 47 | 814.12 |
| 7 | शहरी विकास (2217) | 2012-13 | 96 | 1,274.01 | 19 | 217.36 | 2 | 1.60 | 17 | 215.76 |
| | | 2013-14 | 73 | 1,120.80 | 18 | 351.65 | 1 | 9.00 | 17 | 342.65 |
| | | 2014-15 | 87 | 1,115.43 | 24 | 160.41 | 3 | 25.50 | 21 | 134.91 |
| | | 2015-16 | 122 | 1,478.70 | 50 | 304.10 | 1 | 11.00 | 49 | 293.10 |
| | | 2016-17 | 219 | 2,227.25 | 120 | 926.04 | 0 | 0 | 120 | 926.04 |
| | | 2017-18 | 395 | 2,781.01 | 250 | 1,078.89 | 1 | 3.99 | 249 | 1,074.90 |
| | | 2018-19 | 105 | 1,841.76 | 76 | 1,230.65 | 1 | 20.00 | 75 | 1,210.65 |
| | | 2019-20 | 52 | 1,750.54 | 52 | 1,750.54 | 4 | 598.74 | 48 | 1,151.80 |
| | | 2020-21 | 42 | 1,652.99 | 42 | 1,652.99 | 0 | 0 | 42 | 1,652.99 |
| 8 | सूचना एवं प्रचार (2220) | 2017-18 | 70 | 16.25 | 6 | 1.79 | 6 | 1.79 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 29 | 15.36 | 11 | 5.30 | 11 | 5.30 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 15 | 7.73 | 15 | 7.73 | 15 | 7.73 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 2 | 75 | 2 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0.75 |

| क्र. सं. | शीर्ष का नाम | वर्ष | कुल प्रदत्त अनुदान | | देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मद | राशि | मद | राशि | मद | राशि | मद | राशि |
| 9 | श्रम एवं रोजगार (2230) | 2019-20 | 5 | 62.85 | 5 | 62.85 | 5 | 62.85 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 7 | 66.35 | 7 | 66.35 | 5 | 64.50 | 2 | 1.85 |
| 10 | सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235) | 2014-15 | 33 | 43.71 | 2 | 11.53 | 0 | 0 | 2 | 11.53 |
| | | 2015-16 | 355 | 50.55 | 5 | 3.33 | 2 | 1.50 | 3 | 1.83 |
| | | 2017-18 | 38 | 34.20 | 15 | 14.09 | 10 | 12.29 | 5 | 1.80 |
| | | 2018-19 | 208 | 87.41 | 11 | 5.35 | 9 | 4.16 | 2 | 1.19 |
| | | 2019-20 | 27 | 12.77 | 27 | 12.77 | 5 | 5.92 | 22 | 6.85 |
| | | 2020-21 | 35 | 45.22 | 35 | 45.22 | 0 | 0 | 35 | 45.22 |
| 11 | फसल पालन (2401) | 2018-19 | 14 | 199.46 | 5 | 55.88 | 5 | 55.88 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 2 | 13.79 | 2 | 13.79 | 2 | 13.79 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 19 | 307.02 | 19 | 307.02 | 0 | 0 | 19 | 307.02 |
| 12 | मृदा एवं जल संरक्षण (2402) | 2017-18 | 84 | 1.20 | 3 | 0.06 | 3 | 0.06 | 0 | 0 |
| | | 2018-19 | 19 | 0.85 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 11 | 0.49 | 11 | 0.49 | 10 | 0.41 | 1 | 0.08 |
| 13 | पशुपालन (2403) | 2017-18 | 86 | 74.08 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.02 |
| | | 2018-19 | 94 | 113.85 | 13 | 0.51 | 7 | 0.31 | 6 | 0.20 |
| | | 2019-20 | 37 | 124.01 | 37 | 124.01 | 20 | 0.94 | 17 | 123.07 |
| | | 2020-21 | 17 | 35.31 | 17 | 35.31 | 0 | 0 | 17 | 35.31 |
| 14 | मत्स्य पालन (2405) | 2019-20 | 6 | 0.42 | 6 | 0.42 | 6 | 0.42 | 0 | 0 |
| | | 2020-21 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0.06 |
| 15 | वानिकी एवं वन्यजीवन (2406) | 2017-18 | 3 | 10.71 | 3 | 10.71 | 0 | 0 | 3 | 10.71 |
| | | 2019-20 | 3 | 3.09 | 3 | 3.09 | 0 | 0 | 3 | 3.09 |
| | | 2020-21 | 3 | 8.68 | 3 | 8.68 | 0 | 0 | 3 | 8.68 |
| 16 | सहकारिता (2425) | 2020-21 | 5 | 36.21 | 5 | 36.21 | 0 | 0 | 5 | 36.21 |
| 17 | ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (2501) | 2015-16 | 103 | 64.19 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 1.1 |
| | | 2016-17 | 87 | 69.16 | 20 | 47.09 | 0 | 0 | 20 | 47.09 |
| | | 2017-18 | 112 | 135.06 | 49 | 103.28 | 2 | 1.11 | 47 | 102.17 |
| | | 2018-19 | 123 | 154.60 | 75 | 144.14 | 3 | 0.85 | 72 | 143.29 |
| | | 2019-20 | 60 | 102.02 | 60 | 102.02 | 4 | 0.92 | 56 | 101.1 |
| | | 2020-21 | 29 | 18.81 | 29 | 18.81 | 0 | 0 | 29 | 18.81 |
| 18 | ग्रामीण रोजगार (2505) | 2014-15 | 165 | 333.36 | 2 | 1.16 | 0 | 0 | 2 | 1.16 |
| | | 2015-16 | 48 | 285.52 | 9 | 12.76 | 0 | 0 | 9 | 12.76 |
| | | 2016-17 | 7 | 218.78 | 2 | 119.22 | 0 | 0 | 2 | 119.22 |
| | | 2017-18 | 15 | 211.07 | 15 | 211.07 | 0 | 0 | 15 | 211.07 |
| | | 2018-19 | 9 | 201.78 | 8 | 201.78 | 0 | 0 | 8 | 201.78 |
| | | 2019-20 | 4 | 61.97 | 4 | 61.97 | 0 | 0 | 4 | 61.97 |
| 19 | अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515) | 2009-10 | 68 | 366.26 | 1 | 10.85 | 0 | 0 | 1 | 10.85 |
| | | 2010-11 | 48 | 267.83 | 7 | 33.08 | 0 | 0 | 7 | 33.08 |
| | | 2011-12 | 222 | 722.40 | 41 | 137.00 | 0 | 0 | 41 | 137.00 |
| | | 2012-13 | 266 | 882.65 | 39 | 88.02 | 0 | 0 | 39 | 88.02 |
| | | 2013-14 | 249 | 1,263.49 | 69 | 368.67 | 0 | 0 | 69 | 368.67 |
| | | 2014-15 | 3,871 | 1,191.66 | 55 | 169.34 | 1 | 0.31 | 54 | 169.03 |
| | | 2015-16 | 3,845 | 1,261.94 | 95 | 152.75 | 0 | 0 | 95 | 152.75 |
| | | 2016-17 | 4,166 | 2,262.96 | 133 | 272.68 | 0 | 0 | 133 | 272.68 |
| | | 2017-18 | 3,652 | 1,127.58 | 64 | 205.68 | 0 | 0 | 64 | 205.68 |

| क्र. सं. | शीर्ष का नाम | वर्ष | कुल प्रदत्त अनुदान | | देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र | | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मद | राशि | मद | राशि | मद | राशि | मद | राशि |
| | | 2018-19 | 4,015 | 2,228.45 | 237 | 1,047.69 | 4 | 2.45 | 233 | 1,045.24 |
| | | 2019-20 | 355 | 2,757.15 | 355 | 2,757.15 | 1 | 18.40 | 354 | 2,738.75 |
| | | 2020-21 | 105 | 349.62 | 105 | 349.62 | 0 | 0 | 105 | 349.62 |
| 20 | कमांड एरिया डेवलपमेंट (2705) | 2018-19 | 19 | 70.70 | 3 | 10.80 | 3 | 10.80 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 16 | 104.25 | 16 | 104.25 | 13 | 81.85 | 3 | 22.40 |
| | | 2020-21 | 3 | 6.25 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 3 | 6.25 |
| 21 | ग्रामीण और लघु उद्योग (2851) | 2019-20 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
| 22 | उद्योग (2852) | 2016-17 | 36 | 61.70 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
| | | 2017-18 | 23 | 126.50 | 5 | 61.89 | 0 | 0 | 5 | 61.89 |
| | | 2018-19 | 25 | 78.49 | 11 | 49.82 | 3 | 0.94 | 8 | 48.88 |
| | | 2019-20 | 7 | 16.30 | 7 | 16.30 | 2 | 1.58 | 5 | 14.72 |
| 23 | नागरिक उड्डयन (3053) | 2019-20 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| 24 | अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425) | 2018-19 | 39 | 19.03 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
| | | 2020-21 | 8 | 12.12 | 8 | 12.12 | 0 | 0 | 8 | 12.12 |
| 25 | पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (3435) | 2014-15 | 12 | 2.17 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| | | 2016-17 | 4 | 1.62 | 1 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0.30 |
| | | 2018-19 | 3 | 1.37 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| | | 2019-20 | 2 | 1.61 | 2 | 1.61 | 2 | 1.61 | 0 | 0 |
| 26 | अन्य प्रशासनिक सेवाएं (2070) | 2018-19 | 5 | 23.72 | 3 | 6.40 | 3 | 6.40 | 0 | 0 |
| | | 2019-20 | 5 | 22.75 | 5 | 22.75 | 0 | 0 | 5 | 22.75 |
| | | 2020-21 | 2 | 21.35 | 2 | 21.35 | 0 | 0 | 2 | 21.35 |
| 27 | विविध सामान्य सेवाएं (2075) | 2018-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | अन्य सामाजिक सेवाएं (2250) | 2018-19 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0.19 |
| | | 2019-20 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
| 29 | पर्यटन (3452) | 2019-20 | 10 | 0.84 | 10 | 0.84 | 10 | 0.84 | 0 | 0 |
| 30 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (3475) | 2019-20 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
| 31 | न्याय प्रशासन (2014) | 2020-21 | 4 | 0.02 | 4 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | 0.02 |
| 32 | परिवार कल्याण (2211) | 2020-21 | 3 | 0.18 | 3 | 0.18 | 0 | 0 | 3 | 0.18 |
| 33 | एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225) | 2020-21 | 60 | 5.57 | 60 | 5.57 | 0 | 0 | 60 | 5.57 |
| 34 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (2415) | 2020-21 | 2 | 133.50 | 2 | 133.50 | 0 | 0 | 2 | 133.50 |
| 35 | मुख्य सिंचाई (2700) | 2020-21 | 3 | 1.75 | 3 | 1.75 | 0 | 0 | 3 | 1.75 |
| 36 | अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (2810) | 2020-21 | 3 | 1.20 | 3 | 1.20 | 0 | 0 | 3 | 1.20 |
| 37 | सचिवालयी आर्थिक सेवाएं (2020-21 | 2020-21 | 4 | 1.45 | 4 | 1.45 | 0 | 0 | 4 | 1.45 |

**स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई सूचना**

## परिशिष्ट 4.3

## (संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 109)

## स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

| क्र. सं. | निकाय का नाम | नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि | वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिसके लिए लेखे देय है | लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2022 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला | 2017-18 से 2021-22 | 2019-20 | 2018-19 | 2015-16 | 2020-21 एवं 2021-22 | 14 माह* एवं 2 माह |
| 2. | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़ | 2018-19 से 2022-23 | 2018-19 (20-12-2019) | 2018-19 (10-08-2020) | 2017-18 | 2019-20<br>2020-21<br>2021-22 | दो वर्ष<br>एक वर्ष |
| 3. | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.), पंचकुला | नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा का प्रावधान राज्य विधानमंडल के अधिनियम में दिया गया है | 2020-21 | 2017-18 | 2015-16 | 2021-22 | 2 माह |
| 4. | हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, पंचकुला | 2019-20 से 2023-24 | 2020-21 | 2018-19 | 2017-18 | 2021-22 | 2 माह |
| 5. | हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला | 2019-20 से 2023-24 | 2020-21 | 2019-20 | 2019-20 | 2021-22 | 2 माह |
| 6. | हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला छावनी | 2018-19 से 2022-23 | 2017-18 | 2017-18 | प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं | 2018-19 से 2021-22 | तीन वर्ष |
| 7. | गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (गु.म.वि.प्रा.) | 2017-18 से 2020-21 | 2020-21 | 20109-20 | -- | 2021-22 | 2 माह |
| 8. | हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकुला | कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2015-16 | 2015-16 | 2013-14 | 2016-17 से 2021-22 | पांच वर्ष |
| 9. | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), भिवानी | -सम- | 2021-22 | 2019-20 | 1996-97 | -- | -- |
| 10. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद | -सम- | 2020-21 | 2017-18 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 11. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद | -सम- | 2020-21 | 2017-8 | 1996-97 | 2021-22 | --- |

| क्र. सं. | निकाय का नाम | नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि | वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिसके लिए लेखे देय है | लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2022 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरुग्राम | कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2016-17 | 2016-17 | 1999-2000 | 2017-18 एवं 2021-22 | चार वर्ष |
| 13. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर | -सम- | 2020-21 | 2014-15 | 2011-12 | 2021-22 | --- |
| 14. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल | -सम- | 2020-21 | 2019-20 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 15. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला | -सम- | 2020-21 | 2017-18 | 1999-2000 | 2021-22 | --- |
| 16. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत | -सम- | 2020-21 | 2018-19 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 17. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी | -सम- | 2020-21 | 2017-18 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 18. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक | -सम- | 2020-21 | 2018-19 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 19. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत | -सम- | 2020-21 | 2017-18 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 20. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर | -सम- | 2015-16 | 2015-16 | 1996-97 | 2016-17 एवं 2021-22 | पांच वर्ष |
| 21. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार | -सम- | 2020-21 | 2017-18 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 22. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल | -सम- | 2020-21 | 2018-19 | 1996-97 | 2021-22 | ---- |
| 23. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा | -सम- | 2020-21 | 2017-18 | 2012-13 | 2021-22 | ---- |
| 24. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला | -सम- | 2020-21 | 2018-19 | 2013-14 | 2021-22 | --- |
| 25. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद | -सम- | 2020-21 | 2016-17 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 26. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल | -सम- | 2020-21 | 2017-18 | 2009-10 | 2021-22 | --- |
| 27. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरूक्षेत्र | -सम- | 2020-21 | 2019-20 | 1996-97 | 2021-22 | --- |
| 28. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात (नूंह) | -सम- | 2017-18 | 2014-15 | 2009-10 | 2018-19 से 2021-22 | तीन वर्ष |
| 29. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल | -सम- | 2020-21 | 2018-19 | 2012-13 | 2021-22 | --- |
| 30. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी | -सम- | 2021-22 | 2018-19 | -- | --- | -- |

| क्र. सं. | निकाय का नाम | नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि | वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए | वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए | वर्ष जिसके लिए लेखे देय है | लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि (30 जून 2022 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़ | कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2019-20 (3-02-2022) | 2018-19 (11-08-2021) | 2009-10 | 2020-21 से 2021-22 | दो वर्ष |
| 32. | हरियाणा विद्युत नियामक आयोग | 2019-20 | 2020-21 | 2020-21 | 2019-20 | 2021-22 | 2 माह |
| 33. | हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़ | लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2019-20 | 2018-19 | 2012-13 | 2020-21 से 2021-22 | एक वर्ष |
| 34. | हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग | -सम- | अभी तक लेखे प्राप्त नहीं हुए | -- | -- | 2013-14 से 2021-22 | आठ वर्ष |
| 35. | हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्रा.) पंचकुला | 2017-18 से 2019-20 | 2021-22 | 2018-19 | -- | --- | 2 माह (07-09-2021) |
| 36. | हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (ह.रि.ए.नि.प्र.) गुरूग्राम | 2017-18 एवं 2019-20 | 2020-21 | -- | -- | 2021-22 | -- |
| 37. | राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण सी.ए.एम.पी.ए., हरियाणा | लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन ली गई है। | 2018-19 से 2020-21 दिनांक 21-10-2021 (ड्राफ्ट एसएआर प्रक्रियाधीन) | -- | -- | 2021-22 | 2 माह |
| 38. | हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड | -सम- | 2018-19 से 2020-21 | 2020-21 16.08.2022 | अभी तक रखा जाना है | 2021-2022 | 2 माह |

## परिशिष्ट 4.4

**(संदर्भ: अनुच्छेद 4.16; पृष्ठ 110)**

**निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शाने वाली विवरणी**

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम<br>सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | जी.एम.एन. कॉलेज, अंबाला कैंट | 2018-19 | 8.11 |
| | | 2019-20 | 10.80 |
| | | 2020-21 | 8.64 |
| 2. | एस.डी. कॉलेज, अंबाला कैंट | 2018-19 | 8.35 |
| | | 2019-20 | 12.68 |
| | | 2020-21 | 11.05 |
| 3. | डी.ए.वी. कॉलेज, अंबाला शहर | 2018-19 | 8.95 |
| | | 2019-20 | 11.60 |
| | | 2020-21 | 9.10 |
| 4. | एस.ए. जैन कॉलेज, अंबाला शहर | 2018-19 | 6.32 |
| | | 2019-20 | 9.70 |
| | | 2020-21 | 8.38 |
| 5. | एम.डी.एस.डी. कॉलेज, अंबाला शहर | 2018-19 | 2.50 |
| | | 2019-20 | 4.00 |
| | | 2020-21 | 2.79 |
| 6. | एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, अंबाला शहर | 2018-19 | 2.02 |
| | | 2019-20 | 2.01 |
| | | 2020-21 | 2.02 |
| 7. | एस.एम. लुबाना खालसा गर्ल्स कॉलेज, बराड़ा, अंबाला | 2018-19 | 3.53 |
| | | 2019-20 | 3.19 |
| | | 2020-21 | 3.43 |
| 8. | डी.ए.वी. कॉलेज, नैनौला, अंबाला | 2018-19 | 2.14 |
| | | 2019-20 | 1.47 |
| | | 2020-21 | 1.10 |
| 9. | एम.पी.एन. कॉलेज, मुलाना (अंबाला) | 2018-19 | 4.80 |
| | | 2019-20 | 3.69 |
| | | 2020-21 | 3.44 |
| 10. | डी.ए.वी. कॉलेज, करनाल | 2018-19 | 2.90 |
| | | 2019-20 | 4.72 |
| | | 2020-21 | 2.65 |
| 11. | डॉ. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा कॉलेज, करनाल | 2018-19 | 0.87 |
| | | 2019-20 | 1.08 |
| | | 2020-21 | 1.20 |
| 12. | के.वी.डी.ए.वी. महिला कॉलेज, करनाल | 2018-19 | 4.82 |
| | | 2019-20 | 6.75 |
| | | 2020-21 | 5.61 |
| 13. | दयाल सिंह कॉलेज, करनाल | 2018-19 | 9.76 |
| | | 2019-20 | 9.19 |
| | | 2020-21 | 11.81 |
| 14. | गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल | 2018-19 | 4.01 |
| | | 2019-20 | 2.62 |
| | | 2020-21 | 3.11 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम<br>सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| **15.** | आई.बी. कॉलेज, पानीपत | 2018-19 | 5.63 |
| | | 2019-20 | 6.29 |
| | | 2020-21 | 6.37 |
| **16.** | एस.डी. कॉलेज, पानीपत | 2020-21 | 7.55 |
| **17.** | आर्य कॉलेज, पानीपत | 2018-19 | 5.44 |
| | | 2019-20 | 6.78 |
| | | 2020-21 | 5.94 |
| **18.** | गांधी आदर्श कॉलेज, समालखा, पानीपत | 2018-19 | 0.05 |
| | | 2019-20 | 0.80 |
| | | 2020-21 | 1.07 |
| **19.** | वैश्य गर्ल्स कॉलेज, समालखा (पानीपत) | 2018-19 | 1.34 |
| | | 2019-20 | 2.26 |
| | | 2020-21 | 1.65 |
| **20.** | सी.आर. किसान कॉलेज, जींद | 2018-19 | 4.30 |
| | | 2019-20 | 5.34 |
| | | 2020-21 | 5.14 |
| **21.** | हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद | 2018-19 | 3.45 |
| | | 2019-20 | 4.23 |
| | | 2020-21 | 3.45 |
| **22.** | एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद | 2018-19 | 1.91 |
| | | 2019-20 | 1.39 |
| | | 2020-21 | 1.54 |
| **23.** | गुरू नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर | 2020-21 | 11.11 |
| **24.** | गुरू नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर | 2018-19 | 8.25 |
| | | 2019-20 | 11.37 |
| | | 2020-21 | 9.72 |
| **25.** | एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर | 2018-19 | 8.68 |
| | | 2019-20 | 12.52 |
| | | 2020-21 | 10.11 |
| **26.** | डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर | 2018-19 | 5.74 |
| | | 2019-20 | 7.81 |
| | | 2020-21 | 6.69 |
| **27.** | हिंदू गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी, यमुनानगर | 2018-19 | 3.80 |
| | | 2019-20 | 5.82 |
| | | 2020-21 | 4.61 |
| **28.** | महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी | 2018-19 | 1.83 |
| | | 2019-20 | 2.89 |
| | | 2020-21 | 2.65 |
| **29.** | एम.एल.एन. कॉलेज, रादौर | 2018-19 | 1.84 |
| | | 2019-20 | 1.75 |
| | | 2020-21 | 1.35 |
| **30.** | डी.ए.वी. कॉलेज, सढ़ौरा | 2018-19 | 2.47 |
| | | 2019-20 | 2.86 |
| | | 2020-21 | 3.08 |
| **31.** | डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र | 2020-21 | 4.16 |
| **32.** | आई.जी. नेशनल कॉलेज, लाडवा, कुरुक्षेत्र | 2018-19 | 3.51 |
| | | 2019-20 | 5.73 |
| | | 2020-21 | 4.57 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम<br>सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| **33.** | भगवान परशुराम कॉलेज, कुरुक्षेत्र | 2018-19 | 4.97 |
| | | 2019-20 | 6.49 |
| | | 2020-21 | 5.30 |
| **34.** | एम.एन. कॉलेज, शाहबाद, कुरुक्षेत्र | 2018-19 | 3.32 |
| | | 2019-20 | 5.09 |
| | | 2020-21 | 3.96 |
| **35.** | आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद, कुरुक्षेत्र | 2018-19 | 4.85 |
| | | 2019-20 | 6.58 |
| | | 2020-21 | 5.44 |
| **36.** | डी.ए.वी. कॉलेज, पेहोवा | 2018-19 | 4.05 |
| | | 2019-20 | 6.29 |
| | | 2020-21 | 3.97 |
| **37.** | एस.एन.आर.एल. जय राम गर्ल्स कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र | 2018-19 | 1.62 |
| | | 2019-20 | 1.89 |
| | | 2020-21 | 1.85 |
| **38.** | आर.के.एस.डी. कॉलेज, कैथल | 2018-19 | 6.85 |
| | | 2019-20 | 8.99 |
| | | 2020-21 | 9.23 |
| **39.** | आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल | 2018-19 | 1.23 |
| | | 2019-20 | 0.63 |
| | | 2020-21 | 1.27 |
| **40.** | डी.ए.वी. कॉलेज, पुंडरी | 2018-19 | 2.68 |
| | | 2019-20 | 2.58 |
| | | 2020-21 | 2.49 |
| **41.** | सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुंडरी | 2018-19 | 3.85 |
| | | 2019-20 | 5.54 |
| | | 2020-21 | 4.85 |
| **42.** | बी.ए.आर. जनता कॉलेज, कौल, कैथल | 2018-19 | 2.55 |
| | | 2019-20 | 4.70 |
| | | 2020-21 | 3.71 |
| **43.** | डी.ए.वी. कॉलेज, चीका | 2018-19 | 3.62 |
| | | 2019-20 | 4.59 |
| | | 2020-21 | 3.68 |
| **44.** | सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान, कैथल | 2018-19 | 3.94 |
| | | 2019-20 | 5.23 |
| | | 2020-21 | 4.71 |
| **45.** | एम.एम. कॉलेज, फतेहाबाद | 2018-19 | 3.45 |
| | | 2019-20 | 5.30 |
| | | 2020-21 | 4.33 |
| **46.** | सी.एम.के. नेशनल गर्ल्स कॉलेज, सिरसा | 2018-19 | 3.49 |
| | | 2019-20 | 4.08 |
| | | 2020-21 | 3.92 |
| **47.** | गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा | 2018-19 | 2.08 |
| | | 2019-20 | 1.75 |
| | | 2020-21 | 1.47 |
| **48.** | एम.पी. गर्ल्स कॉलेज, डबवाली | 2018-19 | 2.28 |
| | | 2019-20 | 3.67 |
| | | 2020-21 | 2.77 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम<br>सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| **49.** | बी.एस.के. शिक्षा कॉलेज, मंडी डबवाली | 2018-19 | 0.76 |
| | | 2019-20 | 1.25 |
| | | 2020-21 | 1.13 |
| **50.** | सी.आर.एम. जाट कॉलेज, हिसार+ | 2018-19 | 6.90 |
| | | 2019-20 | 6.84 |
| | | 2020-21 | 6.84 |
| **51.** | डी.एन. कॉलेज, हिसार | 2018-19 | 7.49 |
| | | 2019-20 | 9.91 |
| | | 2020-21 | 7.64 |
| **52.** | एफ.सी. कॉलेज फॉर विमेन, हिसार | 2018-19 | 3.25 |
| | | 2019-20 | 4.21 |
| | | 2020-21 | 2.94 |
| **53.** | सी.आर. शिक्षा कॉलेज, हिसार | 2018-19 | 2.33 |
| | | 2019-20 | 1.46 |
| | | 2020-21 | 1.82 |
| **54.** | एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी | 2018-19 | 1.18 |
| | | 2019-20 | 1.20 |
| | | 2020-21 | 1.56 |
| **55.** | सी.आर.ए. कॉलेज, सोनीपत | 2018-19 | 4.43 |
| | | 2019-20 | 6.04 |
| | | 2020-21 | 4.52 |
| **56.** | हिंदू कॉलेज, सोनीपत | 2018-19 | 6.08 |
| | | 2019-20 | 10.00 |
| | | 2020-21 | 7.96 |
| **57.** | हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत | 2018-19 | 5.64 |
| | | 2019-20 | 10.63 |
| | | 2020-21 | 10.26 |
| **58.** | टी.आर. शिक्षा कॉलेज, सोनीपत | 2019-20 | 1.06 |
| | | 2020-21 | 1.31 |
| **59.** | गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत | 2018-19 | 8.26 |
| | | 2019-20 | 11.33 |
| | | 2020-21 | 9.03 |
| **60.** | टी.आर. गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत | 2018-19 | 2.80 |
| | | 2019-20 | 2.79 |
| | | 2020-21 | 2.23 |
| **61.** | कन्या महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत | 2018-19 | 2.73 |
| | | 2019-20 | 2.75 |
| | | 2020-21 | 2.69 |
| **62.** | वैश्य कॉलेज, भिवानी | 2018-19 | 5.25 |
| | | 2019-20 | 7.41 |
| | | 2020-21 | 6.64 |
| **63.** | आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी | 2018-19 | 4.17 |
| | | 2019-20 | 5.64 |
| | | 2020-21 | 4.13 |
| **64.** | के.एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिवानी | 2018-19 | 1.14 |
| | | 2019-20 | 0.89 |
| | | 2020-21 | 1.11 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम<br>सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| **65.** | जे.वी.एम. जी.आर.आर. कॉलेज, चरखी दादरी | 2018-19 | 6.80 |
| | | 2019-20 | 6.11 |
| | | 2020-21 | 6.55 |
| **66.** | ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी | 2018-19 | 1.54 |
| | | 2019-20 | 1.32 |
| | | 2020-21 | 1.08 |
| **67.** | एम.एल.आर.एस. शिक्षा कॉलेज, चरखी दादरी | 2019-20 | 1.01 |
| | | 2020-21 | 1.09 |
| **68.** | बी.एल.जे. सुईवाला कॉलेज, तोशाम | 2018-19 | 2.86 |
| | | 2019-20 | 3.08 |
| | | 2020-21 | 3.09 |
| **69.** | महिला महाविद्यालय, झोझू कलां, भिवानी | 2018-19 | 1.22 |
| | | 2019-20 | 1.17 |
| | | 2020-21 | 1.38 |
| **70.** | वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह | 2018-19 | 1.85 |
| | | 2019-20 | 2.57 |
| | | 2020-21 | 2.12 |
| **71.** | निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, सोहना, गुरुग्राम | 2018-19 | 1.92 |
| | | 2019-20 | 2.34 |
| | | 2020-21 | 2.59 |
| **72.** | आर.एस.एल. शिक्षा कॉलेज, सिधरावाली, गुरुग्राम | 2018-19 | 1.79 |
| | | 2019-20 | 2.05 |
| | | 2020-21 | 2.99 |
| **73.** | वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़ | 2018-19 | 1.22 |
| | | 2019-20 | 1.94 |
| | | 2020-21 | 1.78 |
| **74.** | एम.ए. महिला कॉलेज, झज्जर | 2018-19 | 4.48 |
| | | 2019-20 | 3.80 |
| | | 2020-21 | 3.64 |
| **75.** | जी.जी.डी.एस.डी. कॉलेज, पलवल | 2018-19 | 6.89 |
| | | 2019-20 | 8.53 |
| | | 2020-21 | 6.10 |
| **76.** | अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ | 2018-19 | 5.07 |
| | | 2019-20 | 6.76 |
| | | 2020-21 | 6.20 |
| **77.** | के.एल. मेहता डी.एन. कॉलेज फॉर विमेन, फरीदाबाद | 2018-19 | 4.02 |
| | | 2019-20 | 6.41 |
| | | 2020-21 | 4.44 |
| **78.** | डी.ए.वी. सेंटेनरी कॉलेज, फरीदाबाद | 2018-19 | 3.55 |
| | | 2019-20 | 5.02 |
| | | 2020-21 | 4.18 |
| **79.** | सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल | 2018-19 | 2.65 |
| | | 2019-20 | 3.95 |
| | | 2020-21 | 3.00 |
| **80.** | के.एल.पी. कॉलेज, रेवाड़ी | 2019-20 | 9.49 |
| | | 2020-21 | 8.14 |
| **81.** | एस.पी. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी | 2018-19 | 0.98 |
| | | 2019-20 | 1.26 |
| | | 2020-21 | 1.12 |

| क्र. सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम<br>सहायता प्राप्त निजी कॉलेज | वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे | प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| **82.** | अहीर कॉलेज, रेवाड़ी | 2018-19 | 3.70 |
| | | 2019-20 | 6.43 |
| | | 2020-21 | 5.08 |
| **83.** | आर.बी.एस. शिक्षा कॉलेज, रेवाड़ी | 2018-19 | 0.81 |
| | | 2019-20 | 0.71 |
| | | 2020-21 | 0.62 |
| **84.** | आर.डी.एस. पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, रेवाड़ी | 2019-20 | 0.47 |
| | | 2020-21 | 3.78 |
| **85.** | डी.ए.वी. गर्ल्स कॉलेज, कोसली, रेवाड़ी | 2018-19 | 0.48 |
| | | 2019-20 | 1.12 |
| | | 2020-21 | 0.61 |
| **86.** | ऑल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज, रोहतक | 2018-19 | 13.70 |
| | | 2019-20 | 16.02 |
| | | 2020-21 | 11.35 |
| **87.** | जी.बी. डिग्री कॉलेज, रोहतक | 2018-19 | 2.50 |
| | | 2019-20 | 3.34 |
| | | 2020-21 | 1.89 |
| **88.** | श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक | 2018-19 | 4.58 |
| | | 2019-20 | 4.95 |
| | | 2020-21 | 4.30 |
| **89.** | वैश्य कॉलेज, रोहतक | 2018-19 | 5.00 |
| | | 2019-20 | 6.44 |
| | | 2020-21 | 7.42 |
| **90.** | जी.बी. शिक्षा कॉलेज, रोहतक | 2018-19 | 1.22 |
| | | 2019-20 | 2.14 |
| | | 2020-21 | 1.05 |
| **91.** | वैश्य शिक्षा कॉलेज, रोहतक | 2018-19 | 0.79 |
| | | 2019-20 | 0.92 |
| | | 2020-21 | 0.73 |
| **92.** | वैश्य गर्ल्स कॉलेज, रोहतक | 2018-19 | 4.04 |
| | | 2019-20 | 5.85 |
| | | 2020-21 | 4.38 |
| **93.** | एस.जे.के. कॉलेज, कलानौर, रोहतक | 2018-19 | 3.63 |
| | | 2019-20 | 4.78 |
| | | 2020-21 | 4.20 |
| **94.** | सी.आर. शिक्षा कॉलेज, रोहतक | 2018-19 | 1.87 |
| | | 2019-20 | 2.41 |
| | | 2020-21 | 1.77 |
| **95.** | एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक | 2018-19 | 4.51 |
| | | 2019-20 | 5.95 |
| | | 2020-21 | 4.86 |
| **कुल** | | | **1196.10** |

## परिशिष्ट 4.5

**(संदर्भ: अनुच्छेद 4.17; पृष्ठ 111)**

**विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी**

| क्र. सं. | विभाग | विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम | तक लेखे अन्तिमकृत किए गए | पिछले अन्तिमकृत लेखों के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में) | लेखों को तैयार करने में विलंब हेतु टिप्पणियां/कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | कृषि | बीज डिपो स्कीम[1] | 1988-89 | - | 1988-89 के पश्चात् कोई लेखे तैयार नहीं किए गए हैं। |
| **2.** | कृषि | कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण | 1986-87 | 0.01 | विभाग द्वारा 1986-87 के पश्चात् कीटनाशकों/ खरपतवारनाशक का कोई क्रय नहीं किया गया था। |
| **3.** | मुद्रण एवं स्टेशनरी | राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम | 2007-08 | 17.97 | - |
| **4.** | खाद्य एवं आपूर्ति | अनाज आपूर्ति स्कीम | 2017-18 | 9,098.50 | - |
| **5.** | खाद्य एवं आपूर्ति | अनाज आपूर्ति स्कीम | 2014-15 | 1,155.99 | स्टॉफ की कमी के कारण विलंब हुआ |
| **6.** | सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और संचार | हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 | 9.90 | कोविड के कारण लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथापि वर्ष 2020-21 के लेखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। |
| **कुल** | | | | **10,282.37** | |

[1] ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

## परिशिष्ट 5.1

## (संदर्भ: अनुच्छेद 5.3; पृष्ठ 116)

## हरियाणा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

| क्र.सं. | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम/क्षेत्र |
|---|---|
| **विद्युत क्षेत्र** | |
| 1. | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड |
| 2. | उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड |
| 3. | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड |
| 4. | हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड |
| **वित्त क्षेत्र** | |
| 5. | हरियाणा वित्तीय निगम |
| 6. | हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड |
| 7. | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 8. | हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड |
| 9. | हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड |
| 10. | हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड* |
| **सेवा क्षेत्र** | |
| 11. | हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड |
| 12. | हारट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड |
| 13. | गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड |
| 14. | पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड |
| 15. | गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड |
| 16. | हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन |
| 17. | हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड |
| 18. | हरियाणा पर्यटन लिमिटेड |
| 19. | फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड[$$] |
| **आधारभूत संरचना क्षेत्र** | |
| 20. | हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड |
| 21. | फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड |
| 22. | हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 23. | हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड |
| 24. | हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| 25. | हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 26. | हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 27. | करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड[$$] |
| **अन्य क्षेत्र** | |
| 28. | हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड |
| 29. | हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 30. | हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड |
| 31. | हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड |
| 32. | हरियाणा राज्य भंडारण निगम |
| 33. | हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड |
| 34. | ड्रोन इमेजिंग एंड इनफोर्मेशन सर्विसिज ऑफ हरियाणा[$$] |
| 35. | हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड* |
| 36. | हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड |
| 37. | हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड* |

**नोट: * निष्क्रिय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम।**

**[$$] राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनके संबंध में प्रथम लेखे प्रतीक्षित हैं।**

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in